तुर्दश माला, खंड 11, अंक 5

शुक्रवार, 29 जुलाई, 2005
7 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 11 पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)
अंक 5, शुक्रवार, 29 जुलाई, 2005/ 7 श्रावण, 1927 (शक)

विषय	**कॉलम**
निधन संबंधी उल्लेख	1-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 83	3-52
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 84 से 100	52-105
अतारांकित प्रश्न संख्या 867 से 1022	105-378
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	
प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका की हाल की राजकीय यात्रा	
डा. मनमोहन सिंह	379-386
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
सभा के कार्य के बारे में	386-387
सभा पटल पर रखे गए पत्र	387-404
याचिका समिति	
सातवां और आठवां प्रतिवेदन	404
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
विवरण	404
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
(एक) दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन	405
(दो) साक्ष्य	405
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले और छठे प्रतिदवेन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	405
(दो) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्यवाही संबंधी चौथी प्रगति रिपोर्ट	
श्री पी. चिदम्बरम	405-407

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(तीन) हरपालगंज-कोइरीपुर रेलवे स्टेशनों के बीच 2391 पटना-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस में हुअ बम विस्फोट

श्री लालू प्रसाद 448-452

सभा का कार्य 407-425

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 425

कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 426

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुर:स्थापित 426

(एक) **अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004**

श्री चन्द्रकांत खैरे 426-427

(दो) **प्राइवेट विद्यालय (विनियमन) विधेयक, 2005**

श्री काशीराम राणा 427

(तीन) **स्वैच्छिक संगठन (विनियमन) विधेयक, 2005**

श्री काशीराम राणा 427-428

(चार) **राष्ट्रीय उद्यान विधेयक, 2005**

श्री सुबोध मोहिते 428

(पांच) **पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2005**

श्री सुबोध मोहिते 428-429

(छह) **राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक, 2005**

श्री सुबोध मोहिते 429

(सात) **संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (नए अनुच्छेद 24क का अंत:स्थापन)**

श्री सुबोध मोहिते 429-430

(आठ) **संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (अनुच्छेद 19 का संशोधन)**

श्री ब्रजेश पाठक 430

(नौ) **संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (नए अनुच्छेद 31 का अंत:स्थापन)**

श्री ब्रजेश पाठक 430-431

(दस) **संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)**

श्री ब्रजेश पाठक 431

(ग्यारह) **संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)**

श्री ब्रजेश पाठक 431-432

(बारह) **वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 (नई धारा 3ग का अंत:स्थापन)**

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 432

विषय **कॉलम**

(तेरह) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2005 (अनुसूची का संशोधन)

श्री कीरेन रिजीजू 432-433

(चौदह) कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005

श्री हन्नान मोल्लाह 433

(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (अनुच्छेद 200 आदि का संशोधन)

श्री हन्नान मोल्लाह 433-434

(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)

श्री चन्द्रकांत खैरे 434

(सत्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (अनुच्छेद 371 का संशोधन)

श्री चन्द्रकांत खैरे 434-435

(अठारह) एयरलाइन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2005

श्री चन्द्रकांत खैरे 435

बालक श्रम उत्सादन विधेयक, 2005 435

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 435-439

श्री रामजीलाल सुमन 439-442

श्री सन्दीप दीक्षित 442-447

श्री बिक्रम केशरी देव 453-456

श्री टी.के. हमजा 456-457

श्री राजाराम पाल 457-459

श्री तथागत सत्पथी 459-462

डा. टोकचोम मैन्या 462-465

श्री वरकला राधाकृष्णन 465-468

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 468-470

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम 470-472

श्री अधीर चौधरी 473-476

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 477-478

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 478-484

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 485

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 486

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

शुक्रवार, 29 जुलाई, 2005/7 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, भारी रेल दुर्घटना हुई है....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम सभी को इसका बहुत दुख है कृपया प्रतीक्षा कीजिए। अभी एक निधन संबंधी सुचना दी जानी है।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्रीमती गिरिजा कुमारी के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्रीमती गिरिजा कुमारी मध्य प्रदेश में शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967 से 1970 तक चौथी लोक सभा की सदस्य थीं।

इसके पूर्व श्रीमती गिरिजा कुमारी वर्ष 1959-1967 तक और पुन: वर्ष 1985 में मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुई थीं।

लोक सभा सदस्य के रूप में श्रीमती गिरिजा कुमारी वर्ष 1967 से 1970 तक सभा की सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की सदस्य रहीं।

श्रीमती गिरिजा कुमारी पेशे से कृषक और सामाजिक कार्यकर्ता थीं तथा उन्होंने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के मुंडा क्षेत्र में विलेज को-आपरेटिव सोसायटी, के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। यह राज्य समाज कल्याण बोर्ड और मध्य प्रदेश जनजातीय कल्याण बोर्ड तथा शहडोल जिला सलाहकार समिति की भी सदस्य रहीं।

श्रीमती गिरिजा कुमारी ने लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया। वह दिसम्बर, 2002 में मध्य प्रदेश में नगर पंचायत, जैथारी की सभापति निर्वाचित हुई और मृत्यु तक इसी पद पर बनी रहीं।

श्रीमती गिरिजा कुमारी का निधन 18 जुलाई, 2005 को मध्य प्रदेश के अनुपपुर जिले में लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपनी इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, रेलवे वाले मामले का क्या होगा।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई है कि दोनों माननीय मंत्री इस समय घटनास्थल पर गये हैं। वे आज वापिस आने वाले हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपराह्न 3.00 या 3.30 बजे इस पर एक वक्तव्य देंगे।

(*व्यवधान*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जब संसद का सत्र चल रहा हो तो उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

(*व्यवधान*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वे रात को वहां से चलकर सुबह तक यहां आ सकते थे।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि आप इसकी प्रशंसा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें इस संबंद में टिप्पण करने का अधिकार है। आप हर मामले में परेशान क्यों हो जाते हैं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख, प्रश्न संख्या 81।

[हिन्दी]

विद्युत संकट

\+

***81. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:**
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू ग्रीष्म मौसम में अनेक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत की भारी कमी थी;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत की वास्तविक कमी के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस गंभीर विद्युत संकट से निबटने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) देश में विद्युत की इस स्थिति से निपटने में कितनी सफलता मिली है;

(ङ) क्या विद्युत संकट का सामना कर रहे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(छ) सरकार द्वारा देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस ग्रीष्म ऋतु के दौरान कुछ राज्यों को छोड़कर देश में विद्युत की कमी व्याप्त है। यह कमी विभिन्न राज्यों, महीनों एवं घंटों में अलग-अलग रही। चालू ग्रीष्म ऋतु (अप्रैल-जून, 2005) के दौरान देश में औसत विद्युत ऊर्जा अभाव 8.9% और व्यस्ततमकालीन ऊर्जा अभाव 13.1% रहा।

(ख) ग्रीष्मकालीन महीनों (अप्रैल-जून, 2005) के दौरान देश में ऊर्जा एवं व्यस्ततमकालीन विद्युत की राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) विद्युत एक समवर्ती विषय है राज्य में विद्युत आपूर्ति एवं वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार, राज्य विद्युत यूटिलिटी की होती है। केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के जरिए केंद्रीय क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि तथा बृहद पारेषण प्रणाली की स्थापना के जरिए राज्य सरकार के प्रयासों को मदद करती है।

विद्युत की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं:–

(i) विद्युत उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि तथा पारेषण एवं वितरण प्रणाली की उपलब्धता के लिए केंद्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विद्युत आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा और प्रबंधों का पर्यवेक्षण तथा विद्युत का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।

(ii) मौजूदा विद्युत उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली में जल, ताप नाभिकीय और गैस आधारित विद्युत केंद्रों का समन्वित प्रचालन एवं अनुरक्षण।

(iii) केंद्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों की 15% अनाबंटित क्षमता जिसके आबंटन का अधिकार केंद्रीय सरकार का है, का विभिन्न तात्कालिक स्थितियों से निबटने के लिए जरूरतमंद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन।

(iv) अधिशेष विद्युत वाले क्षेत्रों से विद्युत अभाव वाले क्षेत्रों को विद्युत का अंतरण।

(v) विद्युत की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी भार प्रबंधन करती है

और विनियामक उपायों के जरिए प्रतिबंध लगाती और लोड शेडिंग करती है।

(ङ) और (च) कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया क्योंकि यह आवश्यक नहीं था और विद्युत आपूर्ति की स्थिति की विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र एवं राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा नियमित रूप से ऑन लाईन मॉनीटरिंग की जाती है। विद्युत आपूर्ति की राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रवार स्थिति के ब्यौरे अनुबंध के रूप में दर्शाए गए हैं, जो प्रश्न के भाग (ख) में निर्दिष्ट है।

(छ) देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:-

(i) दसवीं पंचवर्षीय योजना में 41,110 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि का लक्ष्य है जिसमें 22,832 मेगावाट केंद्रीय क्षेत्र में, 11,157 मेगावाट राज्य क्षेत्र में और 7121 मेगावाट निजी क्षेत्र में विकसित की जाएगी, जिसके अंतर्गत 14,393 मेगावाट हाइड्रो 25,417 मेगावाट थर्मल और 1300 मेगावाट नाभिकीय क्षमता शामिल होगी।

(ii) कार्यक्रम के बाद भी विद्युत उत्पादन अधिकतम करना तथा संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) में वृद्धि।

(iii) नई चालू यूनिटों का शीघ्र स्थायीकरण।

(iv) जल क्षमता का तेजी से दोहन।

(v) पुराने एवं अकुशल जेनरेटिंग यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार जिसके लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ऋणों पर ब्याजगत सब्सिडी दी जाएगी।

(vi) संविदाओं में परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रोत्साहन संबंधी खंड शामिल करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों को सलाह देना।

(vii) लगभग 74% के वर्तमान राष्ट्रीय औसत पी.एल.एफ. को हासिल करने के लिए 60% से कम पी.एल.एफ. वाले ताप विद्युत केंद्रों के पी.एल.एफ. में सुधार हेतु कार्रवाई शुरू की गई है।

(viii) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से अधिशेष विद्युत का दोहन।

(ix) अंतःक्षेत्रीय पारेषण लिंक के सुदृढ़ीकरण और अंततः राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना द्वारा अंतः राज्यीय एवं अंतः क्षेत्रीय विद्युत में वृद्धि।

(x) उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन।

अनुबंध

वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य प्रणाली क्षेत्र	ऊर्जा (मि.यू.) अप्रैल, 2005 से जून, 2005				व्यस्ततम (मे.वा.) अप्रैल, 05 से जून, 05			
	आवश्यकता	अपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		मांग	पूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	332	332	0	0.0	240	240	0	0.0
दिल्ली	5,704	5,677	-27	-0.5	3,706	3,600	-106	-2.9
हरियाणा	5,837	5,501	-336	-5.8	4,319	3,764	-555	-12.9
हिमाचल प्रदेश	1,009	1,007	-2	-0.2	702	702	0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जम्मू-कश्मीर	2,385	1,991	-394	-16.5	1,266	1,116	-150	-11.8
पंजाब	9,099	8,442	-657	-7.2	7,731	5,992	-1,739	-22.5
राजस्थान	7,454	7,310	-144	-1.9	4,575	4,375	-200	-4.4
उत्तर प्रदेश	14,140	11,409	-2,731	-19.3	8,175	6,588	-1,587	-19.4
उत्तरांचल	1,226	1,206	-20	-1.6	874	837	-37	-4.2
उत्तरी क्षेत्र	**47,186**	**42,875**	**-4.311**	**-9.1**	**27,927**	**24,864**	**-3,063**	**-11.0**
छत्तीसगढ़	3,322	3,176	-146	-4.4	1,889	1,737	-152	-8.0
गुजरात	15,191	13,461	-1,730	-11.4	9,783	7,102	-2.681	-27.4
मध्य प्रदेश	8,485	6,786	-1,699	-20.0	5,248	3,942	-1,306	-24.9
महाराष्ट्र	26,402	21,825	-4,577	-17.3	15,741	10,861	-4,880	-31.0
दमन और दीव	315	315	0	0.0	213	213	0	0.0
दादर नगर हवेली	599	599	0	0.0	304	304	0	0.0
गोवा	593	593	0	0.0	354	354	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**54,907**	**46,755**	**-8,152**	**-14.8**	**31,328**	**22,827**	**-8,501**	**-27.1**
आंध्र प्रदेश	12,967	12,545	-422	-3.3	7,558	7,435	-123	-1.6
कर्नाटक	8,420	8,299	-121	-1.4	5,574	5,442	-132	-2.4
केरल	3,427	3,371	-56	-1.6	2,495	2,439	-56	-2.2
तमिलनाडु	13,817	13,636	-181	-1.3	7,989	7,805	-184	-2.3
पांडिचेरी	430	430	0	0.0	249	249	0	0.0
लक्षद्वीप #	6	6	0	0.0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**39,061**	**38,281**	**-780**	**-2.0**	**22,609**	**21,756**	**-853**	**-3.8**
बिहार	1,941	1,601	-340	-17.5	1050	965	-85	-8.1
डीवीसी	2,431	2,397	-34	-1.4	1,412	1,412	0	0.0
झारखंड	1,001	958	-43	-4.3	590	555	-35	-5.9
उड़ीसा	3,687	3,616	-71	-1.9	2,255	2,225	0	0.0
पश्चिम बंगाल	6,518	6,361	-157	-2.4	4,085	3,925	-160	-3.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिक्किम	58	57	-1	-1.7	47	45	-2	-4.3
अंडमान निकोबार #	60	42	-18	-30	40	31	-9	-23
पूर्वी क्षेत्र	**15,636**	**14,990**	**-646**	**-4.1**	**8.890**	**8,520**	**-370**	**-4.2**
अरुणाचल प्रदेश	53	52	0	-0.9	69	68	-1	-1.4
असम	912	837	-75	-8.2	691	611	-80	-11.6
मणिपुर	116	109	-8	-6.6	102	99	-3	-2.9
मेघालय	312	253	-59	-18.9	266	188	-78	-29.3
मिजोरम	57	53	-4	-7.4	65	65	0	0.0
नागालैंड	105	99	-6	-5.9	90	71	-19	-21.1
त्रिपुरा	191	166	-25	-13.1	171	138	-33	-19.3
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1,746**	**1,569**	**-178**	**-10.2**	**1,266**	**1,092**	**-174**	**-13.7**
अखिल भारत	**158,536**	**144,470**	**-14,067**	**-8.9**	**88,667**	**77,085**	**-11,582**	**-13.1**

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की स्टेंड अलोन प्रणालियां इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय व्यस्ततम मांग/व्यस्ततम पूर्ति के आंकड़ों में शामिल नहीं है।

***श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:** अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। औद्योगिक, कृषि और शिक्षा संबंधी तथा अन्य सभी क्षेत्रों का विकास विद्युत पर निर्भर है। यदि हमारे देश को प्रगति करनी है तो विद्युत की उपलब्धता महत्त्वपूर्ण है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि विद्युत की मांग 1 लाख 88 हजार मेगावाट है। देश में 1 लाख 58 हजार मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है और हम केवल 1 लाख 44 हजार मेगावाट की आपूर्ति करने में सक्षम हैं, इस प्रकार 14 हजार मेगावाट की कमी रहती है। विशेषकर, महाराष्ट्र में विद्युत की कमी 30 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र के व्यापक होने के कारण इन क्षेत्रों में विद्युत की मांग अधिक है। अतः मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या वे महाराष्ट्र राज्य में 30 प्रतिशत की कमी पूरा करने के लिए कोई विशेष पैकेज देना चाहेंगे। माननीय मंत्रीजी से यही मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, वह जानना चाहते हैं कि क्या महाराष्ट्र के लिए कोई विशेष पैकेज तैयार किया गया है।

*मूलतः मराठी में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री पी.एम. सईद: महोदय, लिखित जवाब में मैंने पहले ही यह बताया है कि कुल मिलाकर देश में विद्युत की कमी है। देश में उत्तम विद्युत उत्पादन में वृद्धि, पी.एल.एफ. में सुधार और इस वर्ष की तिमाही के प्रथम भाग में विद्युत उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि के बावजूद वर्तमान ग्रीष्मकालीन अवधि में 8.9 प्रतिशत की कमी रही। इस अवधि के दौरान अधिकतम 13.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी।

माननीय सदस्य ने देश में इस कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों विशेष कर महाराष्ट्र के संदर्भ में उठाये गए कदमों के बारे में पूछा है। मैं सभा को बताना चाहूंगा कि विद्युत कमी का प्रमुख कारण हमारी पिछली योजनाएं अर्थात् नौवीं और आठवीं योजनाएं हैं। आठवीं और नौवीं योजना इन दोनों को मिलाकर, लक्ष्य प्राप्ति 50 प्रतिशत ही रही, यह एक अन्य पहलु है।

दूसरे, राज्य स्तर पर विद्यमान संयंत्रों में सुधार के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अतः विद्युत आपूर्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है। हम राज्यों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते।

जैसा कि आप जानते हैं कि इस परिदृश्य में हम वर्ष 1982 में आए जबकि पहली बार एन.टी.पी.सी. ने अपना 200 मेगावाट क्षमता का पहला संयंत्र लगाया। अब अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, अतः यह स्वगाविक है कि विद्युत की मांग बढ़ रही है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम सबसे पहले दसवीं योजना के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इस आवश्यकता को परा किये जाने की संभावना है। हम आशा करें कि माननीय सदस्य द्वारा अपने प्रश्न में बतायी गयी कठिनाइयों विशेषकर ग्रीष्मकालीन के तीन महीनों में कमी तथा महाराष्ट्र की समस्या को हल कर लिया जाएगा।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस मामले में दखल दिया। संयंत्रों के लिए गैस उपलब्ध करायी गई और 4 एम.एम.एस. सी.एम.डी. का आबंटन किया गया। हमने अपने निजी अनआबंटित कोटे 15 प्रतिशत क्षमता में से विद्युत उपलब्ध करायी ताकि विभिन्न आकस्मिक परिस्थितियों से निपटा जा सके। जहां तक संभव हुआ हमने संसाधन उपलब्ध कराये। कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे राज्यों से हमने कहा कि यदि वे विद्युत प्राप्त करना चाहते हैं तो नाफ्था आधारित विद्युत ले सकते हैं परन्तु लागत अधिक होने के कारण राज्यों ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर भी कठिनाइयों से जूझ रहे राज्यों को काफी हद तक सहायता उपलब्ध करायी गई।

*__श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:__ अध्यक्ष महोदय, विद्युत की आपूर्ति और मांग के अंतर को पाटना संभव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विद्युत उत्पादक यूनिट हैं। क्या केन्द्र सरकार ऐसी यूनिटों और नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, उद्यमियों आदि हेतु कुछ सहायता देगी?

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है।

श्री पी.एम. सईद: महोदय, विद्युत अधिनियम, 2003 को पारित किये जाने के बाद, अब यह स्पष्ट हो गया है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र में निवेश कर सकता है। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग विद्युत संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक हैं। माननीय सदस्य ने कुछ संस्थानों के नाम बताये हैं। वे इस क्षेत्र में आ सकते हैं, उनका स्वागत है।

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि किसानों को आवश्यक विद्युत आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है। उदाहरण के लिए मैं केवल महाराष्ट्र के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। यद्यपि, मैं जानता हूं कि यह समवर्ती सूची का विषय है और राज्य सरकारें ही वितरण और आपूर्ति का कार्य कर रही हैं। जहां तक कर्नाटक का संबंध है इन सब परिस्थितियों के बावजूद वहां किसानों को प्रतिदिन चार घंटे बिजली मिल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां किसानों को सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार की कोई विशिष्ट योजना है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि यदि उन्हें इस समय विद्युत नहीं मिलती तो समय पर उन्हें उत्पादन भी नहीं मिलेगा। इसी कारण मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार किसानों को पूरे दिन बिजली की आपूर्ति हेतु कोई नया उपाय करेगी?

यद्यपि, आपने बताया है कि केन्द्रीय विद्युत उत्पाद संयंत्रों को 15% की अन-आबंटित क्षमता में से अधिक आवश्यकता वाले स्थानों पर विद्युत आबंटन दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार को कितनी विद्युत दी गयी? मेरा एक और प्रश्न है जिसे मैं पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, कृपया केवल एक प्रश्न पूछिए।

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: आज की स्थिति के अनुसार पारेषण क्षति का विद्युत की स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बिजली की कमी का एक कारण पारेषण क्षति भी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस स्थिति में पारेषण क्षति कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री पी.एम. सईद: महोदय, माननीय सदस्य ने कर्नाटक का संदर्भ दिया है विशेषकर वहां विद्युत की कमी और उसकी आपूर्ति के संबंध में। महोदय, हमारे पावर ग्रिड निगम के माध्यम से तलचर, उड़ीसा से कोलार, कर्नाटक को 2,000 मेगावाट विद्युत उपलब्ध करायी गई है।

जहां तक किसानों का संबंध है, अपनी नीति के अनुसार, राज्य सरकार अपनी प्राथमिकता के आधार पर किसानों को विद्युत की आपूर्ति करती है। यह राज्य सरकार की इच्छा पर छोड़ा गया है कि वह कैसे और क्या करती है।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न श्रीमती के. रानी।

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: नही, नहीं। पूरक प्रश्न पूछने की एक सीमा है। आप बाद में एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें यह नियम है। आप और नहीं बोल सकते।

*मूलतः मराठी में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: महोदय, केवल एक प्रश्न...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका पूरा साथ देता हूं। आप अन्य प्रश्न पूछें मैं इसे स्वीकृति देता हूं।

श्रीमती के. रानी: महोदय, मंत्री महोदय ने बिजली की कमी के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है...*(व्यवधान)*

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: महोदय, उन्होंने पारेषण क्षति पर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

श्री पी.एम. सईद: महोदय, जहां तक पारेषण क्षति का संबंध है केन्द्र सरकार की यह रणनीति है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट रुकिए। यदि आप स्वयं जवाब देते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्री पी.एम. सईद: महोदय, पारेषण और वितरण में क्षति को कम करने के लिए केन्द्र सरकार ने योजनाएं बनाची है। यह राज्य सरकार की इच्छा है कि वह ऐसी योजनाएं उपयोग में लाए। उदाहरण के लिए ए.पी.आर.डी.पी. में दो घटक हैं। एक है निवेश घटक जहां एक परियोजना तैयार की जा सकती है, जिसमें भारत सरकार द्वारा परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत ऋण के रूप में वित्तपोषित किया जाता है और शेष 50 प्रतिशत का प्रबन्धन पी.एफ.सी.आर.ई.सी. या किसी अन्य वित्तीय संस्था के माध्यम से एस.ई.बी. को करना होता है। दूसरा है प्रोत्साहन घटक जो व्यापारिक घाटनाक्रम करने के लिए है। यदि कोई राज्य विद्युत प्राधिकरण 100 करोड़ रुपए तक घाटा कम करता है तो 50 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, दो माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न किया है। अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए उनके नाम पुकारे गए थे।

अब मेरे पास 19 और माननीय सदस्यों की सूची है जो अपने अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं इस तरीके से सभा को नहीं चला सकता। कृपया परेशानी को समझिए। भविष्य में मैं केवल चार अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दूंगा और आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। अन्यथा केवल एक प्रश्न ही पूरा एक घंटा ले सकता है।

श्रीमती के. रानी।

श्रीमती के. रानी: धन्यवाद महोदय।

माननीय विद्युत मंत्री ने पूरे देश में बिजली की कमी के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह एक सच्चाई है कि गर्मियों में बिजली का अत्यधिक उपयोग होता है और यह भी सच है कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए बिजली की कटौती का सहारा लेती है। मुझे लगता है कि बिजली की चोरी भी किसी हद तक संकट का कारण बनती है क्योंकि यह बिना कनेक्शन के चलती है। पारेषण और वितरण में क्षति भी होती है जिसका हिसाब नहीं होता और वह भी संकट का कारण बनती है।

इसलिए, मेरा माननीय मंत्री से प्रश्न है कि वह शरारती तत्वों द्वारा की जा रही बिजली की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं और पारेषण तथा वितरण में क्षति के कम करने के लिए उनका क्या कदम उठाने का विचार है?

श्री पी.एम. सईद: मैंने अभी-अभी पारेषण तथा वितरण में क्षति तथा सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बारे में बताया है।

उन्होंने जिस संकट का जिक्र किया है वह बिजली की 'चोरी' है। यह वास्तव में विद्युत क्षेत्र में एक संकट बन गया है। 14 राज्यों में पहले ही चोरी रोधी कानून बना दिए हैं। कुछ राज्यों ने विशेष न्यायालय और विशेष थानों की स्थापना भी की है। 12 लाख मामलों का पता चला है और लगभग 10,000 मामलों में दोषसिद्धी हुई है और राज्यों द्वारा लोगों से 500 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है।

इसलिए यह राज्य का काम होता है। यहां तक कि विद्युत अधिनियम 2003 में भी ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। यहां मुझे सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए ताकि वे भी चोरी रोकने में अपना भरसक प्रयत्न कर सकें।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते बिजली चोरी रोकना हमारा भी कर्तव्य है।

श्री खारबेल स्वाई: महोदय, आपने अनुपूरक प्रश्नों को सीमित करने की बात कही है। उसे किस तारीख से लागू किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: मुझे आज से ही कोशिश करने दो। मैं आज पहला परीक्षण कर रहा हूं।

श्री खारबेल स्वाई: हम आज सोच रहे हैं कि 3-4 प्रश्नों से ज्यादा न पूछे जाएं।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए, मैं इसका प्रयास कर रहा हूं।

श्री खारबेल स्वाई: यदि आप इस नियम को तय कर देते हैं तो हम उसके अनुसार ही सूचनाएं दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। सोमवार से हम ऐसा करेंगे।

मैं आपको भी एक अवसर दूंगा बशर्ते कि आप सहयोग करें।

श्री खारबेल स्वाई: मैं सहयोग कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात भी सुनना चाहता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, विद्युत उत्पादन और वितरण एक समवर्ती विषय है। केंद्र सरकार राज्यों की कमी को पूरा कर रही है। एक केंद्रीय अधिनियम है अर्थात् विद्युत विनियामक अधिनियम, जिसको राज्य विद्युत बोर्डों को दो भागों में विभाजित करके लागू किया गया है।

इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय से इस बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जल विद्युत उत्पादन में मानसून की अनिश्चितता कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। इसलिए, एकमात्र उपाय यह है कि तापीय परियोजनाओं के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: दक्षिणी राज्यों में, विशेषकर केरल में ब्रह्मपुरम और कायमकुलम में ताप विद्युत केंद्र नाफ्था की ऊंची कीमत के कारण बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है? आप अपना प्रश्न रखिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: नाफ्था बहुत महंगा होता है। जब विद्युत का उत्पादन और वितरण होता है तो यह बहुत महंगा हो जाता है और यह भार राज्यों के लिए असह्य हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: सरकार का बिजली की चोरी रोकने और वितरण में क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय: यह वैसा ही प्रश्न है जैसा पारेषण और वितरण में क्षति के बारे में पहले पूछा गया था।

श्री पी.एम. सईद: महोदय, मैंने पारेषण और वितरण में क्षति और चोरी-रोकी उपायों, दोनों के बारे में प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, इसे दोहराया गया है।

***श्री एम. शिवन्ना:** महोदय, चामराजनगर कर्नाटक में नवसृजित जिला मुख्यालय है। कर्नाटक में विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर में बिजली की भारी कमी है।

महोदय, मलाई महादेश्वर पर्वतों के समीप होगहनकल प्रपात और बंगलौर जिले में कनकपुरा तालुक में मेकदातू, जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आदर्श स्थान हैं। क्या माननीय मंत्री कर्नाटक में होगहनकल प्रपात और मेकदातू में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का आश्वासन देंगे?

अध्यक्ष महोदय: पूर्णतः विधान सभा के मामले को यहां उठाया जा रहा है।

श्री पी.एम. सईद: महोदय, क्या मैं इसका उत्तर कन्नड़ में दे सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: केवल तभी जब आप सही कन्नड़ जानते हैं।

***श्री पी.एम. सईद:** महोदय, माननीय सदस्य को कर्नाटक राज्य से आग्रह करना चाहिए और जल विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाएगा जब वे राज्य के माध्यम से आएंगे। केंद्र उन प्रस्तावों पर विचार करेगा जो राज्यों के माध्यम से आएंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि यह सही कन्नड़ थी।

***श्री एम. शिवन्ना:** जी हां।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने बिजली संकट के बारे में मुझे माननीय ऊर्जा मंत्री जी से प्रश्न पूछने का मौका दिया है।

अध्यक्ष जी, बिजली आज जीवन बन चुकी है। बिजली पर आधारित उद्योग और यह भारत तो कृषि प्रधान देश है, बिना बिजली के आज किसान बड़े पैमाने पर भूखों मरने की कगार पर हैं और वे आत्महत्याएं करने के लिए विवश हैं। मैं उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, से चुनकर आता हूं और उत्तर प्रदेश की हालत पूरे देश के अन्य राज्यों से बहुत भिन्न है। बड़ा प्रदेश होने के बावजूद, मैं देखता हूं और जैसा कि मैंने पिछले सत्र में भी कहा था, क्या राज्यों के मध्य विद्युत वितरण में असमानता है? उत्तर प्रदेश को राज्यों में सबसे ज्यादा उपेक्षित किया गया है।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न क्या है? बिजली की स्थिति का सबको पता है। आप प्रश्न पूछिए। यह प्रश्न काल है। आप कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी मत दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की बेहतरी के लिए और कल-कारखानों को चलाने के लिए उत्तर प्रदेश को कोई स्पेशल पैकेज देने का काम आप करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मिले हुए मौके को गंवा रहे हैं। माननीय मंत्री केवल इस बात का उत्तर दे सकते हैं कि क्या कोई विशेष पैकेज दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री पी.एम. सईद: महोदय, हर राज्य को अपने-अपने पावर प्लान्ट्स का सुधार करने के लिए भारत सरकार ने स्पेशल पैकेज दिया हुआ है। अगर कोई राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं करती है तो इसमें भारत सरकार का कोई कसूर नहीं है। हमने सभी राज्यों को समानता से पॉलिसी बनाकर यह सहूलियत दी है।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद।

राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र ने मौडा, नागपुर में 1000 मे. वा. का कोयला आधारित विद्युत केंद्र स्थापित करने का निश्चय किया है। महाराष्ट्र सरकार के बार-बार अनुरोध करने और भारत सरकार के निर्देशों के बावजूद भी एन.टी.पी.सी. व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करके उसे प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

अध्यक्ष महोदय: वही प्रश्न बार-बार पूछा जा रहा है। उत्तर भी वही है।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या मैं व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में हुई देरी के कारणों और महाराष्ट्र में नागपुर के समीप मौडा में परियोजना में तेजी लाने के लिए उठाये जा रहे कदमों के बारे में जान सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: क्या यह केंद्र की परियोजना है।

श्री पी.एम. सईद: महोदय, माननीय सदस्य किसी विशेष प्रस्ताव के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए आपको इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

हमें इस घंटे का बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, यह एक सच्चाई है कि देश में बिजली की भारी कमी है। अनेक राज्य नि:शुल्क बिजली दे रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप सभी राज्य बिद्युत बोर्ड आर्थिक तौर पर व्यवहार्य नहीं हैं। वे विद्युत क्षेत्र में पैसा भी नहीं लगाते। क्या सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएगी और आम सहमति बनाएगी? प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव से पूर्व अपने चुनाव घोषणा-पत्र में घोषणा करता है कि वह नि:शुल्क बिजली देगी परन्तु चुनाव के बाद वह वायदा वापस लिया जा रहा है। हाल ही में योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने भी इस पर टिप्पणी की थी। क्या सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कोई कार्यवाही करेगी? देश की अर्थव्यवस्था के हित में इस पर आम सहमति होनी चाहिए। क्या सरकार ऐसा करेगी?

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से इसका निर्णय जनता करेगी।

श्री किन्जरपु येरननायडु: सरकार को पहल करनी चाहिए, अन्यथा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री पी.एम. सईद: महोदय, यह मामला विद्युत अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत पहले ही निपटा लिया गया है। कुछ दलों ने अगले चुनावों को ध्यान में रखते हुए व कुछ ने अपने कार्यकाल के दौरान ही यह घोषणा कर दी है कि वे नि:शुल्क बिजली प्रदान करेंगे। मेरे विचार से राजनैतिक दलों को निर्णय लेना होगा।

अध्यक्ष महोदय: अत:, आप बैठक आयोजित करने नहीं जा रहे हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

\+

*82. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**

श्री के.सी. सिंह "बाबा":

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक देश में राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है और प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने गांवों के विद्युतीकरण का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कोई विशेष कार्यक्रम/योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन में गैर-सरकारी संगठनों, बेरोजगार युवाओं और सहकारी समितियों को सम्मिलित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या योजना आयोग ने इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि आबंटित की है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (झ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में विगत 3 वर्षों में और अब तक विद्युतीकृत गांवों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) इसी अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा आबंटित और वितरित की गई निधियों को दर्शाने वाला वार्षिक ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमानतः 10,000 गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आगामी 5 वर्षों में सभी ग्रामीण परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने संबंधी राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य को संशोधित करके अब 50,000 गांव कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) पांच वर्षों में सभी ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने संबंधी राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के लक्ष्य की पूर्ति हेतु ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और घरेलू विद्युतीकरण हेतु एक नई स्कीम "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" अप्रैल, 2005 में आरंभ की गई है। इस स्कीम को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

इस स्कीम के अंतर्गत निम्नांकित परियोजनाओं के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी:–

(i) समुचित रूप से राज्य प्रणाली से संबद्ध प्रत्येक ब्लॉक में एक 33/11 के.वी. (या 66/11 के.वी.) सब-स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आर.ई.डी.बी.) का निर्माण।

(ii) प्रत्येक गांव/वास स्थान में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/वास स्थानों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वी.ई.आई.) का निर्माण।

(iii) उन गांवों/वास स्थानों के लिए विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डी.डी.जी.) एवं आपूर्ति प्रणाली, जहां ग्रिड आपूर्ति किफायती नहीं है और जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत उपलब्ध नहीं कराएगा।

कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानदण्डों के अनुसार स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ सभी ग्रामीण वास स्थानों को 100% पूंजीगत सब्सिडी के साथ देश में गरीबी रेखा से नीचे के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण हेतु वित्तपोषण किए जाने का प्रावधान किया गया है।

(च) और (छ) स्कीम को राजस्व की दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए ग्रामीण वितरण का प्रबंधन फ्रेंचाइजों, जो एन.जी.ओ., अप्रयोक्ता संगठन, सहकारी समितियों अथवा उद्यमी हो सकती हैं, द्वारा किया जाएगा। फ्रेंचाइजी की व्यवस्था प्रणाली से परे होगी तथा इसमें सब-स्टेशन से फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर शामिल हो सकेंगे।

(ज) और (झ) जी, हां। योजना आयोग चालू वर्ष 2005-06 के लिए 1100 करोड़ रुपये के वर्तमान आबंटन को बढ़ाकर वर्ष 2006-07 के लिए 2500 करोड़ रुपये करने पर सहमत हो गया है।

अनुबंध-I

10वीं योजना के दौरान वर्ष-वार और राज्यवार ग्रामीण विद्युतीकरण/कुटीर ज्योति कनैक्शनों की प्रगति

क्र.सं.	राज्य/यूटी	2002-03	2003-04	2004-05	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	@	@	@	@
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	189	88 (बी)	277
3.	असम	9	42	269 (डी)	320
4.	बिहार	94	118	134	346
5.	झारखंड #				
6.	गोवा	@	@	@	@
7.	गुजरात	@	@	@	@
8.	हरियाणा	@	@	@	@
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	1	6	7
10.	जम्मू-कश्मीर	5	3	1 (ई)	9
11.	कर्नाटक	3	5	शून्य	8
12.	केरल	@	@	@	@
13.	मध्य प्रदेश	94	74	शून्य	168
14.	छत्तीसगढ़ #	120	219	62	
15.	महाराष्ट्र	@	@	@	@
16.	मणिपुर	6	9	4	19
17.	मेघालय	177	544	474	1195
18.	मिजोरम	शून्य	4	शून्य (डी)	4
19.	नागालैंड	@	@	@	@
20.	उड़ीसा	271	195	एन.ए.	466
21.	पंजाब	@	@	@	@
22.	राजस्थान	482	352	204	1038

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	@	@	@	@
24.	तमिलनाडु	@	@	@	@
25.	त्रिपुरा	2	3	1	6
26.	उत्तर प्रदेश	279	231	1516 (बी)	2026
27.	उत्तरांचल #	218	454	466 (ई)	1138
28.	पश्चिम बंगाल	866	338	641	1845
	कुल (राज्य)	2626	2781	3866	9273
	कुल (यूटी)	@	@	@	
	कुल (अखिल भारत)	2626	2781	3866	9273

@ शत-प्रतिशत विद्युतीकृत गांव

2000-01 में बने राज्य

बी 31-10-04 की स्थिति अनुसार।

डी 31-12-04 की स्थिति अनुसार।

ई 31-1-05 की स्थिति अनुसार।

अनुबंध-II

वर्ष 2002-03 के दौरान संवितरित अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	केजे	एमएनपी	पीएमजीवाई	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1723.14	0.00	1705.00	3428.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.53	1200.00	684.00	1903.53
3.	असम	360.00	6000.00	3000.00	9360.00
4.	बिहार	990.72	6800.00	2417.30	10208.02
5.	छत्तीसगढ़	342.48	800.00	515.00	1657.48

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	0.00	0.00	6.00	6.00
7.	गुजरात	67.12	0.00	0.00	67.12
8.	हरियाणा	129.65	0.00	142.90	272.55
9.	हिमाचल प्रदेश	18.69	200.00	110.00	328.69
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	800.00	800.00
11.	झारखंड	293.69	6800.00	1116.90	8210.59
12.	कर्नाटक	5154.58	0.00	1000.00	6154.58
13.	केरल	509.20	0.00	0.00	509.20
14.	मध्य प्रदेश	313.57	800.00	1275.00	2388.57
15.	महाराष्ट्र	111.10	0.00	1664.00	1775.10
16.	मणिपुर	0.00	270.00	600.00	870.00
17.	मेघालय	27.09	3000.00	600.00	3627.09
18.	मिजोरम	54.00	0.00	598.00	652.00
19.	नागालैंड	85.45	130.00	650.00	865.45
20.	उड़ीसा	472.58	6000.00	100.00	6572.58
21.	पंजाब	47.68	0.00	444.00	491.68
22.	राजस्थान	229.65	0.00	1061.00	1290.65
23.	सिक्किम	6.93	0.00	400.00	406.93
24.	तमिलनाडु	609.13	0.00	1608.20	2217.33
25.	त्रिपुरा	96.69	0.00	500.00	596.69
26.	उत्तर प्रदेश	1050.00	15000.00	10187.00	26237.00
27.	उत्तरांचल	728.77	7000.00	2000.00	9728.77
28.	पश्चिम बंगाल	423.91	6000.00	2774.00	9197.91
	कुल	13865.35	60000.00	35958.30	109823.65

केजे - कुटीर ज्योति

पीएमजीवाई - प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

एमएनपी - न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

वर्ष 2003-04 के दौरान संवितरित अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	केजे	एमएनपी	पीएमजीवाई	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2159.87	0.00	1438.00	3597.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	187.18	1200.00	684.00	2071.18
3.	असम	0.00	6000.00	2900.00	8900.00
4.	बिहार	152.75	6800.00	2417.30	9370.05
5.	छत्तीसगढ़	509.56	800.00	515.00	1824.56
6.	गोवा	0.00	0.00	6.00	6.00
7.	गुजरात	37.50	0.00	712.20	749.70
8.	हरियाणा	85.24	0.00	142.90	228.14
9.	हिमाचल प्रदेश	17.06	200.00	200.00	417.06
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	800.00	800.00
11.	झारखंड	66.55	6800.00	744.60	7611.15
12.	कर्नाटक	1541.13	0.00	1000.00	2541.13
13.	केरल	416.49	0.00	0.00	416.49
14.	मध्य प्रदेश	149.41	800.00	1275.00	2224.41
15.	महाराष्ट्र	50.37	0.00	1664.00	1714.37
16.	मणिपुर	0.00	400.00	600.00	1000.00
17.	मेघालय	51.16	3000.00	600.00	3651.16
18.	मिजोरम	27.00	0.00	598.00	625.00
19.	नागालैंड	43.60	0.00	2982.00	3025.60
20.	उड़ीसा	0.00	6000.00	100.00	6100.00
21.	पंजाब	100.37	0.00	444.00	544.37
22.	राजस्थान	222.30	0.00	1061.00	1283.30

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	14.74	0.00	400.00	414.74
24.	तमिलनाडु	145.81	0.00	608.20	754.01
25.	त्रिपुरा	66.10	0.00	700.00	766.10
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	15000.00	9277.00	24277.00
27.	उत्तरांचल	0.00	7000.00	1000.00	8000.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	6000.00	3816.75	9816.75
	कुल	6044.19	60000.00	36685.95	102730.14

केजे - कुटीर ज्योति

पीएमजीवाई - प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

एमएनपी - न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

वर्ष 2004-05 के दौरान संवितरित अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	केजे	बीपीएल	पीएमजीवाई	कुल	एआरईपी	एआरईपी सब्सिडी	कुल एआरईपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	377.00	912.00	1705.00	2994.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	186.00	225.00	684.00	1095.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	2900.00	2900.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	263.00	182.00	2417.30	2862.30	12014.00	8010.00	20024.00
5.	छत्तीसगढ	111.00	744.00	584.00	1439.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	27.00	23.00	712.30	762.30	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	10.00	41.00	142.80	193.80	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	9.00	9.00	200.00	218.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	-34.00	120.00	744.60	830.60	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	213.00	0.00	1000.00	1213.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	1047.00	0.00	1047.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	152.00	173.00	637.50	962.50	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	14.00	40.00	414.76	468.76	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	22.00	0.00	824.50	846.50	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	33.00	150.00	222.00	405.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	112.00	0.00	1061.00	1173.00	560.00	373.00	933.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	135.00	0.00	271.52	406.52	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	111.00	108.00	850.00	1069.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	5387.00	5387.00	38398.00	25598.00	63996.00
27.	उत्तरांचल	0.00	360.00	300.00	660.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	924.50	924.50	6869.00	4580.00	11449.00
	कुल	1741.00	4134.00	24470.78	30345.78	57841.00	38561.00	96402.00

केजे - कुटीर ज्योति

एआरईपी - त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

बीपीएल - गरीबी रेखा से नीचे

*वर्ष 2004-05 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए कोई निधि जारी नहीं की गई।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने मंत्री जी का उत्तर विस्तार से पढ़ा है। इसमें से कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आपकी इजाजत से हमें सिर्फ दो ही सवाल पूछने का मौका मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं रूल के मुताबिक ही चलता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: इससे पूर्व के प्रश्न में भी कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी कि देश में बिजली की कमी है। आप गांवों में बिजली देने की बात कर रहे हैं और उसके लिए गांवों का चयन कर रहे हैं, जिसकी सूची आपने दी है। बिहार राज्य में बिजली की ज्यादा कमी है। उसे देखते हुए पूर्व सरकार ने बिहार के बाढ़ में नई परियोजना बनाने का काम शुरू किया था, वहीं नवी नगर में जाइंट वेंचर में भी काम शुरू हुआ था और कहलगांव में भी क्षमता विस्तार की बात हुई थी। उत्तरी बिहार में 365 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने की बात भी चल रही थी, जिससे गांवों में बिजली की आपूर्ति की जा सके। उम्मीद है कि आप इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु तत्परता दिखाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कब तक इन परियोजनाओं को पूरा करेंगे? आपने लिखा है कि सब-स्टेशंस का निर्माण करने जा रहे हैं। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, आप गांवों में विद्युत आपूर्ति नहीं कर सकते। आपने यह भी बताया है कि हर प्रखंड में 33/11 केवी और 66/11 केवी सब-स्टेशंस बनाने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सवाल पूछें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप किस प्रक्रिया के आधार पर इस बात का चयन करते हैं कि कहां 33/11 केवी और 66/11 केवी सब-स्टेशन होगा? इसके अलावा राज्यों से एक दिक्कत यह भी है कि वे जमीन नहीं देते हैं। जब तक जमीन नहीं होगी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते। ऐसी स्थिति में क्या आपने राज्य सरकारों से, खासकर बिहार सरकार से इस बात की चर्चा की है कि जमीन की उपलब्धता हो, जिससे ईंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम इस खेल में बहुत पुराने हैं। हम नए नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: एक ही सवाल के तीन भाग हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद: अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की गई थी। यह पुरानी योजनाओं से भिन्न है। पहले भी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं थीं। पहले भी तत्कालीन सरकारों ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए धनराशि आबंटित की है। सारी रुकावट वितरण क्षेत्र के बहुत कमजोर होने के चलते है। जब तक नवीनीकरण और आधुनिकीकरण नहीं होता है और पारेषण तथा वितरण की क्षति को न्यूनतम नहीं किया जाता है तब तक इसमें वृद्धि करना संभव नहीं होगा।

अतः, जब तक अवसंरचना को विकसित नहीं किया जाता तब तक गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकती। इसीलिए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को आरम्भ किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार पूंजीगत राजसहायता के रूप में 90 प्रतिशत राशि प्रदान कर रही है और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से केवल 10 प्रतिशत राशि आनी है। अतः, सारा धन केन्द्र सरकार प्रदान कर रही है। केवल इतना ही नहीं राज्य विद्युत बोर्डों को इसके निर्माण से लेकर इसके आरम्भ होने तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी प्रकार इस योजना को तैयार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: राज्य सरकारों को इन सभी पहलुओं को देखना पड़ेगा।

श्री पी.एम. सईद: जब तक राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक यह कठिन होगा। लेकिन इस योजना की कुछ बाध्यताएं हैं जिन्हें राज्य सरकारों को स्वीकार करना होगा। उन्हें समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे जिससे कि वे उस कार्यक्रम को अच्छी तरह से क्रियान्वित कर सकें। क्रियान्वयन के स्तर पर विशेष विक्रय अधिकार को सम्बद्ध किया जा रहा है और गांवों के युवकों को रोजगार देने को भी इससे जोड़ा जाएगा। एक प्रकार से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना गांवों के युवकों का सशक्तीकरण करने जा रही है। उनके लिए रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है और वहां उद्योग लगने जा रहे हैं। इस योजना के साथ गरीबी उपशमन कार्यक्रम भी जोड़ा गया है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से यह अपने आप में विस्तृत उत्तर है। क्या आप कोई अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। लगता था कि माननीय मंत्री जी राजीव गांधी का विज्ञापन दिखा रहे हैं। राजीव गांधी योजना, राजीव गांधी योजना बार-बार

कह रहे हैं। हमें तो हमारे प्रश्न का उत्तर चाहिए। हमने पूछा था कि जो बाढ़ और नवीनगर योजनाएं चल रही हैं, उनमें आप तत्परता दिखाएंगे या नहीं। राज्य सरकार से मॉनिटिरिंग करके आप जमीन उपलब्ध कराएंगे या नहीं। लेकिन माननीय मंत्री जी राजीव गांधी योजना का प्रचार कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: राजीव गांधी योजना नहीं तो क्या मुलायम सिंह योजना बोलना चाहिए। *(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अधीर चौधरी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संसद में हमें उपलब्ध इस महत्त्वपूर्ण एक घंटे का उपयोग करें। यहां कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। आपने उन्हें अनावश्यक रूप से भड़काया है। यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कोई भी अपमानजनक टिप्पणी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

[अनुवाद]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अनुलंग्नक (1) में जो उत्तर दिया है उसमें इन्होंने गांव की संख्या दी है, लेकिन हमें लगता है कि उसमें भेद-भाव बरता गया है। कारण यह है कि बिहार में ऐसे गांव हैं जहां सरकारी कागज में विद्युतीकरण हो चुका है लेकिन असलियत में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि आपने जो गांव का चयन किया है उसमें जिन गांवों का कागज पर विद्युतीकरण हुआ है उन्हें आपने शामिल किया है या नहीं। साथ ही आपने जो संख्या दी है उसमें भी भेदभाव दिया गया है। इसका आधार आपने क्या बनाया है? क्या आपने इसका आधार राज्य की जनसंख्या को बनाया है या पिछड़ेपन को बनाया है। अगर जनसंख्या और पिछड़ेपन दोनों को आधार बनाया है तो जहां बिहार में वर्ष 2002-2003 में आपने 94 रखा है, वर्ष 2003-2004 में 118 है, वर्ष 2004-2005 में 134 है, वहीं आपने उत्तरांचल में वर्ष 2003 में 218, वर्ष 2003-2004 में 454 और वर्ष 2004-2005 में 466 रखा है, यानी तीन गुने का अंतर आपने छोटे और बड़े प्रांत में रखा है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने गांवों के चयन का क्या आधार रखा है? क्या इसमें उन गांवों को शामिल किया गया है, जिनका कागजों पर विद्युतीकरण हुआ है? कृपया आप इस बारे में साफ-साफ बताइए, प्रचार वगैरह कम कीजिए।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद: महोदय, दुर्भाग्यवश, यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का नाम सुनने से एलर्जी है। मैं यहां सीधे आंकड़े रखना चाहता हूं। माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि केवल वर्ष 1985 से 1990 तक के स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही लगभग 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि, वर्ष 1997 से 2002 तक के दौरान, जब रा.ज.ग. के समय भारत उदय हो रहा था तो केवल 47 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इनकी टिप्पणी से स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की छवि धुमिल नहीं होगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सभी लोग ऐसा ही काम करते हैं जिसकी भी सरकार होती है, वे ऐसा ही करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद: महोदय, मैं यहां किसी भी माननीय सदस्य को भड़काना नहीं चाहता। मैं किसी पर भी कोई दोष लगाना नहीं चाहता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक है। आपने इसे निपटा दिया है। अब आप कृपया प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री पी.एम. सईद: इसलिए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का जोर यह देखने पर है कि गांव के स्तर तक समुचित रूप से अवसंरचना उपलब्ध करा दी जाए। जब तक ऐसा नहीं होता, ग्रामीण विद्युतीकरण, जैसा कि इन्होंने कहा है, केवल कागजों पर ही रहेगा।

श्री लालू प्रसाद की सरकार को इस बात का श्रेय जाता है कि इन्होंने बिहार राज्य के 22,000 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की सहमति प्रदान की है। अन्य राज्यों ने अभी अपनी सहमति नहीं दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? आप मंत्री नहीं हैं कि आप उत्तर दें।

*(व्यवधान)**...

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी.एम. सईद: महोदय, माननीय सदस्य मेरे अच्छे मित्र हैं। इन्होंने भूमि के अधिग्रहण, आदि जैसी जिन बाधाओं का उल्लेख किया है, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम निरंतर राज्य सरकारों के सम्पर्क में हैं और इसका ध्यान रख रहे हैं कि इन सभी रुकावटों को दूर कर दिया जाए जिससे कि यह योजना सुचारु रूप से क्रियान्वित हो सके।

अध्यक्ष महोदय: दो मित्रतापूर्ण अनुपूरक प्रश्नों ने 12 मिनट ले लिए।

श्री के.सी. सिंह 'बाबा': महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत किए जाने वाले 50,000 गांवों में से दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरांचल राज्य में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है और क्या उत्तरांचल के सभी गांव इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। दूसरे, सरकार द्वारा बिजली की मांग और आपूर्ति में न्यूनतम अंतर सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं जिससे कि ग्रामीण विद्युतीकरण का उद्देश्य वास्तव में पूरा हो सके?

श्री पी.एम. सईद: चालू वर्ष के दौरान सरकार का विचार 40,000 गांवों में विद्युतीकरण करने का है। इस वर्ष 9,000 गांवों को लिया जाएगा और अगले वर्ष 40,000 गांवों को लिया जाएगा तथा शेष दो वर्षों में, तीसरे वर्ष में 40,000 तथा चौथे वर्ष में 11,000 गांवों को विद्युतीकरण के लिए लिया जाएगा। इसी प्रकार जिन ग्रामीण आवासों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। उनका विद्युतीकरण करने की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा।

जहां तक उत्तरांचल राज्य का संबंध है अभी उन्होंने शर्तों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जैसे ही यह हो जाता है उनके आंकड़े भी अधिसूचित कर दिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मेरे पास ऐसे 26 माननीय सदस्यों के नाम हैं जो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पहले दस हजार गांवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य था, उसके बदले पचास हजार गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यह बहुत खुशी की बात है। इस संबंध में गुजरात राज्य के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वे जल्दी पूरे हो रहे हैं। गुजरात में दिन दूना रात चौगुना काम किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात राज्य के लिए आपके द्वारा जो आवंटन किया गया है, उसमें बहुत भेदभाव किया गया है।

कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत 2002-03 में 67.12 लाख, 2003-04 में 37.50 लाख रुपए, 2004-05 में 27 लाख रुपए दिए गए लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत 2002-03 में बिल्कुल जीरो राशि दी गई है। 2003-04 में 712, 2004-05 में भी 712 लाख रुपए दिए हैं लेकिन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक भी रुपया गुजरात सरकार को नहीं दिया गया। सारे देश में गुजरात प्रथम राज्य होगा जिस के सभी गांव विद्युतीकरण से पूरे हुए होंगे। अपना देश गांवों का देश है। गांव आबाद तो देश आबाद। मैं जानना चाहता हूं कि 2005-06 के अन्दर गुजरात राज्य को इस नई योजना के मुताबिक योजना आयोग ने जो 2500 करोड़ रुपए देने पर सहमति व्यक्त की है, क्या उसे देखते हुए अधिक से अधिक रकम गुजरात राज्य को देकर गुजरात के 18 हजार गांवों को विद्युतीकरण से पूरा करने के लिए इसी साल कोई निर्णय लिया जाएगा?

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद: महोदय, माननीय सदस्य ने स्वयं को केवल गुजरात तक ही सीमित कर लिया है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम में एक अन्तर्निहित खामी है। यदि गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम आकार नहीं ले सकता क्योंकि कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बल्ब के लिए एक पाइंट कनैक्शन प्रदान किया जाता है। यदि उस गांव में बिजली ही नहीं है तो स्वभाविक रूप से कुटीर ज्योति कार्यक्रम ऐसे गांव में नहीं चल सकता।

गुजरात ने अभी तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शर्तों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जैसे ही वह हो जाएगा वैसे ही जिन गांवों का श्री वर्मा ने उल्लेख किया है उन पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

श्रीमती सुस्मिता बाउरी: क्या केन्द्र सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ग्रामीणों को विद्युत शुल्क में छूट दिए जाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय: क्या गरीबों के लिए कोई विशेष दर होगी?

श्री पी.एम. सईद: मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए पूर्णतया निःशुल्क है।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

किसान अपने पम्प सैटों के लिए वर्षों से बिजली का कनैक्शन प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने किसानों के पम्प सैटों के लिए बिजली का कनैक्शन देने को गति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

श्री पी.एम. सईद: जहां तक किसानों के पम्प सैटों के लिए बिजली का कनैक्शन प्रदान करने का संबंध है तो विद्युत मंत्रालय कोई निदेश जारी करने नहीं जा रहा है। गांवों और किसानों को बिजली के कनैक्शन प्रदान करना राज्य सरकारों का काम है। स्वाभाविक है कि जब वे इन्हें इसे प्रदान करेंगी तो उन्हें कनैक्शन मिल जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज राज्यों की ऊर्जा के क्षेत्र में जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि वह दयनीय है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वारा गांवों के ऊर्जा स्रोत का सुदृढ़ीकरण करने के लिए जो प्रावधान किया गया है, मैं उसके लिए सरकार और मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं। यह योजना केवल किसानों को नहीं, बल्कि आम आदमी को नई रोशनी देगी। मेरे माननीय मंत्री से दो प्रश्न हैं - पहला, इस योजना के अन्तर्गत एक ब्लॉक में केवल एक सब-स्टेशन के लिए प्रावधान किया गया है। कई ऐसे ब्लॉक हैं जो काफी बड़े हैं। वहां कम से कम दो सब-स्टेशनों की जरूरत पड़ती है। मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम दो सब-स्टेशनों के लिए इस कार्यक्रम में राशि निर्धारित की जाए।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत पैसा केन्द्र से राज्यों को दिया जाता है लेकिन जिस लक्ष्य के लिए वह पैसा दिया जाता है, उसके लिए वह इस्तेमाल नहीं होता है। ए.पी.डी.आर.पी. और अन्य योजना के अन्तर्गत केन्द्र ने राज्य सरकारों को पैसा दिया है लेकिन वह पैसा योजना के लिए इस्तेमाल करने के बदले बिजली के बिल की पूर्ति करने में इस्तेमाल किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार की क्या योजना है ताकि पैसा जिस लक्ष्य से दिया गया हो उसका ठीक इस्तेमाल किया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद: महोदय, माननीय सदस्य का पहला प्रश्न सब-स्टेशन के बारे में था। बड़े खंड भी हैं। ऐसे मामलों में एक से अधिक सब-स्टेशन हो सकते हैं। जो किसी खंड में न्यूनतम है। कम से कम एक सब-स्टेशन वहां अवश्य होना चाहिए। यदि यह बड़ा होगा तो स्वाभाविक रूप से वहां एक से अधिक सब-स्टेशन होंगे।

जहां तक इस राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के संबंध में राशि को समुचित रूप से खर्च किए जाने का संबंध है तो यदि राज्य सरकारें उन शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करती हैं जिन पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं तो केंद्र सरकार के पास उसे रोकने का विकल्प है। परामर्शदाता और लेखापरीक्षक भी होंगे। हर चीज का पर्यवेक्षण होगा और निगरानी रखी जाएगी और तभी धन स्वीकृत किया जाएगा। अन्यथा, धन को किसी अन्य स्थान पर खर्च करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: यदि भाषण छोटा हो तो अच्छा होगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि वर्ष 2006-07 की राशि आबंटित कर दी है, इस वर्ष उसे बढ़ा दिया है, वर्ष 2005-06 में 1100 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ रुपए कर दिया है। माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने बिहार के संबंध में पूछा था कि आप राज्यों को जो राशि का बंटवारा करते हैं, धन देते हैं उसके कौन से आधार थे, उसका जबाव आपके माध्यम से नहीं आया।

दूसरा बात यह है कि आपकी मंशा बिल्कुल साफ है कि हम गांव के गरीबों तक बिजली पहुंचाएं उसके लिए आपने अभियान भी रखा है और आप चाहते हैं कि उस अभियान के तहत कार्य हो। वह कार्य जो बड़ी धीमी गति से बिहार में चल रहा है, उस कार्य में तेजी लाने के लिए आपने पावर ग्रिड को राज्य सरकार की सहमति से कार्य आबंटित किए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पावर ग्रिड को जब से काम मिला है, पावर ग्रिड चुप बैठ गया है। गांव में जो विद्युतीकरण हो रहा था वह ठप्प हो गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पावर ग्रिड के माध्यम से काम द्रुत गति से हो और जो आपकी मंशा है, यू.पी.ए. सरकार की मंशा है उस मंशा के अनुरूप गांव-गांव तक बिजली जाए, इसके लिए ज्यादा राशि आबंटित करेंगे या नहीं करेंगे? इन दोनों बातों का जवाब आपके माध्यम से चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह उनके ऊपर निर्भर करता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद: यह पूछ रहे हैं कि किस आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं। यह अविद्युतीकृत गांवों और अविद्युतीकृत गांवों के घरों के आधार पर आबंटित की जाती हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने पहले ही 47 मिनट ले लिए हैं। परन्तु दूसरा प्रश्न अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

श्री पी.एम. सईद: छः राज्य हैं। उदाहरण के लिए विशेष रूप से पांच राज्य हैं, बिहार झारखंड, उ.प्र., आपका राज्य और असम।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि वहां बहुत दयनीय स्थिति है।

श्री पी.एम. सईद: अस्सी प्रतिशत गांव जो अविद्युतीकृत हैं यह उस आधार पर है। दक्षिणी राज्यों में यह स्थिति नहीं है। यह जनसंख्या के अनुसार या क्षेत्रीय आधारों पर नहीं है; यह विद्युतीकृत अथवा अविद्युतीकृत आधार पर है। ये अविद्युतीकृत गांव 80 प्रतिशत से अधिक हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: इन्होंने पावर ग्रिड के बारे में नहीं बताया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उत्तर मत दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: काम बिल्कुल बंद पड़ा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: यही तो महत्वपूर्ण प्रश्न था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको मौका दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: मौका दिया है लेकिन जवाब नहीं आया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री भर्तृहरि महताब।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। ऐसा नहीं है कि जब तक आप चाहें तब तक पूछते ही चले जाएंगे। आपको अब समझना चाहिए कि मैं आपको बोलने का अवसर क्यों नहीं देता क्योंकि आप सहयोग नहीं देते। इसीलिए मैं आपको बोलने का अवसर नहीं दे रहा हूं।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु केंद्र द्वारा जारी निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र बनाया है। जब निधि आबंटित की जाती है तो यदि इस विशेषकर ग्रामीण विद्युतीकरण के विकास के लिए समयबद्ध तरीके से खर्च नहीं की जाती...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको संबद्धता और संक्षिप्तता दोनों गुणों को अवश्य विकसित करना चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब: इसे सही करने के लिए किन कदमों पर विकास किया जा रहा है? इसके साथ ही क्या सरकार केंद्र द्वारा वित्तपोषित की जा रही ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की निगरानी के लिए माननीय संसद सदस्यों को शामिल करने पर विचार कर रही है?

श्री पी.एम. सईद: माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। यदि निधियां समय पर नहीं पहुंचती हैं तो योजनाओं को हानि पहुंचती है। यही पहले की योजनाओं में हुआ है। अब इस मामले में निधियां सीधे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एजेंसियों को भेजी जाएंगी जो इस कार्य को करने वाली हैं।

जिला स्तर पर संसद सदस्यों और जन प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण को जोड़ा जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में परामर्श होगा और पूरी योजना की लेखापरीक्षा भी कराई जाएगी।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय अध्यक्ष जी, गांवों तक बिजली देने की जो योजना भारत सरकार की है, वह बहुत अच्छी है जिससे गांव के लोग बत्ती देख पायेंगे और गांव के बच्चे रोशनी में पढ़ाई कर सकेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांवों में कौन-कौन से नये बिजली उत्पादन केन्द्र बनने जा रहे हैं जिनसे गांव के लोगों को बत्ती मिल सकेगी?

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद: महोदय, यह विद्युत का समग्र उत्पादन है। यह भी राज्यों पर लगाई गई एक शर्त है वे हस्ताक्षर दें और यह सुनिश्चित करें कि वे गांवों को निर्बाध रूप से बिजली का

उत्पादन देंगे। यह शर्तों में से एक है। इस पर राज्यों को भी सहमत होना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. - 83 - श्री सुशील कुमार मोदी - उपस्थित नहीं।

श्री हन्नान मोल्लाह।

काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम में अनियमितताएं

+

***83. श्री हन्नान मोल्लाह:**

श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम कितने जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है और इसके शुरू किए जाने की तारीख से आज तक इसके अंतर्गत राज्य-वार कितने खाद्यान्न का आबंटन किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम की प्रगति की स्थिति क्या है और आज की तारीख तक इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम में कुछ खामियां पाई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को कुछ राज्यों में काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को खाद्यान्न और नकदी के रूप में किए जाने वाले मजदूरी भुगतान में होने वाली अनियमितताओं और विलम्ब से संबंधित शिकायतों की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि श्रमिकों को दिये जाने वाला अनाज मंडियों में पहुंच जाता है जैसाकि दिनांक 18 मई, 2005 के 'बिजनेस स्टैण्डर्ड' में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) सरकार द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में और समय पर मजदूरी का भुगतान करने तथा इस कार्यक्रम को कड़ाई से लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(झ) इस कार्यक्रम को और अधिक जिलों में कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (झ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ. डब्ल्यू.पी.) नवम्बर, 2004 से देश के निर्धारित 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2004-05 के दौरान, वित्तीय वर्ष के शेष पांच महीनों के लिए 2020 करोड़ रुपये की राशि एवं 20 लाख टन खाद्यान्न आबंटित तथा रिलीज किए गए थे। वर्ष 2005-06 के दौरान, 4500 करोड़ रुपये और 50 लाख टन खाद्यान्न का आबंटन किया गया है। जिसमें से पात्र जिलों को 761.54 करोड़ रुपये और 8.26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न रिलीज किए गए हैं। राज्यवार पहचान किए गए जिलों, प्रारंभ से अब तक वर्षवार आबंटित तथा जारी खाद्यान्न के ब्यौरे को दर्शाने वाला अनुबंध संलग्न है।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान, आर्थिक, सामाजिक परिसंपत्तियों के सृजन के माध्यम से 783.68 लाख श्रम-दिवस सृजित करने के लिए 550.99 करोड़ रुपये एवं 3.88 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उपयोग किया गया है, जिसमें से 17568 कार्य पूरे हो चुके हैं और 52385 कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2005-06 (मई, 2005 तक) के दौरान, आर्थिक सामाजिक परिसंपत्तियों के सृजन के माध्यम से 514.99 लाख श्रम दिवस सृजित करने के लिए 289.76 करोड़ रुपये एवं 2.15 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का इस्तेमाल किया गया है। 19122 कार्य पूरे हो चुके हैं और 31232 कार्य प्रगति पर हैं।

(ग) से (ङ) सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती रही है और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए उन पर जोर देती रही है। मजदूरी का समय पर और संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के पुनः निर्देश दिए गए हैं। संचालनात्मक समस्याओं, खासकर कुछ स्थानों में खाद्यान्न की अनुपलब्धता से संबंधित टिप्पणियों के आधार पर, दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि खाद्यान्न की अनुपलब्धता और कम उपलब्धता के मामले में, खाद्यान्न के रूप में मजदूरी घटक की प्रतिपूर्ति नकद घटक के

जरिए की जाए, ताकि मजदूरी के समय पर भुगतान करने में कोई अड़चन न आए जिससे कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुचारू एवं प्रभावी ढंग से चले।

(च) और (छ) सरकार दिनांक 18 मई, 2005 के बिजनेस स्टैण्डर्ड में प्रकाशित समाचार से अवगत है। यह समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं है। एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि सामान्य तौर पर 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न और न्यूनतम 25% मजदूरी का भुगतान नकद में किया जाए। मजदूरों को दिए जाने वाले खाद्यान्न के मूल्य की गणना बी.पी.एल. दरों पर की जाती है खाद्यान्न के रूप में कम से कम 75% मजदूरी का भुगतान करने पर कोई बाध्यता नहीं है। 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न और नकद में कम से कम 25% मजदूरी की प्रतिबंध-शर्त को स्थानीय जरूरतों और मजदूरी के दोनों घटकों की उपलब्धता के हिसाब से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने यह जानकारी दी है कि मजदूर दैनिक उपयोग के लिए खाद्यान्न का इस्तेमाल कर रहे हैं और अप्रयुक्त शेष खाद्यान्न को वे आगामी महीनों में उपयोग के लिए रख लेते हैं। उठाए गए खाद्यान्न की मात्रा के लिए एफ.सी.आई. को भुगतान बी.पी.एल. दर पर किया जाएगा।

(ज) भारत सरकार ने मजदूरी का समय पर भुगतान करने सहित कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों को फिर से निर्देश दिए हैं।

(झ) चूंकि एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. शुरुआती दौर में केवल उन 150 अत्यंत पिछड़े जिलों के लिए है, जिनका चयन अंतिम रूप से किया गया है और इन जिलों में कार्यक्रम को पहले ही शुरू कर दिया गया है, इसलिए इस स्तर पर और जिलों को शामिल करना संभव नहीं है।

अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	पहचान किए गए जिलों की सं.	खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)			
			2004-05		2005-06	
			आबंटन	जारी किया गया	आबंटन	जारी नहीं किया गया (26-7-2005 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8	125413	125413	301948	150976
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	4724	
3.	असम	5	108984	108984	412219	
4.	बिहार	15	272432	272432	655916	75404
5.	छत्तीसगढ़	10	109045	109045	262540	118297
6.	गुजरात	6	41042	41042	98814	
7.	हरियाणा	1	2894	2894	6968	
8.	हिमाचल प्रदेश	1	3121	3121	7514	3758
9.	जम्मू-कश्मीर	2	5074	5074	12216	3311

1	2	3	4	5	6	7
10.	झारखंड	14	232004	232004	558580	
11.	कर्नाटक	3	30038	30038	72320	
12.	केरल	1	5618	5618	13526	
13.	मध्य प्रदेश	15	162310	162310	390782	136757
14.	महाराष्ट्र	11	158998	158998	382807	10899
15.	मणिपुर	1	2614	2614	9887	4991
16.	मेघालय	1	3562	3562	13473	
17.	मिजोरम	1	626	626	2368	
18.	नागालैंड	1	2984	2984	11286	
19.	उड़ीसा	18	228863	228863	551018	245742
20.	पंजाब	1	7356	7356	17711	
21.	राजस्थान	5	36269	36269	87322	43661
23.	सिक्किम	1	2068	2068	7822	
23.	तमिलनाडु	4	49815	49815	119936	
24.	त्रिपुरा	1	10105	10105	38221	
25.	उत्तरांचल	2	10418	10418	25083	
26.	उत्तर प्रदेश	15	270779	270779	651936	
27.	पश्चिम बंगाल	6	117568	117568	283063	32576
	कुल	150	2000000	2000000	5000000	826372

नोट: खाली कॉलम संबंधित राज्यों द्वारा पहली किस्त का दावा नहीं किए जाने के बारे में है और इसलिए 2005-06 के दौरान रिलीज नहीं की गयी।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: यह बहुत बड़ा वक्तव्य है जैसे कि विद्यालय में निबन्ध लिखा होता है।

अध्यक्ष महोदय: किन्तु आपने इसकी मांग की है।

श्री हन्नान मोल्लाह: किंतु दिया गया उत्तर यह है। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है विशेषकर काम के बदले विशेष अनाज रोजगार गारंटी योजना के लिए एक तैयारी है। जब नया रोजगार गारंटी योजना विधेयक पारित हो जाएगा तो इसके अनुभव का उपयोग किया जाएगा। इसलिए, हमने बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में सर्वेक्षण कराया है। हमारा अनुभव बहुत खराब है। बिहार और अन्य राज्यों में हमने देखा है कि काम सीधे ही ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं जो

कि योजना में निषिद्ध है। महिलाओं को उचित और पर्याप्त वेतन नहीं दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में हमने देखा है कि पुरुषों से मिट्टी खोदने के लिए कहा जाता है और वे इसे कहीं दूर स्थानों पर भेजते हैं। परन्तु मजदूरी केवल खुदाई करने वाले व्यक्ति को ही दी जा रही है। उसकी पत्नी उसे लेकर कहीं दूर स्थान पर जा रही है परन्तु उसे इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। दोनों को काम करने के बदले एक ही व्यक्ति मजदूरी दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: इसे लेकर जाने के लिए मजदूरी नहीं दी जाती। यह ब्यौरा है। आपको अलग प्रश्न करना चाहिए।

श्री हन्नान मोल्लाह: ये अनुभव हैं। फिर निगरानी समिति और समय पर भुगतान की बात आती है। बहुत से स्थानों पर हमने देखा है कि कोई निगरानी समिति नहीं है। क्या माननीय मंत्री को पता है कि इस प्रकार की ठेका प्रणाली चल रही है महिलाओं को अपनी जीविका से वंचित किया जा रहा है और कोई निगरानी समिति नहीं है? यदि ऐसा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह परियोजना किस प्रकार क्रियान्वित कि जा रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन मामलों का जिक्र किया है, वे सभी मामले हमारे संज्ञान में आये हैं। मध्य प्रदेश के संबंध में जो मामला आया है, हमने राज्य सरकार से उस संबंध में जानकारी ली है और हमें बताया गया है कि पंचायतों द्वारा गड़बड़ियां की गई थी। हमने उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर दी है। राजस्थान के संबंध में 'बिजनैस स्टैंडर्ड' अखबार में छपा था जिसके आधार पर हमने राज्य सरकार से जानकारी ली है लेकिन राज्य सरकार ने उससे इनकार किया है और बताया है कि वहां सब काम ठीक चल रहा है। बिहार के संबंध में जो जानकारी अखबार में छपी थी और एक जगह कहा गया कि ट्रैक्टर से काम हो रहा है। हमने इस संबंध में जो जानकारी ली है, उसके आधार पर मालूम हुआ है कि वह योजना ट्रैक्टर से काम लेने के लिये थी, फूड फॉर वर्क योजना के लिये नहीं थी। उसके लिये टैंडर किया गया था।

जानकारी के अभाव में लोग ऐसा सब कहते रहते हैं। चूंकि गांवों में पैसा जाता है, तो अपने देश में लोग इस प्रकार के हैं जो एंटी-रूरल और एंटी-पूअर हैं जिन्हें यह सहन नहीं होता कि गांवों में पैसा जा रहा है और गांवों में गड़बड़ियां हो रही हैं। इसलिये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम पं. जवाहर लाल नेहरू की जयन्ती 14 नवम्बर के दिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने आन्ध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से शुरुआत की थी। यह 5 वर्ष का पर्सपैक्टिव प्लान है जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और जो लोग गांवों से प्लायन करके शहर की ओर जा रहे हैं, वह रुकेगा। अभी महिलाओं के लिये रोजगार के बारे में कहा गया जिसकी छानबीन की गई है। इससे 34 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला है। लोगों का कहना था कि इससे महिलाओं को एक तिहाई रोजगार मिलेगा लेकिन मेरा दावा है कि उससे भी ज्यादा मिलेगा। वहां काम करने के लिये लोग फ्री हैं। वहां कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता लेकिन उसके लिये पीपल्स पार्टिसिपेशन, स्ट्रीट विजिलैंस और ट्रांसपीरेंसी - इन तीन बातों का फार्मूला दिया है...*(व्यवधान)*

आप पहले गांवों के बारे में सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह उत्तर के हकदार हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: परेशान मत होइये।

[हिंदी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाये हैं, इसलिये मैं उन्हें बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप चेयर को अड्रैस करिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसलिये माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाये हैं, उन सब की जानकारी माननीय सदस्यों को और सदन को दी जायेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया। यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

[हिंदी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, गांव के स्तर पर जो योजनायें बनी हैं, उन योजनाओं द्वारा लाभार्थियों के लिये 9 व्यक्तियों की एक निगरानी समिति बनाई गई है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर कहीं निगरानी समिति नहीं बनाई गई है तो मैं उन्हें देखूंगा और छानबीन करूंगा। इस बात की जानकारी देशभर के देसी भाषा के अखबारों में छपवाई गई है ताकि

दिशा-निर्देश आम लोगों की जानकारी में आ जायें। जो 9 व्यक्तियों की निगरानी समिति बनाई गई है, उसमें गांव के कई रिटायर्ड पर्सोनल, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य, महिलायें रखना अनिवार्य हैं। इसके लिये सभी प्रदेश के प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण और जानकारी कराने के लिये दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। तमाम राज्य सरकारें हमेशा सम्पर्क में हैं। इसके अलावा यह फूड फॉर वर्क कार्यक्रम 5 साल के लिये बना है। इसमें विशेषज्ञों का इस्तेमाल करके यह पर्सपैक्टिव प्लान बनाया गया है। इस सब के बाद एम्पलायमेंट गारंटी कानून लाने जा रहे हैं जिससे गांव के लोगों को साल भर में 100 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे गांवों के लोगों का प्लायन शहर की तरफ रुकेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा। यह नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक हिस्सा है जिसे एक ठोस कदम के द्वारा हम लागू करने जा रहे हैं। हमें सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा है। चूंकि यह एक महत्वाकांक्षी, गरीबोन्मुखी और ग्रामोन्मुखी योजना है, इसलिये बेकारी हटाने के लिये तमाम लोगों का सहयोग चाहिये। इससे माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि इस योजना में उनका सहयोग मिले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई अनुपूरक प्रश्न है?

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, दिशानिर्देशों में कुछ कठोरता और अधिक केंद्रीयकरण है।

[हिंदी]

गाइडलाइन्स में थोड़ा लचीलापन होना चाहिये, जो स्ट्रिक्ट है, वह फलैक्सिबल होना चाहिये। इलाके की जरूरत के मुताबिक होना चाहिये, वह नहीं है। विकेन्द्रीकरण में चेंज होना चाहिये। सरकार ने जिस टाइप ऑफ वर्क को तय कर दिया, वह उस जगह मिलता नहीं। उसमें चेंज करने की जरूरत है एलोकेशन देर से पहुंचने के कारण बहुत सी जगह कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा रहा है। इसको जल्दी कैसे किया जा सकता है, वह करना चाहिये।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोगों को 25-30 किलोमीटर दूर काम करने के लिए जाना पड़ता है। लोगों को अपने ही गांव में करने के लिए काम मिलना चाहिए। इस समस्या के निपटान के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हमने पांच चीजों को प्राथमिकता दी है। सर्वोच्च प्राथमिकता जल संचयन को दी गई है। आप जानते हैं, आप तो स्वयं इस काम में लगे हुए हैं। देश में पानी का संकट आने वाला है और विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं, इसलिए जल संचयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सूखाड़ से रक्षा के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए, उस कार्य को भी प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद जो देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ आती है, उससे बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस कार्य को भी प्राथमिकता की सूची में रखा गया है। वन रोपण कार्य को भी प्राथमिकता की सूची में रखा गया है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो ग्रामीण जगहें सड़क से नहीं जोड़ी गई हैं, उनको मुख्य मार्गों से जोड़ने के कार्य को भी प्राथमिकता दी गई है। इन चार-पांच कार्यों को हमने प्राथमिकता दी है। माननीय सदस्य कहते हैं कि हर पंचायत को योजना से जोड़ना है, हर एक गांव को योजना से जोड़ना है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अब मजदूरों को अपने घरों से बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। उनको घर के पास ही रोजगार मिल सकेगा। बहुत तरह के प्रावधान किए गए हैं। स्ट्रीक्ट विजिलेंस असली मायने में बहुत फलैक्सीबल है। माननीय सदस्यों का जो भी सुझाव हमें प्राप्त होगा, जिससे लोगों को लाभ मिल सके और लोगों को रोजगार मिल सके, हम उन सुझावों को मानेंगे। हम उन सुझावों से पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम उनका कार्यान्वयन करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

एन.टी.सी. मिलों की भूमि की बिक्री

***84. मोहम्मद शाहिद:**

श्री सुबोध मोहिते:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) ने हाल ही में कई एन.टी.सी. मिलों की खाली पड़ी भूमि को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बिक्री का ब्यौरा क्या है और इससे कितनी धन राशि प्राप्त हुई है; और

(ग) इससे प्राप्त हुई उक्त राशि का किस उद्देश्य हेतु उपयोग करने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जी, हां। बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनर्वासन योजना के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) ने वर्ष 2002 से 41 मिलों में 2458.82 करोड़ रु. की राशि में बेशी जमीन की बिक्री की है।

(ग) बी.आई.एफ.आर. ने परिसंपत्तियों की बिक्री से सृजित निधियों के उपयोग संबंधी तरीके पहले ही निर्धारित कर लिए हैं जिनमें कामगारों को वी.आर.एस., बॉण्ड संबंधी सेवाएं, आधुनिकीकरण और ऋणदाताओं का भुगतान शामिल हैं।

[अनुवाद]

गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

***85. श्री बाडिगा रामकृष्णा:**

श्री पी. मोहन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी कंपनियों पर गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की 96 करोड़ रुपए के ऋण की राशि बकाया है जैसाकि 5 जुलाई, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों के बकाया ऋणों को वसूल करने के लिए कठोर कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कानून कब तक बनाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन कंपिनयों से निपटने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां (एन.पी.ए.) 58091 करोड़ रुपए की थीं। दस शीर्ष चूककर्ता कंपनियां बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के 3908 करोड़ रुपए की देनदार थीं।

(ग) और (घ) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 बकाया ऋणों की वसूली को सुकर बनाने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, अदालतों या अधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना देयराशि की वसूली के लिए प्रतिभूति हित प्रवर्तन हेतु प्रावधान किया गया है। सरकार ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 भी अधिसूचित किए हैं, ताकि प्रतिभूत ऋणदाता अपने कर्मचारियों को उधारकर्ताओं से देयराशि वसूल करने और प्रतिभूति प्रवर्तन हेतु प्राधिकृत कर सकें।

(ङ) और (च) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दायर वसूली संबंधी मुकदमों का तेजी से निपटान के लिए पूरे देश में 29 ऋण वसूली अधिकरण (डी.आर.टी.) और 5 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डी.आर.ए.टी.) बनाए गए हैं।

"भेल" का विनिवेश

***86. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**

श्री चन्द्र भूषण सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) में सरकारी इक्विटी के 10 प्रतिशत हिस्से का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय का विरोध हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार अपने निर्णय की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (च) मई, 2005 में सरकार ने "बुक बिल्डिंग" प्रक्रिया के माध्यम से 67.72 प्रतिशत की सरकार की धारिता में से "भेल" की 10 प्रतिशत इक्विटी की "बिक्री की पेशकश" का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया था कि बिक्री के लिए पेशकश की गई इक्विटी का 15 प्रतिशत तक "भेल" के कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। तथापि, विभिन्न कामगार यूनियनों और अन्यों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें "भेल" में विनिवेश का विरोध किया गया है। आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है। इस मामले में आगे और कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

***87. श्री हितेन बर्मन:**

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना अवधि के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनायी गई सड़कों/बनायी जाने वाली सड़कों विशेष रूप से सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई सड़कों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में इसके अन्तर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया/शामिल किया जायेगा;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी और राज्यवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(घ) क्या संबंधित राज्यों को उनकी मांग पर कोई अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गयी;

(ङ) उन सड़कों का विवरण क्या है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है;

(च) उन राज्यों के क्या नाम है जिन्हें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के बावजूद धनराशि जारी नहीं की गयी; और

(छ) निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्यों को धनराशि जारी करने और अधूरी सड़कों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाये गये है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (छ) ग्रामीण सड़कें, राज्य का विषय है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सड़क कार्यों के लिए प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत राज्यों द्वारा अब तक पूरे किए गए सड़क कार्यों, रिलीज की गई निधियों और सूचित व्यय के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 12401 सड़क कार्य अभी पूरे किए जाने हैं।

2. पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत अब तक कवरेज के लिए पात्र बसावटों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य में कवरेज के लिए अनुमोदित बसावटों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

3. चालू वर्ष में आरंभ किए गए 'भारत निर्माण' कार्यक्रम में वर्ष 2009 तक 1000 की आबादी (अथवा पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में 500) वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें वर्ष 2004-05 से 2009-10 के दौरान लगभग 1,55,000 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किया जाना अपेक्षित है।

4. वर्ष 2005-06 तक आबंटित धनराशि के अलावा आज तक असम (13.46 करोड़ रु.), छत्तीसगढ़ (135.76 करोड़ रु.), हरियाणा (10.96 करोड़ रु.), मध्य प्रदेश (171.62 करोड़ रु.), मिजोरम (37.51 करोड़ रु.) और राजस्थान को (97.24 करोड़ रु.) रिलीज किए गए हैं। एशियाई विकास बैंक/विश्व बैंक सहायता के तहत छत्तीसगढ़ (50 करोड़ रु.), हिमाचल प्रदेश (41.44 करोड़ रु., मध्य प्रदेश (43.45 करोड़ रु.), राजस्थान (197.15 करोड़ रु.) और उत्तर प्रदेश (129.96 करोड़ रु.) को अतिरिक्त निधियां भी दी गई हैं।

5. पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए राज्यों को निधियां सामान्यत: दो किस्तों में दी जाती हैं। राज्यों को निधियों की रिलीज पूर्व में दी गई निधियों के उपयोग की स्थिति और कार्यों की वास्तविक प्रगति के आधार पर की जाती है जैसा कि पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देशों में निर्धारित है। जो राज्य कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में अनुमोदित प्रस्तावों की तुलना में दो किस्त प्राप्त नहीं कर पाए हैं उन्हें संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है।

6. चूंकि निधियों की रिलीज कार्यों की प्रगति पर निर्भर करती है, इसलिए सभी राज्यों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन में तेजी लाएं और ठेकेदारों को बिना विलम्ब भुगतान करें। राज्यों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों सहित कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। राज्यों को यह सलाह भी दी गई है कि वे वर्ष 2000-01 से प्रत्येक वर्ष के लिए पूर्ण लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण-पत्र सहित सभी दस्तावेज जैसा कि कार्यक्रम के दिशा-निर्देश में निर्धारित है, भेजें। सभी राज्यों को 2 जनवरी, 2004 को सलाह दी गई है कि वे चरण-I और चरण-II के शेष कार्यों, जहां आवश्यक हो, को पूरा करने के लिए प्रस्ताव मंत्रालय के विचार हेतु भेजें।

विवरण-I

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत (जून, 2005 तक) अनुमोदित सड़क कार्यों, पूरे किए गए सड़क कार्यों, रिलीज की गई राशि और व्यय काराज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित सड़क कार्य		पूरे किए गए सड़क कार्य		रिलीज की गई राशि (रु. करोड़ में)	व्यय (रु. करोड़ में)
		संख्या	लंबाई (कि.मी.)	संख्या	लंबाई (कि.मी.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3733	9114.52	3134	7007.00	827.91	741.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	403	1361.77	325	947.86	127.46	124.54
3.	असम	808	2325.36	506	832.56	564.46	352.44
4.	बिहार	1104	3553.19	416	1060.35	393.60	310.14
5.	छत्तीसगढ़	1034	6013.03	640	3766.86	855.76	680.21
6.	गोवा	90	178.16	72	158.73	10.00	5.17
7.	गुजरात	1169	2463.48	917	1911.43	215.86	203.78
8.	हरियाणा	85	1213.58	61	900.00	135.96	125.26
9.	हिमाचल प्रदेश	843	3907.30	350	1358.37	315.66	244.27
10.	जम्मू-कश्मीर	178	635.27	31	66.05	75.00	42.91
11.	झारखंड	501	2752.90	328	1797.41	421.88	361.93
12.	कर्नाटक	1709	5442.30	1346	4409.68	365.68	349.23
13.	केरल	366	679.98	169	309.90	79.56	64.27
14.	मध्य प्रदेश	3065	14860.72	1699	7885.07	1715.07	1476.98
15.	महाराष्ट्र	2158	5146.84	1429	2990.43	454.29	320.97
16.	मणिपुर	790	710.64	424	431.33	98.00	65.95
17.	मेघालय	347	811.43	285	659.91	115.67	88.74
18.	मिजोरम	80	1032.50	61	860.83	164.51	130.00
19.	नागालैंड	185	1606.29	162	1476.61	106.95	95.23
20.	उड़ीसा	2140	6417.92	1372	3801.70	874.79	749.23
21.	पंजाब	516	1282.78	383	745.10	127.40	108.72
22.	राजस्थान	3534	13262.42	3115	11056.12	1173.39	1182.59

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	115	1589.21	51	1316.72	70.97	53.62
24.	तमिलनाडु	2230	4196.89	1550	2751.81	432.92	331.19
25.	त्रिपुरा	254	700.60	205	449.27	76.60	49.64
26.	उत्तर प्रदेश	10891	19748.50	7400	12455.04	1571.32	1297.62
27.	उत्तरांचल	213	1227.39	120	472.03	201.04	122.02
28.	पश्चिम बंगाल	906	4958.03	495	2461.28	849.17	655.79
	कुल	39447	117193.00	27046	74339.45	12420.88	10333.56

विवरण-II

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र बसावटों और कवर की गई बसावटों की राज्य-वार संख्या

#	राज्य	पी.एम.जी.एस.वाई के अंतर्गत कवर की जाने वाली कुल बसावटें (25-12-2000 की स्थिति के अनुसार)	कवर की गई बसावटों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	980	913
2.	अरुणाचल प्रदेश	415	84
3.	असम	13144	2232
4.	बिहार*	17920	1793
5.	छत्तीसगढ़	12561	2230
6.	गोवा	55	20
7.	गुजरात	4253	1001
8.	हरियाणा	2	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3494	1178
10.	जम्मू-कश्मीर	2792	300
11.	झारखंड	10696	1341
12.	कर्नाटक	876	322

1	2	3	4
13.	केरल	438	393
14.	मध्य प्रदेश	18492	3701
15.	महाराष्ट्र	1751	888
16.	मणिपुर	598	0
17.	मेघालय	756	126
18.	मिजोरम	285	71
19.	नागालैंड	94	42
20.	उड़ीसा	14393	2668
21.	पंजाब	536	418
22.	राजस्थान	11015	4228
23.	सिक्किम	318	100
24.	तमिलनाडु	2640	1813
25.	त्रिपुरा	2091	150
26.	उत्तर प्रदेश	24284	8308
27.	उत्तरांचल	2605	211
28.	पश्चिम बंगाल	25288	3404
	कुल	172772	37935

* कोर नेटवर्क सत्यापित किया जा रहा है।

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य	चरण-II	चरण-III		चरण-IV		चरण-V	
		दूसरी किस्त	पहली किस्त	दूसरी किस्त	पहली किस्त	दूसरी किस्त	पहली किस्त	दूसरी किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरुणाचल प्रदेश				जारी नहीं	जारी नहीं		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	असम					जारी नहीं		
3.	बिहार	जारी नहीं	जारी नहीं*	जारी नहीं*				
4.	छत्तीसगढ़					जारी नहीं		
5.	गुजरात			जारी नहीं	जारी नहीं	जारी नहीं		
6.	हरियाणा				जारी नहीं	जारी नहीं		
7.	हिमाचल प्रदेश			जारी नहीं	जारी नहीं	जारी नहीं		
8.	जम्मू-कश्मीर	जारी नहीं		जारी नहीं				
9.	झारखंड		जारी नहीं	जारी नहीं				
10.	कर्नाटक			जारी नहीं				
11.	केरल				जारी नहीं	जारी नहीं		
12.	मध्य प्रदेश					जारी नहीं	जारी नहीं	जारी नहीं
13.	महाराष्ट्र			जारी नहीं	जारी नहीं	जारी नहीं		
14.	मणिपुर	जारी नहीं	जारी नहीं	जारी नहीं				
15.	मेघालय		जारी नहीं	जारी नहीं				
16.	मिजोरम					जारी नहीं		
17.	नागालैंड					जारी नहीं		
18.	उड़ीसा				जारी नहीं	जारी नहीं		
19.	पंजाब			जारी नहीं	जारी नहीं	जारी नहीं		
20.	राजस्थान					जारी नहीं		
21.	सिक्किम			जारी नहीं	जारी नहीं	जारी नहीं		
22.	तमिलनाडु				जारी नहीं	जारी नहीं		
23.	त्रिपुरा		जारी नहीं	जारी नहीं				
24.	उत्तर प्रदेश				जारी नहीं	जारी नहीं		
25.	उत्तरांचल		जारी नहीं	जारी नहीं				
26.	पश्चिम बंगाल				जारी नहीं	जारी नहीं		
	कुल (राज्य)							

*चरण-III और चरण-IV संयुक्त

विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले की कम आपूर्ति

***88. श्री बसुदेव आचार्य:**

श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कुल कितने ताप विद्युत संयंत्र हैं;

(ख) क्या इन ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का अत्यधिक अभाव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से राज्यों में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है; और

(छ) सरकार विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) देश में 298 कोयला, लिग्नाइट, गैस और तरल ईंधन आधारित थर्मल विद्युत स्टेशन हैं, जिनमें से 144 विद्युत स्टेशन 20 मेगावाट से अधिक क्षमता के हैं।

(ख) और (ग) देश में कई ताप विद्युत स्टेशन अपर्याप्त कोयला आपूर्ति की समस्या का सामना कर रहे हैं। 24 जुलाई, 2005 की स्थिति अनुसार तेरह (13) ताप विद्युत स्टेशन "चिन्ताजनक" थे जिनके पास सात (7) दिनों से कम अवधि के कोयले का स्टाक उपलब्ध था। इनमें से पांच (5) ताप विद्युत स्टेशन "अधिक चिन्ताजनक" थे जिनके पास चार (4) दिनों से कम अवधि के लिए कोयले का स्टॉक उपलब्ध था।

घरेलू कोयला उत्पादन थर्मल पावर स्टेशनों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतएव आयात के माध्यम से कोयले की आपूर्ति को बढ़ाया जा रहा है।

(घ) और (ङ) टी.पी.एस. में कोयला स्टाक युक्तिसंगत स्तर तक बनाने के लिए कोयला आयात की आयोजना की गई है। चालू वर्ष अर्थात् 2005-06 के दौरान चुनिन्दा ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा 13.45 मिलियन टन कोयला आयात करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(च) निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है:

जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, सिक्किम, केरल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मेघालय।

(छ) सरकार द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:

i. 10वीं योजना (2002-07) में 41110 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 14393 मे.वा. जल विद्युत, 25417 मे.वा. ताप विद्युत और 1300 मे. वा. न्यूक्लीयर विद्युत शामिल है।

ii. विद्युत परियोजनाओं को समय से पूरा करने की निगरानी करने तथा विभिन्न लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए शीर्ष स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

iii. नई चालू यूनिटों का शीघ्र स्थायीकरण।

iv. संयुक्त उद्यमों का सृजन, निजी उद्यमियों द्वारा अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन, बेसिनवार विकास आदि पर जोर देते हुए जल विद्युत नीति की घोषणा, तीन स्तरीय स्वीकृति प्रक्रिया, शक्यता स्थलों का रैंकिंग अध्ययन, 50000 मे.वा. जल विद्युत पहल और 11वीं योजना के दौरान और इससे आगे के लिए जल विद्युत विकास पर बल प्रदान करने के लिए क्षमता अभिवृद्धि हेतु अग्रिम कार्रवाई।

v. केन्द्रीय सरकार द्वारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन और पावर फाइनेंस कारपोरेशन के माध्यम से निधियों की व्यवस्था, ताकि युक्तिसंगत टैरिफ वाली अच्छी परियोजना निधियों की कमी के कारण बाधित न हो। विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र में स्वीकृति व निर्माणाधीन ताप विद्युत स्टेशनों को समय से पूरा करने हेतु उनकी सघन मानीटरिंग करते हैं। समस्याओं के समाधान हेतु परियोजना-वार कठिनाइयों को अभिज्ञात किया जाता है, उपचारी उपाय सुझाए जाते हैं और संबंधित परियोजना प्राधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने/कार्रवाई करने के लिए सलाह प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास क्षेत्र में फर्जी स्वैच्छिक सामाजिक संगठन

***89. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**

श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु प्रतिवर्ष कतिपय स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 और वर्ष 2004-05 के दौरान उक्त अनुदान प्राप्त करने वाले ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या सरकार को कुछ फर्जी संगठनों का भी पता चला है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों की कुल संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान उनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और उनसे कितनी धनराशि वसूली गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) जोकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में एक स्वायत्तशासी निकाय है, ने वर्ष 2003-04 के दौरान 1211 स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों को और वर्ष 2004-05 के दौरान 618 स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों को अनुदान प्रदान किया था। इन संगठनों के राज्य-वार नाम और वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान इनमें से प्रत्येक को मंजूर और रिलीज की गई धनराशि कपार्ट की वेबसाइट : www.capart.nic.in पर उपलब्ध है। वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान जिन संगठनों को उक्त धनराशि दी गई थी, उनके ब्यौरे तथा साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उनमें से प्रत्येक को ग्रामीण आवास की योजनाओं, एस.जी.एस.वाई./ यू.एन.डी.पी. परियोजनाओं और पेयजल आपूर्ति विभाग (टी.एम. प्रभाग/सी.आर.एस.पी. प्रभाग) के अंतर्गत रिलीज की गई धनराशि क्रमशः संलग्न विवरण I, II और III में दी गई है।

(ग) से (ङ) जी, हां। वर्ष 2003-04 के दौरान, कपार्ट द्वारा निम्नलिखित दो स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि प्रदान की गई थी किन्तु इन स्वैच्छिक संगठनों के पासबुक जाली/हेराफेरी वाले पाये गए थे।

(राशि रु. में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों के नाम	स्वीकृत धनराशि	रिलीज की गई राशि
1.	ग्रामश्री खादी विकास संस्था, ग्राम-भुस्की, पो. खुसरूपुर, ब्लॉक-खुसरूपुर, जिला-पटना, बिहार	30,43,218	22,32,740
2.	मानव जागृति, मगुराही, ग्राम-मगुराही ब्लॉक-हाजीपुर, जिला-वैशाली, बिहार	5,12,000	2,68,972

दोनों स्वैच्छिक संगठनों को काली सूची वाली श्रेणी में डाला जा रहा है और धनराशि की वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

विवरण-I

योजना का नाम : ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के अभिनव चरण

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान स्वैच्छिक संगठन के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	2003-04 के दौरान रिलीज की गई राशि	2004-05 के दौरान रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
1.	पिंकी जी, संस्थान, अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	4.87	
2.	नेहरू रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु	5.00	

1	2	3	4
3.	आई.आर. कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसायटी, तिरूवल्लूर, तमिलनाडु	5.00	5.00
4.	स्टार स्कूल समिति, इंदौर, मध्य प्रदेश	4.66	4.66
5.	कम्प्रिहेन्सिव एरिया डेवलपमेंट सर्विस, उ. 24 परगना, प. बंगाल	5.00	20.00
6.	अग्रदूत पोली उन्नयन समिति, हावड़ा, प. बंगाल	5.00	5.00
7.	नित्या क्रुशी रूरल डेव. एजुकेशनल एंड हैल्थ सोसाइटी, अनंतपुर आंध्र प्रदेश	4.18	3.52
8.	ब्रेदर्न इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेव., प्रकाशम्, आंध्र प्रदेश		8.00
9.	हरिथा ऐसोसिएशन फॉर लर्निंग एनवायरमेंट, खम्माम, आंध्र प्रदेश	2.74	
10.	ग्रामोदय आर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेव., कृषि, आंध्र प्रदेश		4.55
11.	ग्रामाभ्युदय सेवा युवाजन समाजम, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश		5.00
12.	प्रजाप्रगति सेवा संघम, कृष्णा, आंध्र प्रदेश		4.375
13.	विलेज डेव. सोसाइटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश		3.38
14.	जरपन नसरपुर विभाग के मंडल, सूरत, गुजरात	4.99	
15.	सनातन एम. समाजम और नर्सरी स्कूल, तिरुवनंतपुरम, केरल	3.90	
16.	वंगु साबल यूथ डेव., विष्णुपुर, मणिपुर		5.00
17.	सनरे एम. मल्टीपरपस कॉप. सोसाइटी, दिमापुर, नागालैण्ड	8.00	
18.	मानव सेवा सदन, ढेंकानल, उड़ीसा		8.00
19.	श्री हरिदेव शिक्षा समिति, भरतपुर, राजस्थान		3.93
20.	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस शिक्षा समिति, जयपुर, राजस्थान		3.93
21.	अहमदाबाद स्टडी एक्शन ग्रुप, अहमदाबाद, गुजरात		4.00
22.	वेलफेयर सर्विस, एरनाकुलम, केरल		4.00
23.	कोप. लीग इन डेव. एंड इम्प्लायमेंट, कन्याकुमारी, तमिलनाडु		4.00
24.	सर्वभूम एस. संस्कृत महाविद्यालय, मथुरा, उ.प्र.	3.98	
25.	अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं समाज कल्याण परिषद, मथुरा, उ.प्र.	4.00	
26.	जनमानस विकास संस्थान, लखनऊ, उ.प्र.	4.00	
27.	कलियाचक नेताजी सुभाष संघ, मिदनापुर, प. बंगाल	4.92	9.84
	कुल	70.24	106.185

ग्रामीण निर्मिति केन्द्र

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं की सूची और हडको के माध्यम से रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता की राशि

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों के नाम	एजेंसियों के नाम	रिलीज की गई राशि (लाख रु. में)	
				2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	मल्टी परपस सोशल सर्विस सोसाइटी (एन.जी.ओ.) कुडप्पा	3.00	0.00
2.	बिहार	सीतामढ़ी	राजेन्द्र इस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर (एन.जी.ओ.)	6.00	6.00
	बिहार	पू. चम्पारन	अभिनव प्री फेब इंडस्ट्री (एन.जी.ओ.)	6.00	6.00
3.	गुजरात	बनासकांठा	जय भारत चैरिटेबल ट्रस्ट (एन.जी.ओ.), बनासकांठा	5.76	0.00
	गुजरात	कच्छ	रूरल एग्रो एंड डेवलपमेंट सोसाइटी (एन.जी.ओ.)	5.00	0.00
4.	जम्मू-कश्मीर	लेह	लेह इकोलॉजिकल डेव. ग्रुप, लेह (एन.जी.ओ.)	10.00	0.00
5.	कर्नाटक	बंगलौर	पीपुल ट्रस्ट (एन.जी.ओ.)	3.00	0.00
6.	मध्य प्रदेश	राजगढ़	बसेरा बिल्डिंग सेंटर, (एन.जी.ओ.) राजगढ़	6.00	6.00
	मध्य प्रदेश	शिवपुरी	इनर्जी एनवायरमेंट एंड डेव. सोसाइटी (एन.जी.ओ.)	6.00	6.00
7.	मणिपुर	चंदेल	रूरल रिसोर्सिज डेव. आर्गेनाइजेशन (एन.जी.ओ.), चंदेल	6.00	0.00
	मणिपुर	थोबाल	सी.ई.बी.टी.ई.सी., (एन.जी.ओ.) थोबाल	6.00	9.00
8.	नागालैंड	मोकक्चुंग	एसो. ऑफ ट्राइबल वेलफेयर डेव., (एन.जी.ओ.) मोकक्चुंग	6.00	0.00
9.	उड़ीसा	ढेंकानल	इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क एंड एक्शन रिसर्च (एन.जी.ओ.)	6.00	0.00
	उड़ीसा	खुर्दा	महात्मा गांधी खादी ग्रामोदय समिति (एन.जी.ओ.)	12.00	2.30
	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	सेवक (एन.जी.ओ.), सुन्दरगढ़	6.00	0.00
10.	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन (एन.जी.ओ.), बिजनौर	6.00	6.00
	उत्तर प्रदेश	गौतमबुद्ध नगर	नवतकनीकी एवं सामग्री केन्द्र, (एन.जी.ओ.)	6.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	हरदोई	जनमानस विकास संस्थान (एन.जी.ओ.)	6.00	6.00
	उत्तर प्रदेश	जालोन	संकल्प सेवा संस्थान (एन.जी.ओ.)	6.00	6.00

1	2	3	4	5	6
11.	उत्तरांचल	बागेश्वर	कसार ट्रस्ट (एन.जी.ओ.), बागेश्वर	6.00	6.00
	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	रूरल एरिया डेव. सोसाइटी (एन.जी.ओ.), टिहरी गढ़वाल	6.00	0.00
12.	प. बंगाल	प. मिदनापुर	वेस्ट बंगाल एस.सी., एस.टी. एंड माइनोरिटी वेलफेयर एसो. (एन.जी.ओ.)	6.00	0.00
	कुल			134.76	59.30

विवरण-II

एस.जी.एस.वाई. प्रभाग

क्र.सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	रिलीज की गई राशि (लाख रु. में	
		2003-04	2004-05
1	2	3	4
	झारखंड		
1.	प्रदान	29.07	12.90
2.	कर्रा सोसाइटी फॉर रूरल एक्शन ऑन सोशल मोबिलाइजेशन	–	12.64
3.	लोहरदग्गा ग्राम स्वराज्य संस्थान (एल.जी.एस.एस.)	–	14.73
4.	अग्रेरियन असिस्टेंस एसो. ऑफ दुमका	–	14.65
5.	फाउंडेशन फॉर इमेन्सिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड (फीमेल) रांची	–	8.4
	उड़ीसा		
6.	इंटीग्रेटिड रूरल डेव. ऑफ वीकर सेक्शन्स इन इंडिया/देवमाली झिमकीगुडा महिला सोसायटी (आई.आर.डी.डब्ल्यू.एस./डी.जे.एम.एस.) (वीडा भी कहा जाता है)	–	–
7.	ए.एम.ए. संगठन		14.88
8.	विकल्प	22.21	11.1
9.	लोकदृष्टि	25.39	24.52
	राजस्थान		
10.	आस्था, आस्था आदिवासी महिला जागृति संस्थान, उदयपुर और कोतरा आदिवासी संस्थान, उदयपुर के साथ मिलकर परियोजना को कार्यान्वित करेगी।	6.38	–

1	2	3	4
11.	फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सेक्युरिटी (एफ.ई.एस.)	12.93	–
12.	समर्थक समिति	8.55	2.22
13.	एडवांसमेंट थ्रू वाल्यूंटरी एक्शन एंड लोकल इन्वाल्वमेंट (अरावली)	9.2	–
14.	संकल्प, बारन	–	9.05
15.	बी.ए.आई.एफ., बारन	–	16.74
16.	सिसोडेकॉन, बारन	–	7.12
17.	जी.वी.टी. बारन	–	8.54
	कुल	113.73	241.00

विवरण-III

पेयजल आपूर्ति विभाग

टी.एम. प्रभाग/सी.आर.एस.पी. प्रभाग

टी.एम. प्रभाग

परियोजना का नाम	संगठन	अवधि	कुल लागत/रिलीज की गई राशि	स्थिति
ऐसे औजारों का विकास करना जो ग्रामीण जल संसाधनों के भागीदारीपुर्ण प्रबंधन में मदद करता है।	द सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर (एस.डब्ल्यू.आर.सी.), अजमेर	1 वर्ष	5.50 लाख रु./4.40 लाख रु.	पूर्ण हो चुकी है।

सी.आर.एस.पी. प्रभाग

निम्न के लिए परियोजना	संगठन	वर्ष	रिलीज की गई राशि
प्रशिक्षण	एनवायर्नमेंटल सैनिटेशन इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद, गुजरात	2003-04	12.50 लाख रु.
प्रशिक्षण	रामकृष्ण मिशन, लोक शिक्षा परिषद, नरेन्द्रपुर, प. बंगाल	2004-05	19.80 लाख रु.

[अनुवाद]

सी.ई.आर.सी. के दिशा निर्देशों का उल्लंघन

***90. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**

श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विद्युत वितरण कंपनियां केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों का उल्लंघन कर रही है जैसा कि दिनांक 4 जुलाई, 2005 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) (ट्रेडिंग लाइसेंस जारी करने और अन्य संबंधित मामलों की प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004, के अनुसार ट्रेडिंग लाइसेंसियों से आयोग को त्रैमासिक आधार पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सूचना देने की अपेक्षा की जाती है, जिसकी एक प्रतिलिपि रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (आर.एल.डी.सी.) और रीजनल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (आर.ई.बी.) अथवा रीजनल पावर कमेटी (आर.पी.सी.) जैसी भी स्थिति हो, को भी उपलब्ध कराई जाए। लाइसेंसियों से अपनी वेब साइटों पर भी उक्त सूचना देने की अपेक्षा की गई है।

सी.ई.आर.सी. के ध्यान में यह बात लायी गयी थी कि लाइसेंसी आर.ई.बी./आर.पी.सी. और आर.एल.डी.सी. को सूचना देने और वेबसाइटों पर रिपोर्ट भेजने की अपेक्षाओं का पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए सी.ई.आर.सी. ने लाइसेंसियों को विनियम की अपेक्षाओं का पालन करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी किए लाइसेंसियों ने अब आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

लघु उद्योग, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को ऋण

***91. श्री जोवाकिम बखला:**

श्री पी. करुणाकरन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र को बहुत कम ऋण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योगों, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को दिए गए ऋणों/अग्रिम राशियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा आज तक के पूर्ण आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की गई राशि की तुलना में इस क्षेत्र को दिया गया ऋण कम है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को दिए गए ऋण और अग्रिम नीचे दिए गए हैं:-

(राशि करोड़ रुपए में)

मार्च को समाप्त वर्ष	लघु उद्योग को ऋण	ग्रामीण क्षेत्र को ऋण	शहरी क्षेत्र को ऋण	ग्रामीण क्षेत्र से जमाराशि	ग्रामीण क्षेत्र से जमाराशि की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र ऋणों का %
2002	49743	35450	242784	83641	42.4
2003	52988	39590	277408	92263	42.9
2004	58278*	43928	320322	101174	43.4
2005 (दिसम्बर 2004 तक)	67634*	53054*	392887*	104741*	50.7

*अनन्तिम

(घ) जी, हां।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में जमाराशियों के संबंध ऋणों के कम अनुपात का मुख्य कारण व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों का शहरी महानगरीय क्षेत्रों में संकेन्द्रण है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1980 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के संबंध में अलग-अलग 60 प्रतिशत का ऋण जमा (सीडी) अनुपात प्राप्त करने के लिए अनुदेश जारी किए थे। ये अनुदेश 1995 में पुनः जारी किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने संयोजक बैंकों को यह परामर्श भी दिया है कि वे ऋण जमा (सीडी) अनुपात में वृद्धि करने के उपायों का पता लगाने के लिए इस मुद्दे को राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एस.एल.बी.सी.) की बैठकों में उठाएं।

क्रेडिट कार्ड्स

*92. **श्री अनन्त नायक:**

डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने क्रेडिट कार्डों के परिचालन के संबंध में पुनरीक्षित मार्गनिर्देश एवं मानदण्ड जारी किए हैं जैसा कि 29 जून, 2005 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के बावजूद बैंकों और वित्तीय संस्थानों के क्रेडिट कार्ड धारकों को धमकाने और उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो "क्रेडिट कार्ड" धारकों के हितों की रक्षा करने और इन मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) क्रेडिट कार्ड धारकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को कम करने के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट www.rbi.org.in पर क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित प्रारूप दिशानिर्देश दिये हैं। इस प्रारूप दिशा निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ कार्डों को जारी करने, ब्याज दर एवं अन्य प्रभारों, गलत बिल प्रेषित करने, प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों/प्रत्यक्ष विपणन एजेंटों तथा अन्य एजेंटों के प्रयोग, ग्राहक अधिकार की सुरक्षा, शिकायतों के निवारण, आन्तरिक नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली इत्यादि से संबंधित निर्देश शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकार को क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में व्यक्तियों एवं विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं जिन्हें निवारण एवं उन पर उपयुक्त कार्रवाई के लिए सम्बद्ध बैंकों को भेज दिया जाता है।

किसानों को ऋण

*93. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:**

श्री सर्वानन्द सोनोवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश के निर्धन और सीमांत किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ रहा है जबकि उनके आय के स्रोत कम हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों का 10,000 रुपए तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया है और उसका उत्पाद विपणन योजना के माध्यम से ऋण सीमा बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने किसानों को किए जाने वाले ऋण वितरण के संबंध में नए मार्गनिर्देश जारी किए हैं जैसाकि दिनांक 26 जून, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या कृषि ऋण के लिए जोखिम कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) सरकार द्वारा किसानों को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ञ) क्या बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने पर ग्राहक संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ट) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) अखिल भारत ऋण और निवेश सर्वेक्षण 1991 से पता चलता है कि यद्यपि किसान परिवार के औसत ऋण में वृद्धि होती रही है, तथापि गैर-संस्थागत स्रोतों से उनके ऋण लेने में निरंतर कमी आई है। तथापि, जोत के आकार के आधार पर ऋणग्रस्तता का ठीक-ठीक स्तर उपलब्ध नहीं है।

(ख) छोटे और सीमांत किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें कतिपय रियायतें दी गई हैं। बैंकों से 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण के लिए मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं को माफ करने के लिए कहा गया है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि छोटे और सीमांत किसानों के खातों में नामे डाला गया कुल ब्याज अल्पावधि अग्रिम के मामले में मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 18 जून, 2004 को सरकार की नीतिगत घोषणा में छोटे और सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान (ओ.टी.एस.) योजना, मुसीबत में फंसे किसानों और ऋणी किसानों के लिए ऋण का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण शामिल है। पैकेज में साहूकारों और अन्यों जैसे गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के चंगुल से राहत प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना भी शामिल है।

(ग) और (घ) इस समय किसानों का 10,000 रुपए तक का ऋण माफ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2005-06 के लिए अपनी वार्षिक नीति विवरण में वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत किसानों के लिए उत्पाद विपणन योजना के जरिए ऋण सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। नाबार्ड ने अब अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए फसल विपणन हेतु अपनी पुनर्वित्त योजना के तहत अलग-अलग किसानों के लिए ऋणों की उच्चतम सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) किसानों तथा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) बैंकों को ऋण मंजूरी के लिए कार्यविधि को सरल करने के लिए कहा गया है।

(ii) एक पृष्ठ का प्रलेखन अपनाने के लिए बैंकों में परिचालित कर दिया गया है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 50,000 रुपए तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक अथवा मार्जिन राशि न लेने के लिए अनुदेश दिए हैं।

(iv) बैंकों को सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कहा गया है।

(v) स्व-सहायता समूहों को वित्तपोषित करने पर बल दिया जा रहा है।

(vi) बैंकों द्वारा काश्तकारों तथा मौखिक पट्टेदारों के संयुक्त देयता समूहों को उधार देने के लिए एक परियोजना प्रारम्भ की गई है।

(ञ) और (ट) भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005-06 के अपने वार्षिक नीति विवरण में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण के संबंध में एक बाहरी अभिकरण की सहायता से एक ग्राहक संतुष्टिकरण सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा

***94. श्री कैलाश मेघवाल:**

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता 45000 मेगावाट है जबकि इसमें से केवल 1500 मेगावाट का ही उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पवन ऊर्जा के उत्पादन में अन्य विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश की इस समय स्थिति क्या है;

(घ) इस ऊर्जा की संपूर्ण क्षमता का दोहन करने हेतु सरकारी/निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या देश में पवन ऊर्जा के दोहन के लिए कुछ स्थलों की पहचान की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी हां। तथापि, जून, 2005 के अंत तक देश में पवन विद्युत संस्थापित क्षमता 3740 मेवा. हो गई है।

(ख) संभावित राज्यों में ग्रिड दबावों पर विचार करते हुए दोहन किए जाने योग्य मौजूदा संभाव्यता 14,500 मेगावाट होने

का अनुमान लगाया गया है। पवन विद्युत परियोजनाएं अधिकांशतः निजी निवेशों के द्वारा वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में स्थापित की जाती हैं। आगे और पवन विद्युत क्षमता की स्थापना और दोहन किए जाने योग्य संभाव्यता का उपयोग संभावित राज्यों में पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए मुख्यतः आकर्षक शर्तों पर वित्त की उपलब्धता तथा उपयुक्त नीतिगत परिवेश पर निर्भर करता है।

(ग) इस समय भारत का विकासशील देशों में पहला स्थान है।

(घ) ग्रिड-इंटरएक्टिव पवन विद्युत कार्यक्रम मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा चलाया जाता है। पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में पवन बिजली जनरेटर के कुछ घटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क में छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त आय पर दस वर्षों का करावकाश, त्वरित मूल्यह्रास का लाभ और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण शामिल हैं। संभावित राज्यों में पवन विद्युत को अधिमान्य शुल्क-दर प्रदान की जा रही है। पवन संसाधन मूल्यांकन अध्ययनों के द्वारा नए पवन विद्युत संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

(ङ) और (च) मंत्रालय के पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत, 13 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक कुल 211 स्थलों का पता लगाया गया है जो पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए उपयुक्त माने जा सकते हैं। पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए आगे और संभावित स्थलों का पता लगाने हेतु और अधिक राज्यों तथा नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम जारी रखा जा रहा है।

"वैट"

***95. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**

श्री लक्ष्मण सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य वर्धित कर (वैट) के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) "वैट" के क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से क्या प्रतिसूचना प्राप्त हुई है;

(ग) क्या इसके क्रियान्वयन के पश्चात् विभिन्न राज्यों की आय में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कर वसूली में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई है;

(ङ) "वैट" के क्रियान्वयन का मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(च) क्या "वैट" के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के दावों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) आज की तारीख तक प्राप्त इस प्रकार के दावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ज) अब तक 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वैट को कार्यान्वित किया है। वैट लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सामान्य सूचना यह है कि नई प्रणाली का व्यापारिक समुदाय तथा जनता ने स्वागत किया है। वैट लागू करने के समय कुछ प्रारंभिक समस्याएं थीं जिन्हें राज्यों ने दावाकर्ताओं के साथ लगातार बातचीत करके लगभग दूर कर दिया है।

यद्यपि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व पर वैट के प्रभाव का सही आकलन कर पाना अभी संभव नहीं है फिर भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान प्राप्त कर संग्रहण के अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि कुल मिलाकर राजस्व संग्रहणों की प्रवृत्ति सकारात्मक और उत्साहपरक है।

वैट के कार्यान्वयन के मुद्रास्फीति पर प्रभाव का आकलन करना कठिन है क्योंकि मुद्रास्फीति कई कारकों पर निर्भर करती है। तथापि, थोक मूल्य सूचकांक में एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक देखने से परिलक्षित मुद्रास्फीति की समग्र दर 2 अप्रैल, 2005 को समाप्त सप्ताह में 5.7% से घटकर 09 जुलाई, 2005 को समाप्त सप्ताह में 4.14% तक रह गई है। इसके अतिरिक्त राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने राज्यों को सलाह दी है कि वे वैट के लागू होने के बाद वस्तुओं के मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर लगातार नजर रखें।

वैट के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए दावों की प्रस्तुति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब तक क्षतिपूर्ति दावे 3 राज्यों, नामतः बिहार, महाराष्ट्र और त्रिपुरा से प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

काम के बदले अनाज संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन

***96. श्रीमती पी. सतीदेवी:**

श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काम के बदले अनाज संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जारी मार्गदर्शी निर्देश ही इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बाधा बन रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि अक्तूबर, 2004 से अप्रैल, 2005 तक की अवधि के लिए खाद्यान्न घटक का मूल्य विनिर्दिष्ट मानदंडों से बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह सत्य है कि 150 पिछड़े जिलों में विस्तारित काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरों को खाद्यान्न के रूप में दी गई 75 प्रतिशत मजदूरी की गरीबी रेखा से ऊपर मूल्यों के अनुसार गणना की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो खाद्यान्न को गरीबी रेखा से ऊपर के मूल्य 10 रु. प्रति किलो के अनुसार गणना करने के क्या कारण तथा आधार हैं क्योंकि इससे कार्यक्रम की पूरी लागत बढ़ गई है तथा इस कार्यक्रम के लाभ से बहुत बड़ी संख्या में लोग वंचित हो गए हैं;

(च) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है; और

(छ) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की किस दर से खरीद की जाती है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के दिशा-निर्देश सुचारू तथा प्रभावी कार्यान्वयन और स्थानीय स्थितियों, आवश्यकताओं तथा समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक लोचशीलता प्रदान करने में सहायक होते हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, मजदूरों को वितरित खाद्यान्नों के मूल्य की गणना बी.पी.एल. दर की जानी होती है।

(घ) से (च) कार्यक्रम के अंतर्गत, अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। मजदूरी नगद तथा खाद्यान्न दोनों को मिलाकर दी जाती है। सामान्य मामले में 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न तथा नगद में मजदूरी का कम-से-कम 25% दिया जाना चाहिए। खाद्यान्नों के रूप में मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की गणना ए.पी.एल. दर की बजाए बी.पी.एल. दर से की जाती है। इस प्रकार, कार्यक्रम की लागत के बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है और न ही इससे ग्रामीण गरीब मजदूरों के हित प्रभावित होते हैं।

(छ) एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार एफ.सी.आई. को उठाए गए खाद्यान्नों का बी.पी.एल. दर से भुगतान किया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

***97. श्री वी.के. ठुम्मर:**

श्री गिरिधारी यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मार्च, 2005 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में उजागर हुए धोखाधड़ी के मामलों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मामलों में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) धोखाधड़ी के ऐसे मामलों की प्रकृति क्या है;

(घ) इन मामलों में कितने कर्मचारी शामिल पाए गए हैं;

(ङ) उक्त धनराशि को वसूलने के लिए तथा धोखाधड़ी के मामलों में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) अब तक कितनी धनराशि की वसूली कर ली गई है; और

(छ) भविष्य में धोखाधड़ी के ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (च) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च 2003, 2004 एवं 2005 को समाप्त गत तीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के मामले एवं उनमें अंतर्ग्रस्त राशि के बैंक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। ये धोखाधड़ी दुर्विनियोजन एवं विश्वासघात, जाली लिखतों के माध्यम से कपटपूर्ण भुनाई, उपेक्षा एवं नकदी आभाव, धोखाधड़ी एवं जालसाजी, विदेशी विनिमय लेन-देनों में अनियमितताएं एवं अन्य धोखाधड़ी यथा क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एवं कंप्यूटर

प्रणाली संबंधी धोखाधड़ी इत्यादि से संबंधित है। धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संदर्भ में प्रत्येक बैंक का अपना सेवा नियम एवं सतर्कता तंत्र होता है जिसके माध्यम से वह अपने कर्मचारियों पर निगरानी रखता है तथा उसके प्रावधानों के अनुसार ही आंतरिक जांच की जाती है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में दोषी कर्मचारियों को धोखाधड़ी में उनकी अंतर्ग्रस्तता के विरुद्ध की गई कार्रवाई संलग्न विवरण-II में दी गई है। बैंकों ने धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त राशि की वसूली के लिए लोक अदालतों, न्यायालयों एवं ऋण वसूली अधिकरणों में मुकदमे दायर किए हैं। बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि धोखाधड़ी के सभी मामलों की सूचना सी.बी.आई./पुलिस को दें ताकि दोषी को पकड़ा जा सके एवं बैंकों की बकाया राशि की वसूली की जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गत तीन वर्ष के दौरान 495.89 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई है।

(छ) धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:–

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निदेशक मण्डल की एक लेखा समिति को गठित करने को कहा है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों में आंतरिक जांच एवं लेखा तंत्र का कार्य उच्चतर स्तर पर किया जाता है।
- खातों के संतुलन, अंतर शाखा खातों के समाधान, आंतरिक जांच/लेखा तंत्र की समीक्षा, नियंत्रक कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा शाखाओं का दौरा इत्यादि के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को प्रणाली एवं प्रक्रिया की समीक्षा एवं इन्हें परिष्कृत करने का अनुदेश दिया है।
- बैंकों को कर्मचारियों की ड्यूटी एवं जिम्मेदारियों के स्पष्ट सीमांकन एवं शाखा के अंदर एवं एक शाखा से दूसरी शाखा में कर्मचारियों के आवधिक चक्रानुक्रम सुनिश्चित करना चाहिए।
- बैंकों को तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना चाहिए तथा दोषी कर्मचारियों को अनुकरणीय एवं निवारक दण्ड देना चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने अंकित मूल्य इत्यादि का भुगतान कर आश्वासन रजिस्ट्रार के साथ बैंकों में गिरवी परिसंपत्तियों से संबंधित विल्लंगम का नाममात्र शुल्क के भुगतान से रिकार्ड दर्ज करते हुए परिसंपत्ति रिकार्ड के कंप्यूटरीकरण एवं लेन-देन, करने के लिए राज्य सरकारों से विमर्श किया है।
- अधिक राशि वाली धोखाधड़ियों पर कड़ाई से निगरानी रखने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। एक करोड़ रुपए एवं इससे अधिक की राशि वाले सभी धोखाधड़ी मामलों की निगरानी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 2004 में बैंकों से कहा था कि वे 1 करोड़ रुपए एवं इससे अधिक की राशि वाली बड़ी धोखाधड़ी पर व्यापक निगरानी के लिए बोर्ड की एक विशेष समिति का गठन करें।

विवरण-I

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2002-03		2003-04		2004-05	
		धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारतीय स्टेट बैंक	422	29.27	408	111.59	383	90.62
	एस.बी.आई. (विदेशी शाखाएं)	2	0.02	10	0.05	1	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	9	0.74	24	4.55	30	2.62
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	39	12.34	56	14.33	62	12.57
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	15	4.37	14	1.02	41	5.28
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	17	0.86	9	2.67	15	3.66
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	9	0.46	25	4.70	48	10.92
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	9	0.70	10	19.90	17	0.81
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	10	0.83	14	1.91	20	7.90
9.	इलाहाबाद बैंक	51	4.72	34	3.03	39	2.76
10.	आन्ध्रा बैंक	54	14.37	49	12.95	62	10.60
11.	बैंक आफ बड़ौदा	121	13.50	165	52.70	229	33.91
	बी.ओ.बी. (विदेशी शाखाएं)	4	0.67	9	0.40	7	0.36
12.	बैंक आफ इंडिया	76	12.02	116	22.17	121	20.67
	बी.ओ.आई. (विदेशी शाखाएं)	2	0.01	3	0.06	1	2.28
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	10	6.81	8	9.35	8	0.37
14.	केनरा बैंक	187	76.67	167	16.14	183	44.36
	केनरा बैंक (विदेशी शाखाएं)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	61	11.45	99	28.99	161	50.23
16.	कार्पोरेशन बैंक	53	12.98	93	4.37	283	34.03
17.	देना बैंक	42	5.22	41	37.59	30	3.37
18.	इंडियन बैंक	88	17.62	68	44.43	139	52.60
	विदेशी शाखाएं	0	0.00	0	0.00	1	1.06
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	39	10.14	58	5.91	88	13.51
	विदेशी शाखाएं	0	0.00	0	0.00	1	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	28	12.31	23	10.43	72	44.52
21.	पंजाब नैशनल बैंक	72	20.92	314	150.43	210	34.73
22.	पंजाब एंड सिंघ बैंक	26	59.66	29	19.59	29	4.71
23.	सिंडिकेट बैंक	107	8.27	113	9.72	147	23.71
	विदेशी शाखाएं	0	0.00	0	0.00	1	0.43
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	65	46.40	60	28.19	76	20.36
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	46	0.72	37	2.51	15	27.12
26.	यूको बैंक	46	12.66	94	20.63	79	12.56
27.	विजया बैंक	34	2.84	57	13.19	64	27.50
	कुल	1744	399.55	2207	653.50	2663	600.16

विवरण-II

धोखाधड़ी के मामलों में अंतर्ग्रस्तता के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

वर्ष	दोषी पाए गए कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या जिन पर बड़ा/छोटा जुर्माना लगाया गया	कॉलम II में से बर्खास्त/पदमुक्त/नौकरी से निकाले गए	दोषमुक्त कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध मुकदमे न्यायालय में लंबित पड़े हैं	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित है
	I	II	III	IV	V	VI
2000	119	1491	424	69	741	2615
2003	65	2034	579	89	732	1738
2004	127	1590	461	69	635	1429
2005 (मार्च)	18	375	114	6	667	1373

[अनुवाद]

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्धियां

***98. श्री रनेन बर्मन:**

श्री ए. साई प्रताप:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) किन-किन राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के शेष राज्यों में इस योजना को शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2005-06 के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(च) क्या सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की इस योजना के अंतर्गत उपलब्धियों से संतुष्ट है; और

(छ) यदि हां, तो किस हद तक और यदि नहीं, तो इसे सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) दिल्ली तथा चंडीगढ़ को छोड़कर देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। 2002-03 से 2005-06 के दौरान राज्यवार आबंटित, रिलीज तथा उपयोग की गई राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) से (छ) योजना के आरंभ अर्थात् अप्रैल, 1999 से लेकर जून, 2005 तक योजना के अंतर्गत राज्यवार सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। 2003-04 तथा 2004-05 की अवधि के लिए राज्यवार सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों, प्रति व्यक्ति निवेश तथा सब्सिडी-ऋण अनुपात को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। इन मानदंडों पर अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2003-04 से लेकर 2004-05 के दौरान बेहतर कार्य-निष्पादन कर रहे हैं। एस.जी.एस.वाई के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं क्योंकि यह महसूस किया गया है कि लक्ष्य निर्धारण से कार्यक्रम लक्ष्योन्मुख बन जाएगा तथा कार्यक्रम की गुणवत्ता प्रभावित होगी।

विवरण-I

2002-03 से 2005-06 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय आबंटन, रिलीज तथा उपयोग

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03			2003-04			2004-05			2005-06 (जून, 05 तक)		
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	3068.31	3738.02	5800.68	4238.88	3942.42	5631.80	5305.97	5305.97	6970.51	5305.67	2541.37	411.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	127.10	78.06	162.50	221.53	139.60	176.17	276.91	278.92	245.76	276.91	120.27	
3.	असम	3302.59	2802.61	3587.09	5756.15	5313.00	7417.91	7195.18	6595.62	8046.89	7195.18	3517.00	680.35
4.	बिहार	7300.00	3493.34	10822.77	10084.97	5488.81	11216.49	12623.79	9619.84	13442.98	12623.79	6046.34	1092.20
5.	छत्तीसगढ़	1620.58	1968.76	3510.70	2238.84	2025.44	2975.36	2802.45	2676.11	3863.97	2802.45	1342.27	98.95
6.	गोवा	50.00	17.65	40.18	50.00	17.65	51.31	50.00	27.82	60.93	50.00	25.00	5.09
7.	गुजरात	1154.96	1403.27	2006.46	1595.58	1508.00	2415.12	1997.27	1946.40	2814.63	1997.27	956.62	363.78
8.	हरियाणा	679.48	827.79	1317.00	938.70	932.06	1437.07	1175.03	1175.08	1595.25	1175.03	562.80	6.68
9.	हिमाचल प्रदेश	286.16	348.62	593.07	395.33	304.77	642.77	494.85	467.42	745.26	494.85	234.98	15.79
10.	जम्मू-कश्मीर	354.16	350.44	650.91	489.27	427.45	842.03	612.44	436.74	779.94	612.44	227.45	
11.	झारखण्ड	2751.41	1801.02	3939.38	3801.08	2817.41	4711.54	4757.98	4180.61	4055.95	4757.98	2278.90	
12.	कर्नाटक	2317.00	2686.99	4882.43	3200.94	2777.12	4711.28	4006.76	3735.03	5487.70	4006.76	1919.09	
13.	केरल	1039.63	1266.55	2062.58	1436.25	1435.18	2054.13	1797.82	1783.56	2445.14	1797.82	861.09	128.32
14.	मध्य प्रदेश	3474.22	4232.53	7402.90	4799.65	4397.14	7040.11	6007.91	5516.04	7592.17	6007.91	2877.58	463.24
15.	महाराष्ट्र	4580.15	5579.85	8239.25	6327.49	5712.39	8805.51	7920.39	7409.42	10644.14	7920.39	3793.58	528.37

16. मणिपुर	221.40	0.00		385.88	56.75		482.36	91.05		482.36	19.55	
17. मेघालय	248.05	27.51	86.68	432.33	117.12	161.90	540.42	190.84	167.24	540.42	45.23	
18. मिजोरम	57.40	86.06	84.03	100.04	99.96	138.00	125.06	146.76	189.77	125.06	61.13	
19. नागालैंड	170.16	83.15	184.01	298.58	157.80	301.05	370.70	203.94	28.32	370.70	62.80	
20. उड़ीसा	3509.50	4181.99	5499.02	4848.38	4553.07	6699.20	6068.94	5866.19	8281.82	6068.94	2906.80	79.52
21. पंजाब	330.22	391.58	668.22	456.20	444.25	671.96	571.05	442.81	552.73	571.05	273.51	85.90
22. राजस्थान	1759.38	2143.41	2917.62	2430.60	2261.24	3157.57	3042.47	2941.56	4051.15	3042.47	1457.23	77.39
23. सिक्किम	63.55	95.33	129.80	110.76	110.76	230.30	138.45	179.99	222.09	138.45	67.68	23.98
24. तमिलनाडु	2713.06	3290.35	5068.76	3748.10	3690.70	5852.91	4691.65	4676.06	7066.73	4691.65	2247.13	329.48
25. त्रिपुरा	399.75	599.65	975.63	696.73	696.74	697.15	870.92	1102.28	1136.56	870.92	425.71	18.43
26. उत्तर प्रदेश	10509.37	7126.87	14721.83	14518.73	11756.85	19564.60	18173.71	17293.83	27722.43	18173.71	8704.55	1001.09
27. उत्तरांचल	552.30	667.95	1305.22	763.00	686.02	1356.48	955.10	954.59	1686.24	955.10	457.45	154.60
28. पश्चिम बंगाल	3900.11	1121.19	5355.23	5388.01	2617.59	5298.25	6744.42	4608.31	7317.61	6744.42	2916.79	625.64
29. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	50.00	0.00	14.41	50.00	0.00	4.24	25.00	25.00	2.78	25.00	6.25	
30. दमन और द्वीप	50.00	0.00	1.34	50.00	0.00		25.00	0.00	0.06	25.00	0.00	
31. दादर नगर हवेली	50.00	0.00		50.00	0.00	6.16	25.00	12.50		25.00	0.00	
32. लक्षद्वीप	50.00	0.00	0.70	50.00	0.00	2.53	25.00	0.00	1.16	25.00	0.00	
33. पांडिचेरी	50.00	53.64	80.67	50.00	25.00	44.91	100.00	100.00	104.28	100.00	0.00	4.04
कुल	56790.00	50464.18	92111.27	80000.00	64512,29	194585.81	100000.00	90010.29	127322.29	100000.00	46956.15	6194.61

एन.आर. - सूचित नहीं

विवरण-II

योजना के आरम्भ (1-4-99) से लेकर जून, 2005 तक राज्यवार सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	564915
2.	अरुणाचल प्रदेश	10068
3.	असम	215350
4.	बिहार	749472
5.	छत्तीसगढ़	130149
6.	गोवा	2967
7.	गुजरात	140578
8.	हरियाणा	95767
9.	हिमाचल प्रदेश	52195
10.	जम्मू-कश्मीर	55736
11.	झारखण्ड	292472
12.	कर्नाटक	224539
13.	केरल	153820
14.	मध्य प्रदेश	392865
15.	महाराष्ट्र	435291
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	14937
18.	मिजोरम	9003
19.	नागालैंड	16670
20.	उड़ीसा	394351
21.	पंजाब	39172
22.	राजस्थान	207072
23.	सिक्किम	10087
24.	तमिलनाडु	400285
25.	त्रिपुरा	66382
26.	उत्तर प्रदेश	800243
27.	उत्तरांचल	50633
28.	पश्चिम बंगाल	212011
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2209
30.	दमन और द्वीप	113
31.	दादर नगर हवेली	125
32.	लक्षद्वीप	46
33.	पांडिचेरी	3831
	कुल	5743354

विवरण-III

2003-04 तथा 2004-05 के दौरान सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी, प्रति व्यक्ति निवेश तथा सब्सिडी और ऋण अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04			2004-05		
		सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल सं.	प्रति व्यक्ति निवेश (रु. में)	सब्सिडी ऋण अनुपात	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल सं.	प्रति व्यक्ति निवेश (रु. में)	सब्सिडी ऋण अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	79736	16014	2.40	84825	16241	2.26

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	1220	21361	1.19	1768	20438	1.23
3.	असम	45480	16931	1.48	64814	15338	1.59
4.	बिहार	111613	24276	2.20	128075	24754	2.11
5.	छत्तीसगढ़	22926	26660	1.77	28842	25177	1.71
6.	गोवा	364	22591	3.07	683	19098	2.48
7.	गुजरात	21462	23311	1.91	27457	22775	2.00
8.	हरियाणा	11863	30312	2.20	14132	29738	2.19
9.	हिमाचल प्रदेश	7928	29889	3.46	8950	32678	3.73
10.	जम्मू-कश्मीर	6965	34789	4.19	8039	36504	3.92
11.	झारखण्ड	66644	15089	1.63	46362	17323	1.67
12.	कर्नाटक	43293	23090	1.86	52976	22007	1.84
13.	केरल	20062	20343	1.61	23306	21167	1.61
14.	मध्य प्रदेश	41979	34617	2.09	48777	33105	2.21
15.	महाराष्ट्र	60451	26343	1.66	70146	25680	1.59
16.	मणिपुर	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
17.	मेघालय	5514	5457	4.64	4333	6381	3.12
18.	मिजोरम	1457	11301	0.99	1488	12655	0.64
19.	नागालैंड	4177	9165	1.23	481	2644	2.00
20.	उड़ीसा	59289	18926	2.27	65712	23878	1.64
21.	पंजाब	6554	96832	0.29	5246	32353	2.53
22.	राजस्थान	28618	36221	3.32	35225	37465	3.47
23.	सिक्किम	1942	17649	1.36	1598	17367	1.07
24.	तमिलनाडु	61120	11939	1.30	74927	14208	1.82
25.	त्रिपुरा	6581	38859	2.22	9301	20405	3.91
26.	उत्तर प्रदेश	140622	23070	1.69	246824	23219	1.82
27.	उत्तरांचल	10780	23228	1.62	12493	25916	1.63

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	पश्चिम बंगाल	27008	20704	1.66	28280	19865	1.47
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	350	114	0.00	12	312917	0.01
30.	दमन और द्वीप	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
31.	दादर नगर हवेली	125	14848	2.06	0	एन.आर.	एन.आर.
32.	लक्षद्वीप	26	33962	0.00	6	31667	2.17
33.	पांडिचेरी	708	21661	1.41	1409	14360	1.47
	कुल	896857	22489	1.82	1096487	22669	1.94

एन.आर. - असूचित

निजी/विदेशी बैंकों के छिपे हुए शुल्क

*99. **श्री एस.के. खारवेन्थन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई निजी तथा विदेशी बैंक फुटकर उपभोक्ताओं को उच्च लागत वाले लेन-देन करने पर मजबूर कर रहे हैं तथा आवासीय ऋण, वाहन ऋण आदि जैसे फुटकर ऋणों पर कई छिपे हुए शुल्कों के बारे में नहीं बता रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सूचना को उचित रूप से बताने के संबंध में इन बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो आम जनता को भ्रमित करके उनसे अधिक शुल्क वसूल रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2003 में ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता के संबंध में मार्गनिर्देश जारी किए हैं। भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) ने भी उचित व्यवहार संहिता निर्धारित की है, जिसमें सदस्य बैंकों द्वारा व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय अपनाए जाने वाले उचित बैंकिंग प्रथाओं के मानक निर्धारित किए गए हैं। उचित व्यवहार संहिता में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि ग्राहक को बैंक द्वारा प्रस्तावित उत्पादों के संबंध में लागू सभी प्रभारों के अग्रिम ब्यौरे दिए जाने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक भी बैंकों द्वारा ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार के लिए व्यापक आचरण संहिता का प्रावधान करने के लिए भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड की स्थापना करने के तौर-तरीके बना रहा है।

(ग) व्यक्तियों/संगठनों आदि से सरकार को प्राप्त होने वाली शिकायतों को निवारण/उचित कार्रवाई हेतु संबंधित बैंकों को अग्रेषित कर दिया जाता है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग ओमबड्समैन की स्थापना भी की है।

राजसहायता के संबंध में नीति

*100. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**

श्री पंकज चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राजसहायताओं को कम करने और अनावश्यक तथा गैर-जरूरी राजसहायताओं को समाप्त करने के मद्देनजर राजसहायता के संबंध में कोई अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ग) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान कितनी अनावश्यक और गैर-जरूरी राजसहाक्ता प्रदान की गई और ये राजसहायता सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत थी;

(घ) वर्ष 2005-06 में कुल कितनी राजसहायता दी गई और कितनी राजसहायता को अनावश्यक समझा गया है; और

(ङ) राजसहायता में कटौती हेतु किन मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) भारत सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सब्सिडियों को निर्धन लोगों तथा लघु और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और शहरी निर्धनों तक पहुंचाने की वचनबद्धता की गई है। इसके अनुसरण में, वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली के द्वारा एक अध्ययन करवाया। इस संस्थान के अध्ययन के आधार पर, नीति विषयक रूपरेखा वाली एक रिपोर्ट 23 दिसम्बर, 2004 को संसद में प्रस्तुत की गई थी जिससे इस विषय पर एक ज्ञानप्रद बहस की जा सके। इस रिपोर्ट में सब्सिडियों को गैर-सरकारी वस्तुओं के सरकारी प्रावधान में अवसूलनीय लागत बताया गया है तथा केन्द्रीय सरकार की कुल सब्सिडियां 2002-03 में 1,04,913 करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 4.25 प्रतिशत तथा 2003-04 में 1,15,824 करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 4.18 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में, लागत तथा लाभ के विशिष्ट व्यक्तिपरक धारणा के आधार पर सब्सिडियों को गुणवत्ता-I, गुणवत्ता-II तथा गुणवत्ता-भिन्न की तीन स्तरीय शृंखला में वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट का तर्क यह है कि जहां गुणवत्ता वस्तुओं के लिए विभिन्न मात्रा में आर्थिक सहायता की जरूरत है वहीं सहायता की वांछनीयता संदर्भ में गुणवत्ता-I की वस्तुएं गुणवत्ता-II की वस्तुओं पर अधिक प्रमुत्व रखती हैं तथा गुणवत्ता-भिन्न वस्तुओं को सहायता प्रदान करने का मामला कमजोर है। रिपोर्ट के 2004-05 अथवा उसके पश्चात् के लिए सब्सिडियों का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। इसके साथ ही अनावश्यक अथवा अवांछित सब्सिडी के लिए कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। सब्सिडियों के लक्ष्य निर्धारण के बारे में वार्तालाप तथा परामर्श जारी हैं।

[हिन्दी]

किसान क्रेडिट कार्ड

867. डा. के धनराजू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक प्रत्येक राज्य में विशेषकर तमिलनाडु में किसानों को राज्य-वार कितने क्रेडिट कार्ड जारी किए गए;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से सैटेलाइट फोन और वायरलेस सेट की जब्ती

868. श्री नवीन जिंदल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आई.जी.आई.) विमानपत्तन पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्री-एक्टिवेटिड अत्याधुनिक सैटेलाइट फोन और वायरलेस सेटों की खेप जब्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो जब्त किये गये उपकरणों का मूल्य और अन्य ब्यौरा क्या है तथा वे किस देश के हैं;

(ग) क्या सरकार आखिर में जिन व्यक्तियों को ये प्राप्त हुए हैं, उनका तथा इन्हें भेजने के पीछे जिनका हाथ है, उनका पता लगा पाई है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने जिस देश के ये उपस्कर हैं, उस देश के साथ तथा इन्हें भेजने वाले देश के साथ यह जानने के लिए कि उन्हें किन स्रोतों से भुगतान किया गया है, इस मामले को उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) एक खेप जिसमें एक सैटेलाइट फोन, 40 वायरलेस सेट, विभिन्न आवृत्तियों के 60 एन्टिना, एक बैल्ट जिसके अन्दर एक इलैक्ट्रानिक चार्जर यंत्र जिसमें 150 मीटर ब्लैक एक्सिअल केबल के रूप में फिट थी और 6 सैट हैडफोन जिनकी कीमत 2,30,212/-रु. थी, को दिनांक 15-06-05 को जब्त की गई थी। इस माल के उद्‌गम का देश सऊदी अरब था।

(ग) उक्त माल को श्री सज्जाद शेख द्वारा रियाद से भेजा गया था तथा इसकी निकासी श्री मोहम्मद अमीन खान द्वारा की गई थी जो अन्ततः श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में सुपुर्दगी किया जाना था। चूंकि उक्त मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा पहलु शामिल हुआ दिखता था अतः आगे पूछताछ और जांच के लिए आरोपी को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को सौंपा गया था।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण बेरोजगारी का उन्मूलन

869. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री काशीराम राणा:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार कितने ग्रामीण व्यक्ति बेरोजगार हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने हेतु राज्य-वार आवंटित/स्वीकृत/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण लोगों के बीच व्याप्त बेरोजगारी के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। तथापि, रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के विगत दो पंचवर्षीय दौरों के अनुसार चुनिंदा राज्यों के लिए मौजूदा दैनिक स्थिति (सी.डी.एस.) के आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या नीचे दिए अनुसार है:-

ग्रामीण क्षेत्रों में सी.डी.एस. के आधार पर बेरोजगार लोगों की अनुमानित संख्या (000)

चुनिंदा राज्य	1993-94	1999-2000
1 2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	1615	2153
2. असम	507	532
3. बिहार	1565	2033
4. गुजरात	659	629
5. हरियाणा	263	217
6. कर्नाटक	629	638
7. केरल	1125	1800
8. मध्य प्रदेश	621	903
9. महाराष्ट्र	986	1567
10. उड़ीसा	728	787
11. पंजाब	138	207
12. राजस्थान	169	470
13. तमिलनाडु	2088	2196
14. उत्तर प्रदेश	1218	1462
15. पश्चिम बंगाल	1575	3127
अखिल भारत	14336	19495

(ख) रोजगार सृजन की योजनाओं अर्थात् स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) और काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को आबंटित और रिलीज की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I से III में दिए गए हैं।

(ग) अनुमानों के अनुसार, 10वीं योजना के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और प्राधनमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के तहत रोजगार के अवसरों में निम्नलिखित अनुसार वृद्धि होने की संभावना है:-

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	दसवीं योजना के दौरान रोजगार के अवसरों में वृद्धि (मिलियन व्यक्ति प्रति वर्ष)
1.	एस.जी.आर.वाई.	1.29
2.	एस.जी.एस.वाई.	0.80
3.	पी.एम.जी.एस.वाई.	6.77

विवरण-I

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	एस.जी.आर.वाई.											
		2002-03			2003-04			2004-05			2005-06		
		आबंटन	रिलीज	उपयोग	आबंटन	रिलीज	उपयोग	आबंटन	रिलीज	उपयोग	आबंटन	रिलीज	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	25303.08	31677.75	42411.96	29352.24	33465.14	49996.72	31316.24	30085.93	22317.62	37519.107	12381.30	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1315.97	1070.61	1427.27	1523.80	1902.00	1257.74	1662.64	1506.69	685.09	2032.12	623.53	
3.	असम	34168.57	24632.03	40720.93	39564.71	29681.01	60117.00	43157.33	32124.06	39533.75	52747.853	16654.75	3761.42
4.	बिहार	48436.68	39402.65	53494.00	56183.61	43350.80	63359.77	62016.19	63246.29	63479.62	74299.84	19588.50	3818.73
5.	छत्तीसगढ	12381.41	16393.40	23966.08	14359.16	16031.12	25208.01	17478.19	17242.22	17757.39	20940.12	9213.65	3156.78
6.	गोवा	211.15	114.49	72.31	245.24	149.23	78.92	448.99	390.07	282.73	537.92	177.52	3.84
7.	गुजरात	10304.41	8238.13	11603.04	11954.89	12804.67	23107.24	13711.07	14089.83	14856.35	16426.84	6829.12	1105.93
8.	हरियाणा	5720.33	7909.00	14381.59	6635.96	7469.60	10674.47	7223.17	7391.28	6794.28	8653.88	3339.78	6.05
9.	हिमाचल प्रदेश	2409.05	2753.78	2537.84	2794.67	3220.01	4930.56	3041.97	3006.44	3683.45	3644.5067	27.00	480.87
10.	जम्मू-कश्मीर	2873.12	3410.16	6085.94	3332.81	12162.30	6153.94	3574.69	4168.93	4197.50	4282.76	194.94	
11.	झारखण्ड	33105.31	26963.95	34609.51	38404.75	34717.46	42553.50	42058.03	36088.21	39485.11	50388.533	16628.21	
12.	कर्नाटक	18797.44	22466.15	40417.14	21804.96	23814.45	42822.11	23386.32	25002.47	20658.55	28018.493	8913.26	
13.	केरल	8434.03	9970.25	10991.97	9783.41	10643.50	13681.63	10493.47	11558.61	13565.39	12571.92	5531.65	416.58
14.	मध्य प्रदेश	29121.44	34720.77	47546.30	33784.31	36232.78	55231.60	37744.85	38845.14	40023.35	45221.04	15064.74	788.74
15.	महाराष्ट्र	37336.89	41352.14	50853.67	43310.99	41479.03	66547.93	46229.57	45756.39	49000.74	55386.347	19038.69	2950.60
16.	मणिपुर	2292.48	1154.83	1586.36	2654.52	1890.38	1757.41	2896.56	2449.71	2387.20	3540.24	1168.28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	मेघालय	2568.29	2534.55	2173.99	2973.91	2520.09	3191.13	3244.99	3102.16	3199.36	3966.0933	402.79	
18.	मिजोरम	594.31	778.20	1346.29	688.17	987.64	1270.22	750.91	679.16	557.19	917.77333	302.87	
19.	नागालैंड	1761.72	799.39	1512.55	2039.95	1307.32	3050.53	2225.87	1637.97	296.93	2720.5067	897.77	
20.	उड़ीसा	28470.87	32541.38	53784.98	33026.08	36456.12	57495.62	35423.07	36928.00	36291.37	42439.373	14027.78	1182.20
21.	पंजाब	4614.75	4974.56	5788.41	5356.84	5945.80	8820.33	8034.13	5818.55	6215.06	9625.4667	3176.40	586.19
22.	राजस्थान	14280.79	19221.61	38361.12	16565.67	19132.28	35655.02	17758.21	19300.05	20437.32	21275.613	9481.15	4794.72
23.	सिक्किम	658.00	713.18	643.85	761.92	861.55	1133.26	831.36	885.88	771.95	1018.1067	335.32	
24.	तमिलनाडु	22085.91	28077.21	42224.59	25619.69	30812.54	48964.82	27384.13	30691.33	30960.67	32808.16	15079.71	2890.45
25.	त्रिपुरा	4139.32	4735.69	6501.37	4793.03	5676.04	9483.79	5230.35	5495.86	5891.08	6392.64	2557.15	44.63
26.	उत्तर प्रदेश	5678.49	5751.17	5969.06	6587.13	8243.65	11237.73	6990.16	7495.58	8502.94	8374.72	2763.66	756.30
27.	उत्तरांचल	84324.43	88122.84	131104.13	97816.36	89217.03	151776.69	104660.08	105938.26	106468.40	125390.29	47776.49	11282.68
28.	पश्चिम बंगाल	31639.68	27561.32	43471.69	36701.88	27938.43	47592.24	39365.68	33676.91	32836.27	47162.907	15563.76	3382.13
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	139.88	42.32	0.00	162.34	97.40	44.86	220.94	220.94	5.95	264.7	0.00	
30.	दादर व नगर हवेली	109.27	61.40	0.00	126.77	41.13	0.00	145.46	87.28	0.00	174.27	0.00	
31.	दमन और द्वीप	30.27	0.00	0.00	35.17	0.00	0.00	70.5	0	0.00	84.46	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	48.16	0.00	5.79	55.95	28.57	2.59	110.5	28.57	0.00	132.39	0.00	
33.	पांडिचेरी	154.50	112.61	284.12	179.26	136.13	162.89	223.94	205.09	34.06	268.3	0.00	
	कुल	473510.00	488257.52	715877.84	549180.16	538415.20	847360.27	599109.55	585143.86	591176.67	719225.29	247739.77	41408.84

विवरण-II

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	एस.जी.एस.वाई.											
		2002-03			2003-04			2004-05			2005-06 (जून, 05 तक)		
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	3068.31	3738.02	5800.68	4238.88	3942.42	5631.80	5305.97	5305.97	6970.51	5305.97	2541.37	411.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	127.10	78.06	162.50	221.53	139.60	176.17	276.91	278.92	245.76	276.91	120.27	
3.	असम	3302.59	2802.61	3587.09	5756.15	5313.00	7417.91	7195.18	6595.62	8046.89	7195.18	3517.00	680.35
4.	बिहार	7300.00	3493.34	10822.77	10084.97	5488.81	11216.49	12623.79	9619.84	13442.98	12623.79	6046.34	1092.20
5.	छत्तीसगढ़	1620.58	1968.76	3510.70	2238.84	2025.44	2975.36	2802.45	2676.11	3863.97	2802.45	1342.27	98.95
6.	गोवा	50.00	17.65	40.18	50.00	17.65	51.31	50.00	27.82	60.93	50.00	25.00	5.09
7.	गुजरात	1154.96	1403.27	2006.46	1595.58	1508.00	2415.12	1997.27	1946.40	2814.63	1997.27	956.62	363.78
8.	हरियाणा	679.48	827.79	1317.00	938.70	932.06	1437.07	1175.03	1175.08	1595.25	1175.03	562.80	6.68
9.	हिमाचल प्रदेश	286.16	348.62	593.07	395.33	304.77	642.77	494.85	467.42	745.26	494.85	234.98	15.79
10.	जम्मू-कश्मीर	354.16	350.44	650.91	489.27	427.45	842.03	612.44	436.74	779.94	612.44	227.45	
11.	झारखण्ड	2751.41	1801.02	3939.38	3801.08	2817.41	4711.54	4757.98	4180.61	4055.95	4757.98	2278.90	
12.	कर्नाटक	2317.00	2686.99	4882.43	3200.94	2777.12	4711.28	4006.76	3735.03	5487.70	4006.76	1919.09	
13.	केरल	1039.63	1266.55	2062.58	1436.25	1435.18	2054.13	1797.82	1783.56	2445.14	1797.82	861.09	128.32
14.	मध्य प्रदेश	3474.22	4232.53	7402.90	4799.65	4397.14	7040.11	6007.91	5516.04	7592.17	6007.91	2877.58	463.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	महाराष्ट्र	4580.15	5579.85	8239.25	6327.49	5712.39	8805.51	7920.39	7409.42	10644.14	7920.39	3793.58	528.37
16.	मणिपुर	221.40	0.00		385.88	56.75		482.36	91.05		482.36	19.55	
17.	मेघालय	248.05	27.51	86.88	432.33	117.12	161.90	540.42	190.84	167.24	540.42	45.23	
18.	मिजोरम	57.40	86.06	84.03	100.04	99.96	138.00	125.06	146.76	189.77	125.06	61.13	
19.	नागालैंड	170.16	83.15	184.01	296.58	157.80	301.05	370.70	203.94	28.32	370.70	62.80	
20.	उड़ीसा	3509.50	4181.99	5499.02	4848.38	4553.07	6699.20	6068.94	5866.19	8281.82	6068.94	2906.80	79.52
21.	पंजाब	330.22	391.58	668.22	456.20	444.25	671.96	571.05	442.81	552.73	571.05	273.51	85.90
22.	राजस्थान	1759.38	2143.41	2917.62	2430.60	2261.24	3157.57	3042.47	2941.56	4051.15	3042.47	1457.23	77.39
23.	सिक्किम	63.55	95.33	129.80	110.76	110.76	230.30	138.45	179.99	222.09	138.45	67.68	23.98
24.	तमिलनाडु	2713.06	3290.35	5068.76	3748.10	3690.70	5852.91	4691.65	4676.06	7066.73	4691.65	2247.13	329.48
25.	त्रिपुरा	399.75	599.65	975.63	696.73	696.74	967.15	870.92	1102.28	1136.56	870.92	425.71	18.43
26.	उत्तर प्रदेश	10509.37	7126.87	14721.83	14518.73	11756.85	19564.60	18173.71	17293.83	27722.43	18173.71	8704.55	1001.09
27.	उत्तरांचल	552.30	667.95	1305.22	763.00	686.02	1356.48	955.10	954.59	1686.24	955.10	457.45	154.60
28.	पश्चिम बंगाल	3900.11	1121.19	5355.23	5388.01	2617.59	5298.25	6744.42	4608.31	7317.61	6744.42	2916.79	625.64
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	50.00	0.00	14.41	50.00	0.00	4.24	25.00	25.00	2.78	25.00	6.25	
30.	दादर व नगर हवेली	50.00	0.00	1.34	50.00	0.00		25.00	0.00	0.06	25.00	0.00	
31.	दमन और द्वीप	50.00	0.00		50.00	0.00	6.16	25.00	12.50		25.00	0.00	
32.	लक्षद्वीप	50.00	0.00	0.70	50.00	0.00	2.53	25.00	0.00	1.16	25.00	0.00	
33.	पांडिचेरी	50.00	53.64	80.67	50.00	25.00	44.91	100.00	100.00	104.28	100.00	0.00	0.04
	कुल	56790.00	50464.18	92111.27	80000.00	64512.29	194585.81	100000.00	90010.29	127322.29	100000.00	46956.15	6194.61

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य	एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.					
		2004-05			2005-06		
		आबंटन	रिलीज	उपयोग	आबंटन	रिलीज	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12214.72	12214.72	4116.71	27199.63	13599.82	4747.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	190.80	190.80	117.27	425.26	0	43.26
3.	असम	16645.79	16645.79		37100.61	0	4831.92
4.	बिहार	26411.54	26456.54	7778.38	58812.89	8753.81	3369.14
5.	छत्तीसगढ़	10410.19	10410.19	6393.51	23181.35	10421.85	589.43
6.	गुजरात	3994.69	3994.69	234.51	8895.33	0	0
7.	हरियाणा	281.85	281.85	0.00	627.62	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	303.91	303.91	200.58	676.75	338.38	0
9.	जम्मू-कश्मीर	494.26	494.26	145.97	1100.6	298.29	186.48
10.	झारखण्ड	22595.70	22595.70	2120.03	50315.9	0	0
11.	कर्नाटक	2925.38	2925.38	176.15	6514.2	0	1037.56
12.	केरल	547.14	547.14	125.37	1218.36	0	0
13.	मध्य प्रदेश	15808.32	15808.32	6787.57	35201.76	12319.07	6275.46
14.	महाराष्ट्र	15495.26	15495.26	1982.62	34504.7	981.55	0
15.	मणिपुर	399.22	399.22		889.78	444.89	0
16.	मेघालय	543.85	543.85	150.14	1212.16	0	229.28
17.	मिजोरम	95.52	95.52		212.89	0	93.35
18.	नागालैंड	455.72	455.72		1015.71	0	276.39
19.	उड़ीसा	22283.67	22283.67	14640.55	49621.06	22129.04	0
20.	पंजाब	716.32	716.32	698.45	1595.09	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	राजस्थान	3532.69	3532.69	2498.55	7866.58	3933.31	700.29
22.	सिक्किम	315.73	315.73	150.00	703.7		49.5
23.	तमिलनाडु	4851.58	4851.58	2652.40	10803.45	0	0
24.	त्रिपुरा	1543.37	1543.37	644.32	3439.89	0	769.13
25.	उत्तर प्रदेश	1014.86	1014.86	52.46	2259.88	0	45.96
26.	उत्तरांचल	26378.11	26378.11	1982.07	58738.53	0	2501.68
27.	पश्चिम बंगाल	11449.81	11449.81	1451.64	25496.32	2934.28	3229.63
	कुल	201900.00	201945.00	55099.25	449630	76154.29	28975.71

[अनुवाद]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

870. **श्री ए.के. मूर्ति:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु और अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में हाल में किए गए संशोधन के कारण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में इसकी समीक्षा हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) से (घ) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 को 23-6-2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। अधिनियम को प्रवर्त्तन में लाने के लिए अपेक्षित अधिसूचना को अभी प्रकाशित किया जाना है। सरकार को वकीलों के संगमों से कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिनियम के कुछ उपबंधों के संबंध में आक्षेप किए गए हैं। अधिनियम के उपबंधों के पुनर्विलोकन के संबंध में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

871. **श्री बीर सिंह महतो:**

श्री गिरिधारी यादव:

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत आवंटित/जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित कई राज्यों में उक्त योजना के अंतर्गत कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि का राज्यों द्वारा अब तक पूर्ण उपयोग किया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या केन्द्र सरकार को उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत धनराशि बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत आबंटित/रिलीज की गई निधियों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के बेघर परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। चूंकि यह योजना दिल्ली तथा चण्डीगढ़ को छोड़कर देशभर में कार्यान्वित की जा रही है इसलिए गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्यों सहित राज्य सरकारों द्वारा कार्यों का निष्पादन न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) आई.ए.वाई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को अपने पास उपलब्ध कुल निधियों का 15 प्रतिशत भाग आगामी वित्तीय वर्षों में ले जाने की अनुमति दी गई है। अतः सभी राज्य सरकारों ने उपर्युक्त शर्त के अध्यधीन विगत वर्ष तक अपने पास उपलब्ध निधियों का उपयोग कर लिया है।

(छ) से (झ) मंत्रालय में छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जैसे कतिपय राज्यों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। चूंकि पूर्व निर्धारित मानदंड के आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं इसलिए राज्यों के निधियां बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया जा सकता है।

विवरण

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय आबंटन तथा केन्द्रीय रिलीज को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज 26-7-05 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	12070.22	12357.15	13669.37	12946.66	17981.83	19190.68	24399.42	10607.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	569.92	738.43	627.75	797.11	825.98	1106.03	949.43	448.69
3.	असम	12823.65	9987.33	14124.59	14702.75	18584.99	22080.95	20994.23	10387.19
4.	बिहार	32787.84	19729.90	37131.83	25848.10	48846.34	91533.13	72020.72	12109.06
5.	छत्तीसगढ़	2064.05	2027.85	2337.51	2520.38	2074.96	3135.95	3773.17	2608.52
6.	गोवा	77.98	39.00	88.32	69.56	116.18	90.17	150.28	85.00
7.	गुजरात	3468.85	5518.01	3928.46	3744.63	5167.82	5416.01	11966.03	3423.24
8.	हरियाणा	1172.95	1189.76	1328.34	1365.84	1747.40	1785.10	1680.04	1118.61
9.	हिमाचल प्रदेश	518.91	857.59	587.66	574.16	773.06	767.60	592.56	410.09
10.	जम्मू-कश्मीर	620.72	458.65	702.96	698.17	924.74	928.43	1840.52	843.45
11.	झारखण्ड	9633.38	5455.84	10909.67	8693.64	14351.50	11960.36	6423.93	5383.90
12.	कर्नाटक	6243.52	4852.22	7070.71	6580.16	9301.41	7831.84	9400.43	4954.40
13.	केरल	3868.97	2970.30	4381.56	4272.75	5763.87	5841.32	5227.51	2562.71

15. महाराष्ट्र	11077.83	10109.70	12545.56	12315.63	16503.47	15569.13	14714.56	8492.42
16. मणिपुर	679.51	260.01	748.47	446.05	984.83	921.55	824.15	248.34
17. मेघालय	902.85	906.15	994.44	481.18	1308.47	1436.65	1435.38	241.23
18. मिजोरम	216.73	174.58	238.73	319.91	314.12	343.68	305.89	162.94
19. नागालैंड	582.84	291.42	641.95	673.94	844.67	865.88	949.84	490.39
20. उड़ीसा	9716.97	32543.45	11004.35	27731.05	14476.04	13954.68	14149.75	7474.30
21. पंजाब	777.00	598.55	879.95	802.72	1157.56	1039.86	2077.71	1314.39
22. राजस्थान	3273.06	3149.31	3706.70	3748.00	4876.10	4971.71	6013.11	3383.66
23. सिक्किम	156.25	149.87	172.10	161.71	226.45	250.51	181.66	125.77
24. तमिलनाडु	6061.33	6205.43	6864.39	6922.99	9030.00	9921.24	9768.97	5384.73
25. त्रिपुरा	1318.25	1977.39	1451.97	1340.96	1910.49	2295.75	1849.42	1023.91
26. उत्तर प्रदेश	22100.00	20996.84	25028.00	24672.82	32923.88	31509.17	32348.75	18902.12
27. उत्तरांचल	2295.43	2011.59	2599.55	3263.04	3419.68	3400.03	1621.77	1081.10
28. पश्चिम बंगाल	13026.91	10161.08	14752.84	12892.42	19407.12	19084.50	19518.40	9582.45
29. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	146.82	40.32	166.27	110.44	218.73	352.93	309.46	0.00
30. दादर व नगर हवेली	77.05	0.00	87.26	33.35	114.78	33.35	51.56	0.00
31. दमन व दीव	31.89	0.00	36.12	0.00	47.51	0.00	23.07	0.00
32. लक्षद्वीप	2.50	2.50	2.83	2.84	3.72	3.86	20.00	0.00
33. पांडिचेरी	72.90	74.63	82.55	41.28	108.59	94.43	154.14	0.00
कुल	165640.00	162852.84	187050.00	187107.78	246067.00	288310.02	273240.00	118266.70

[अनुवाद]

सोने की खपत

872. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कितने सोने की खपत होने का आकलन किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सोने की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सोने की कितनी मात्रा उत्पादित की गई और कितनी मात्रा में सोने का आयात किया गया; और

(ग) सोने की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने हेतु देश में सोने का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) देश में सोने की खपत मुख्यत: असंगठित क्षेत्र में होती है। अत: देश में सोने की खपत के ठोस अनुमान नहीं हैं। मोटे तौर पर अनुमानों से पता चलता है कि भारत में सोने की खपत लगभग 800 टन प्रतिवर्ष है।

(ख) 2001-02 से 2003-04 तक की अवधि के दौरान देश में उत्पादित सोने की मात्रा और आयात की गई मात्रा नीचे दी गई है:-

वर्ष	उत्पादित मात्रा (किलोग्राम में)	आयातित मात्रा (किलोग्राम में)
2001-2002	2810	471407
2002-2003	3153	606662
2003-2004	3363	766596

(ग) भारत सरकार ने सोने के गवेषण के लिए अनेक टोही परमिट जारी किए हैं। कर्नाटक सरकार का उद्यम हट्टी गोल्ड माइंस कम्पनी लिमिटेड (एच.जी.एम.एल.) देश में एकमात्र ऐसी कम्पनी है जिसे सोने के उत्पादन का कार्य सौंपा गया है। एच.जी.एम.एल. ने सूचित किया है कि सोने का उत्पादन बढ़ाने के लिए कम्पनी ने अपनी खानों और मिलों का आधुनिकीकरण/विस्तार करने, शाफ्टों को और गहरा करने, गवेषणात्मक सतही/भूमिगत हीरा खनन करने, नई सैटेलाइट खानों को खोलने, टोही परमिट/पूर्वेक्षण लाइसेंसों आदि के तहत् नए स्वर्ण धारक क्षेत्रों की खोज करने जैसे कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

काली सूची में डाले गये गैर-सरकारी संगठन

873. श्री एम. अंजनकुमार यादव:

श्री काशीराम राणा:

श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002 से अब तक अनियमितताओं और भ्रष्ट कार्यों में संलिप्त होने के कारण ग्रामीण विकास क्षेत्र में काली सूची में डाले गये गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रभारी गैर-सरकारी संगठन जिन्हें सहायता दी जा रही है काली सूची में नहीं डाला गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि काली सूची में डाले गये गैर-सरकारी संगठनों को भविष्य में अनुदान न मिले?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) ग्रामीण विकास क्षेत्र में उन गैर-सरकारी संगठनों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जिन्हें कपार्ट ने, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्तशासी निकाय है, वर्ष 2002 से अब तक अनियमितताओं और भ्रष्ट कार्यों में लिप्त होने की वजह से काली सूची में डाल रखा है।

(ख) कपार्ट ने निगरानी की व्यवस्था शुरू की है और यह देखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए हैं कि केवल अच्छे और विश्वसनीय गैर-सरकारी संगठनों को ही उसका समर्थन एवं सहायता मिले और उसे गैर-सरकारी संगठनों की काली सूची में डालने का कार्य न करना पड़े।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों को भविष्य में अनुदान न मिले, कपार्ट ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) गैर-सरकारी संगठनों के नाम कपार्ट में डाटा-बेस में दर्ज किए जाते हैं और इन्हें काली सूची में डालने के तुरंत बाद ही इन्हें इसकी वेबसाईट में डाल दिया जाता है और उनके नाम अन्य वित्तपोषक विभागों/एजेंसियों को भी भेज दिए जाते हैं ताकि वे काली सूची में डाले गए इन गैर-सरकारी संगठनों की वस्तुस्थिति के बारे में जान सकें।

(ii) गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त सभी परियोजना प्रस्तावों का कपार्ट में एक सुव्यवस्थित तरीके से डेस्क-मूल्यांकन किया जाता है ताकि काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों एवं उनकी परियोजनाओं को वित्तपोषण के लिए विचार नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। काली सूची में नहीं डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं के मामले में, यदि डेस्क मूल्यांकन पर प्रत्येक चीज नियमानुसार पाई जाती है, तो उनके परियोजना प्रस्तावों पर सूची में नामित सुविधा प्रदाता सह-मूल्यांकनकर्त्ताओं (एफ.सी.ई.) जो इस विषयवस्तु के विशेषज्ञ होते हैं, के जरिए, वित्तपोषण-पूर्व मूल्यांकन की कार्रवाई की जाती है। उनके निष्कर्षों के आधार पर, प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई की जाती है और दी जाने वाली सहायता के अनुपात पर क्षेत्रीय समिति या राष्ट्रीय स्थायी समिति या कार्यकारी समिति द्वारा प्रत्येक समिति के अधिकार के अनुसार विचार किया जाता है। मंजूरी के पश्चात्, आवधिक प्रगति और क्षेत्र मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर जरूरत के हिसाब से अलग-अलग चरणों में किस्तों में निधियां रिलीज की जाती हैं:-

(iii) अनुमोदित प्रस्तावों के मंजूरी पत्रों की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर, डी.आर.डी.ए. के पी.ओ., जिला परिषद के अध्यक्ष, ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और संबंधित विधायक और सासंद को पृष्ठांकित की जाती हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में कपार्ट द्वारा वित्तपोषित क्रियाकलाप कार्यान्वित किए जाते हैं।

(iv) हेराफेरी से चलाए जाने वाले अस्तित्वविहीन एन.जी.ओ. आदि को धनराशि देने से रोकने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की कार्यकारी समिति के सदस्यों के फोटोग्राफ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

विवरण

कपार्ट द्वारा 01-01-2002 से अब तक काली सूची में डाले गये गैर-सरकारी संगठनों की सूची

राज्य: आंध्र प्रदेश

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम और पता	स्थिति/तारीख
1	2	3
1.	किसान डेवलपमेंट सोसायटी पेड्डानपल्ली, बी सित्तीपेल्ली, चिलमथूर जिला, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	07 अगस्त, 2002
2.	अम्बेडकर युवाजन गांधी नगर, निदादवलू, जिला प. गोदावरी, आंध्र प्रदेश	04 अगस्त, 2003
3.	आर्टीशन (इंडिया) इंटरनेशनल फाउंडेशन, बी-50, एस.बी.एच. कॉलोनी, सैदाबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	04 अगस्त, 2003
4.	आर्य चन्द्र हैंडीक्राफ्ट आर्टीशन एण्ड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, मेदेपल्ली, ईलुरू रूरल मंडल, जिला प. गोदावरी, आंध्र प्रदेश	04 अगस्त, 2003
5.	कलेक्टीव रूरल ऑपरेशन ऑफ द पुअर, 2-31, रामपुर, जूनियर कॉलेज रोड, मखल	04 अगस्त, 2003
6.	पश्चिम गोदावरी जिला आदि आंध्र आदि आंध्र क्रिस्चयन एसोसिएशन, भीमाडोल जिला प. गोदावरी	04 अगस्त, 2003

1	2	3
7.	जांईट इफर्ट ऑफ सप्रेस्ड अपलिफ्टमेंट सर्विस क्रिस्चयन एसोसिएशन 36 वार्ड, पेडापड्डू रोड, नियर आर.सी.एम. चर्च, इलुरू, जिला प. गोदावरी, आंध्र प्रदेश	04 अगस्त, 2003
8.	श्री लक्ष्मी हरिजन महिला मंडली अंबरपेटा, भीमाडोल मंडल, जिला प. गोदावरी, आंध्र प्रदेश	04 अगस्त, 2003
9.	श्री लक्ष्मी हरिजन महिला मंडली नलाजेरला, बोमुरू, राजामुंदरी रूरल, जिला पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	04 अगस्त, 2003
10.	वेलनखन्नी सोशल एण्ड एजुकेशनल सोसायटी, 2-121, आर.सी.एम. कम्पाउंड, वंगायागुडेन, जिला प. गोदावरी, आंध्र प्रदेश	04 अगस्त, 2003

राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या - 10

राज्य : बिहार

1.	(अरियौन्दी) ऑल इंडिया रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, ग्रा. - बहादुरपुर, पो. करौटा, जि. पटना, बिहार	2 मार्च, 2005
2.	आदर्श जनकल्याण केन्द्र, ग्रा. गंगापुर, पो. गंगापुर, ब्लॉक हुलासगंज, जि. जहानाबाद	2 मार्च, 2005
3.	अंजना महिला सूची शिल्पकला प्रशिक्षण केन्द्र, ग्रा. बसंतपुर, पो. उत्तरनावा, जिला. नालन्दा, बिहार	2 मार्च, 2005
4.	बाल विकास सेवा सदन, ग्रा./पो. निहालपुर, ब्लॉक रतनी, जि. जहानाबाद, बिहार	2 मार्च, 2005
5.	भूमिका वैशाली, ग्रा./पो. हरपुर, फतिकवारा, ब्लॉक मनहर, जि. वैशाली	2 मार्च, 2005
6.	बिहार सामाजिक विकास समिति, ई-29, पी.सी. कॉलोनी लोहिया नगर, कंकड़बाग, ब्लॉक पटना सदर, जि. पटना	2 मार्च, 2005
7.	बिहार विकास जन परिषद, वैशाली निवास, सुल्तानगंज, ब्लॉक पटना सदर, जि. पटना	2 मार्च, 2005
8.	देहाती दुनिया, ग्रा./पो. बैदराबाद, ब्लॉक अरवर, जि. जहानाबाद	2 मार्च, 2005
9.	फ्यूचर ऑफ इंडिया, द्वारा श्री रामानंद सिंह, ग्रा./पो. बुद्घा, जि. पटना	2 मार्च, 2005

1	2	3
10.	हरिजन विकास सिलाई कटाई केन्द्र, ग्रा. उदयपुर, पो. अंकुरी, ब्लॉक पालीगंज, पटना	2 मार्च, 2005
11.	जयप्रभा सेवा समिति, मखदुमपुर, जहानाबाद, जि. जहानाबाद	2 मार्च, 2005
12.	करपी ग्रामीण समन्वय समिति, ग्रा./पो. करपी, अरवल, ब्लॉक-बंसी, सरसपुरा, जि. जहानाबाद	2 मार्च, 2005
13.	लोक परिवर्तन केन्द्र, ग्रा. जयपुर धंकी, पो. कुम्हरार, पटना	2 मार्च, 2005
14.	महिला प्रशिक्षण जनकल्याण परिषद, मंदिरी, पटना	2 मार्च, 2005
15.	मानव समाज दर्पण संस्थान, ग्रा./पो. अस्थावां, जि. नालन्दा	2 मार्च, 2005
16.	मानव सेवा समाज, मंदरूनी, नया टोला, कुम्हरार, कंकड़बाग, ब्लॉक पटना सदर, जि. पटना	2 मार्च, 2005
17.	नई रौशनी, भागीरथी लेन, हरिजन हॉस्टल के पीछे, महेन्द्रु, पटना सदर, पटना	2 मार्च, 2005
18.	नालन्दा हरिजन कल्याण संस्थान, ग्रा./पो. मुरगांव, पी.एस. एंड ब्लॉक-घोसी, जि. जहानाबाद	2 मार्च, 2005
19.	नारी बाल सेवा संस्थान, बाल भवन, झंझारपुर, पो. झंझारपुर, आर.एस., पी.एस. माधेपुर, जि. मधुबनी	2 मार्च, 2005
20.	प्राकृतिक समन्वय सेवाश्रम, जयप्रकाश नगर, पटना, ब्लॉक पटना सदर, जि. पटना	2 मार्च, 2005
21.	प्रयास सामाजिक एवं आर्थिक विकास परिवर्तन संस्था, मकान नं. 133, रोड नं. 2-ए, नई पाटलीपुत्र कॉलोनी, जि. पटना	2 मार्च, 2005
22.	सांई प्रतिभा खोज संस्थान, बहादुरपुर, 8, एम/76, कंकड़बाग, ब्लॉक पटना सदर, पटना	2 मार्च, 2005
23.	समाज सेवा कल्याण समिति, ग्रा/पो. विक्रमगंज, जि. रोहतास	2 मार्च, 2005
24.	संत फांसिस विकास संस्थान, ग्रा. उसरहिया, पो. शाखी, जि. सीतामढ़ी, बिहार	2 मार्च, 2005

1	2	3
25.	सेवा आश्रम, फतेहपुर, ग्रा. फतेहपुर, पो. कन्होली जि. वैशाली	2 मार्च, 2005
26.	शोषित महिला सेवामंडल, मोहा-इंका कुंचा, सदर गली, ब्लॉक पटना सदर, पटना	2 मार्च, 2005
27.	सिद्धार्थ सेवा संस्थान, करौटा, ग्रा. नरोली, पो. करौटा, ब्लॉक-पंडारक, जि. पटना	2 मार्च, 2005
28.	सुरभी, ग्रा./पो. ब्रह्मपुर चौरस्ता, बक्सर	2 मार्च, 2005
29.	सूर्यमुखी विकास संस्थान, ग्रा. मुस्तफापुर, पो. मालती, जि. नालन्दा	2 मार्च, 2005
30.	उज्ज्वल वनांचल सेवा संस्थान, ग्रा/पो. अजयपुर, जि. नालंदा	2 मार्च, 2005
31.	युवा कल्याण विकास केन्द्र, जनक प्लाजा, वेस्ट वोरिंग कैनाल रोड-पटना, जि. पटना	2 मार्च, 2005
32.	इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर थर्ड वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेसर्स कॉलोनी, आशियाना रोड, ब्लॉक दीघा घाट, जि. पटना	4 मार्च, 2005
33.	स्वयंसेवा संस्थान विकास एवं समन्वय समिति, जनता रोड, पो. - जी.पी.ओ., जि. पटना	4 मार्च, 2005
34.	बरेला फाउंडेशन, ग्रा. हरिप्रसाद, पो. मुर्तजापुर, ब्लॉक जंदाहा, जि. वैशाली	6 अप्रैल, 2005
35.	ग्राम विकास संस्थान, बहेरा, हाऊस ऑफ श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह कूर्जी, बालापुर, जि. पटना	6 अप्रैल, 2005
36.	ग्रामीण विकास संस्था, नरहट, ग्रा/पो. नरहट, जिला नवादा	6 अप्रैल, 2005
37.	जयप्रकाश बाल विकास एवं महिला औद्योगिक सेवा केन्द्र, मोहल्ला - जहांगीरपुर, पो. मारपुरा, वाया-सोनपुर, जि. सारण	6 अप्रैल, 2005
38.	कल्याण उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान, ग्रा./पो. बहपुरा, ब्लॉक - बिहटा, जि. पटना	6 अप्रैल, 2005
39.	महिला उत्थान संस्थान, ग्रा./पो. कलमबाग रोड, जिला - मुजफ्फरपुर	6 अप्रैल, 2005
40.	साक्षी सेवा संस्थान, मकान नं. 245, हनीचक (अनिशाबाद), मिडिल स्कूल के पास, न्यू बाईपास रोड, पटना	6 अप्रैल, 2005

1	2	3
41.	द महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इकॉनौमिक चेंज, ग्रा. शेरपुर, नरौली, पो. करौटा, जि. पटना	6 अप्रैल, 2005
42.	वूमेन्स एंड चाईल्ड डेवलपमेंट एसो., ग्रा. अमगोला, सत्संग गली, बघाई टोला, ब्लॉक मुजफ्फरपुर, जि. मुजफ्फरपुर	6 अप्रैल, 2005

राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या : 42

राज्य: हरियाणा

1.	अनिल ग्राम उद्योग मंडल, मकान सतपाल, पुत्र श्री शारदा राम, गांव बारी, गांव/पो. थानेसर स	04 अगस्त, 2003
2.	अंजुम उद्योग मंडल, बांसो गेट, ब्लॉक-करनाल	04 अगस्त, 2003
3.	करण खादी ग्रामोद्योग समिति, गांव काबरी, ब्लॉक-पानीपत	04 अगस्त, 2003
4.	कौशिक ग्राम उद्योग मंडनजोगी दास बिल्डिंग, चौड़ा बाजार, करनाल	04 अगस्त, 2003
5.	खादी सेवा निकेतन, चमनलाल, पुत्र श्री तेलूराम, गांव/पो. टुंडला, जिला करनाल, हरियाणा	04 अगस्त, 2003
6.	राष्ट्रीय खादी ग्राम उद्योग मंडल, गांव-रावर, जिला - करनाल, हरियाणा	04 अगस्त, 2003
7.	सरस्वती खादी ग्रामोद्योग समिति, गांव रनवर, करनाल, हरियाणा-132001	04 अगस्त, 2003
8.	द पवन ग्रामोद्योग मंडल, ग्राम जनी, पो. निलोखरी, करनाल	04 अगस्त, 2003
9.	महिला प्रगति मंडल, गांव/पो. किरदान, जिला हिसार, हरियाणा	6 जनवरी, 2003

राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या - 9

राज्य : महाराष्ट्र

1.	ए.सी.आई.एल. नवसर्जन रूरल डेव. फॉउंडेशन, एजीन कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वालतोड़ा भवन 117, महर्षि कर्वे मार्ग, मुम्बई, महाराष्ट्र	01 दिसम्बर, 2004

राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या - 1

1	2	3
राज्य : मणिपुर		
1.	इंडिजिनस इनोवेशन एण्ड कैपेसिटी फाउंडेशन, डब्ल्यू./1, लांगनोम वैंग, मौरे, मणिपुर, चंदेल	02 मई, 2005
राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या - 1		
राज्य : मिजोरम		
1.	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, टी-14, थिखुअटलांग, पो.बो. सं. 121, जिला आईजोल मिजोरम	11 जनवरी, 2002
2.	मिजोरम बुद्धिस्ट डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन, गांव-तबलाबाग, पो.ओ. देमागिरी (त्लांबंग) मिजोरम	11 जनवरी, 2002
राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या - 2		
राज्य : उड़ीसा		
1.	राजीव गांधी यूथ क्लब, न्यू दानापैशी, जिला-ढेंकानल, उड़ीसा	18 मार्च, 2002
राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या - 1		
राज्य : राजस्थान		
1.	श्रीहरिदेव शिक्षा समिति, डी-83, रणजीत नगर, भरतपुर	19 अप्रैल, 2005
राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या - 1		
राज्य : तमिलनाडु		
1.	सोसाइटी फॉर एक्शन इन रूरल डवलपमेंट, 11/बी1, सुकर स्ट्रीट, पोलूर, जिला टी.एस.आर. तमिलनाडु	4 अगस्त, 2003
राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या - 1		
राज्य : उत्तर प्रदेश		
1.	मानव कल्याण समाज उत्थान संस्थान, सुखदेव नगर कॉलोनी, सोंख रोड, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश	11 जनवरी, 2002

1	2	3
2.	अखिल भारतीय महिला एवं बाल उत्थान समिति, कामता प्रसाद की गली, बसलीगंज, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	13 अगस्त, 2002
3.	आदर्श ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, गांव फिरोजपुर, पो.ओ. संभल, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	04 अगस्त, 2003
4.	दीपक ग्रामोद्योग संस्थान, कैली पतरासी, पो.ओ. रूदायन, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, गांव/पो.ओ. तिवाया सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	04 अगस्त, 2003
5.	ग्रामोद्योग सेवा सदन, रूद्रयन, सरनाबल, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	04 अगस्त, 2003
6.	ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, कैली पतरासी, पो.ओ. रूदायन, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	04 अगस्त, 2003
7.	मित्रपाल खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, ए.टी./पो.ओ. नंदरौली, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश	04 अगस्त, 2003
8.	विष्णु स्वर्ग आश्रम, कैली पतरासी, पो.ओ. रूदायन, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, शेरपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	04 अगस्त, 2003
9.	फूल ग्रामोद्योग संस्थान, गांव खेलिया, रेहरा जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	04 अगस्त, 2003
10.	महिला उत्थान प्रशिक्षण संस्थान, पोस्ट-मनियन, मिर्जाबाद, गाजीपुर	10 मार्च, 2005

राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या - 10

राज्य : उत्तरांचल

1.	महिला विकास संस्थान, 68/3 चन्द्र नगर, जिला देहरादून, उत्तरांचल	13 अगस्त, 2002

राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या - 1

राज्य : पश्चिम बंगाल

1.	आशा वेलफेयर सोसायटी, गांव/पो.ओ. गणेश नगर, वाया नामखाना, जिला 24 पैरागनास पश्चिम बंगाल	19 अगस्त, 2002

राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या - 1

संगठनों (बी.एल.ए.) की कुल संख्या - 80

[अनुवाद]

भोपाल गैस के पीड़ितों को ऋण

874. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल गैस पीड़ितों को ऋण वितरण करने के संबंध में कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो योजना के शुरू होने के समय से लेकर अब तक इसके संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया बहुत उबाऊ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) भोपाल गैस पीड़ितों को बैंक-वार अब तक कितना ऋण स्वीकृत किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एन.टी.सी. के कर्मचारियों का वेतन संशोधन

875. **श्री संजय धोत्रे:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में एन.टी.सी. (एस.एम.) लिमिटेड और एन.टी.सी.; (एस.एन.) लिमिटेड दोनों सहायक कंपनियों के तकनीकी/सुपरवाइजरी स्टॉफ के वेतन संशोधन के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो आदेशों के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) एन.टी.सी. ने एन.टी.सी. (एस.एम.)/एन.टी.सी. (एम.एन.) के तकनीकी/पर्यवेक्षक स्टाफ के लिए 1-12-2004 से संशोधित वेतनमान कार्यान्वित करने का निर्णय पहले ही ले लिया है।

देना बैंक द्वारा ऋण दिया जाना

876. **श्री महबूब जाहेदी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देना बैंक ने अपने ऋण विस्तार हेतु कृषि, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमी (एस.एम.ई.) और कार्पोरेट क्षेत्र जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है;

(ख) क्या देना बैंक ने कृषि क्षेत्र में ऋण देने के कृत्य को दोगुना करने के लिए पूरे देश की 200 बड़ी ग्रामीण शाखाओं की भी पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में कितनी नई शाखाएं खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या बैंक का विचार कृषि क्षेत्र के लिए लघु और मध्यम उद्यमियों (एस.एम.ई.) को 500 करोड़ रुपए और 600 करोड़ रुपए तथा कार्पोरेट क्षेत्र को 1200 करोड़ रुपए आबंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान इन क्षेत्रों में बैंक द्वारा पहले कितना ऋण प्रदान किया गया था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी वस्त्रों आदि की बिक्री

877. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वस्त्र क्षेत्र के व्यापारियों को भारतीय बाजार में औने-पौने दाम पर घरेलू खपत के लिए चीनी वस्त्रों आदि की भरमार होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय वस्त्र उद्योग के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) उदारीकृत व्यापार व्यवस्था में आयात समय-समय पर लागू विदेश व्यापार नीति के अध्यधीन बाजार दरों से नियंत्रित होते हैं। लगभग सभी वस्त्र मदों का आयात और निर्यात मौजूदा विदेश व्यापार नीति के तहत मुक्त रूप से करने की अनुमति दी गई है। चीन से वस्त्र आयात की मात्रा बाजार स्थितियों और वस्त्र मदों की गुणवत्ता, कीमतों, प्राप्त करने की क्षमता/किस्मों आदि जैसे अन्य कारकों तथा उपभोक्ता की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी।

(ग) सरकार आयात की मॉनीटरिंग कर रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि आयात से घरेलू उद्योग को कोई गंभीर हानि अथवा क्षति ना हो। आयात के हानिकारक प्रभाव से स्थानीय उद्योग को बचाने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो

डब्ल्यू.टी.ओ. के पाटंनरोधी सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों आदि के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार बढ़ती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के वास्ते समय-समय पर कई कदम उठाती रही हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

1. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1-4-1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) लागू कर दी गयी है। गैर-वूवन/तकनीकी वस्त्रों के लिए मशीनों और उपस्करों को टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2. कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) शुरू किया है। इस मिशन में 4 लघु मिशन हैं जिनका कार्यान्वयन कृषि मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक मौजूदा जिनिंग एवं प्रेसिंग सुविधाओं का उन्नयन/आधुनिकीकरण कर कपास प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करना तथा मौजूदा बाजार यार्डों का सुधार करना/नए बाजार यार्डों की स्थापना करना है।

3. सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए "अपैरल पार्क निर्यात योजना" नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की गई है।

4. प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) शुरू की गई है।

5. वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यतः देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर, समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का विकल्प दिया गया है।

6. यथामूल्य अथवा विशिष्ट सीमा शुल्क का संयोजन, जो भी अधिक हो, के आधार पर शुल्क लगाया गया है ताकि घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाया जा सके।

7. निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

8. परिधान निर्यातकों को, पिछले वर्ष के दौरान उनके वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक ट्रिमिंग तथा अलंकरण मदों की 21 मदों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

9. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी सात शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए.टी.डी.सी.), डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

10. पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

11. सौ प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति वस्त्र क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत दी गई है।

12. सरकार ने सिले सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों को बीमा के दायरे में लाना

878. श्री सीता राम सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों को बीमा के दायरे में लाने हेत कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इनके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) इन योजनाओं से कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की क्या भूमिका होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (यू.एच.आई.एस.) शुरू की है जो एक व्यक्ति के लिए 365 रुपए, 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए 548 रुपए और 7 सदस्यों वाले परिवार के लिए 730 रुपए का प्रीमियम, जिसमें क्रमशः 200 रुपए, 300 रुपए और 400 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, के बदले में अस्पताल में भरती करके उपचार कराने के खर्च के लिए अस्थायी आधार पर 30,000 रुपए तक प्रदान करती है।

(ग) 30-06-2005 की स्थिति के अनुसार यू.एच.आई.एस. के तहत 33994 परिवारों के 1,19,299 व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

(घ) गुणभोक्ताओं की पहचान करने, योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और लाभ प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया को सुकर बनाने में राज्य को सक्रिय भूमिका निभाना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पुनर्गठन

879. श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का विशेष जोर "विज्ञान और प्रौद्योगिकी" को सुदृढ़ और पुनर्गठित करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करने और एप्लायड मिशन शुरू करने पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों तथा अन्य विशेषज्ञ संस्थानों को प्रोत्साहित करने की कोई प्रणाली है;

(घ) क्या सरकार उक्त विशेषज्ञता वाले विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग एवं समन्वय कर रही है तथा देश को अन्य परियोजनाएं प्रदान कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार राजभाषा हिन्दी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुवाद के संबंध में किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार किसी अनुवाद प्रोत्साहन योजना पर विचार कर रही है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पौधों से जैव डीजल

880. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हाल ही में दिल्ली कालेज ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ पौधों से जैव-डीजल विकसित किया है जो ऊर्जा सक्षम, कम लागत वाला, प्रदूषण मुक्त है जिसे घरेलू ईंधन बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बायो गैस और जैव डीजल के उत्पादन में सुधार लाने और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बायो-डीजल के क्षेत्र में पिछले दो वर्षों से अनुसंधान में लगा हुआ है। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग के लिए एक कुशल बायो-डीजल रियेक्टर का विकास करने और मध्यम क्षमता वाले डीजल इंजनों में मल्टी फीडस्टाक से तैयार किए गए बायो-डीजल के उपयोग के संबंध में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दिसम्बर, 2004 में एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रायोजित की है।

(ग) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बायो गैस के विकास के संबंध में एक राष्ट्रीय परियोजना वर्ष 1981-82 से कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम को आरंभ किए जाने की तारीख से लेकर वर्ष 2004-05 तक परिवार स्तर के लगभग 3.8 मिलियन बायो गैस संयंत्र लगाये गए हैं। पेट्रोलियम आधारित ईंधनों के विकल्प के रूप में तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत के लिए बड़े पैमाने पर बायो-डीजल का उत्पादन करने के उद्देश्य से जटरोफा के

पौधों की खेती के जरिए बायो-डीजल क्षेत्र को विकसित करने हेतु बायो ईंधन के संबंध में योजना आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का नोडल मंत्रालय के रूप में चयन किया गया है।

जूट सर्विस सेन्टर की स्थापना

881. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषतः गुजरात में कुछ जूट सर्विस सेन्टर की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्त्र/जूट उद्योग के व्यापार हिस्से को बढ़ाने के लिए कितनी जूट/वस्त्र मिल के स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र, वस्त्र मंत्रालय, कोलकाता ने गुजरात राज्य में एक पटसन सेवा केन्द्र की स्थापना की है। इस केन्द्र की स्थापना मैसर्स स्टेलर इंडिया, प्लॉट नं. 1301/2, सेक्टर-7डी, एन.आर.सी.एच. 3 सर्कल, गांधीनगर, अहमदाबाद-382007 के सहयोग से की गई है। इस केन्द्र ने 01 अप्रैल, 2005 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(घ) और (ङ) सरकार का अकेले कोई वस्त्र/पटसन मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से उद्यमियों को ऐसी मिलों की स्थापना करने में सहायता देने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान कर रही है। सरकार देश में वस्त्र/पटसन उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण भी बना रही है।

ग्रामीण विकास योजनाओं का पुनर्गठन

882. श्री अधीर चौधरी:

श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विकास से जुड़ी सभी योजनाओं का परस्पर विलय करके पुनर्संरचना/पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कतिपय राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी योजनाओं के नाम क्या हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन योजनाओं का कब तक पुनर्गठन किए जाने की संभावना है; और

(छ) विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से राज्यों को जो धनराशि आवंटित की गयी है वह राशि वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों के लिए खर्च की जाए यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर

883. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र/हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र में महिला शिल्पकारों विशेषतः अ.पि.व. सहित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला शिल्पकारों के सशक्तीकरण और उत्थान में प्रमुख भूमिका निभाने वाली विभिन्न योजनाएं कौन सी हैं; और

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा, परिव्यय और व्यय तथा प्रत्येक योजना की उपलब्धियां क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय देश में वस्त्र के संवर्द्धन एवं विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करता है। इस क्षेत्र में गतिविधियां मुख्यतः विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विशेष रूप से हथकरघा एवं हस्तशिल्प में केन्द्रित हैं। यद्यपि महिलाओं के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं नहीं हैं तथापि वे लक्षित समूह का एक बड़ा भाग हैं। इन योजनाओं के प्रमुख लाभार्थी महिला कारीगरों सहित सभी श्रेणियों के कारीगर विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग सहित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित कारीगर हैं। योजनाओं के बारे में ब्यौरा निम्नलिखतानुसार है:-

वर्ष 2004-05

क्र.सं.	योजना का नाम	कुल परिव्यय (करोड़ रु. में)	उपलब्धि	
			वित्तीय (करोड़ रु. में)	वास्तविक
1.	**हस्तशिल्प**			
	बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	18.92	17.09	99 समूह
2.	कारीगरों के लिए बीमा योजना	1.00	0.62	28000 कारीगर
3.	विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना	3.39	3.11	481 कार्यक्रम
4.	हस्तशिल्प कारीगरों के लिए कार्यशाला योजना	1.32	1.72	574 कार्यशाला
5.	**हथकरघा**			
	दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	47.67	42.87	480 परियोजना
6.	एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना	16.06	16.05	16540 प्रशिक्षु
7.	बुनकर कल्याण योजना	8.00	8.00	2,45,764 लाभार्थी
8.	बुनकर बीमा योजना	5.50	1.89	176940 लाभार्थी
9.	कार्यशाला-सह-आवास योजना	15.00	12.52	6893 इकाई
	कुल	116.86	103.87	

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य

884. श्री सुब्रत बोस:
श्री गणेश सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत घरों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुल घरों के कोटा को बढ़ाने या इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बाढ़ पीड़ितों को अतिरिक्त कोटा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) का संबंध है, केन्द्र स्तर पर लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं क्योंकि योजना आयोग द्वारा राज्यों को निधियां अंतरित की जाती रही थी। तथापि, पी.एम.जी.वाई. को चालू वित्तीय वर्ष से समाप्त कर दिया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के चालू वर्ष तक आई.ए.वाई. के अंतर्गत निर्धारित राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) आई.ए.वाई. के अंतर्गत बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई विशेष कोटा निर्धारित नहीं है। तथापि, कुल वार्षिक आबंटन का 5 प्रतिशत प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य आपातकालीन स्थितियों से उभरी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए अलग से रखा जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य अंश सहित अधिकतम 50 लाख रु. राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति पर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जिलों को दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, नुकसान का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नामित केन्द्रीय टीमों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रभावित राज्यों/क्षेत्रों को अपेक्षित सहायता दी जाती है।

विवरण

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार तथा वर्षवार लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण

(इकाई सं. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष के दौरान लक्ष्य			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	96562	109355	115083	130130
2.	अरुणाचल प्रदेश	4283	4718	4966	4603
3.	असम	96371	106149	111735	101790
4.	बिहार	262302	297054	312617	384111
5.	छत्तीसगढ़	16512	18700	19680	20124
6.	गोवा	624	707	744	801
7.	गुजरात	27751	31428	33074	63819
8.	हरियाणा	9384	10626	11184	8960
9.	हिमाचल प्रदेश	3900	4416	4648	2873
10.	जम्मू-कश्मीर	4665	5283	5560	8924
11.	झारखण्ड	77067	87277	91850	34261
12.	कर्नाटक	49948	56565	59529	50136
13.	केरल	30952	35052	36889	27880
14.	मध्य प्रदेश	57624	65258	68676	40022
15.	महाराष्ट्र	88623	100365	105822	78478
16.	मणिपुर	5107	5625	5921	3996

1	2	3	4	5	6
17.	मेघालय	6785	7474	7866	6959
18.	मिजोरम	1629	1794	1888	1483
19.	नागालैंड	4380	4825	5078	4605
20.	उड़ीसा	77736	88035	92646	75465
21.	पंजाब	6216	7040	7408	11081
22.	राजस्थान	26184	29654	31207	32070
23.	सिक्किम	1175	1293	1361	881
24.	तमिलनाडु	48491	54915	57792	52101
25.	त्रिपुरा	9907	10912	11486	8967
26.	उत्तर प्रदेश	176800	200224	210713	172527
27.	उत्तरांचल	17250	19536	20559	7863
28.	पश्चिम बंगाल	104215	118023	124206	104098
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	881	998	1050	1238
30.	दादर व नगर हवेली	462	524	551	206
31.	दमन व दीव	192	217	228	92
32.	लक्षद्वीप	15	17	18	80
33.	पांडिचेरी	438	495	521	617
	कुल	1314431	1484554	1562356	1441241

ग्रामीण विद्युतीकरण

885. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से देश में गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने संबंधी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस पर आज की तिथि तक राज्यवार कुल कितनी राशि व्यय की गयी है; और

(घ) निर्धारित लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) 10वीं योजना अवधि में मंत्रालय हेतु अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 5000 अविद्युतीकृत दूरस्थ जनगणना गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक मंत्रालय ने 3064 गांवों के ऐसे विद्युतीकरण के लिए सहायता

प्रदान की है जिसमें से 1944 गांवों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है जब कि शेष 1120 गांवों में कार्य पूर्णता के विभिन्न चरणों में है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में किए गए राज्यवार व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) 10वीं योजना के लिए मंत्रालय हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते कि राज्य सरकारों से पूर्ण रूप में प्रस्ताव प्राप्त हों।

विवरण

जारी निधियों का राज्यवार विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	108.50		
2.	अरुणाचल प्रदेश	108.63	484.00	66.08
3.	असम	88.50		23.00
4.	छत्तीसगढ़	595.00	332.13	8.00
5.	गुजरात		8.61	
6.	हरियाणा		83.88	
7.	हिमाचल प्रदेश		12.00	15.00
8.	जम्मू-कश्मीर	607.00	511.50	
9.	झारखण्ड	105.80	837.41	
10.	मध्य प्रदेश	109.25		
11.	महाराष्ट्र		313.63	
12.	मणिपुर	730.00	33.00	79.01
13.	मेघालय	322.55		175.85
14.	मिजोरम		144.75	
15.	उड़ीसा			42.89
16.	राजस्थान		184.50	176.22
17.	सिक्किम		8.60	

1	2	3	4	5
18.	तमिलनाडु		367.00	
19.	त्रिपुरा		741.50	1062.40
20.	उत्तरांचल	344.61	720.05	50.52
21.	उत्तर प्रदेश		1342.70	0.57
22.	पश्चिम बंगाल	357.00	2388.95	72.05

धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां

886. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों की जांच के बारे में 4 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 742 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) और (ख) मैसर्स जीरोक्स मोदी कारपोरेशन लिमिटेड की जांच कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक निरीक्षक द्वारा की गई थी। रिपोर्ट 8 जून, 2004 को प्राप्त हुई। रिपोर्ट की जांच के बाद कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबंधों के 13 उल्लंघनों जैसा कि रिपोर्ट से पता चला, के लिए अभियोजनों के आदेश दे दिए गए हैं।

जांच रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा राजस्व बोर्ड में प्रवर्तन निदेशालय में भेज दी गई थीं जिनको कंपनी तथा इसके निदेशकों के विरुद्ध उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों जैसे कि भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 रोकथाम, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, विदेशी विनियम अधिनियम, 1973, विदेश विनिमय प्रबन्ध अधिनियम, 1999 आदि के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने की सलाह दी गई थी।

[हिन्दी]

विदेशी बैंक

887. **श्री मनोज कुमार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के छोटे शहरों में विदेशी बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए अनुमति प्रदान करने का है ताकि लघु उद्योगों को ऋण की सुविधा प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारत में बैंकिंग क्षेत्र की कार्यक्षमता एवं स्थायित्व में और वृद्धि करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के संबंध में दिनांक 28-2-05 को मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिसमें कम बैंक सुविधाओं वाले क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए अधिक उदार नीति का प्रावधान है। ये मार्गनिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं। विदेशी बैंकों को अपने निवल बैंक ऋण (एन.बी.सी.) का 32 प्रतिशत लघु उद्योगों सहित प्राथमिकता क्षेत्र को देना अपेक्षित है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के लिए योजनागत ऋणों पर ब्याज दर

888. **श्री के.सी. पलनिसामी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के योजनागत ऋणों पर ब्याज दर को कम करने हेतु अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और गत तीन वर्षों के दौरान योजनागत ऋण पर घटाए गए ब्याज दर क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) राज्य सरकारें, जिनमें तमिलनाडु भी शामिल है, उच्च लागत

वाले ऋणों के विनिमय, ऋण माफी, ऋणों के पुनर्निर्धारण, ब्याज दरों में कटौती आदि के लिए समय-समय पर भारत सरकार से अनुरोध करती रही हैं।

(ख) वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान भारत सरकार के ऋणों की ब्याज दरें क्रमश: 12 प्रतिशत से घटाते हुए 11.50 प्रतिशत, 10.50 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत तक लाई गई हैं। 31 मार्च, 2004 से पहले राज्यों को दिए गए तथा 31 मार्च, 2005 तक उन पर बकाया भारत सरकार के सभी ऋणों को 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर बीस वर्ष की अवधि के लिए एक नए ऋण के रूप में समेकित करने, बशर्ते कि राज्य राजकोषीय जवाबदेही कानून अपनाकर लागू करवा दें, की बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) की सिफारिश को केन्द्र सरकार ने स्वीकार लिया है।

शुल्क ढांचे पर श्वेत पत्र

889. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:
श्री उदय सिंह:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की लागत और शुल्क ढांचे पर श्वेत पत्र जारी करने के लिए जन-प्रतिनिधियों की ओर से भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की लागत और शुल्क ढांचे पर श्वेत पत्र जारी करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत और सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ढांचे और दरों पर श्वेत पत्र जारी करने के लिए जन प्रतिनिधियों से कोई विशेष मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मानचित्रों संबंधी नई नीति

890. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नई नीति स्वीकृत की है जिसमें रक्षा संबंधी और सार्वजनिक - दो शृंखला के मानचित्र जारी करने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मंत्रालयों/विभागों और रक्षा बलों द्वारा इन मानचित्रों के उपयोग हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सार्वजनिक शृंखला के मानचित्र आम जनता तथा सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों, पुलों और अस्पतालों की योजना बनाने और विकास कार्य में लगे निजी एजेंसियों और गैर-सरकारी एजेन्सियों को उपलब्ध होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। मुक्त शृंखला के मानचित्रों को सार्वजनिक/निजी एजेंसियों/गैर-सरकारी एजेंसियों को सभी सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक क्रियाकलापों, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, आपदा उपशमन और अवसंरचना विकास के नियोजन हेतु रक्षा मंत्रालय से एक बार में ही स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद उपलब्ध कराया जाएगा।

निर्यात शुल्क प्रतिअदायगी सुविधाएं

891. श्री सुरेश कुरुप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियों को निर्यात शुल्क प्रतिअदायगी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इन कंपनियों को निर्यात शुल्क प्रति अदायगी सुविधा को छोड़ने के लिए कहने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) मै. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड को वर्ष 2004-05 के दौरान 8,16,986 रुपये की तथा 2005-06 (15-7-2005 तक) के दौरान 12,42,788 रुपये की प्रति अदायगी की राशि स्वीकृति की गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

बायो-टेक पार्क

892. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री परसुराम माझी:
डा. राम लखन सिंह:
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत बायो-टेक्नोलॉजी पार्कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पार्कों के शुरू होने के बाद प्रत्येक पार्क की उपलब्धियां क्या है;

(ग) क्या ऐसे पार्क स्थापित करने के लिए कई राज्य सरकारों ने प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) निकट भविष्य में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित पार्कों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) महोदय, वर्तमान में लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क और हैदराबाद में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कार्य कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क को सहायता प्रदान की है और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, बंगलौर, कर्नाटक, त्रिवेन्द्रम, केरल, डेरा बसी, पंजाब और सोलन, हिमाचल प्रदेश में एक-एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क के हिसाब से कुल 5 बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर केन्द्रों को निधि प्रदान की है। बायोटेक्नोलॉजी पार्कों और बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर केन्द्रों की स्थापना और प्रचालनता तेजी से प्रगति कर रही है और ये पार्क शुरु की गई कंपनियों, छोटे और मझौले उद्यमों की सहायता करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो बायोटेक उद्योग में अधिक पूंजी व्यय करने की स्थिति में नहीं हैं।

(ग) और (घ) कई राज्य सरकारें बायोटेक्नोलॉजी विभाग के परामर्श के साथ बायोटेक पार्कों/बायोटेक इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए प्रस्तावों को बनाने की प्रक्रिया में है। अभी तक विभाग में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और पंजाब से प्रस्ताव मिले हैं।

[अनुवाद]

भूमि सुधार और बंजरभूमि का विकास

893. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख तक कुल कितनी बंजरभूमि पाई गई है और यह कुल भूमि का कितने प्रतिशत है;

(ख) क्या सरकार ने भूमि सुधार और बंजरभूमि के विकास के संबंध में सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के सदस्यों के चयन में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद के सहयोग से प्रकाशित किए गए भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, (वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया), 2000 के अनुसार देश में बंजरभूमि के रूप में 63,85 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है, जो देश के सर्वेक्षण किए गए कुल क्षेत्र का 20.17% है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। इस मंत्रालय ने भूमि सुधार तथा बंजरभूमि के विकास के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त किसी समिति का गठन नहीं किया है।

[हिन्दी]

डाभोल विद्युत परियोजना

894. श्री बापू हरी चौरे:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री बसुदेव आचार्य:

श्री सुग्रीव सिंह:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री परसुराम माझी:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री ई. पोन्नुस्वामी:

श्रीमती अर्चना नायक:

श्री हंसराज जी, अहीर:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री सनत कुमार मंडल:

श्री प्रहलाद जोशी:

श्री मोहन सिंह:

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

श्री संजय धोत्रे:

क्या **विद्युत मंत्री** 4-3-2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 796 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाभोल परियोजना से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करने और निर्णय लेने के संबंध में गठित अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अधिकार प्राप्त मंत्री समूह द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं तथा सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस विद्युत परियोजना के कब तक पुनः शुरू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिकल्पित समझौता होने पर, आगामी 1 से डेढ़ वर्ष के भीतर संयंत्र के पुनः चालू होने की संभावना है।

केन्द्रीय विधि विश्वविद्यालय

895. श्री अविनाश राय खन्ना:

श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में केन्द्रीय विधि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय विधि विद्यालय की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (घ) 14-12-1998 को व्यापार और उद्योग संबंधी प्रधान मंत्री की परिषद् द्वारा गठित प्रशासनिक और विधिक सरलीकरण संबंधी विशेष विषय समूह की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश देश के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में बंगलौर स्थित राष्ट्रीय विधि विद्यालय के पेटर्न पर तीन विधि विद्यालयों के गठन से संबंधित है। इस विभाग ने उक्त सिफारिश को पहले ही सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है और यह महसूस किया जाता है कि इस प्रयोजन को, उक्त तीन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधि केन्द्रों के साथ एक विश्वविद्यालय, अर्थात् राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को स्थापित करके पूरा किया जा सकता है, जिसमें भावी आवश्यकताओं के अनुसार और अधिक केन्द्रों के गठन के लिए समर्थकारी उपबंध भी हो। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अनुसार, यह प्रस्ताव योजना व्यय का भाग होगा। अतः, योजना आयोग के परामर्श से एक योजना स्कीम को तैयार करना होगा और उसकी व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) प्रक्रिया के अधीन समीक्षा की जानी होगी। व्यय विभाग की सलाह पर इस विषय पर, अभिन्यास, संनिर्माण की लागत आदि को तैयार करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय से बातचीत की गई है। तत्पश्चात्, इस प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जाना होगा।

(ङ) प्रस्तावित विश्वविद्यालय के गठन के लिए कोई विनिर्दिष्ट समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है।

लघु और मझोले उद्योगों को ऋण

896. श्री वाई.जी. महाजन:

श्री राजनरायन बुधौलिया:

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान लघु और मार्जिनल उद्योगों को कितना ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि का ऋण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान उक्त उद्योगों को ऋण प्रदान करने संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सरकार ने लघु एवं सीमान्त उद्योगों को ऋणों के आबंटन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार लघु उद्योगों को कुल अग्रिम 67,634 करोड़ रु. के थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार

897. डा. राजेश मिश्रा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण निर्धनता और बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए चलाई जाने वाली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूह अथवा वैयक्तिक रूप से स्वरोजगार चाहने वालों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत आज की तारीख तक वैयक्तिक तौर पर राज्यवार कितने लोगों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या वैयक्तिक रूप से स्वरोजगार चाहने वाले लोगों को स्वरोजगार की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (ङ) जी हां, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वरोजगार योजना के रूप में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण गरीब के सामाजिक जुटाव, उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की प्रक्रिया और बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी के मिले-जुले रूप के माध्यम से आय पैदा करने वाली संपत्तियों की व्यवस्था करके उन्हें स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित करके की जाएगी। सहायता प्राप्त परिवार (स्वरोजगारी) व्यक्ति अथवा समूह (स्व सहायता समूह) हो सकते हैं। तथापि बल ग्रुप एप्रोच पर है।

योजना के शुरू होने से लेकर अब तक अर्थात् अप्रैल, 1999 से जून, 2005 तक व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को राज्यवार दी गई सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

योजना के प्रारम्भ 1-4-99 से जून, 2005 तक सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त व्यक्तिगत स्वरोजगारी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	132893
2.	अरुणाचल प्रदेश	8345
3.	असम	21491
4.	बिहार	562544
5.	छत्तीसगढ़	94878
6.	गोवा	1816
7.	गुजरात	110318
8.	हरियाणा	64263
9.	हिमाचल प्रदेश	21599
10.	जम्मू-कश्मीर	30667
11.	झारखण्ड	191980
12.	कर्नाटक	51841
13.	केरल	88950
14.	मध्य प्रदेश	188907

1	2	3
15.	महाराष्ट्र	245655
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	2715
18.	मिजोरम	561
19.	नागालैंड	5382
20.	उड़ीसा	237836
21.	पंजाब	26826
22.	राजस्थान	184564
23.	सिक्किम	8307
24.	तमिलनाडु	36857
25.	त्रिपुरा	48745
26.	उत्तर प्रदेश	379744
27.	उत्तरांचल	15911
28.	पश्चिम बंगाल	143929
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	114
30.	दमन एवं द्वीव	68
31.	दादर और नगर हवेली	125
32.	लक्षद्वीप	45
33.	पांडिचेरी	577
	कुल	2908453

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत डेयरी विकास परियोजना

898. श्री राकेश सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक विशेष डेयरी विकास परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (ग) देश में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष डेयरी विकास परियोजना शुरू करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों में डेयरी विकास के लिए 207.01 करोड़ रु. की कुल लागत से 18 विशेष परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1-4-1999 अर्थात् शुरू से लेकर अब तक एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत दुग्ध विकास की विशेष परियोजनाएं

(27-7-2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	क्षेत्र कोड	कार्यान्वयन एजेंसी	वह अवधि जिसमें परियोजना मंजूर की गई
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश के माडकसिरा ब्लॉक, अनंतपुर जिले में 6275 आई.ए.वाई. मकान स्वरोजगारियों की आर्थिक सहायता के लिए विशेष परियोजना	आंध्र प्रदेश	दुग्ध विकास	1	डी.आर.डी.ए., अनंतपुर	2001-2002 (11-03-2002)
2.	आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में समेकित दुग्ध विकास के माध्यम से स्व-सहायता समूह की ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्थायी आजीविका अवसर देने संबंधी परियोजना	आंध्र प्रदेश	दुग्ध विकास	1	डी.आर.डी.ए., वीरांगल	2003-04
3.	मुजफ्फरपुर बिहार में 10 मीट्रिक टन प्रति दिन क्षमता वाले दुग्ध पाउडर प्लांट लगाने की विशेष परियोजना	बिहार	दुग्ध-विकास	1	डी.आर.डी.ए., मुजफ्फरपुर	2003-04 (11-2-04)
4.	बिहार के बेगुसराय में डेयरी क्रियाकलापों की क्षमता विस्तार और दुग्ध प्रशीतन केन्द्र की स्थापना, प्रौद्योगिकी उन्नयन की विशेष परियोजना	बिहार	डेयरी विकास	1	डी.आर.डी.ए., बेगुसराय	2004-05 (11-03-2005)
5.	बिहार के वैशाली में डेयरी विकास की विशेष परियोजना	बिहार	डेयरी विकास	1	डी.आर.डी.ए., वैशाली	2004-05 (11-03-2005)
6.	दुग्ध उत्पादन और पशुपालन के जरिए खेडा जिले में बी.पी.एल. परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु विशेष परियोजना	गुजरात	दुग्ध विकास	1	डी.आर.डी.ए., खेडा	2003-04
7.	सोलन जिले में दुग्ध पशु-धन हेतु विशेष परियोजना	हिमाचल प्रदेश	दुग्ध विकास	1	डी.आर.डी.ए., सोलन	2001-2002 (9-11-01)

8.	हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में रेशम उत्पादन और दुग्ध उत्पादन के जरिए आत्मनिर्भरता के लिए विशेष परियोजना	हिमाचल प्रदेश	दुग्ध विकास	1	डी.आर.डी.ए., हमीरपुर	2001-2002 (11-3-02)
9.	हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में "व्यापक दुग्ध विकास परियोजना" शीर्षक एस.जी.एस.वाई. विशेष परियोजना घटक	हिमाचल प्रदेश	दुग्ध विकास	1	डी.आर.डी.ए., कांगड़ा	2002-2003 (28-11-02)
10.	दुग्ध उत्पादों खासकर बी.पी.एल. परिवारों के उत्थान के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु विशेष परियोजना, कोलार	कर्नाटक	दुग्ध विकास	1	जिला परिषद, कोलार	2003-04 (17-12-03)
11.	मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले में एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत ग्रामीण बी.पी.एल., लाभार्थियों के लिए डेयरी फार्म की स्थापना की विशेष परियोजना	मध्य प्रदेश	दुग्ध विकास	1	जिला परिषद, छिंदवाड़ा	2001-2002 (27-3-02)
12.	उड़ीसा के भुवनेश्वर डेयरी चंद्रशेखरपुर, जिला खुर्दा में मिल्क पाउडर के लिए विशेष परियोजना	उड़ीसा	दुग्ध विकास	1	ओ.एम.एफ.ई.डी.	2001-2002 (11-03-02)
13.	पंजाब के सीमावर्ती गुरुदासपुर जिले में डेयरी विकास हेतु नवीन परियोजना	पंजाब	दुग्ध विकास	1	डी.आर.डी.ए., गुरुदासपुर	2000-2001 (26-3-2001)
14.	पंजाब के मुक्तसर जिले की आर्थिक स्वतंत्रता के डेयरी क्लब एडवर्न्ट के लिए विशेष परियोजना	पंजाब	दुग्ध विकास	1	डी.आर.डी.ए., मुक्तसर	2001-2002 (26-3-2001)
15.	राजस्थान के सीकर जिले में सीकर डेयरी परियोजनाओं के लिए विशेष परियोजना	राजस्थान	दुग्ध विकास	1	राजस्थान कॉपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन, जयपुर	2001-2002 (04-03-2002)
16.	भरतपुर में कॉ-ऑपरेटिव क्षेत्र के अंतर्गत मिल्क यूनियन एंड डेयरी प्लांट का ढांचागत विकास	राजस्थान	दुग्ध विकास	1	डी.आर.डी.ए., भरतपुर	2002-2003 (31-03-2003)
17.	बीकानेर राजस्थान में धीनो-धापो विशेष परियोजना	राजस्थान	दुग्ध विकास	1	डी.आर.डी.ए., बीकानेर	2002-2003 (31-03-2003)
18.	अजमेर में दुग्ध विकास हेतु परियोजना	राजस्थान	दुग्ध विकास	1	डी.आर.डी.ए., अजमेर	2003-04 (16-10-03)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत	केन्द्रीय अंश	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां			कुल केन्द्रीय रिलीज
					रिलीज की गई पहली किस्त	रिलीज की गई दूसरी किस्त	रिलीज की गई तीसरी किस्त	
1	2	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश के माडकसिरा ब्लॉक, अनंतपुर जिले में 6275 आई.ए.वाई. मकान स्वरोजगारियों की आर्थिक सहायता के लिए विशेष परियोजना	3 वर्ष	982.000	465.750	186.300	186.300		372.600
2.	आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में समेकित दुग्ध विकास के माध्यम से स्व-सहायता समूह की ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्थायी आजीविका अवसर देने संबंधी परियोजना	3	1500.000	656.250	262.500			262.500
3.	मुजफ्फरपुर बिहार में 10 मीट्रिक टन प्रति दिन क्षमता वाले दुग्ध पाउडर प्लांट लगाने की विशेष परियोजना	1	460.000	345.000	138.000			138.000
4.	बिहार के बेगुसराय में डेयरी क्रियाकलापों की क्षमता विस्तार और दुग्ध प्रशीतन केन्द्र की स्थापना, प्रौद्योगिकी उन्नयन की विशेष परियोजना	3	875.800	338.100	135.240			135.240
5.	बिहार के वैशाली में डेयरी विकास की विशेष परियोजना	3	1361.000	637.500	255.000			255.000
6.	दुग्ध उत्पादन और पशुपालन के जरिए खेडा जिले में बी.पी.एल. परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु विशेष परियोजना	3	3237.500	1125.000	450.000			450.000
7.	सोलन जिले में दुग्ध पशु-धन हेतु विशेष परियोजना	4	886.950	536.350	214.544			214.544
8.	हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में रेशम उत्पादन और दुग्ध उत्पादन के जरिए आत्मनिर्भरता के लिए विशेष परियोजना	5	1500.000	735.750	294.430	294.170		568.600

9.	हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में "व्यापक दुग्ध विकास परियोजना" शीर्षक एस.जी.एस.वाई. विशेष परियोजना घटक	5	1301.250	863.550	345.420			345.420
10.	दुग्ध उत्पादों खासकर बी.पी.एल. परिवारों के उत्थान के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु विशेष परियोजना, कोलार	3	1188.730	739.090	295.640			295.640
11.	मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले में एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत ग्रामीण बी.पी.एल., लाभार्थियों के लिए डेयरी फार्म की स्थापना की विशेष परियोजना	5	697.950	422.925	169.170	168.984		338.154
12.	उड़ीसा के भुवनेश्वर डेयरी चंद्रशेखरपुर, जिला खुर्दा में मिल्क पाउडर के लिए विशेष परियोजना	2 वर्ष	900.000	675.000	270.000			270.000
13.	पंजाब के सीमावर्ती गुरुदासपुर जिले में डेयरी विकास हेतु नवीन परियोजना	2	730.000	371.250	185.630	148.500	26.800	360.930
14.	पंजाब के मुक्तसर जिले की आर्थिक स्वतंत्रता के डेयरी क्लब एडवर्न्ट के लिए विशेष परियोजना	2	750.000	277.500	138.750	83.250		222.000
15.	राजस्थान के सीकर जिले में सीकर डेयरी परियोजनाओं के लिए विशेष परियोजना	2 वर्ष	1100.000	825.000	330.000			330.000
16.	भरतपुर में कॉ-ऑपरेटिव क्षेत्र के अंतर्गत मिल्क यूनियन एंड डेयरी प्लांट का ढांचागत विकास	3	1262.290	744.470	297.788			297.788
17.	बीकानेर राजस्थान में धीनो-धापो विशेष परियोजना	3	1497.900	844.840	337.936			337.936
18.	अजमेर में दुग्ध विकास हेतु परियोजना	3	469.750	352.310	140.920			140.920
	कुल योग		20701.120	10955.635	4447.268	881.204	26.800	5355.272

[अनुवाद]

नई पेंशन योजना

899. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन कोष की स्थापना, विनिमयन और विकास करके वृद्धावस्था आय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में पेंशन योजना में अंशदान करने वालों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सरकार दिनांक 1-1-2004 से केन्द्र सरकार में भर्ती होने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए (प्रथम चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) एक नवीन पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, नयी पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) पहले ही क्रियान्वित कर चुकी है। यह नयी पेंशन प्रणाली स्वैच्छिक आधार पर स्व-नियोजित व्यावसायिकों तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अन्य कर्मियों सहित सभी व्यक्तियों को भी उपलब्ध होगी। सरकार का प्रस्ताव एक विधायी ढांचा तैयार करने का है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक सांविधिक पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) की व्यवस्था होगी और जिसे पेंशन क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए विनियामक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने पर शास्तियों का प्रस्ताव किया जा रहा है।

विद्युत बटवारे के संबंध में समझौता

900. श्री दुष्यंत सिंह:

श्री श्रीचन्द कृपलानी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) इस परियोजना में से किन-किन राज्यों को अनआबंटित विद्युत में से हिस्सा प्राप्त होगा;

(ग) क्या राजस्थान भी इन राज्यों में शामिल है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना में से राजस्थान को कोई हिस्सा नहीं देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना में से राजस्थान को विद्युत आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) पंजाब सरकार द्वारा आरंभ की गई आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना की संस्थापित क्षमता 134 मेगावाट (4x33.5 मेगावाट) है।

(ख) से (ङ) राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार द्वारा कार्यान्वित/आरंभ की जा रही आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना सहित जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का हिस्सा प्राप्त करने के लिए दावा किया है। रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन को कूलिंग वाटर की आपूर्ति और आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना को आरंभ करने से संबंधित एक समझौते पर दिनांक 10-5-1984 को राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों, पंजाब के राज्यपाल और भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह स्वीकार किया गया था कि आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना और अन्य 4 परियोजनाओं में विद्युत का हिस्सा प्राप्त करने के लिए हरियाणा व राजस्थान के दावे पर भारत सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी जाएगी कि क्या राजस्थान व हरियाणा की इन परियोजनाओं में उत्पादित विद्युत में हिस्से की पात्रता है, और यदि पात्रता है तो इन राज्यों का कितना-कितना हिस्सा होगा।

शांतिपूर्ण ढंग से इस मुद्दे के निपटान के उद्देश्य से वर्ष 1984 से अनेक औपचारिक व अनौपचारिक चर्चाएं की गई। दृष्टिकोणों में भिन्नता होने के कारण इसमें अभी तक कोई सहमति नहीं बनी। इसके अलावा, पंजाब सरकार द्वारा पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट, 2004 के अधिनियमन के फलस्वरूप अन्य राज्यों के साथ जल विभाजन पर सभी प्रकार के करारों के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सरकार ने इस मामले को सलाह हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया है।

विनिवेश हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

901. श्री तथागत सत्पथी:

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विनिवेश के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इस प्रक्रिया से कितना धन जुटाये जाने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित नॉडल मंत्रालयों को विनिवेश के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु पत्र लिखे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संबंधित मंत्रालयों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सरकार ने 200 करोड़ रुपए से अधिक की निवल सम्पत्ति वाले प्रत्येक लाभ अर्जित करने वाले, वर्तमान में असूचीबद्ध, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को सूचीबद्ध करने और या तो संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा नई इक्विटी जारी करने के संयोजन में अथवा सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से, लाभ अर्जित करने वाले सूचीबद्ध केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की अल्पांश शेयरधारिता को बेचने का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है परन्तु शर्त यह है कि सरकार की अवशिष्ट इक्विटी कम से कम 51% बची रहे और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास बना रहे। तथापि, विनिवेश के विशिष्ट मामले मामला-दर-मामला आधार पर अनुमोदित किए जाएंगे। फिलहाल, सरकार ने बिक्री की पेशकश के माध्यम से भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अपनी 67.72% शेयरधारिता में से 10% की बिक्री करने का निर्णय लिया है। विनिवेश से जुटाई जाने वाली राशि बिक्री की वास्तविक पेशकश के समय विद्यमान बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, विनिवेश के समय संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ परामर्श किया जाता है। प्रत्येक मामले में अन्तिम निर्णय आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति द्वारा लिया जाएगा।

चिकित्सा बीमा

902. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स और बीमा कंपनियां बीमाकृत रोगियों को उनके उपचार और ऑपरेशन पर खर्च हुई लागत से कम खर्च भुगतान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने ऐसे कृत्य के बारे में संज्ञान लिया है; और

(ग) यदि हां, चिकित्सा बीमा लेने वाले व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स (टी.पी.ए.) बीमित राशि के समतुल्य नकदगी रहित सेवा और पालिसीधारकों द्वारा चुनी गई उचित सेवाएं प्रदान करता है। ऐसे मामले में जहां रोगी द्वारा चिकित्सा उपचार पर उठाई गई लागत बीमित राशि से अधिक होती है तो अधिक राशि का वाहन पालिसी धारक को करना पड़ता है।

(ख) और (ग) शिकायत निपटान तंत्र पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) विनियम के तहत व्यथित पालिसी धारक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए बीमा कंपनी, आई.आर.डी.ए. अथवा बीमा लोकपाल के पास जा सकता है।

सी.एस.आई.आर. द्वारा ऋण

903. मो. मुकीम:

श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.एस.आई.आर. द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसंधान और विकास के लिए आसान ऋण प्रदान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना ऋण प्रदान किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) सी.एस.आई.आर. नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एन.एम.आई.टी.एल.आई.) नामक राष्ट्रीय योजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस एन.एम.आई.टी.एल.आई. योजना का उद्देश्य सरकारी निधिबद्ध अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, अकादमियों और गैर-सरकारी उद्योग की सर्वोत्तम क्षमताओं को एक साथ लाकर नवोन्मेष केन्द्रित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकासों को साधन के रूप में इस प्रकार उत्प्रेरित करना है ताकि सच्ची 'टीम इंडिया' रूप में भारतीय उद्योग को चयनित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त हो सके। यह योजना देश में सार्वजनिक-गैर सरकारी भागीदारी में किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास का सबसे बड़ा प्रयास है, जिसमें सरकार एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। यह योजना सतर्कतापूर्ण एवं सुचिन्तित ढंग से भावी विजेताओं का पता लगाने, उनका चयन करने और उन्हें सहायता प्रदान करने पर आधारित है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक भागीदारों को अभिनिर्धारित परियोजनाओं में विशेष प्रकार के कार्य आरंभ करने के लिए 3% ब्याज की दर पर आसान ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 31 मार्च, 2005 तक उद्योगों को प्रदान किए गए ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एन.एम.आई.टी.एल.आई. के तहत भारतीय उद्योग को प्रदत्त ऋण

(रु. लाख में)

परियोजना का नाम	पार्टी का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
5 एवं 25 के.डब्ल्यू. विकेन्द्रीकृत पावर पैक्स	सूद-कैमि इण्डिया लि., नई दिल्ली	40.00	–	10.00
लेटेन्ट एम. ट्यूबरक्यूलोसिस: नए टार्गेट्स, औषध वितरण, प्रणाली, जैव संवर्धक एवं चिकित्साशास्त्र	ल्यूपिन लि.	–	500.00	375.00
एल्किलीकरण/एसिलेशन अभिक्रिया हेतु नैनो-सामग्री उत्प्रेरक एवं संबंधित प्रक्रम प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बनों का पूर्व संशोधन और पेट्रोलियम ईंधनों से (<50ppm) तक सल्फर समाप्त करना	सूद-कैमि इण्डिया लि., नई दिल्ली	85.00	10.00	–
बायोइंफर्मेटिक्स हेतु बहुउपयोगी, सुवाह्य सॉफ्टवेअर का विकास	टी.सी.एस., हैदराबाद	396.000	174.00	–
	जालाजा टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर	12.000	–	–
	सिकन्दराबाद	20.000	–	–
सोरायसिस के उपचार हेतु ओरल हर्बल विरचन का विकास: एक नैदानिक एवं वैज्ञानिक चुनौती	ल्यूपिन लि., मुम्बई	281.40	352.56	–
नवीन बायोटेक आण्विक लाइसोस्टैफिन का विकास	भारत बायोटेक इंटरनेशनल लि., हैदराबाद	410.00	150.62	–
एरिथ्रोमाइसिन का क्लेरिथ्रोमाइसिन एवं अन्य नवीन जैवकीय रूप से सक्रिय अणुओं में सूक्ष्म जैवकीय परिवर्तन	एलेम्बिक लि., वडोदरा	23.50	5.00	–
नेत्र रोगों एवं नेत्रों की कम रोशनी को बढ़ाने वाले उपकरणों हेतु नवीन आण्विक नैदानिकी	लेंसेल ऑप्टिक्स प्रा. लि., पुणे	5.15	9.60	–
सूर्यमुखी एवं खमीर में अल्फा-लिनोलेनिक अम्ल एवं डॉकसैहेक्साइनोइक अम्ल (डी.एच.ए.) का उत्पादन करने हेतु पुनर्योगज अभिगम	अवस्था गेंग्रेन टेक्नोलॉजी प्रा. लि., बेंगलोर	130.5	90.60	44.90

1	2	3	4	5
पीसी को बदलने के लिए लागत प्रभावी सिम्पल ऑफिस कंप्यूटर (सोफ कॉम्प) प्लेटफॉर्म	ऐ-कोर सॉफ्टवेअर लि. बेंगलोर	200.00	120.00	–
अभिकलनात्मक जीवविज्ञान हेतु पीसी आधारित हाई-एंड 3डी विजुअलाइजेशन प्लेटफार्म-'देर्शी'	स्ट्रेंड जीनोमिक्स प्रा. लि. बेंगलोर	106.40	80.00	–
मशीन लर्निंग एवं प्रायोगिक विधियों के संयोजन के माध्यम से प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम का उन्नत एनोटेशन: विशिष्ट मार्गों का एनोटेशन एवं प्रायोगिक वैधीकरण	टी.सी.एस., हैदराबाद	–	97.00	–
योग		1703.95	1589.38	429.90

विदेशी बैंकों द्वारा कर अपवंचन

904. **श्री अजय चक्रवर्ती:**

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कार्य कर रहे कतिपय विदेशी बैंक/कम्पनियां अपनी वास्तविक आय नहीं दिखा रही हैं और बड़े पैमाने पर कर का अपवंचन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान बैंकवार/कंपनीवार वास्तविक आय कितनी रही है;

(ग) इनके द्वारा कितना प्रत्यक्ष कर अदा किया गया है और इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए और इन बैंकों/कंपनियों द्वारा नियमित रूप से करों का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जांच के दौरान विदेशी बैंकों/कंपनियों द्वारा कर-अपवंचन के दृष्टांत आयकर विभाग की जानकारी में आए हैं।

तथापि, विभाग ऐसे दृष्टान्तों का केन्द्रीय डाटाबेस नहीं रखता है। कम्पनीवार वास्तविक आय और भुगतान किए गए तथा बकाया करों के ब्यौरों के लिए व्यष्टिगत मामला रिकार्डों की जांच की जानी होगी जिसमें पर्याप्त समय और प्रयास लगेगा जो प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के शायद अनुरूप न हों।

(घ) विदेशी बैंकों/कम्पनियों की बकाया देयताओं की वसूली करने के लिए नोटिस जारी करने, बैंक खातों की कुर्की करना, अचल सम्पत्ति आदि की कुर्की एवं बिक्री सहित कर की वसूली के लिए कानूनी उपाय किये जाते हैं। ऐसी कम्पनियों द्वारा कर के भुगतान की कड़ी निगरानी की जाती है और कर कानूनों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मामलों में कम्पनियों की विवरणियों की संवीक्षा की जाती है।

नकली मतदाता

905. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:**

श्री निखिल कुमार:

श्री अधीर चौधरी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुल मतदाताओं में से 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता नकली हैं, जैसाकि दिनांक 2 जून, 2005 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पड़ोसी देशों के नागरिकों के पास भी भारतीय मतदाता पहचान पत्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और विभिन्न राज्यों की मतदाता सूचियों में से ऐसे नकली मतदाताओं के नाम हटाने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) सरकार को टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट किए गए समाचार के संबंध में जानकारी मिली है। तथापि, यह कहना ठीक नहीं है कि कुल मतदाताओं में से 2.5 करोड़ मतदाता जाली हैं।

(ख) भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त प्रेस रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक समीक्षा की है। यह रिपोर्ट वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है और ऐसी वृहत् जनगणना के परिणामस्वरूप सामने आने वाले आंकड़ों में अन्तर्निहित त्रुटियों की संभावना रहती है। यह आवश्यक नहीं है कि वर्ष 2001 की अखिल भारतीय जनगणना के आधार पर निर्वाचकों के संबंध में कोई साधारण विश्लेषण और वर्ष 2004 के लिए प्राक्कलित जनसंख्या आंकड़े यथार्थ परिस्थिति को सत्य रूप में उपदर्शित करें, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या की अनुपात स्थिति में राज्य-दर-राज्य और यहां तक कि जिला-दर-जिला भी अन्तर हो सकता है। इसके अतिरिक्त, 'जाली' मतदाता का शाब्दिक अर्थ है, 'मिथ्या' मतदाता और निर्वाचन आयोग का इस संबंध में विचार यह है कि निर्वाचन नामावलियों में शायद ही कोई मिथ्या मतदाता है।

तथापि, इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि निर्वाचक नामावलियों में नामों की दोहरी या अनेक प्रविष्टियां की गई हों और मृतक मतदाताओं के नामों को भी उनमें सम्मिलित किया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप निर्वाचक नामावलियों के आकार में वृद्धि हुई। निर्वाचन आयोग ने दोहरी/अनेक प्रविष्टियों तथा मृतक व्यक्तियों के नामों को निर्वाचक नामावलियों से हटाए जाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इस समय निर्वाचक नामावलियों को मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के अलावा ग्राम सभाओं, निवासी कल्याण संगमों, स्थानीय प्राधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को अग्रेषित किया जा रहा है। ग्राम सभाओं, निवासी कल्याण संगमों आदि की बैठकों में संबंधित क्षेत्रों के निर्वाचकों के नामों को पढ़ा जा रहा है और वे अब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों की, ऐसे व्यक्तियों के, जो अब उनके क्षेत्रों में निवास नहीं कर रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों के, जिनकी मृत्यु हो गई है, नामों को भी हटाने में सहायता कर रहे हैं। जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्राधिकारियों को भी एक वर्ष में दो बार - जनवरी और जुलाई मास में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को मृतक व्यक्तियों की सूचियां प्रस्तुत करने का निदेश भी दिया गया है। दोहरी/अनेक प्रविष्टियों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए व्यापक और गहन रूप में कंम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब लगभग प्रत्येक वर्ष निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे पनरीक्षण के दौरान, प्रारूप नामावलियों को संबंधित इलाकों के समीप पदाभिहित अवस्थानों पर बड़ी संख्या में प्रदर्शित किया जाता है जिससे कि निवासी उन नामावलियों की संवीक्षा करने में और स्वयं उन पदाभिहित अवस्थानों पर दावे और आक्षेप फाइल करने में समर्थ हो सकें। विनिर्दिष्ट दिवसों को, जो साधारण जनता के लिए सामान्यतः छुट्टी के दिन होते हैं, बड़ी संख्या पदाभिहित अवस्थानों पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। अन्य पदाभिहित अवस्थानों के अलावा, अब डाकघरों को भी पदाभिहित अवस्थानों के रूप में उपयोग किया जा रहा है और नामावलियों के प्रदर्शन, दावे तथा आक्षेप प्राप्त करने और यहां तक कि उन दावों और आक्षेपों के स्थानीय सत्यापन के लिए भी डाक प्राधिकारियों की सहायता ली जा रही है।

(ग) और (घ) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचना दी है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं और केवल इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ही निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र अभिप्राप्त कर सकते हैं। तथापि, कभी-कभार घर-घर परिगणना के दौरान या दावे और आक्षेप फाइल करने की अवधि के दौरान आवेदकों द्वारा मिथ्या सूचना दिए जाने के कारण कुछ अपात्र व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित हो जाते हैं और ऐसी संभावना है कि ऐसे व्यक्तियों ने निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्राप्त कर लिए हों। निर्वाचन आयोग के पास ऐसे मामलों के संबंध में कोई आंकड़े नहीं है।

[हिन्दी]

सुनामी राहत

906. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मई, 2005 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' समाचार पत्र में 'सुनामी रिलीफ स्टिल लाइज इन गवर्नमेंट कोफर' नामक शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सुनामी प्रभावित राज्यों को अभी तक कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है और इन राज्यों द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों और बैंकरों ने मछुआरों को ऋण लेने हेतु प्रोत्साहित करना बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने सुनामी प्रभावित राज्यों की सरकारों को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर केन्द्र द्वारा दी गई राशि का उपयोग करने हेतु कोई निदेश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नालको का विनिवेश

907. श्री परसुराम माझी:

श्री आलोक कुमार मेहता:

श्रीमती मिनाती सेन:

श्री गिरिधर गमांग:

श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नालको का विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नालको का विनिवेश करने का क्या कारण है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) सरकार ने जनवरी 2005 में लाभ में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में माइनरिटी शेयरहोल्डिंग की बिक्री के लिए सिद्धान्त रूप से अनुमोदन दे दिया था, बशर्ते कि उनके कम से कम 51% शेयर और उनका प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास रहे। इस पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में विनिवेश विभाग ने नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के शेयरों की आंशिक बिक्री का प्रस्ताव भेजा था और खान मंत्रालय से अपनी टिप्पणी देने का अनुरोध किया था। इस मंत्रालय ने अपनीं टिप्पणियां विनिवेश विभाग को भेज दी है। इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

आस्ट्रेलियाई बैंकों द्वारा भारत में निवेश

908. श्री डी. विट्टल राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलियाई बैंक ने भारत में निवेश करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आस्ट्रेलियाई बैंक ने इस संबंध में भारत सरकार से कोई वार्ता की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) कॉमनवेल्थ बैंक आफ आस्ट्रेलिया को बेंगलूर में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है।

भागलपुरी सिल्क

909. श्री काशीराम राणा:

श्री गिरिधारी यादव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार में भागलपुर सिल्क उद्योग का विकास करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम, जिसमें रेशम उद्योग के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना की गई है और जिसके तहत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भागलपुर सहित विभिन्न रेशम केन्द्रों में प्रयोग के लिए बिहार राज्य को वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमशः 106.27 लाख रु., 38.30 लाख रु. और 88.99 लाख रु. जारी किए हैं, के अलावा रेशम उद्योग के विकास के उद्देश्य से भागलपुर में निम्नलिखित परियोजनाएं चल रही हैं:-

(1) तसर आधारभूत बीज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आधारभूत बीज बहुगुणन एवं प्रशिक्षण केन्द्र;

(2) गरीब जनजातियों के लोगों को कच्ची सामग्री प्रदान करने के लिए तसर के वास्ते कच्ची सामग्री ऋण;

(3) नई प्रौद्योगिकी के प्राचर-प्रसार के लिए प्रदर्शन एवं तकनीकी सेवा केन्द्र; और

(4) गुणवत्ता में सुधार संबंधी परीक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला।

इसके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) एक गैर-सरकारी संगठन प्रधान के साथ समन्वय करके ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से लेकर बिहार में तसर एवं एरी रेशम के विकास के लिए विशेष एस.जी.एस.वाई. योजना

कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना 2003-04 और 2006-07 के बीच चार वर्षों की अवधि में कार्यान्वयन के लिए 1440.583 लाख रु. की कुल लागत पर तैयार की गई है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले का आयात

910. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए कोयले का बड़े पैमाने पर आयात करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र द्वारा वर्षवार कुल कितने कोयले का आयात किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न देशों से आयातित कोयले की मात्रा, गुणवत्ता और लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आयातित कोयला किस प्रकार से भारतीय कोयले से बेहतर है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) थर्मल पावर संयंत्रों में उत्पादन बनाए रखने और स्वदेशी स्रोतों से कोयला मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतराल को पाटने तथा स्टॉक उचित स्तर बनाए रखने के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान 13.45 मिलियन टन कोयला आयात करने की योजना बनाई गई है।

(ग) विगत 3 वर्षों के दौरान थर्मल विद्युत संयंत्रों द्वारा आयातित कोयले के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया तथा चीन से कोयले का आयात किया जा रहा है। आयातित कोयले का ग्रास कैलोरोफिक वेल्यू (जी.सी.वी.) सामान्यत: 5300 के सी.ए.एस./कि.ग्रा. से अधिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग आपूर्ति के आधार पर आयातित कोयले की सी.आई.एफ. कीमत भिन्न-भिन्न अवधियों में 50 से 70 अमरीकी डॉलर (अनुमानत:) प्रति मीट्रिक टन तक होती है।

(ङ) अपेक्षाकृत कम राख देने वाला उच्च तापीय शक्ति के कारण आयातित कोयला बेहतर होता है।

विवरण

विगत 3 वर्षों के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा आयतित कोयले के ब्यौरे

(आंकड़े 000, टन में)

क्र.सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	लेहरा मुहब्बत	3	0	0
2.	अहमदाबाद	764	532	465
3.	गांधीनगर	930	577	665
4.	उकई	8	0	0
5.	वनाकबोरी	73	26	0
6.	दहाणु	285	528	426
7.	ट्रॉम्बे	857	1423	1990

1	2	3	4	5
8.	भुसावल	0	0	144
9.	नासिक	0	0	393
10.	रायचूर	76	0	0
11.	बज बज*	75	283	285
12.	टीटागढ़	0	0	123
13.	कोटा	0	0	34
14.	सूरतगढ़	0	0	39
15.	नॉर्थ चेन्नई	0	0	17
	कुल	3071	3369	4527

ग्रामीण रोजगार योजना

911. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने हेतु ग्रामीण रोजगार योजना शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाए किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (घ) मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, 2004 लोक सभा में 21-12-2004 को पेश किया गया था। विधेयक का उद्देश्य हर वित्त वर्ष में ऐसे ग्रामीण गरीब परिवारों को कम से कम 100 दिनों के लिए मजदूरी रोजगार की गारंटी देना है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। संसद ने अभी इस विधेयक को मंजूरी नहीं दी है। इसलिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता और इसके कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

[हिन्दी]

हथकरघा निर्यात

912. श्री रामदास आठवले: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों को हथकरघा/हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान यू.एस.ए., यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, फ्रांस, स्वीडेन एवं आस्ट्रेलिया में हथकरघा वस्तुओं का निर्यात किया गया।

यू.एस.ए. यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, नीदरलैंड, सऊदी अरब, स्विटजरलैंड और आस्ट्रेलिया में हस्तनिर्मित कालीनों सहित हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया गया।

(ख) और (ग) जी हां। हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के लिए **हथकरघा निर्यात योजना** अनुमोदित की गई है। इस योजना में निर्यात योग्य हथकरघा उत्पादों के विकास, प्रचार कार्य एवं उनके अंतर्राष्ट्रीय विपणन करने तथा मूल्य संवर्धन/गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयों की स्थापना करने के लिए हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा सिफारिश किए गए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय हथकरघा निगमों, शीर्ष सहकारी समितियों, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और प्राइवेट हथकरघा निर्यातकों जैसी हथकरघा एजेंसियों को वित्तीय सहायता दिए जाने की परिकल्पना है। योजना के अंतर्गत हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एच.ई.पी.सी.), हथकरघा निगमों एवं शीर्ष समितियों का संघ (आकाश) इत्यादि को अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता मिलन में अपने सदस्यों को भागीदारी दिलाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

हस्तशिल्प व्यापार के संवर्धन हेतु निर्यात संवर्धन योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें उत्पाद विकास तथा प्रचार एवं विपणन घटक शामिल है, उत्पाद विकास घटक में पैकेजिंग एवं निर्यात प्रक्रिया में कार्यशाला और प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी विकास के लिए कारीगरों/मास्टर शिल्पकारों/डिजाइनरों को प्रशिक्षण, देश एवं विदेश में कार्यशाला/गोष्ठी घटक शामिल है। प्रचार एवं विपणन घटक में निर्यात संवर्धन हेतु प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, देश-विदेश में क्रेता-विक्रेता मिलन और विदेशों में विपणन अध्ययन का आयोजन शामिल है।

[अनुवाद]

गुजरात से प्राप्त अनुरोध

913. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में गुजरात सरकार से अपनी विकासात्मक परियोजनाओं और गुजरात के बाढ़ प्रभावित लोगों हेतु पुनर्वास के लिए और अधिक वित्तीय सहायता देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) गुजरात सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें दीर्घ आवधिक पुनःनिर्माण और पुनर्वास के लिए 4,113 करोड़ रुपए को शामिल करते हुए सार्वजनिक और निजी सम्पत्तियों दोनों के लिए 8000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल हानि की सूचना दी गई है।

भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा 92.25 करोड़ रुपए के आपदा राहत कोष से केन्द्र की हिस्सेदारी की पहली किस्त जारी करने के अतिरिक्त राहत और पुनर्वास प्रयोजनों के लिए 'लेखागत' आधार पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से 500 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की है। अंतर्मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने 10 से 13 जुलाई, 2005 को राज्य का दौरा किया था।

भारतीय मूल के लोगों के लिए अनुसंधान के अवसर

914. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को अनुसंधान के अधिक अवसर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। सरकार विदेश में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और तकनीकीविदों (एस.टी.आई.ओज) तथा अपने देश के भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के बीच संयुक्त परियोजना आधारित संयोजनता को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम तैयार कर रही है और ऐसा करने से उनके स्तर पर "एस.टी.आई.ओज" के अनुभव, विशेषज्ञता तथा अन्य संसाधनों का लाभ अर्जित करने में इससे मदद मिलेगी।

(ख) इस योजना को विषय बार नहीं तैयार किया गया है; वास्तव में संयुक्त परियोजना प्रस्ताव अनुप्रयोगों से यह आशा की जाएगी कि वह अपने देश के वैज्ञानिकों और विदेश में रह रहे "एस.टी.आई.ओज" के आपसी हितों तथा राष्ट्रीय महत्व के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होंगे। सरकारी वित्त पोषित शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को भारत में कार्यान्वित की जाने वाली संयुक्त परियोजना - पद्धति में कार्य करने के इच्छुक उपयुक्त "एस.टी.आई.ओज" का पता लगाना होगा।

(ग) चूंकि यह योजना अभी निर्माण के चरण में है अतः इसके लिए चालू पंचवर्षीय योजना में निधियों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

जैव प्रौद्योगिकी हेतु सहायता

915. **श्रीमती अर्चना नायकः** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संस्थापन सहायता को और अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दी गई प्रस्तावित नमनीय सहायता और अभी तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों में जैव-प्रौद्योगिकी को उत्कृष्ट बनाया जाएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) बायोटेक्नोलॉजी विभाग देशभर के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और गैर लाभार्थी संगठनों को जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा क्षमता निर्माण के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त उभरते हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन करने के लिए भी अनुदान प्रदान किया जाता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान 2000 से अधिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है, स्नातकोत्तर जैवप्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए 74 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई है, जैव सूचना प्रणाली नेटवर्क केन्द्रों के लिए 60 विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त देश में मूलभूत अनुसंधान और प्रक्रिया और उत्पाद विकास के लिए 57 जैवप्रौद्योगिकी अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की गई है।

(ग) जैवप्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रो में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है:-

- जन स्वास्थ्य में ट्रांसलेशनल अनुसंधान
- स्टेम सेल
- समुद्री जैवप्रौद्योगिकी
- पशु जैवप्रौद्योगिकी
- पोषकता जिनोमिक्स और खाद्य जैवप्रौद्योगिकी
- हर्बल औषध
- आण्विक औषध
- जैव - सामग्री और प्रक्रियाएं और
- जैव सूचना प्रणाली

इसके अतिरिक्त जैवप्रौद्योगिकी के अन्य अग्रणी उभरते हुए क्षेत्रों में भी केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाएगी।

बैंकों का विलय

916. **श्री जी. करुणाकर रेड्डीः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों और गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) के विलय और एकीकरण के बारे में दिशानिर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में और ये दिशानिर्देश क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त के सुगम प्रवाह के मुद्दे की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो निजी क्षेत्र के बैंकों और गैर-बैंककारी वित्त कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) के लिए यह किस सीमा तक लाभप्रद रहेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ विलय और समामेलन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 मई, 2005 को मार्गनिर्देश जारी किए हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाईट www.rbi.org.in/notification पर उपलब्ध है। इन मार्गनिर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि जबकि आम तौर पर बाजार भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता, कारोबार परिचालन में सहक्रियाओं, कारोबार एककों या खंडों आदि जैसे कारोबारी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समामेलन का निर्णय लिया जाता है। समामेलन के लिए ठोस तर्काधार, सर्वांगीण लाभ और अवशिष्टि कंपनी को होने वाले लाभ जैसे तथ्यों पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है। इन मार्गनिर्देशों में यह भी व्यवस्था है कि किसी बैंकिंग कंपनी के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के समामेलन के मामले में बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा ली गई ऋण सुविधाओं की भी जांच की जानी चाहिए।

स्वास्थ्य बीमा

917. **श्री के.एस. राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी बीमा कंपनियों के लिए अपने सभी पॉलिसी धारकों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा करना अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास राज्यों और सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों, निगमित क्षेत्रों आदि के सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य और जीवन बीमा करने संबंधी कोई प्रस्ताव भी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वास्थ्य और जीवन बीमा हेतु कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान करने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शुल्क प्रतिअदायगी योजना संबंधी अनुरोध

918. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वस्त्र निर्यातकों से शुल्क प्रतिअदायगी योजना की समीक्षा करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने अपने दिनांक 9 मार्च, 2005 के आदेश के तहत तीन सदस्यों की एक समिति का गठन किया था जिसमें श्री सौमित्र चौधरी (प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद् के सदस्य) को इस समिति का अध्यक्ष, श्री एस.बी. मोहापात्रा, सचिव, (सेवानिवृत्त) और श्री टी.आर. रुस्तगी, मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सेवानिवृत्त) को इस समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। समिति ने टैक्सटाइल मंत्रालय, वस्त्र व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाली निर्यात-संवर्द्धन परिषदों, टैक्सटाइल निर्यातकों और टैक्सटाइल निर्यातकों और अलग-अलग निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यापार संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श किया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर, टैक्सटाइल और वस्त्रों के लिए मूल्यानुसार प्रतिअदायगी की उपयुक्त दरों को 2 मई, 2005 को अधिसूचित किया गया था। संशोधित दरें 5 मई, 2005 से लागू हो गयी हैं।

[हिन्दी]

हवाला कारोबार

919. **श्री संतोष गंगवार:**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान हवाला कारोबार के कितने मामलों का पता लगा है और तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा हवाला कारोबार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान हवाला कारोबार के कई मामलों का पता लगा है जिनमें अन्वेषण पूरा होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	मामलों की सं.	राशि (रुपये करोड़ों में)
2003	230	71.85
2004	224	3261.36

(ख) हवाला अपराध सिविल प्रकार के हैं/इसलिए जांच-पड़ताल पूरी होने पर अपराधियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं और दोषी पाए गए व्यक्तियों पर शास्तियां लगाई जाती हैं। तथापि, हवाला कारोबार के गंभीर मामलों में जहां अधिक राशि अंतर्ग्रस्त है, ऐसे उल्लंघन-कर्ताओं पर कोफेपोसा लागू करने पर विचार करने के लिए ऐसे मामलों को केन्द्रीय स्क्रीनिंग समिति के पास भेजा जाता है।

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण

920. **श्री सुरेश अंगड़ि:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ राज्य सरकारों ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा स्व-रोजगारी की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस तथ्य को संबंधित राज्य सरकारों के ध्यान में लाई है और उनसे इस संबंध में उपयुक्त रणनीति तैयार करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (ङ) जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) की वर्ष 2004-05 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और सिक्किम राज्यों ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर अपने कुल आबंटन के 10 प्रतिशत से अधिक व्यय की जानकारी दी है। सामान्यतः, राज्यों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर अपने कुल आबंटन का 10 प्रतिशत उपयोग करना होता है। एस.जी.एस.वाई. के दिशा-निर्देशों में स्वरोजगारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की व्यवस्था है। प्रारंभिक अभिमुखीकरण और कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षार्थी 5000 रु. खर्च किया जा सकता है। दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित किए गए अनुसार स्वरोजगारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने और उनकी क्षमता निर्माण के लिए उपयुक्त उपाय करने की राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

वस्त्र क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी

921. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथकरघा, हस्तशिल्प और विद्युतकरघा सहित वस्त्र क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाए जाने पर होने वाले सम्भावित व्यय की धनराशि का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विदेशी मुद्रा का कितना योगदान है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाए जाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) वस्त्र मंत्रालय अपनी प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में पर्यावरणीय सुरक्षा का संवर्द्धन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत बहिस्राव आशोधन संयंत्रों इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर्स, थैला छलनी, वातायन प्रणाली, आर्द्र मार्जकों आदि जैसे विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों की खरीद के लिए वस्त्र उद्योग को 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाती है।

इसके अलावा भारत सरकार ने वस्त्र प्रसंस्करण एककों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत अंतरालों को समाप्त करने के लिए एक वस्त्र केन्द्र विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) भी आरंभ की है। इस योजना के तहत अधिकतम 20 करोड़ रु. की सीमा के अध्यधीन एक सामान्य बहिस्राव आशोधन संयंत्र (सी.ई.टी.पी.) के संबंध में परियोजनाओं के महत्वपूर्ण संघटकों को 100% निधि की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है जबकि अन्य संघटकों के लिए केन्द्र व राज्य एजेंसियों के मध्य 75:25 के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत जून, 2005 तक 77.15 करोड़ रु. मूल्य की परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति से वस्त्र उद्योग द्वारा समुचित प्रौद्योगिकी को अपनाने की प्रवृति बढ़ाकर और उल्लंघनों का संज्ञान लेकर विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों को कार्यान्वित कर रहा है।

[अनुवाद]

बैंककारी विनियमों में संशोधन

922. **श्री मधु गौड यास्खी:**

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फसल मूल्यों में गिरावट होने पर किसानों का घाटे से बचाव सुनिश्चित करने के लिए वर्षान्त तक वाणिज्य बैंक सहकारी समितियों का किसानों हेतु वस्तु विनिमय में बिचौलिए के रूप में कार्य करने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के नैशनल कामोडिटिज एण्ड डिराइवेटिव एक्सचेंज ने सरकार को इस प्रयोजनार्थ बैंककारी विनियमों में परिवर्तन करने के लिए विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास हेतु धनराशि

923. प्रो. महादेवराव शिवनकर:

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

श्री मुन्शी राम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दसवीं योजनावधि के दौरान देश में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धनराशि को व्यय करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान केन्द्र द्वारा आवंटित धनराशि को संबंधित कार्यक्रम पर व्यय किया गया है;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) उक्त अवधि के दौरान किन-किन राज्यों ने इस धनराशि को संबंधित कार्यक्रम पर व्यय नहीं किया है; और

(ज) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) जी, हां। अब तक, संघ सरकार ने नौवीं और दसवीं योजना के दौरान देशभर के 520 जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। राज्यवार, अनुमोदित टी.एस.सी. परियोजनाओं का परिव्यय और अब तक रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) टी.एस.सी. परियोजनाओं को 4-5 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि इसी अवधि के दौरान परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा।

(ङ) से (छ) जी, हां। केन्द्र द्वारा टी.एस.सी. परियोजनाओं के लिए आबंटित राशि को परियोजना जिलों द्वारा खर्च किया जा रहा है। निधियों के उपयोग और अन्य निर्धारित शर्तों के आधार पर टी.एस.सी. परियोजना के लिए निधियां चार किस्तों में रिलीज की जाती हैं। तथापि, कुछ राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, पंजाब और उत्तरांचल में कार्यान्वयन की गति धीमी है। भारत सरकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है और परियोजना अधिकारियों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर रही है ताकि वे टी.एस.सी. परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी ला सकें। इस उद्देश्य हेतु एक व्यापक मॉनीटरिंग प्रणाली भी स्थापित की गयी है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	कुल परियोजना परिव्यय	अनुमोदित अंश			केन्द्रीय रिलीज
			केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	36018.31	22810.55	7689.27	5518.49	13090.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	856.14	607.51	154.33	94.3	252.26

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	9685.43	6232.72	2075.69	1377.02	997.86
4.	बिहार	30555.33	20094.56	6251.36	4209.41	4171.48
5.	छत्तीसगढ़	12974.18	8051.7	3100.44	1822.04	1921.48
6.	दादर व नगर हवेली	47.14	35.5	0	11.64	3.15
7.	गोवा	727.57	425.58	160.75	141.24	134.67
8.	गुजरात	27615.64	15074.26	6920.44	5620.94	4445.48
9.	हरियाणा	9602.05	4667.67	2438.94	2495.44	1552.38
10.	हिमाचल प्रदेश	3406.16	2064.07	819.37	522.72	268.39
11.	जम्मू-कश्मीर	6890.85	4387.38	1510.34	993.13	1243.41
12.	झारखण्ड	30055.51	18921.6	6658.47	4475.44	5649.51
13.	कर्नाटक	32503.15	20715.38	7327.48	4460.29	4057.61
14.	केरल	11524.62	6099.61	2724.34	2700.67	3265.59
15.	मध्य प्रदेश	42755.4	27589.02	9513.24	5653.14	8839.16
16.	महाराष्ट्र	43069.68	22162.99	10834.95	10071.74	7583.68
17.	मणिपुर	1039.55	505.48	270.46	263.61	151.64
18.	मेघालय	1570.29	737.91	431.79	400.59	221.37
19.	मिजोरम	279.59	175.13	58.92	45.54	71.51
20.	नागालैंड	805.81	542.32	162.52	100.97	194.81
21.	उड़ीसा	43973.42	28411.17	9342.6	6219.65	8236.2
22.	पांडिचेरी	248.9	158.06	0	90.84	94.84
23.	पंजाब	6613.24	3577.86	1738.78	1296.6	989.03
24.	राजस्थान	35966.73	23368.23	8265.39	4333.11	4931.47
25.	सिक्किम	686.63	414.74	161.03	110.86	272.81
26.	तमिलनाडु	36859.34	21160.47	8801.75	6891.12	11875.68
27.	त्रिपुरा	3964.82	2283.64	914.22	766.96	2055.79

1	2	3	4	5	6	7
28.	उत्तर प्रदेश	46709.29	28409.7	10291.56	8008.03	14410.36
29.	उत्तरांचल	5226.99	3434.4	1193.8	598.79	759.51
30.	पश्चिम बंगाल	34695.24	16042.67	5450.1	13202.47	7613.31
	कुल	516927.00	309167.88	115262.3	92496.79	109354.46

[अनुवाद]

जूट इकाइयों को उपकर से छूट

924. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, पूर्वोत्तर के राज्यों की जूट इकाइयों को उनके तैयार उत्पाद पर लगने वाले उपकर से छूट देने पर विचार कर रही है ताकि उनका कारोबार बढ़ सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस स्तर पर कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

परिसमापन प्रक्रिया

925. श्री सीता राम यादव: क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग 5700 फर्मों को बंद कर दिया गया है और इन फर्मों की परिसमापन प्रक्रिया में 15 से 20 वर्ष लगेंगे;

(ख) यदि हां, तो विभाग द्वारा शीघ्र परिसमापन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे निवेशकों को घाटा न हो; और

(ग) विभाग द्वारा निवेशकों को धनराशि के शीघ्र संवितरण हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) दिनांक 31-03-2004 को 6027 कंपनियां समापन के अन्तर्गत थी। अभी के अध्ययन के अनुसार, भारत में दिवालियापन की प्रक्रिया को पूरा करने में औसतन 10 वर्ष लगते है।

(ख) और (ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग-VII कम्पनियों के परिसमापन और सभापन के बारे में है। कंपनियों के परिसमापन के लिए समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान करने के लिए कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा अधिनियम में संशोधन हुआ था। फिर भी उपर्युक्त अधिनियमन पर वैध चुनौतियों के कारण उपर्युक्त संशोधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान अभी तक अधिसूचित नहीं है और अन्य बातों के साथ-साथ परिसमापन और समापन से संबंधित मामलों को देखने के साथ ही उच्च न्यायालय के प्रासंगिक न्यायाधिकरण के स्थान्तरण के लिए, अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.ए.टी.) के गठन की परिकल्पना थी लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं किया गया है। कंपनियों का शीघ्रता से परिसमापन करने से विधि मान्य दावों का पूर्व निपटान संभव होगा जैसा कि कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 में परिकल्पित है।

परिसीमन आयोग

926. प्रो. एम. रामदास:
श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोग के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को आयोग से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ संसद सदस्यों ने आयोग को कतिपय सुझाव दिए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी, हां।

(ख) जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए 12 जुलाई, 2002 को परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 4, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि परिसीमन आयोग लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए वर्ष 2001 में की गई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के पुनः समायोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) और (घ) परिसीमन आयोग ने गोवा, मिजोरम, केरल और त्रिपुरा राज्यों तथा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को अभ्यंकित करने वाले अपने अंतिम आदेशों को भारत के राजपत्र और संबंधित राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित किया है। केन्द्रीय सरकार को उक्त आदेशों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं और उन्हें सदन के पटल पर रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) और (च) जी, हां। आयोग को उसके कार्य में सहायता देने के लिए प्रत्येक राज्य से पांच विधान सभा सदस्यों और पांच संसद् सदस्यों को परिसीमन आयोग के सहयुक्त सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है। ऐसे मामले में, जब किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से संसद् सदस्यों की संख्या 5 से कम हो, तब उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए सभी सदस्यों को सहयुक्त सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है। आयोग प्रारूप प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए सहयुक्त सदस्यों के साथ अनेक बैठकें करता है। इस प्रक्रिया में आयोग किसी राज्य के परिसीमन से संबंधित उनके सुझावों पर विचार करता है। सहयुक्त सदस्यों के सुझावों के अलावा, आयोग को कुछ संसद् सदस्यों से संसदीय और सभी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में और साथ ही सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं पर अनेकों सुझाव/आक्षेप प्राप्त होते हैं। आयोग किसी राज्य को राज्यक्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमित करते समय सभी सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार करता है।

(छ) परिसीमन आयोग, संसद् द्वारा परिसीमन अधिनियम, 2002 में अधिकथित प्रक्रिया को अपना रहा है।

कृषि ऋण पर ब्याज

927. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को देश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत और सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए कृषि ऋण पर ब्याज माफ करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान किसानों को दिए गए कृषि और फसल ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार को समय-समय पर भिन्न मामलों पर विभिन्न राज्य सरकारों से पत्र प्राप्त होते रहते हैं। तथापि, कृषि ऋणों सहित ऋणों पर ब्याज की आम माफी देने वाली किसी योजना का जमाकर्ताओं की धनराशि पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और यह विवेकपूर्ण बैंकिंग मानदंडों के भी खिलाफ है।

फिर भी, सरकार ने अल्पावधि फसल ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदल कर खरीफ 2002 के दौरान सूखा से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान की थी, जिसकी छोटे किसानों द्वारा 5 वर्ष की अवधि में तथा अन्य किसानों के मामले में 4 वर्ष में वापसी अदायगी की जानी है। इसके अतिरिक्त फसल ऋणों पर ब्याज आस्थगित भी कर दिया गया था और उन्हें इस तरह से पुनर्निर्धारित किया गया था कि आस्थगित ब्याज का सिर्फ 20 प्रतिशत ही प्रथम वर्ष में देय हुआ। सरकार पुनर्निर्धारित ब्याज की पहली किस्त का भुगतान करने पर सहमत हो गई। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कृषि को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने संबंधी पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में मुसीबत में फंसे किसानों की सहायता की योजना शामिल है जिसके अंतर्गत दिनांक 31-03-2004 की स्थिति के अनुसार ब्याज को मूलधन में मिला दिया जाता है और 5 वर्ष की अवधि (दो वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित) के लिए पुनर्निर्धारित किया जाता है।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान किसानों को दिया गया राज्य-वार कृषि ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2004-2005 के दौरान बैंकों द्वारा संवितरित राज्य-वार कृषि-ऋण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	सहकारी बैंक	आर.आर.बी.	वाणिज्यिक बैंक	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	2.70	0.00	3745.95	3746.65
2.	हरियाणा	4108.04	556.29	4532.63	9196.96
3.	पंजाब	5398.05	434.55	7876.30	13708.90
4.	हिमाचल प्रदेश	122.60	40.20	451.74	614.43
5.	जम्मू-कश्मीर	33.81	23.93	45.21	102.95
6.	उत्तर प्रदेश	2140.23	2537.82	6430.89	10108.94
7.	उत्तरांचल	177.48	45.30	420.86	643.64
8.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.14	0.00	3.70	6.84
9.	बिहार	262.60	431.72	1077.19	1771.51
10.	छत्तीसगढ़	388.21	130.30	279.36	797.88
11.	झारखंड	0.00	96.52	327.46	423.97
12.	उड़ीसा	971.26	304.69	718.50	1994.45
13.	पश्चिम बंगाल	762.19	203.17	2330.41	3295.77
14.	अरुणाचल	0.90	0.74	11.94	13.58
15.	असम	3.44	60.86	198.57	262.88
16.	मणिपुर	2.17	2.04	14.48	18.69
17.	मेघालय	1.74	3.76	19.05	24.54
18.	मिजोरम	2.82	6.47	8.28	17.57
19.	नागालैंड	1.92	0.64	15.72	18.28
20.	सिक्किम	0.64	0.00	3.86	4.40

1	2	3	4	5	6
21.	त्रिपुरा	1.82	9.04	30.69	41.55
22.	गोवा	8.99	0.00	62.24	71.23
23.	गुजरात	2766.85	386.89	3634.74	6788.48
24.	मध्य प्रदेश	1974.68	684.61	2532.88	5192.07
25.	महाराष्ट्र	3811.91	237.58	4200.74	8250.23
26.	राजस्थान	2051.68	736.23	2358.99	5246.90
27.	आन्ध्र प्रदेश	2060.87	1950.54	8953.63	12985.04
28.	कर्नाटक	1334.48	1265.96	4688.86	7289.31
29.	केरल	964.71	1027.52	2635.60	4627.83
30.	तमिलनाडु	1278.76	540.82	7346.49	9166.08
	कुल	30638.38	11718.17	63956.96	34048.24
31.	अन्य राज्य			67.32	67.32
	आर.आई.डी.एफ.			214.80	214.80
	अप्रत्यक्ष अग्रिम			370.86	370.86
	कुल योग	30638.38	11718.17	64609.94	106966.49

ों/भारतीय बैंक संघ से प्राप्त सूचना पर आधारित अनन्तिम आंकड़े

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरण 8276.32 करोड़ रु. (अखिल भारत) था जिसके लिए राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

दी]

राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण को धनराशि

928. **श्री अजीत जोगी: क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण को राशि प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य क्या है;

(घ) क्या उक्त प्राधिकरण ने अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को आबंटित निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वित्तीय वर्ष	आबंटित निधियां (रुपए)
2002-03	6 करोड़
2003-04	6 करोड़
2004-05	5.98 करोड़
2005-06	10 करोड़

(ग) संविधान का अनुच्छेद 39क निर्धनों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रव्यापी तंत्र स्थापित करना है जिससे कि आर्थिक या अन्य निःशक्तताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जा सके। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना भी नाल्सा के उद्देश्यों में से एक है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण देश में विधिक सहायता स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मॉनीटर और मूल्यांकित कर रहा है और विधिक साक्षरता तथा विधिक जागरुकता के प्रसार के लिए समुचित उपाय कर रहा है और साथ ही विधिक सहायता जागरुकता शिविरों और लोक अदालतों का आयोजन भी कर रहा है। नाल्सा उक्त अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों और स्कीमों को भी तैयार कर रहा है तथा साथ ही वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का मार्गदर्शन भी करता है।

देश भर में गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पक्षकारों के बीच सुलह और मध्यकता की प्रक्रिया के माध्यम से मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन कर रहे हैं। यह न्याय प्रशासन की त्वरित प्रणाली उपलब्ध कराने में काफी लोकप्रिय साबित हुई हैं। नाल्सा काफी हद तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ रहा है।

राज्यों को घाटा

929. श्री मोहन सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सभी राज्यों का रुपए में कुल घाटा कितना है और देश के सकल घरेलू उत्पाद का यह कितने प्रतिशत बनता है;

(ख) क्या सरकार सभी राज्यों को ऋण मुक्त करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों का आयकर, सेवाकर, उत्पाद और सीमा शुल्क जैसे केन्द्रीय करों में कितने प्रतिशत हिस्सा है; और

(ङ) सरकार द्वारा केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली सहित सभी राज्यों का कुल सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 2003-04 (संशो. अनु.) में 1,41,010 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने "राज्यों की ऋण समेकन और राहत सुविधा (डीसी.आर.एफ.)" स्कीम तैयार की है। बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि दिनांक 31-03-04 तक राज्यों को दिए गए तथा 31-03-05 तक उन पर बकाया केन्द्रीय ऋणों को 20 वर्षों की नई अवधि के लिए समेकित तथा पुनर्सूचीकृत किया जा सकता है (फलस्वरूप यह अदायगी 20 बराबर किस्तों में की जाएगी) तथा उन पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जा सकता है। ऋणों को बट्टे-खाते डाले जाने की स्कीम राजकोषीय जवाबदेही कानून के अधिनियमन से सामान्य ऋण राहत की अर्हता प्राप्त करने के वर्ष से सभी राज्यों के लिए लागू रहेगी। ऋण वापसी को बट्टे-खाते में डाले जाने की मात्रा क्या हो, यह बारहवें वित्त आयोग द्वारा समेकित राजस्व घाटे के आधार स्तर से राज्यों द्वारा प्रत्येक परवर्ती वर्षों में अपने राजस्व घाटे में की गई कटौती की संपूर्ण राशि पर निर्भर होगी। इसका अर्थ यह है कि यदि 2008-09 में राजस्व घाटे को शून्य तक लाया जाता है तो उस अवधि के दौरान संपूर्ण अदायगियों को बट्टे-खाते में डाल दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर नियत किया जाता है। बारहवें वित्त

आयोग की सिफारिश के आधार पर हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में से राज्यों के हिस्से को 29.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 30.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय जूट निगम का पुनर्गठन

930. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय जूट निगम के वित्तीय पुनर्गठन को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय जूट निगम के सभी बकाया ऋणों और ब्याज को बट्टे खाते में डाल दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय जूट निगम हेतु कोई पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने सी.जी.ए. की सिफारिश के अनुसार संचित घाटों (144.17 करोड़ रु.), प्राप्य सब्सिडी (301.88 करोड़ रु.) और एन.जे.एम.सी. पर जे.सी.आई. के दावे (64.13 करोड़ रु.) के विरुद्ध 195.68 करोड़ रु. के पूरे बकाया ऋण और इन ऋणों पर (31-03-2003 की स्थिति के अनुसार) 313.97 करोड़ रु. के ब्याज को बट्टे खाते में डालने के लिए 27-4-2005 को अपनी मंजूरी दी।

(ङ) और (च) सरकार ने जे.सी.आई. द्वारा एम.एस.पी. अभियानों के कारण उठाए गए घाटों को बराबर करने के लिए वर्ष 2003-04 से सतत् आधार पर इस वर्ष भी सब्सिडी प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। सब्सिडी की राशि में जे.सी.आई. द्वारा कच्ची पटसन की खरीद और बिक्री कीमतों के बीच का अंतर शामिल होगा। एम.एस.पी. घाटों का परिकलन करते समय जे.सी.आई. को ऊपरी लागत की प्रतिपूर्ति किसी वित्तीय वर्ष विशेष में एम.एस.पी. के तहत खरीददारी के मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगी।

उपर्युक्त मंजूरी केन्द्र सरकार और भारतीय पटसन निगम लि., कोलकाता के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के अध्यधीन है।

सूखा और बाढ़ का पूर्वानुमान

931. श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौसम विभाग कई वर्षों से देश में सूखा और बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं का सही पूर्वानुमान नहीं लगा पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच की है/जांच करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का सही पूर्वानुमान लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) केन्द्रीय जल आयोग को आवश्यक मौसम वैज्ञानिक सूचनायें उपलब्ध कराता है जो बाढ़ पूर्वानुमान के लिए केन्द्रीय एजेंसी है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में बाढ़ के फैलाव का पूर्वानुमान करना कठिन होता है क्योंकि यह वर्षा के अतिरिक्त कई अन्य कारकों जैसे जल निकासी की बुनियादी सुविधा पर निर्भर करता है। भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगभग एक सप्ताह पहले कर पाना संभव है परन्तु वर्षा की मात्रा तथा वितरण का पूर्वानुमान करना कठिन है। जब तक क्षेत्र में अपने दीर्घकालिक औसत मान (सामान्यतः 30 वर्ष) के 75 प्रतिशत से कम मौसमी वर्षा होती है तब एक मौसम वैज्ञानिक रूप से सूखा पड़ने की संभावना की जाती है। देश के किसी विशिष्ट भाग में सूखे अथवा सूखे जैसी स्थिति का पहले ही पूर्वानुमान करना संभव नहीं है। तथापि, आई.एम.डी. के मानसूनी वर्षा के पूर्वानुमानों को सूखे की पूर्व तैयारी हेतु सीमित रूप में उपयोग किया जा सकता है।

आई.एम.डी. ने प्राकृतिक आपदाओं की मानीटरिंग और पूर्वानुमान करने की अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए बहुत से कार्य शुरू किए हैं। इन कार्यों में दूरस्थ एवं भू आधारित प्रेक्षणात्मक नेटवर्क में सुधार तथा गतिशील पूर्वानुमान माडलों का उपयोग शामिल है।

[हिन्दी]

नाथपा-झाकड़ी विद्युत संयंत्र बंद किया जाना

932. श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाथपा-झाकड़ी विद्युत संयंत्र के बंद होने के कारण कई राज्यों में विद्युत की आपूर्ति बाधित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके बंद होने से पहले इस परियोजना द्वारा कितना विद्युत उत्पादन किया गया; और

(घ) इस संयंत्र को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) जी, हां। आरंभ में पारिचु बाढ़ की चेतावनी के कारण तथा बाद में निरंतर वर्षा होने, बाढ़ आने के कारण और बाढ़ के बाद के प्रभावों के कारण सतलुज नदी में अधिक गाद भर जाने कारण नाथपा-झाकड़ी विद्युत संयंत्र 25-6-2005 से 13-7-2005 तक पूर्णत: बंद कर दिया गया था। इस संयंत्र के बंद हो जाने के कारण उत्तरी क्षेत्र के लाभार्थी राज्यों को उनके लिए आबंटित विद्युत का हिस्सा नहीं मिला।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान, परियोजना के बंद होने से पहले अर्थात् 1-4-05 से 24-6-05 तक नाथपा-झाकड़ी से 2093 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया गया था।

(घ) परियोजना की दो यूनिटें 14-7-2005 से फिर से चालू की गईं। और दिनांक 18-7-2005 को तीसरी यूनिट चालू की गई। दिनांक 26-7-2005 की स्थिति के अनुसार चार यूनिटें (कुल 6 यूनिटें) चालू थीं। नदी में व्याप्त गाद अनुकूल स्तर पर आ जाने पर संपूर्ण संयंत्र को चालू कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान का कार्यनिष्पादन

933. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं और अन्य अर्धसरकारी निकायों के कार्यनिष्पादन के आकलन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी अनुसंधान संस्थानों और अन्य अर्धसरकारी निकायों के अनुसंधान प्रयासों के कारण कौन-कौन से पेटेन्ट प्राप्त किये गये हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपास का उत्पादन

934. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर बी.टी.कॉटन के अपनाये जाने से कुछ समय में देश में कपास का आयात कम हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कताई मिलों की मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त कपास का उत्पादन करने की क्षमता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (घ) किसानों द्वारा बी.टी. कपास के बीजों को व्यापक रूप से अपनाने एवं अन्य अनुकूल कारकों के कारण देश में कपास का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। देश में कताई मिलों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कपास का उत्पादन करने की क्षमता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार कपास का उत्पादन बढ़ा है और आयात कम हुआ है।

मात्रा: लाख गांठ में प्रति गांठ 170 कि.ग्रा.

वर्ष (कपास मौसम)	भारत में कपास उत्पादन	भारत में कपास आयात
2002-03	136.00	17.67
2003-04	177.00	7.21
2004-05 (अनंतिम)	232.00	6.00

स्रोत : कपास सलाहकार बोर्ड

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण

935. श्री जुएल ओराम: क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.टी.) स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे न्यायाधिकरणों की शाखाएं विभिन्न नगरों में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कौन-कौन से स्थानों की पहचान की गयी है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) स्थानों को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण की खण्डपीठों हेतु प्रथम/द्वितीय चरण के दौरान निम्नलिखित शहरों (राज्यों) के लिए प्रस्तावित स्थान इस प्रकार है:–

प्रथम चरण

I. नई दिल्ली में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण

II. राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण की खण्डपीठ:–

1. नई दिल्ली (रा.रा.क्षे. दिल्ली) (प्रधान खण्डपीठ)
2. अहमदाबाद (गुजरात)
3. बंगलौर (कर्नाटक)
4. चेन्नई (तमिलनाडु)
5. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
6. इंदौर (मध्य प्रदेश)
7. जयपुर (राजस्थान)
8. कोलकाता (प. बंगाल)
9. मुम्बई (महाराष्ट्र)
10. इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
11. नोएडा (दिल्ली, नोएडा/एन.सी.आर. क्षेत्र)

द्वितीय चरण

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण की खण्डपीठ :

1. गुवाहाटी (असम)
2. पटना (बिहार)
3. चण्डीगढ़ (सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़)
4. कोचीन (केरल)
5. कटक (उड़ीसा)

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

936. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की अर्हता वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी लोगों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन लोगों, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पाने के पात्र हैं, की संख्या के रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय में वृद्धावस्था पेंशन देने की अब कोई योजना नहीं है, बल्कि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वृद्धावस्था पेंशन देते हैं। तथापि, वित्त मंत्रालय इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए योजना आयोग द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में निधियां रिलीज करता है।

वरीयता क्षेत्र को ऋण प्रदान किया जाना

937. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक वरीयता क्षेत्र के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा किये जाने वाले अप्रत्यक्ष निवेश को शनैः शनैः समाप्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आशय का एक परिपत्र जारी किया है कि दिनांक 1 जुलाई, 2005 को अथवा उसके पश्चात् बैंकों द्वारा "वेंचर कैपिटलिस्ट" में किया गया नया निवेश, वर्ष 2006 तक ग्रामीण विद्युतिकरण निगम में किया गया निवेश और वर्ष 2007 तक नाबार्ड बॉन्डों में किया गया निवेश वरीयता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत नहीं आयेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि प्राथमिक क्षेत्र उधार के तहत बैंकों के निवेश को युक्तियुक्त बनाने तथा किसानों/अन्य प्राथमिक क्षेत्र के उधारकर्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से उधार में वृद्धि करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) सहित] से कहा गया है कि:

(i) प्राथमिक क्षेत्र उधार के तहत विनिर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा जारी बांडों में बैंकों द्वारा निवेश के वर्गीकरण के संदर्भ में विद्यमान दिशानिर्देश 31 मार्च, 2005 तक जारी रह सकते हैं।

(ii) बैंकों द्वारा 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद ऐसा निवेश, जिसे विनिर्दिष्ट संस्थाएं (नाबार्ड को छोड़कर) यथा आर.ई.सी., एस.एफ.सी., एस.आई.डी.सी., सिडबी, एन.एस.आई.सी., एन.एच.बी. एवं हुडको द्वारा जारी बांडों में किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र उधार के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

(iii) उपर्युक्त विनिर्दिष्ट संस्थाओं (नाबार्ड को छोड़कर) द्वारा जारी विशेष बांडों में 31 मार्च, 2005 तक बैंकों द्वारा जो निवेश पहले किये गये है/किये जाने वाले हैं, वे 1 अप्रैल, 2006 से प्राथमिक क्षेत्र उधार के तहत वर्गीकरण के पात्र नहीं होंगे। तथा

(iv) नाबार्ड द्वारा जारी विशेष बांडों में निवेश 1 अप्रैल, 2007 से प्राथमिक क्षेत्र उधार के तहत वर्गीकरण के पात्र नहीं होंगे।

(ग) और (घ) सम्पूर्ण ऋण वृद्धि अन्य क्षेत्रों की तुलना में जोखिम पूंजी में निवेश में वृद्धि सहित हाल के घटनाक्रम की समीक्षा कर भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई, 2005 के अपने परिपत्र के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आर.आर.बी. सहित) से कहा है कि:

(i) नया निवेश जिसे बैंकों द्वारा 1 जुलाई, 2005 को अथवा उसके पश्चात् जोखिम पूंजी में किया गया हो यह प्राथमिक क्षेत्र उधार के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होगा; तथा यह कि

(ii) वैसा निवेश जिसे बैंकों द्वारा 30 जून, 2005 को जोखिम पूंजी में कर दिया गया हो/किया जाने वाला हो, 1 अप्रैल, 2006 से प्राथमिक क्षेत्र उधार के तहत वर्गीकरण का पात्र नहीं होगा।

[हिन्दी]

ऊन बोर्ड का विकास

938. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में ऊन बोर्ड कार्यालय के विकास की कोई योजना लंबित पड़ी है;

(ख) क्या ऊन बोर्ड कार्यालय जोधपुर से स्थानांतरित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, नहीं। तथापि, बोर्ड के कार्यक्रमों में क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए संविदागत आधार पर परामर्शदाताओं, विशेषज्ञों की सेवाएं लेकर दसवीं योजना में एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम (आई.डब्ल्यु.आई.सी.) के तहत केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर को सुदृढ़ किए जाने का प्रावधान है।

(ख) और (ग) जोधपुर से कार्यालय स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

बिहार में विद्युत संकट

939. **श्री उदय सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को बिहार में इस समय व्याप्त गंभीर विद्युत स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय क्षेत्र बिहार राज्य को पर्याप्त विद्युत प्रदान नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप विद्युत संवितरण प्रणाली ठप्प हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्रीय क्षेत्रों से बिहार के लिए पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने के लिए कौन सी ठोस कार्य योजना तैयार की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) बिहार में अप्रैल-जून, 2005 के दौरान विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है:

ऊर्जा (मि.यू.)		व्यस्ततम	
ऊर्जा आवश्यकता	1941	व्यस्ततमकालीन मांग	1050
ऊर्जा उपलब्धता	1601	व्यस्ततमकालीन पूर्ति	965
कमी	340	कमी	85
कमी (%)	17.5	कमी (%)	8.1

पूर्वी क्षेत्र और चुखा हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट में केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से बिहार राज्य हेतु विद्युत का कुल आबंटन 1,060 मे.वा. है। यह बिहार में कुल व्यस्ततम मांग का लगभग 100% है। बिहार राज्य में विद्युत की कमी का मुख्य कारण, राज्य के स्वामित्व वाले विद्युत स्टेशनों का घटिया निष्पादन है। राज्य में विद्युत की आपूर्ति और वितरण करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करके और थोक पारेषण प्रणाली (वल्क ट्रांसमिशन सिस्टम) की स्थापना करके राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) में भ्रष्टाचार

940. श्री ब्रजेश पाठक:

श्री सुबोध मोहिते:

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

श्री रामसेवक सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को दसवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कौन-कौन से स्थान प्रभावित हुए हैं;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान कुछ जन प्रतिनिधियों द्वारा कोई विशेष शिकायतें की गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा सभी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी/की जानी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से प्रत्येक राज्य में पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करता है। राज्यों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों में भी प्रगति की समीक्षा की जाती है। अब तक आयोजित की गई क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) से (छ) ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय होने के कारण पी.एम.जी.एस.वाई. का ठीक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि, पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की कोई विशेष शिकायत ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

पी.एम.जी.एस.वाई. पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	भागीदारी करने वाले राज्य
1	2	3	4
1.	14 सितम्बर, 02	पुणे	कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़
2.	21 सितम्बर, 02	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश
3.	28 सितम्बर, 02	शिलांग	पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य
4.	2-6 मई, 03	नई दिल्ली	पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान
5.	8-9 मई, 03	नई दिल्ली	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश
6.	12-13 मई, 03	बंगलौर	केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु
7.	22-23 मई, 03	कोलकाता	पूर्वोत्तर राज्य
8.	29-30 मई, 03	भुवनेश्वर	उड़ीसा, झारखंड, बिहार
9.	5-6 जून, 03	अहमदाबाद	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा
10.	10-12 नवम्बर, 03	नई दिल्ली	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़
11.	17-19 नवम्बर, 03	तिरुवनंतपुरम	गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
12.	24-26 नवम्बर, 03	कोलकाता	पूर्वोत्तर राज्य
13.	28-30 नवम्बर, 03	नई दिल्ली	जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश
14.	27 अप्रैल, 2004	शिलांग	मेघालय
15.	1 मई, 2004	गुवाहाटी	असम
16.	18 मई, 2004	रांची	झारखंड
17.	10-11 सितम्बर, 04	रांची	पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार
18.	16-17 सितम्बर, 04	पुणे	महाराष्ट्र और कर्नाटक
19.	23-24 सितम्बर, 04	गंगटोक	पूर्वोत्तर राज्य (असम को छोड़कर)
20.	6-7 अक्टूबर, 04	जयपुर	राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा और मध्य प्रदेश
21.	12-13 अक्टूबर, 04	हैदराबाद	केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु

1	2	3	4
22.	26-27 अक्टूबर, 04	शिमला	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश
23.	1 नवम्बर, 04	दिल्ली	असम
24.	8-9 फरवरी, 05	गुवाहाटी	असम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश
25.	12 मार्च, 05	पुणे	महाराष्ट्र
26.	22 अप्रैल, 05	बंगलौर	कर्नाटक
27.	26 अप्रैल, 05	चेन्नई	तमिलनाडु
28.	10 जून, 05	दिल्ली	कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
29.	13 जून, 05	दिल्ली	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा
30.	16 जून, 05	दिल्ली	हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर
31.	17 जून, 05	दिल्ली	उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान
32.	20 जून, 05	दिल्ली	गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा
33.	22 जून, 05	दिल्ली	पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा
34.	24-25 जून, 05	कोलकाता	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैण्ड, मणिपुर

ग्रामीण जनसंख्या द्वारा नगरों की ओर पलायन

941. श्री पारसनाथ यादव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर तेजी से पलायन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या के शहरी क्षेत्रों की ओर तेजी से बढ़ते पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन विकासशील अर्थ-व्यवस्था का एक लक्षण है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण जनसंख्या के शहरों की ओर पलायन के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है। तथापि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के उपलब्ध अनुमानों से पता चलता है कि 1983-2000 की अवधि के दौरान कुल जनसंख्या में से पलायन करने वाले पुरुषों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7 प्रतिशत रहा है।

(ग) ग्रामीण आबादी का पलायन विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों से होता है जिसमें बेहतर रोजगार अवसर और आजीविका स्तर शामिल हैं।

(घ) चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर, देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को मजदूरी और स्वरोजगार प्रदान करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों के माध्यम से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.), काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के नाम से तीन मुख्य योजनाएं कार्यान्वित करता है। ये योजनाएं ग्रामीण गरीब को उनके गांवों अथवा आस-पास के गांवों में रोजगार मुहैया कराने की दृष्टि से तैयार की गई है ताकि ऐसे लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कम किया जा सके।

[अनुवाद]

ऋण की अदायगी

942. श्री एम. शिवन्ना: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्नाटक सरकार ने किसानों को ब्याज माफी और शास्ति ब्याज से बचने के लिए उनके द्वारा सहकारी बैंकों से लिये गये ऋण की अदायगी की समय सीमा 31 जुलाई, 2005 तक बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों ने इस समय-सीमा को 31 मार्च, 2006 तक बढ़ा दिए जाने की मांग की है क्योंकि वे अपने ऋण को अदा करने में अक्षम हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार से किसानों द्वारा ऋण अदा करने की समय-सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी क्षेत्रों के बैंकों का कार्यनिष्पादन

943. श्री रूपचन्द पाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कार्यनिष्पादन के कतिपय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने संबंधी विवरण प्रस्तुत करें, जिसमें विभिन्न निष्पादन मानदंडों जैसे जोखिम भारित पूंजी आस्ति अनुपात (सी.आर.ए.आर.), प्रति शेयर आय, व्यवसाय में वृद्धि, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, अनुपयोज्य आस्तियां, लाभप्रदता, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में सुधार, प्रौद्योगिकी का प्रयोग, अल्प सुविधा प्राप्त व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास आदि के संबंध में मांत्रात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्य शामिल हैं।

मल्टीपल क्रेडिट कार्ड

944. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न बैंकों से मल्टीपल कार्ड लेकर चूक करने वाले क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में शनैः शनैः वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों में क्रेडिट कार्ड धारकों संबंधी सूचना के आदान-प्रदान किए जाने के सहयोग का अभाव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बैंकों की ओर से और क्रेडिट कार्ड धारकों की ओर से सूचनाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निर्धन युवकों हेतु स्व-रोजगार

945. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निर्धनतम परिवारों के दस लाख युवकों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे देश के प्रत्येक राज्य में कितने युवकों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) उक्त कार्यक्रम पर राज्य-वार कुल कितना व्यय होने की संभावना है और इसके क्रियान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने वाले अभिकरण का नाम क्या है और उक्त कार्य हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले धन का स्रोत क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत उप-योजना बनाने के लिए एक अंतर-मंत्रालय समूह (आई.जी.एम.) गठित किया था। आई.जी.एम. की सिफारिश के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल.) के बेरोजगार युवाओं के लिए एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत कौशल विकास के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लियाँ। प्रायोगिक चरण (2005-2007) में 100 चुनिंदा जिलों में प्रति वर्ष कम से कम 1000-2000 ग्रामीण युवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के रूप में इन प्रायोगिक परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाएगा। कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन की अधिकतम अनुमेय अवधि 15 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय ने बी.पी.एल. परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए अब तक वित्त वर्ष 2004-05 में दो विशेष परियोजनाएं मंजूर की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को मांग आधारित कौशल विकास मुहैया कराना है ताकि उनके स्थायी रोजगार के लिए उनकी नियोजनीयता में वृद्धि की जा सके। ब्यौरे इस प्रकार है:

(i) डा. रेड्डी फाउण्डेशन (डी.आर.एफ.) के लाइवलीहुड एडवांसमेंद बिजनेस स्कूल (एल.ए.बी.एस.) मॉडल के आधार पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत विशेष परियोजना: 14 करोड़ रुपए की कुल लागत से यह परियोजना मंजूर की गई जिसमें केन्द्र और डा. रेड्डी फाउण्डेशन के बीच 75:25 के आधार पर हिस्सेदारी की जानी है। इस योजना का उद्देश्य 18-35 वर्ष आयु वर्ग के 35000 बी.पी.एल. युवाओं के लिए जीविकोपर्जन के संभाव्य विकल्प की पहचान करना तथा उन्हें उपलब्ध कराना और उन्हें बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देना है। परियोजना 7 राज्यों अर्थात् राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार और झारखण्ड में कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक राज्य में 5000 बी.पी.एल. युवा कवर होंगे।

(ii) "टूवर्डस ए सस्टेनेबुल इमप्लॉयमेण्ट लेड ग्रोथ" नाम की विशेष परियोजना : कपार्ट द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के जरिए ग्रामीण गरीबों का कौशल प्रशिक्षण : यह परियोजना 1201.21 लाख रुपए की कुल लागत से स्वीकृत की गई जिसका सम्पूर्ण वित्त पोषण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य बेरोजगार ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास करना है ताकि उन्हें उत्पादक स्वरोजगार के साथ-साथ बाजार की मांग और स्थानीय संसाधन आधारित संगठित रोजगार आरंभ करने में समर्थ बनाया जा सके। परियोजना की अवधि 15 माह है। यह परियोजना 22 राज्यों के 50 जिलों में कार्यान्वित की जाएगी। कपार्ट इस परियोजना को इंस्टीट्यूट ऑफ एपलायड मेन पावर रिसर्च और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से कार्यान्वित करेगा। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 1 लाख लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

आर.आर.बी. के कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी नियम

946. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने प्रायोजक बैंकों के परामर्श से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी पदोन्नति नियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है और इसको कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण नीति का अनुपालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, बैंकिंग उद्योग में बदलाव/घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने प्रायोजक बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति) नियम, 1998 की पुनरीक्षा कर रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति), नियम, 1998 के नियम 12 के अनुसार पदोन्नति में अ.जा./अ.ज.जा. संबंधी आरक्षण नीति का अनुपालन किया जा रहा है।

ग्रामीण बस्तियों को पेयजल की आपूर्ति संबंधी सर्वेक्षण

947. श्री हितेन बर्मन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल की ग्रामीण बस्तियों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता का पता लगाने हेतु कभी कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वास्तविकता यह है कि 50 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों को ही सुरक्षित पेयजल मिल पाता है जबकि सरकार 99.58 प्रतिशत का दावा करती है; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) जी, हां। पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वर्ष 2003 में नया बसावट सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए सर्वेक्षण परिणामों को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा वैधता दिए जाने का कार्य किया जा रहा है।

(ग) और (घ) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें सभी ग्रामीण बसावटों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पेयजल आपूर्ति की परियोजनाएं बनाती, स्वीकृत और कार्यान्वित करती हैं। केन्द्र सरकार, केन्द्र प्रायोजित योजना अर्थात् त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के तहत वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर उनके प्रयासों में मदद करती है। राज्य सरकार द्वारा बताई गई कवरेज स्थिति के अनुसार व्यापक कार्य योजना, 1999 में शामिल पश्चिम बंगाल की सभी ग्रामीण बसावटों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के निर्धारित मानदण्ड की आपूर्ति करने के लिए योजनाओं में शामिल किया गया है। तथापि, कवरेज की स्थिति बदलती रहती है। पूरी तरह कवर की गई बसावटें, विभिन्न कारणों अर्थात् भू-जल स्तर के नीचे चले जाने के कारण, स्रोतों के सूखने, स्रोतों के गुणवत्ता प्रभावित होने, प्रणालियों के पुराने हो जाने, खराब परिचालन और रखरखाव के कारण प्रणालियों की क्षमता घट जाने, जनसंख्या वृद्धि आदि की वजह से, अपनी पुरानी स्थिति अर्थात् आंशिक रूप से कवर की गई अथवा कवर न की गई की श्रेणी में लौट आती हैं। भारत निर्माण के तहत वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक की चार वर्ष की अवधि में सभी कवर न की गई बसावटों के साथ-साथ निजली श्रेणी में लौट आई बसावटों को कवर करने की व्यवस्था है।

हथकरघा निगम को बंद करना

948. श्री अनन्त नायक: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में हथकरघा निगम को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उनके उपयुक्त पुनर्वास हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (घ) उड़ीसा सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, उड़ीसा राज्य हथकरघा विकास निगम को मंत्रिमंडल की निर्णय के आधार पर वर्ष 2005 में बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि निगम को बंद करने संबंधी याचिका माननीय उच्च न्यायालय में 24 जून, 2005 को दायर की गई है। निगम में 16.10 करोड़ रुपये का भारी घाटा होने के कारण राज्य सरकार द्वारा निगम को बंद करने का निर्णय लिया गया और इसके पुनरुद्धार की कोई संभावना नहीं है।

533 कर्मचारियों में से, 513 कर्मचारियों को उनके पुनर्वास के रूप में सरकार द्वारा प्रावधान के तहत में लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ दिया गया है।

आई.डी.बी.आई.

949. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की योजना बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) लि. के निदेशक मंडल ने आई.डी.बी.आई. लि., के सर्वाधिक मूल्यवान वित्तीय समूह बनने के उद्देश्य के अनुरूप बीमा क्षेत्र में आई.डी.बी.आइं. के प्रवेश को सिद्धांत रूप में अनुमति दे दी है।

बंजर भूमि विकास हेतु धन का आबंटन

950. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के दौरान देश में बंजर भूमि का विकास करने हेतु 70,000 करोड़ रुपये आबंटित करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बंजर भूमि के विशाल इलाकों वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश और ऐसे अन्य राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की 27/28 जून, 2005 को हुई 51वीं बैठक के दौरान बंजरभूमि को विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये आबंटित करने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है। तथापि, परिषद की बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि विकसित की जाने वाली शेष बंजरभूमि को विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संसाधन निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी।

(ग) 1-4-1995 से 31-3-2005 तक बंजरभूमि को विकसित करने, सूखा प्रभावित क्षेत्र को सूखे से मुक्त करने तथा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत अभी तक राज्य-वार उपलब्ध करायी गई कुल केन्द्रीय सहायता तथा विकसित किए जाने हेतु शामिल किए गए क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1995-96 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान (31-3-2005 की स्थिति के अनुसार) आई.डब्ल्यू.डी.पी., डी.पी.ए.पी. तथा डी.डी.पी. योजना के अंतर्गत राज्यवार जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	आई.डब्ल्यू.डी.पी.		डी.पी.ए.पी.		डी.डी.पी.		योग	
		परियोजना क्षेत्र (लाख है. में)	कुल जारी (करोड़ रुपये में)	परियोजना क्षेत्र (लाख है. में)	कुल जारी (करोड़ रुपये में)	परियोजना क्षेत्र (लाख है. में)	कुल जारी (करोड़ रुपये में)	परियोजना क्षेत्र (लाख है. में)	कुल जारी (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	4.88	130.71	17.70	3476.07	3.86	76.24	26.44	3683.03
2.	बिहार	0.99	9.44	1.82	25.68			2.81	35.12
3.	छत्तीसगढ	1.83	41.38	4.43	61.03			6.25	102.41
4.	गोवा	0.10	0.83					0.10	0.83
5.	गुजरात	3.66	70.88	9.30	156.95	11.36	260.14	24.31	487.98
6.	हरियाणा	0.88	16.46			4.45	105.12	5.33	121.58
7.	हिमाचल प्रदेश	3.03	68.26	1.59	23.94	2.29	47.19	6.91	139.39
8.	जम्मू-कश्मीर	0.81	17.90	2.03	23.64	3.09	72.33	5.93	113.87
9.	झारखंड	0.78	7.09	6.10	44.00			6.87	51.09
10.	कर्नाटक	3.29	89.22	9.20	156.53	5.82	97.69	18.31	343.44
11.	केरल	0.45	9.91					0.45	9.91
12.	महाराष्ट्र	3.08	50.54	14.05	163.38			17.13	213.92
13.	मध्य प्रदेश	4.68	129.66	13.12	291.22			17.80	420.88
14.	उड़ीसा	2.96	67.31	4.88	58.24			7.84	126.55

15.	पंजाब	0.30	3.84					0.30	3.84
16.	राजस्थान	3.22	74.70	4.36	89.34	26.52	642.11	34.09	806.15
17.	तमिलनाडु	2.78	72.22	6.12	116.15			8.90	188.37
18.	उत्तर प्रदेश	5.41	121.83	6.93	129.33			12.34	251.16
19.	उत्तरांचल	1.64	26.33	3.16	27.75			4.80	54.08
20.	प. बंगाल	0.29	2.84	2.00	17.74			2.29	20.59
	योग	45.05	1023.86	106.77	1730.99	57.38	1300.82	209.19	4055.67
	अन्य				11.17				11.17
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.68	17.09					1.68	17.09
2.	असम	5.49	87.72					5.49	87.72
3.	मणिपुर	1.89	27.47					1.89	27.47
4.	मेघालय	0.77	9.22					0.77	9.22
5.	मिजोरम	2.34	36.76					2.34	36.76
6.	नागालैण्ड	3.16	84.21					3.16	84.21
7.	सिक्किम	1.12	18.30					1.12	18.30
8.	त्रिपुरा	0.47	5.78					0.47	5.78
	पूर्वोत्तर राज्यों का योग	16.92	286.57					16.92	286.57
	कुल योग	61.97	1310.43	106.77	1742.16	57.38	1300.82	226.11	4353.41

जैव-ईंधन संबंधी नीति

951. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार हरित ईंधन (जैव ईंधन) संबंधी नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विश्वेसरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर ने व्यवसायिक व्यवहार्यता संबंधी अपनी रिपोर्ट अंतिम अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) केन्द्र सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में जैव ईंधन को बढ़ावा देने की नीति का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रही है। इस संदर्भ में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) द्वारा जैव-ईंधनों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में कई अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय के अनुरोध पर अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने पेट्रोलियम आधारित ईंधनों के विकल्प के रूप में तथा पर्यावरणिक प्रदूषण को कम करने के लिए जैव ईंधनों के प्रयोग को बढ़ाने हेतु उपाय खोजने के उद्देश्य से बायो ईंधनों के विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषणात्मक अध्ययन करने की नीति अपनायी है। अभी, हाल ही में योजना आयोग ने जैव-ईंधन के विकास के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का नोडल मंत्रालय के रूप में चयन किया गया है।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय को जैव-ईंधनों की व्यावसायिक व्यवहार्यता के संबंध में विश्वेसरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य वित्त आयोग का गठन

952. **श्री पी. मोहन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान में की गई परिकल्पना के अनुसार सभी भारतीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994 से राज्य वित्त आयोगों का गठन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य वित्त आयोगों के गठन में सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अध्यक्ष के रिक्त पद

953. **श्री डी.वी. सदानंद गौडा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में अध्यक्ष के रिक्त पड़े पदों की बैंक-वार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा इन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) फिलहाल पंजाब एंड सिंध बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का केवल एक पद रिक्त है जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 26 फरवरी, 2005 के आदेश के तहत प्रदत्त स्थगन के कारण नहीं भरा जा सका है।

[हिन्दी]

भारत में विदेशी कंपनियां

954. **श्री बापू हरी चौरे:** क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990 से भारत में संचालित हो रही विदेशी कंपनियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2001 से पंजीकृत विदेशी कंपनियों की संख्या कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन विदेशी कंपनियों से कितना लाभ अर्जित किया गया?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) भारत में 1990 से प्रचालन में लगी विदेशी कंपनियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 2001 से और जून, 2005 तक 764 विदेशी कंपनियों को पंजीकृत किया जा चुका है।

(ग) सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार विभिन्न दस्तावेजों के फाइल करने के लिए ली गई फीस/अतिरिक्त फीस के द्वारा राजस्व प्राप्त होता है। वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान विदेशी कंपनियों से प्राप्त फीस/अतिरिक्त फीस का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

	(रु. में)
2002-03	2,77,44,080
2003-04	2,63,17,225
2004-05	3,41,54,075

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	विदेशी कंपनियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	26
2.	असम	01
3.	बिहार	03
4.	दिल्ली	643
5.	गोवा	02
6.	गुजरात	14
7.	हरियाणा	37
8.	हिमाचल प्रदेश	01
9.	कर्नाटक	129
10.	केरल	06
11.	मध्य प्रदेश	01
12.	महाराष्ट्र	387
13.	उड़ीसा	05
14.	पंजाब	02
15.	राजस्थान	03
16.	तमिलनाडु	92
17.	उत्तर प्रदेश	08
18.	पश्चिम बंगाल	31
	योग	1391

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत अधूरा निर्माण

955. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सहित कतिपय राज्यों में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के लाखों आवासों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आज की तिथि के अनुसार ऐसे अधूरे आवासों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार की योजना उक्त आवासों के निर्माण कार्य को तत्काल पूरा करने की है;

(घ) यदि हां, तो इन आवासों के निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष के अंत में शुरू किया गया आवास निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में ही पूरा होगा। विगत वित्तीय वर्ष अर्थात् 2004-05

के अंत में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अधूरे मकानों का राज्य-वार ब्यौरा, जिसमें बिहार भी शामिल है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) इंदिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार विगत वर्ष में शुरू किया गया आवास निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पहले पूरा करना होता है। विगत वर्ष के अधूरे मकानों को पूरा करने के पश्चात् ही अगले वित्तीय वर्ष के दौरान नए मकानों का निर्माण कार्य आरंभ किया जा सकता है।

विवरण

वर्ष 2004-2005 में आई.ए.वाई. के अंतर्गत बनाए जा रहे मकानों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	(2004-2005) 31-3-2005 की स्थिति के अनुसार
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7965
2.	अरुणाचल प्रदेश	247
3.	असम	26014
4.	बिहार	195091
5.	छत्तीसगढ़	3187
6.	गोवा	1889
7.	गुजरात	11311
8.	हरियाणा	651
9.	हिमाचल प्रदेश	794
10.	जम्मू-कश्मीर	8200
11.	झारखण्ड	49684
12.	कर्नाटक	23798
13.	केरल	19334
14.	मध्य प्रदेश	21810
15.	महाराष्ट्र	40994
16.	मणिपुर	1433
17.	मेघालय	1631
18.	मिजोरम	479
19.	नागालैंड	319
20.	उड़ीसा	32720
21.	पंजाब	657
22.	राजस्थान	3699
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	784
25.	त्रिपुरा	549
26.	उत्तर प्रदेश	13879
27.	उत्तरांचल	2414
28.	पश्चिम बंगाल	23929
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
30.	दादर और नगर हवेली	449
31.	दमन एवं द्वीप	9
32.	लक्षद्वीप	143
33.	पांडिचेरी	782
	कुल	494845

[अनुवाद]

तेल क्षेत्र भंडार संबंधी दिशानिर्देश

956. श्री के.सी. सिंह "बाबा": क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गैस/तेल क्षेत्र भंडारों की घोषणा करने हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ

है जिससे कि अटकलबाजी की रोकथाम हो सके और निवेशकों को गुमराह होने से बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) तेल क्षेत्र भंडार आकलन तथा रिपोर्ट संबंधी आवश्यकताओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देश/प्रतिमानक विभिन्न जोखिमधारकों के परामर्श से तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाओं में गाद जमना

957. मोहम्मद शाहिद:

श्री मो. ताहिर:

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

श्री मुन्शी राम:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारी वर्षा और गाद जमने के कारण कई जल विद्युत परियोजनाएं अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप विद्युत का उत्पादन नहीं कर रही है अथवा बंद पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान में आई बाढ़ के कारण विद्युत उत्पादन को हुए नुकसान का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में अबाधित विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) वर्ष 2005-06 के दौरान अप्रैल, 2005 से 24 जुलाई, 2005 की अवधि में देश में जल विद्युत उत्पादन केंद्रों द्वारा अखिल भारतीय आधार पर 28,108 मि.यू. के निर्धारित कार्यक्रम की तुलना में 29,511 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया गया, जो लक्ष्य से 1493 मि.यू. अधिक है (लक्ष्य का 105.3%)।

यद्यपि नाथपा-झाकड़ी (1500 मेगावाट) और बास्पा (300 मेगावाट) जैसी कुछ जल विद्युत परियोजनाएं जून और जुलाई, 2005 के दौरान नदी के जल में अधिक गाद जमा होने तथा फ्लैश फ्लड की आशंका के मद्देनजर कुछ दिनों के लिए बंद रहीं।

सलाल, चमेरा-II, रंगित और बैरास्यूल जल विद्युत परियोजनाएं नदी से गाद निकालने के कार्य की वजह से कुछ घंटों के लिए बंद रहीं।

भारी वर्षा और अत्यधिक गाद जमाव के कारण बंद की गई परियोजनाओं तथा इसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में हुई हानि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) देश में निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं/उठाया जाना प्रस्तावित है:-

(i) अंतःराज्यीय/अंतःक्षेत्रीय विद्युत अंतरण के लिए राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना।

(ii) तीव्र गति से जल क्षमता का दोहन।

(iii) निर्माणाधीन/स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा करना।

(iv) 10वीं एवं 11वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि के लिए उच्च लक्ष्य तय करना।

(v) उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन।

(vi) ऊर्जा कुशलता और ऊर्जा संरक्षण के उपायों समेत मांग पक्ष प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।

(vii) 9वीं योजना की तुलना में 10वीं योजना में विद्युत विकास हेतु केंद्रीय योजना परिव्यय में वृद्धि।

(viii) पुराने/निर्माणाधीन विद्युत केंद्रों के प्लांट लोड फैक्टर में सुधार के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य।

विवरण

भारी वर्षा और हाल में आई बाढ़ के कारण अत्यधिक गाद जमाव के कारण जल विद्युत परियोजनाओं के कारण विद्युत उत्पादन में हुई हानि के ब्यौरे।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	मूल्यांकित उत्पादन हानि (मिलियन यूनिट)
1	2	3
1.	नाथपा-झाकड़ी जल विद्युत परियोजना (1500 मेगावाट)*	819.46

1	2	3
2. बास्पा (300 मेगावाट) #		41.90
3. सलाल-1 व 2 (690 मेगावाट) #		30.53
4. चमेरा-II #		24.78
5. रंगित-IV		0.75
6. बैरास्यूल #		1.34
कुल		918.76

* 25 जून से 21 जुलाई, 2005

#1 अप्रैल, 2005 से 20 जुलाई, 2005

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में सुधार

958. श्री बाडिगा रामकृष्णा:

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

श्री दुष्यंत सिंह:

श्री एस.के. खारवेन्थन:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिजली बोर्डों को समाप्त करके व्यापक विद्युत सुधार आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कतिपय श्रेणी के व्यक्तियों को बिजली की निःशुल्क आपूर्ति बंद करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने और प्रतिस्पर्धात्मक और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172 (क) में प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य पारेषण यूटिलिटी या लाइसेंसी के रूप में अधिनियम के प्रावधानों को लागू होने के एक वर्ष के बाद ऐसी अवधि तक के लिए कार्य करने हेतु अधिकृत कर सकती है, जैसा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार परस्पर सहमति से तय करें।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमित होने के पूर्व राज्य सुधार अधिनियमों के अंतर्गत अनेक राज्यों ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन कर लिया था। नौ राज्यों द्वारा अपने रा.वि.बो. का पुनर्गठन किया जाना बाकी है। इन राज्यों ने समय-समय पर अपने रा.वि.बो. के पुनर्गठन के लिए केन्द्र सरकार को समय विस्तार हेतु प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा असम और मध्य प्रदेश ने भी केवल व्यापार उद्देश्य से अपने रा.वि.बो. को जारी रखने का अनुरोध किया था। संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर विचार करते हुए केन्द्र सरकार ने इन्हें समय विस्तार देने पर सहमति दे दी है।

(ग) से (ङ) विद्युत अधिनियम 2003 में प्रावधान है कि विद्युत की फुटकर बिक्री हेतु टैरिफ का निर्धारण राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा किया जाता है। अधिनियम की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकार राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एस.ई.आर.सी.) द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी भी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को किसी भी प्रकार की सब्सिडी प्रदान कर सकती है और उस दशा में राज्य सरकार संबंधित यूटिलिटी/लाइसेंसधारियों को सब्सिडी की क्षतिपूर्ति के लिए अपेक्षित पूर्ण धनराशि का भुगतान करेगी। इस प्रकार उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को टैरिफ में सब्सिडी प्रदान करने का मामला विशेष रूप से राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है।

(च) विद्युत उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र निवेश बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय विद्युत नीति, कहती है कि विद्युत अति महत्वपूर्ण अवसंरचना होने के नाते केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों स्तरों पर सार्वजनिक क्षेत्र निवेशों को बढ़ाना होगा। क्षेत्र के विस्तार की सीमा पर विचार करते हुये निवेशों का अपेक्षित पर्याप्त भाग निजी क्षेत्र से भी लाये जाने की आवश्यकता होगी।

विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत उद्योग के विकास, उनके बीच प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने, सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति, विद्युत टैरिफ के यौक्तिकरण, सब्सिडियों के बारे में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करने, नियामक आयोगों का गठन और अपीलीय प्राधिकरणों की स्थापना की दृष्टि से एक उदार ढांचा तैयार करता है। अधिनियम ने विद्युत आपूर्ति उद्योग के विभिन्न खण्डों में प्रवेश बाधाओं को कम किया है।

उत्पादन को लाइसेंस से मुक्त किया गया है। अधिनियम में प्रारंभ से ही पारेषण में खुली पहुंच के लिए गैर भेदपरक व्यवस्था की गई है। कैप्टिव संयंत्रों, ग्रुप कैप्टिव समेत, को पूर्ण अनुमति प्रदान की गई है।

अधिनियम 2003 के खण्ड 63 में यह व्यवस्था है कि उपयुक्त आयोग टैरिफ को स्वीकार करेंगे यदि टैरिफ को केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है। केन्द्र सरकार ने वितरण लाइसेंसियों के माध्यम से विद्युत अर्जन के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु प्रतिस्पर्द्धा बोली के लिए दिशा निर्देश जारी किए है। इससे उत्पादन में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिलने की आशा है।

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम में नकद संघटक में वृद्धि करना

959. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री अनन्त नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के नकद संघटक में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक वृद्धि करने के लिए कतिपय राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नकद संघटक में वृद्धि की मांग करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (घ) मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों से अभी तक ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पर कर

960. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री गणेश सिंह:
श्री रामजीलाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान पेट्रोलियम क्षेत्र से कर के रूप में कितनी धनराशि संग्रहित की गई;

(ख) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के बिक्री मूल्य और उत्पादन लागत में कितना अंतर है;

(ग) पिछले कुछ वर्षों से उपभोक्ताओं पर भार बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(घ) अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर उक्त मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(च) क्या कच्चे तेल पर अलग कर लगाया जाता है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों के करों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क (कच्चे तेल पर उपकर सहित) से राजस्व संग्रहण निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

	2002-03	2003-04	2004-05 (अनंतिम)
सीमा शुल्क	9166	10582	13250
उत्पाद शुल्क	35961	40151	43145
योग	45127	50733	56395

(ख) पेट्रोल और डीजल की प्रतिलीटर उत्पादन लागत "संयुक्त लागत" जो तैयार पेट्रोलियम उत्पाद की कुल लागत का 90% से अधिक है, के आबंटन में कठिनाई को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की उचित परिशुद्धता के साथ अलग से अभिज्ञेय नहीं किये जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल का बिक्री मूल्य और उत्पादन लागत के बीच अंदर को दर्शाया नहीं जा सकता।

(ग) भारत कच्चे तेल के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। अत: अंतर-राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों पर व्यापक रूप से प्रभाव डालती है।

(घ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्य ईंधन की लागत सहित बहुत से कारकों पर निर्भर करते हैं।

(ङ) इस वर्ष के बजट में सरकार ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के ढांचे और दरों में परिवर्तन किये हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को घरेलू मूल्यों पर कम किया जा सके।

(च) और (छ) कच्चे तेल का वर्तमान सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क (उपकर सहित) का ढांचा और दरें निम्नवत हैं:

सीमा शुल्क:

मूलभूत सीमा शुल्क	अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी)	सीमा शुल्क की राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	आयातित माल पर शिक्षा उपकर
5%	शून्य	50 रु. प्रति मीट्रिक टन	कुल सीमा शुल्क का 2%

उत्पाद शुल्क:

उत्पाद शुल्क	तेल उद्योग विकास अधिनियम के अंतर्गत उपकर	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	उत्पाद शुल्केय माल पर शिक्षा उपकर
शून्य	1800 रु. प्रति मीट्रिक टन *	50 रु. प्रति मीट्रिक टन	कुल उत्पाद शुल्क का 2%

* नई गवेषणा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत किये गये बंटवारे करारों और दिए गए गवेषणा ब्लाक के अंतर्गत तेल क्षेत्रों से उत्पाद कच्चे तेल पर 900 रु. प्रति टन की रियायती दर और शून्य शुल्क।

(ज) पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की दरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

उत्पाद	मूल उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्केय माल पर शिक्षा उपकर
पेट्रोल	8%+5.00 रु./लीटर	2-00 रु./लीटर	6.00 रु./लीटर	कुल उत्पाद शुल्क का 2%
डीजल	8%+1.25 रु./लीटर	2-00 रु./लीटर	-	कुल उत्पाद शुल्क का 2%

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर राज्य सरकारों के द्वारा लगाये जाते हैं और दरें सम्बंद्ध राज्य सरकारों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

[अनुवाद]

नाबार्ड के कार्यकलाप

961. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के कार्यकलापों का विस्तार और वृद्धि करने के लिए कुछ वर्गों से कोई सुझाव और विशेषज्ञ राय प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पूर्वी

एवं पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यकलाप बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर सरकार को सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड ने पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास को उच्च स्तर की प्राथमिकता दी है और इसके लिए कदम उठाए है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित विशेष रियायतें दी हैं:-

- रियायती ब्याज दर पर निवेश ऋण के लिए पुनर्वित्त अर्थात् ऋण के आकार का ध्यान किए बिना 6%;
- निवेश ऋण के तहत अधिकांश प्रयोजनों के लिए सभी वित्त एजेन्सियों को 100% पुनर्वित्त;
- निवेश ऋण एवं उत्पादन ऋण दोनों के लिए पात्रता मानदंड में छूट;
- ग्रामीण गोदामों जिनके लिए 50 लाख रुपये की उच्चतम सीमा के साथ सब्सिडी को निर्धारित 33.33% पर कर दिया गया है, उनके लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना;
- शीतागार एवं प्याज गोदाम, जिनके लिए 60 लाख रुपये की उच्चतम सीमा के साथ सब्सिडी को 33.33% पर निर्धारित किया गया है, उनके लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना;
- नाबार्ड द्वारा 7 उप-कार्यालयों का क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में उन्नयन तथा 5 नए जिला विकास प्रबंधक कार्यालय खोलना, आदि।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित ब्यौरा नाबार्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में संवितरित पुनर्वित्त में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है:-

(लाख रुपये में)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
उड़ीसा	26975	30839	32264
बिहार	8205	9671	17645
झारखंड	3908	4551	4802
पश्चिम बंगाल	41495	61323	47412
अरुणाचल प्रदेश	690	711	987
असम	6937	7354	13303
मणिपुर	519	219	933
मेघालय	917	932	1192
मिजोरम	1585	1685	3637
नागालैंड	218	127	160
त्रिपुरा	1096	1234	1657
सिक्किम	375	0	930

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में रखा जाना

962. **श्री एम. अंजनकुमार यादव:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में रखा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों को दंडित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों को अब तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि वसूल करने के लिए कोई उपबंध है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (च) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान काली सूची में रखे गए गैर-सरकारी संगठनों और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्रमांक	पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों के नाम	योजना का नाम	शुरू की गई कार्रवाई
1.	मै. बिजिनेस स्कूल, नई दिल्ली	हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना	आर्थिक अपराध शाखा, अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस के पास धारा 406/420/468/471/आई.पी.सी. के तहत एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। विधि मंत्रालय की सलाह के अनुसार जी.एफ.आर-149 (4)(VI)-नोट 4 के उपबंध के तहत सहायता-अनुदान के रूप में जारी की गई 16,61,750/- रुपए की वसूली के लिए उपायुक्त और कलेक्टर, पश्चिम दिल्ली के इस माध्यम से इस संगठन के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है।
	मै. बिजिनेस स्कूल, नई दिल्ली	कार्यशाला	इस संगठन को 1,39,500/- रुपए की अनुदान राशि 6% प्रतिवर्ष के पैनल ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा गया है।
2.	मै. हेल्पिंग पूअर एसोसिएशन, चेन्नई	कार्यशाला	इस संगठन को 11,76,000/-रुपए की अनुदान राशि 6% प्रतिवर्ष के पैनल ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा गया है। यह मामला न्याय निर्णयाधीन है।
3.	मै. कसारगोड एच.सी. आई.सी.एस., केरल	शिल्प विकास केन्द्र/ सामान्य सुविधा केन्द्र	इस संगठन को 1,68,750/-रुपए की अनुदान राशि 6% प्रतिवर्ष के पैनल ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा गया है।
4.	मै. हेल्पिंग पूअर एसोसिएशन, चेन्नई	शिल्प विकास केन्द्र/ सामान्य सुविधा केन्द्र	इस संगठन को 6,64,500/-रुपए की अनुदान राशि 6% प्रतिवर्ष के पैनल ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा गया है। यह मामला न्याय निर्णयाधीन है।
5.	मै. उपनासा, लखनऊ	कार्यशाला	इस संगठन को 10,50,000/-रुपए की अनुदान राशि 6% प्रतिवर्ष के पैनल ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा गया है। यह मामला न्याय-निर्णयाधीन है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को ऋण

963. डा. राजेश मिश्रा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विशेषकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अतर्गत अब तक राज्यवार कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया;

(ख) कितने समूहों को प्रथम और दूसरी श्रेणी के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है और उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने समूहों को ऋण/अनुदान प्रदान किए गए हैं; और

(ग) प्रथम श्रेणी वाले कितने समूहों को अब तक पूर्वोक्त ऋण/अनुदान प्राप्त नहीं हुए हैं और उक्त लाभार्थियों में से राज्यवार कितने समूहों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (ग) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के आरम्भ अर्थात् अप्रैल, 1999 तथा जून, 2005 तक योजना के अंतर्गत बनाए गए स्व-रोजगार समूहों, ग्रेड-I तथा II पास कर चुके स्व-सहायता समूहों और 2002-03 से 2004-05 के दौरान आर्थिक क्रिया-कलाप शुरू करने वाले स्व-सहायता समूहों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। ग्रेड-II पास कर चुके स्व-सहायता समूहों को आर्थिक क्रिया-कलाप शुरू करने के लिए सरकारी सब्सिडी तथा बैंक ऋण देने पर विचार किया जाता है। ग्रेड-I पास कर लेने के बाद स्व-सहायता समूहों को सरकारी सब्सिडी से आवर्ती निधियां तथा बैंकों से नगद ऋण दिलवाए जाते हैं।

विवरण

योजना के आरम्भ (1-4-99) से लेकर जून, 05 तक तथा 2002-03 से 2004-05 के दौरान बनाए गए स्व-सहायता समूहों की संख्या, ग्रेड-I तथा ग्रेड-II पास कर चुके समूहों की संख्या और आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	बनाए गए स्व-सहायता समूहों की सं.				ग्रेड-I पास कर चुके स्व-सहायता समूहों की सं.			
		आरंभ से लेकर जून, 05 तक	2002-03	2003-04	2004-05	आरंभ से लेकर जून, 05 तक	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	434312	48116	59314	60488	395133	49661	40764	33535
2.	अरुणाचल प्रदेश	259	21	17	67	114	34	3	26
3.	असम	103684	36905	24187	20232	50940	9787	17454	18108
4.	बिहार	78375	12184	19818	15765	30069	4134	8957	9946
5.	छत्तीसगढ़	46512	8882	1642	2094	17210	2346	1954	2061
6.	गोवा	478	76	190	138	254	9	57	130
7.	गुजरात	84010	18170	2422	1916	21233	4027	5715	2760
8.	हरियाणा	7933	1530	1484	985	5398	1310	1158	1223
9.	हिमाचल प्रदेश	4853	1065	693	372	4134	940	661	536
10.	जम्मू-कश्मीर	6469	925	413	611	3277	1184	457	428
11.	झारखण्ड	20666	4787	4482	3368	9731	1803	3112	2024
12.	कर्नाटक	33784	5481	5368	3940	18061	3544	4051	4138
13.	केरल	49698	7032	7046	4030	35787	5980	7368	5865
14.	मध्य प्रदेश	238783	75710	30497	10330	76825	17721	17555	13083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	महाराष्ट्र	105781	10757	31792	18307	61160	7896	12104	15318
16.	मणिपुर	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
17.	मेघालय	3026	360	944	680	1564	200	485	474
18.	मिजोरम	1195	270	181	233	553	103	121	154
19.	नागालैंड	1368	103	247	171	506	21	157	146
20.	उड़ीसा	133744	26465	19000	26393	61407	10416	11111	24251
21.	पंजाब	3121	445	438	730	1794	122	186	420
22.	राजस्थान	22579	2166	876	1783	10551	2587	1311	2694
23.	सिक्किम	685	129	91	179	411	79	72	103
24.	तमिलनाडु	171691	20168	63645	25193	109538	13015	25113	19522
25.	त्रिपुरा	16016	2391	8843	2985	5087	469	1304	2817
26.	उत्तर प्रदेश	316685	87549	85282	24181	141064	31068	28182	32260
27.	उत्तरांचल	18932	5429	2832	1960	10341	3238	2555	2194
28.	पश्चिम बंगाल	118764	21528	20233	34958	68559	17689	12945	23317
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	231		31		131	7	29	24
30.	दमन और द्वीप	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
31.	दादर नगर हवेली	12	0	12	0	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	4	1		1	2	1	1	0
33.	पांडिचेरी	993	228	116	83	895	243	45	184
	कुल	2024643	398873	392136	262173	1141729	189634	204987	217741

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	ग्रेड-II पास कर चुके स्व-सहायता समूहों की सं.				आर्थिक क्रिया-कलाप शुरू करने वाले स्व-सहायता समूहों की सं.			
		आरंभ से लेकर जून, 05 तक	2002-03	2003-04	2004-05	आरंभ से लेकर जून, 05 तक	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	263907	49628	30611	23401	33807	4011	4875	5652
2.	अरुणाचल प्रदेश	42	6	2	31	191	42	11	51
3.	असम	23661	4598	6829	8429	15251	3078	3703	4933
4.	बिहार	13500	2623	2693	4533	17038	1762	2052	2486
5.	छत्तीसगढ	5145	1953	524	1053	3218	518	488	945
6.	गोवा	70	13	4	49	133	13	6	49
7.	गुजरात	5581	1270	1876	908	3641	717	607	733
8.	हरियाणा	3213	606	884	1050	2961	495	776	1018
9.	हिमाचल प्रदेश	3185	507	543	719	3180	343	718	717
10.	जम्मू-कश्मीर	824	376	127	150	2718	719	338	222
11.	झारखण्ड	2569	348	679	752	6119	556	1625	1179
12.	कर्नाटक	14203	2103	3082	4266	12783	2016	2784	3358
13.	केरल	12459	1475	3151	3174	5881	930	1415	1503
14.	मध्य प्रदेश	25162	5302	6677	5559	21574	3104	4161	4466
15.	महाराष्ट्र	29265	5324	5128	7437	18068	3225	4266	5603
16.	मणिपुर	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	मेघालय	624	109	172	109	526	110	136	74
18.	मिजोरम	621	74	108	149	1133	270	221	200
19.	नागालैंड	507	23	208	137	1018	90	236	123
20.	उड़ीसा	21539	2578	4266	9212	13530	1454	3514	5058
21.	पंजाब	1096	164	160	163	1151	250	285	221
22.	राजस्थान	2714	643	595	1139	2058	293	544	1000
23.	सिक्किम	140	3	22	94	167	3	22	94
24.	तमिलनाडु	32571	5040	5932	6496	23864	3510	3826	4824
25.	त्रिपुरा	1166	95	180	921	3918	217	1256	1771
26.	उत्तर प्रदेश	44833	7965	12245	16539	37292	5908	10549	16923
27.	उत्तरांचल	4556	1057	1425	1416	3530	653	1078	1320
28.	पश्चिम बंगाल	13278	2004	2532	7182	6580	958	1177	1861
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	65	6	10	0	104	15	10	1
30.	दमन और द्वीप	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
31.	दादर नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	1	1	0	0
33.	पांडिचेरी	266	127	8	77	228	56	38	99
	कुल	526762	96020	90673	105045	241663	35317	50717	66484

एन.आर. - सूचित नहीं

[अनुवाद]

'इरेडा' को ऋण की अदायगी

964. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (इरेडा) द्वारा दिए गए ऋण की वसूली की स्थिति क्या है;

(ख) क्या 'इरेडा' द्वारा दिए गए ऋणों को नियमित रूप से नहीं चुकाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार ऋण की कितनी राशि बकाया है; और

(ङ) ऋणों की यथाशीघ्र वसूली के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) हेतु संचयी ऋण वसूली की प्रतिशतता क्रमशः 55.49, 60.87 और 54.32 है।

(ख) और (ग) मुख्यतया प्राकृतिक कारणों से या अन्यथा परियोजनाओं के अलाभकर होने के कारण कुछ मामलों में ऋणों का पुनर्भुगतान दुष्प्रभावित हुआ और इस प्रकार पुनर्भुगतान क्षमता सीमित हुई।

(घ) दिनांक 31-3-2005 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि 577.21 करोड़ रु. है।

(ङ) इरेडा ने ऋणों की वसूली के लिए बकायादारों के विरुद्ध कई कदम उठाए हैं, जैसे अनुस्मरण नोटिस भेजना, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी.आर.टी.) तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के समक्ष मामले दायर करना, वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्त्तन अधिनियम (एस.आर.एफ.ए.ई.एस.आई.), 2002 के अंतर्गत कार्रवाई करना आदि।

सुनामी की चेतावनी

965. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में जोखिम निर्धारण और सुनामियों तथा भूस्खलनों की शीघ्र चेतावनी देने के क्षेत्र में नार्वे के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

966. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
डा. के. धनराजू:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पांच साल के भीतर प्रत्येक घर को बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के उपलब्ध स्रोतों का दोहन करने की कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान प्रत्येक राज्य में विद्युतीकरण के लिए कितने गांवों को सम्मिलित किए जाने की संभावना है;

(च) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(छ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ज) इस कार्यक्रम के अंतर्गत, एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी. और पावर ग्रिड कारपोरेशन की क्या भूमिका है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) जी हां। सभी ग्रामीण आवासों में बिजली पहुंचाने के लिए अप्रैल, 2005 में "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" शुरू की गई है।

इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन, ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और विकेन्द्रित वित्तरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति प्रणाली के सृजन के लिए परियोजनाओं को 90% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अनुसार स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ 100% पूंजीगत सब्सिडी के साथ देश में गरीबी रेखा के नीचे के सभी घरों के विद्युतीकरण हेतु वित्त प्रदान करने का भी प्रावधान है।

इस स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी हेतु परियोजनाओं की पात्रता के लिए राज्यों में फ्रैंचाइजी के जरिए, जो गैर-सरकारी संगठन, उपभोक्ता संघ, सहकारी संघ या व्यक्ति विशेष, पंचायती संस्थान में से कोई भी हो सकता है, ग्रामीण वितरण प्रबंधन के लिए फ्रैंचाइजी की नियुक्ति हेतु परियोजनाओं की स्वीकृति के पूर्व राज्यों की पूर्व प्रतिबद्धता देनी होगी।

उपभोक्ता मिश्रण और मौजूदा उपभोक्ता टैरिफ तथा संभावित भार के आधार पर फ्रैंचाइजी के लिए बल्क सप्लाई टैरिफ का निर्धारण फ्रैंचाइजी की वाणिज्यिक व्यावहारिकता सुनिश्चित करने के बाद किया जाएगा। जहां भी संभव हो, जहां बल्क सप्लाई टैरिफ तय करने के लिए बोली प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। स्कीम के प्रशासन के समय राज्य सरकार से निम्नलिखित के संबंध में पूर्व प्रतिबद्धता ली जाएगी।

(अ) फ्रैंचाइजी के लिए बल्क सप्लाई टैरिफ का इस प्रकार निर्धारण, कि उनकी वाणिज्यिक व्यावहारिकता सुनिश्चित हो सके।

(ब) विद्युत अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य यूटिलिटियों को अपेक्षित राजस्व सब्सिडी का प्रावधान।

(ग) और (घ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत एम.एन.ई.एस. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के जरिए 25,000 सुदूरवर्ती गांवों के विद्युतीकरण के लिए स्कीम तैयार कर रहा है।

(ङ) वर्तमान में स्कीम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, केरल, उत्तरांचल, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर एवं मध्य प्रदेश राज्यों के लिए 54642 अविद्युतीकृत गांवों तथा 2783303 घरों के विद्युतीकरण के लिए 127 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें कुल 4904.33 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के क्रियान्वयन एजेंसियों ने 2005-06 के दौरान 9312 गांवों तथा 287616 घरों के विद्युतीकरण के लिए अपनी योजना प्रस्तुत कर दी है, जिसके ब्यौरे अनुबंध-1 के रूप में संलग्न हैं।

(च) 2005-06 के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु 1100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हालांकि विद्युत मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इसे बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है।

(छ) सरकार निम्नलिखित के सृजन के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु अवसंरचना तैयार करेगी:

(i) प्रत्येक ब्लॉक में 33/11 केवी (या 66/11 केवी) उपकेन्द्र के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबॉन, जो राज्य पारेषण प्रणाली से जुड़ा रहेगा।

(ii) सभी अविद्युतीकृत गांवों/बसावटों के विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और प्रत्येक गांव/बसावट में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर का प्रावधान।

(iii) उन स्थानों पर, जहां ग्रिड आपूर्ति किफायती नहीं है, वहां गांवों/क्षेत्रों के लिए पारंपरिक स्रोतों से विकेन्द्रित वितरित विद्युत उत्पादन और जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के जरिए विद्युत नहीं देगा।

क्रियान्वयक एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि. है।

(ज) राज्यों को उनकी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता देने हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सेवा की पेशकश की गई है। कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन क्षमता में वृद्धि के लिए आर.ई.सी. ने एन.टी.पी.सी., पावरग्रिड, एन.एच.पी.सी. और डी.वी.सी. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि इच्छुक राज्य सी.पी.एस.यू. के परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता और क्षमता का लाभ उठा सकें। इसे एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से प्रभावी बनाया जा रहा है। 40 जिलों में 41 स्वीकृत परियोजनाओं के लिए परियोजना क्रियान्वयन कार्य पश्चिम बंगाल (5), उत्तर प्रदेश (8) और बिहार (28) द्वारा केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र यूटिलिटियों को सौंपा गया है। परियोजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के लिए आर.ई.सी. ने राज्य सरकार राज्य यूटिलिटी/क्रियान्वयन एजेंसी की भूमिका/जिम्मेवारी सौंपते हुए तथा तकनीकी विनिर्देश निरूपण, प्राप्ति एवं बोली संबंधी शर्तों, क्रियान्वयन राज्यों द्वारा अपनाए गए परियोजना निरूपण हेतु दिशानिर्देश के लिए एक खाका तैयार किया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण जनसंख्या के भोजन में कैलोरी की मात्रा

967. श्री लक्ष्मण सेठ:

डा. रामचन्द्र डोम:

श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसंख्या 1800 से भी कम कैलोरी वाले भोजन का सेवन कर रही है जो कि जीवन-यापन के लिए एफ.ए.ओ. द्वारा न्यूनतम मात्रा निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं कि देश की ग्रामीण जनसंख्या कुपोषण का शिकार न हो?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) 1800 किलो कैलोरी से कम ऊर्जा का भोजन ग्रहण करने वाले लोगों का राज्यवार प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय अतिरिक्त मजदूरी रोजगार और खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिसके फलस्वरूप बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों के कुपोषण में कमी आती है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रमुख राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में 1800 किलो कैलोरी से कम ऊर्जा का भोजन ग्रहण करने वाले लोगों का प्रतिशत

क्रम सं.	राज्य	लोगों का प्रतिशत
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	31.4
2.	असम	44.9
3.	बिहार	16.3
4.	गुजरात	24.9
5.	हरियाणा	10.2
6.	कर्नाटक	35.3
7.	केरल	34.0
8.	मध्य प्रदेश	33.8
9.	महाराष्ट्र	29.0
10.	उड़ीसा	26.4
11.	पंजाब	12.7
12.	राजस्थान	6.9
13.	तमिलनाडु	47.2
14.	उत्तर प्रदेश	9.5
15.	प. बंगाल	19.8

स्रोत: एन.एस.एस. रिपोर्ट सं. 471 (55/1.0/9) भारत में 55वां पौषणिक अंतर्ग्रहण, 1999-2000 (जुलाई, 1999-जून, 2000)

इलाहाबाद बैंक द्वारा बीमा व्यवसाय के लिए संयुक्त उद्यम

968. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद बैंक ने अपने बीमा व्यवसाय के लिए संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इलाहाबाद बैंक द्वारा विकास रणनीति के लिए अब तक क्या पहल की गई है; और

(घ) बैंकों के ग्राहकों के लिए नई योजनाएं कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) महत्वपूर्ण कारोबार संबंधी कार्यकलापों पर बल देने के अलावा इलाहाबाद बैंक अब एल.आई.सी.आई., एन.आई.सी.एल.,

ई.सी.जी.सी. तथा यू.टी.आई. एम.एफ. जैसी अग्रणी बाजार कंपनियों के साथ गठजोड़ करके बीमा तथा म्यूचुअल फंड जैसे थर्ड पार्टी उत्पादों के वितरण के जरिए शुल्क पर आधारित आय बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। इसके साथ ही अपनी शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत करने, ए.टी.एम. की स्थापना करने और कोर बैंकिंग समाधान के माध्यम से बैंक को बेहतर प्रौद्योगिकी के मार्ग पर लाने पर भी अब अधिक से अधिक बल दिया जा रहा है। बैंक ने अपने विस्तृत नेटवर्क के जरिए कृषि और एस.एम.ई. क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए उत्साही योजनाएं भी शुरू की हैं, किसान क्रेडिट धारकों के लिए किसान शक्ति योजना शुरू की और रायबरेली उत्तर प्रदेश में किसानों के प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। इन योजनाओं का लाभ पहले से ही बैंक के ग्राहकों को मिल रहा है।

अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा

969. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसंधान के क्षेत्र में कनाडा सहित अन्य देशों से सहायता लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में देशों के बीच समझौते की निबंधन और शर्तें क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं। तथापि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कनाडा सहित कई देशों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्थाएं की गई हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

970. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में सुधारों के सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल में कोई समिति अथवा टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण

971. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने विभिन्न राज्यों में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितनी धनराशि का कृषि-ऋण वितरित किया गया; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) प्रत्यक्ष रूप से कृषि ऋण संवितरित नहीं करता, यह केवल बैंकों द्वारा संवितरित ऋण के लिए पुनर्वित प्रदान करता है। गत तीन वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा निवेश ऋण के तहत संवितरित पुनर्वित्त का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों (एस.सी.बी.) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आर.आर.बी.) को वर्ष 2003-04 के 8688.32 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान 10218.97 करोड़ रुपये की कुल एस.टी. (एस.ए.ओ.) ऋण सीमा भी मंजूर की जिसमें 18% की वृद्धि दर्ज की गई।

(ग) निवेश ऋण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। सिर्फ राज्य-वार अस्थायी आबंटन किया जाता है जो लचीला है तथा यह बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2005-06 के लिए 8925 करोड़ रु. का आबंटन निर्धारित किया गया है। अल्पावधि ऋण सीमा के संबंध में भी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है जो एस.सी.बी. द्वारा मांगी गई ऋण सीमा और नाबार्ड के पास उपलब्ध निधियों पर निर्भर करती है।

विवरण

गत तीन वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा दिया गया पुनर्वित्त

राज्य संघ राज्य क्षेत्र	2002-2003			2003-2004			2004-05		
	एफ.एस.	आर.एन.एफ.एस.	योग	एफ.एस.	आर.एन.एफ.एस.	योग	एफ.एस.	आर.एन.एफ.एस.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चंडीगढ़	6,11	0.14	6.25	7.42	0.00	7.42	3.95	0.00	3.95
दिल्ली	1.58	5.21	6.79	0.00	8.23	8.23	0.13	8.55	8.68
हरियाणा	378.12	100.01	478.13	441.14	66.99	508.13	504.83	88.70	593.52
हिमाचल	57.56	118.36	175.93	50.84	161.37	212.21	56.63	100.49	157.12
जम्मू-कश्मीर	11.85	36.94	48.79	5.57	1.53	7.10	10.09	17.06	27.15
पंजाब	461.86	111.45	573.31	543.08	133.09	676.18	743.07	298.75	1041.82
राजस्थान	282.31	48.04	330.36	268.28	93.42	361.71	281.65	134.07	415.72
अरुणाचल	1.55	5.35	6.90	1.70	5.41	7.11	1.22	8.66	9.87
असम	7.79	61.58	69.37	8.87	64.67	73.54	15.12	117.91	133.03
मणिपुर	2.57	2.61	5.19	0.38	1.80	2.19	2.38	6.95	9.33
मेघालय	1.03	8.14	9.17	0.08	9.24	9.32	3.42	8.50	11.92
मिजोरम	0.39	15.47	15.85	0.47	16.38	16.85	1.34	35.04	36.37
नागालैंड	0.33	1.84	2.18	0.15	1.13	1.27	0.26	1.34	1.60
त्रिपुरा	1.58	9.37	10.96	1.47	10.87	12.34	0.74	15.84	16.57
सिक्किम	0.22	3.53	3.75	0.00	0.00	0.00	0.66	8.65	9.30
बिहार	45.05	37.05	82.10	69.40	27.30	96.71	124.83	51.62	176.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखंड	12.76	26.32	39.08	20.02	25.50	45.51	30.32	17.70	48.02
उड़ीसा	80.52	189.23	269.75	82.17	226.22	308.39	103.89	218.76	322.64
प. बंगाल	136.03	278.92	414.95	274.30	338.93	613.23	184.48	289.64	474.12
अंडमान निकोबार दीव समूह	0.43	3.62	4.05	0.46	4.99	5.45	2.15	2.80	4.95
मध्य प्रदेश	354.92	54.72	409.65	315.12	55.23	370.35	441.62	82.88	524.50
छत्तीसगढ़	53.41	11.07	64.49	53.53	6.93	60.45	61.20	18.57	79.77
उत्तर प्रदेश	940.84	234.80	1175.64	956.90	264.89	1221.78	1234.69	238.88	1473.57
उत्तरांचल	32.00	2.61	34.61	19.97	0.32	20.29	12.90	4.56	17.46
दादर व नागर हवेली	0.09	0.00	0.09	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
गुजरात	326.55	36.01	362.56	287.16	37.38	324.54	230.12	74.47	304.59
गोवा, दमन और द्वीप	2.07	17.13	19.20	0.13	12.58	12.71	0.67	6.60	7.27
महाराष्ट्र	488.21	101.39	589.60	226.56	231.13	457.69	266.38	209.50	475.88
आंध्र प्रदेश	550.68	210.67	761.34	498.37	108.93	607.30	708.79	186.14	894.93
कर्नाटक	323.07	129.78	452.85	317.40	156.01	473.41	320.27	135.18	455.45
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	118.94	188.76	307.70	114.46	227.59	342.05	104.31	343.71	448.02
पांडिचेरी	3.19	2.14	5.33	7.76	0.95	8.71	2.83	1.84	4.67
तमिलनाडु	442.28	240.58	682.86	522.88	210.72	733.10	301.97	87.24	389.21
कुल	5125.89	2292.88	7418.77	5095.57	2509.72	7605.29	5756.88	2820.59	8577.46

एफ.एस. - कृषि क्षेत्र

आर.एन.एफ.एस. - गैर कृषि क्षेत्र को पुनर्वित्त

बड़ी कम्पनियों द्वारा आयकर जमा कराने में चूक

972. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री मुनव्वर हसन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनियों के आयकर बकाये पर 10,000 करोड़ रुपये का दण्ड लगाया है जैसा कि 21 अप्रैल, 2005 के 'बिजनेस स्टैण्डर्ड' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी-वार धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दायर की गई अपीलों तथा बकाये के भुगतान का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) आयकर विभाग, आयकर अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत उचित मामलों में अर्थदण्ड अधिरोपित करता है। तथापि, इस संबंध में आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। ऐसे मामलों से संबंधित सूचना के लिए प्रत्येक व्यष्टिगत मामले के रिकार्ड की जांच की जानी अपेक्षित होगी और इसमें पर्याप्त समय और प्रयास लगेगा जो प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप शायद न हो सकें।

मुद्रास्फीति

973. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्ष 2004-05 के दौरान मुद्रास्फीति की दर गत तीन वर्षों के दौरान रही मुद्रास्फीति की दर की तुलना में अधिक रही है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की महीनेवार दर कितनी रही है;

(ग) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान दैनिक खाद्य पदार्थों और ईंधन के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मुद्रास्फीति की दर को कम करने और आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में 2000-01 से मुद्रास्फीति दर का वार्षिक औसत तथा माह-वार ब्यौरे नीचे सारणी-I में दर्शाए गए हैं।

सारणी-I थोक मूल्य सूचकांक (प्रतिशत) के संदर्भ के माहवार तथा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दरें

वर्ष/माह	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल	6.5	5.4	1.5	6.7	4.5	5.9
मई	6.3	5.6	1.6	6.5	5.0	5.5(अ.)
जून	6.6	5.3	2.4	5.3	6.7	4.2(अ.)
जुलाई	6.5	5.2	2.8	4.7	7.6	
अगस्त	6.1	5.4	3.3	3.9	8.5	
सितम्बर	6.5	4.5	3.5	4.9	7.9	

1	2	3	4	5	6	7
अक्तूबर	7.5	2.9	3.1	5.1	7.3	
नवम्बर	7.6	2.6	3.4	5.4	7.5	
दिसम्बर	8.5	2.1	3.3	5.7	6.8	
जनवरी	8.7	1.5	4.2	6.5	5.5	
फरवरी	8.3	1.4	5.3	6.1	5.0	
मार्च	6.4	1.8	6.0	4.8	5.4	
वार्षिक औसत	7.1	3.6	3.4	5.5	6.5	–

अ.-अनन्तिम

(ग) और (घ) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं तथा ईंधन की मुद्रास्फीति की 52 सप्ताह की औसत दर **सारणी 2** में दर्शाई गई है। वास्तव में, चावल, चने, प्याज, सरसों तेल, मूंगफली तेल, मूंग, उड़द, मिर्च तथा किरोसीन के मामले में नकारात्मक मुद्रास्फीति (अपस्फीति) हुई है। आलू, चाय, चीनी, नमक तथा गुड़, नारियल तेल तथा कुकिंग कोयले के मामले में 10% से अधिक मुद्रास्फीति हुई है। आलू, चाय, नमक तथा गुड़ के संबंध में तथ्य यह है कि पिछले वर्ष इनके मूल्यों में गिरावट आई थी तथा 2004-05 में ये केवल अपने सामान्य स्तर पर वापस आ गए। हालांकि, मुद्रास्फीति बढ़ी हुई प्रतीत होती है लेकिन इन उत्पादों के समग्र मूल्य सामान्य ही हैं। चीनी के मामले में उच्च मुद्रास्फीति, 2004-05 में प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में सूखे के कारण चीनी के उत्पादन में आई कमी के फलस्वरूप हुई।

सारणी-2 दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की 52 सप्ताह की औसत मुद्रास्फीति

अनिवार्य मदें	भार %	2003-04	2004-05
1	2	3	4
चावल	2.45	1.7	-0.4
गेहूं	1.38	3.2	1.5
चना	0.22	-4.8	-3.8
अरहर	0.13	9.8	3.6
आलू	0.26	-41.4	52.9
प्याज	0.09	30.5	-19.4
चाय	0.16	-8.0	20.7
चीनी	3.62	0.7	19.2

1	2	3	4
सरसों तेल	0.49	31.6	-8.7
मूंगफली तेल	0.17	8.8	-4.1
नमक	0.02	-2.1	16.1
बनस्पति	0.80	12.5	2.6
ज्वार	0.22	-0.1	6.8
बाजरा	0.11	-6.1	2.5
मूंग	0.11	-5.9	-4.3
मसूर	0.04	9.0	0.5
उड़द	0.10	-9.3	-0.5
दूध	4.37	2.5	4.4
देशी मछली	0.50	-11.5	6.1
मांस	0.44	3.9	6.6
मिर्च (सूखी)	0.19	16.1	-23.4
आटा	0.21	13.7	0.5
गुड़	0.06	-4.9	41.9
नारियल तेल	0.17	28.4	14.6
कुकिंग कोयला	0.24	6.6	23.1
किरोसीन	0.69	-0.1	-0.4

(ङ) मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना सरकार की कार्यसूची में सर्वोपरि है। सरकार की मुद्रास्फीति-विरोधी नीतियों में कठोर राजकोषीय तथा मौद्रिक अनुशासन, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पाद तथा आयात शुल्कों का यौक्तिकीकरण जिससे निर्धन लोगों पर अनावश्यक बोझ न पड़े। उदार शुल्क तथा व्यापारिक नीतियों द्वारा आवश्यक मदों का प्रभावशाली मांग-आपूर्ति प्रबंधन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना शामिल हैं।

अंशदायी-पेंशन योजना

974. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंशदायी पेंशन योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सरकार दिनांक 1-1-2004 से केन्द्र सरकार में भर्ती होने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए (प्रथम चरण में सशस्त्र

बलों को छोड़कर) एक नवीन पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, नयी पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) पहले ही क्रियान्वित कर चुकी है। यह नयी पेंशन प्रणाली स्वैच्छिक आधार पर स्व-नियोजित व्यावसायिकों तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अन्य कर्मियों सहित सभी व्यक्तियों को भी उपलब्ध होगी। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में मासिक अंशदान वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा, और यही समतुल्य राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों के मामले में सरकार द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जाएगा। योजना की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ एक अनाहरणीय टीयर-I खाता; एक स्वैच्छिक टीयर-II आहरणीय खाता; टीयर-I के लिए 60 वर्ष की उम्र में सामान्य निकासी तथा निकासी के समय पेंशन संपत्ति के 40 प्रतिशत भाग को वार्षिकी की खरीद हेतु निवेश करने की अनिवार्य अपेक्षा शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश को आबंटन

975. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12वें वित्त आयोग ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश को कोई धनराशि आबंटित नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) जिन राज्यों का मानक प्रति व्यक्ति व्यय उनके सामूहिक औसत से कम है उनके लिए आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु समान अनुदान की सिफारिश की है।

(ग) जी, हां।

(घ) आन्ध्र प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से सहायता अनुदान दिए जाने का अनुरोध किया है।

भारत सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और एक नीति के तौर पर सरकार आयोग की सिफारिशों में कोई फेर-बदल नहीं करती है।

स्वायत्तशासी-निकायों को वित्तीय अनुशासन में लेना

976. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वायत्तशासी निकायों को वित्तीय अनुशासन में लेने के लिए कुछ पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन स्वायत्तशासी निकायों को कुल कितनी वार्षिक धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने स्वायत्तशासी निकायों को वित्तीय अनुशासन में लाने के लिए सभी मंत्रालयों को पत्र लिखा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गत तीन वर्षों के दौरान किसी भी वित्तीय निकाय में कोई भी वित्तीय अनियमितता पायी गई है; और

छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन निकायों को उपलब्ध कराई गई धनराशि न्यायोचित रूप से खर्च करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 जो 01-07-2005 से लागू हुई है, में स्वायत्तशासी निकायों के वित्तीय अनुशासन हेतु प्रावधान निहित हैं।

(घ) और (ङ) मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश दिए गए हैं कि जब तक पहले दिए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो जाए, तब तक नए सहायता अनुदान स्वीकृत न किए जाएं।

(ग), (च) और (छ) अपेक्षित सूचना का केन्द्रीय तौर पर रख-रखाव नहीं किया जाता है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के केन्द्र

977. **डा. के. धनराजू:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर तमिलनाडु में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नए केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं, देश में कहीं भी सी.एस.आई.आर. के नए केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के ऋणों के लिए खाका

978. श्री डी. विट्टल राव:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री गणेश सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों के केन्द्र से ऋण लेने के बजाय बाजार से ऋण लेने के कार्यक्रम के प्रबंधन हेतु खाका तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारने के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने राज्यों द्वारा ऋण लेने के कार्यक्रम से मध्यस्थ के रूप में कार्य न करने का निर्णय लिया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष से राज्य सरकारों को उनकी वार्षिक योजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार से सहायता केवल अनुदान के रूप में ही मिलेगी। केन्द्रीय सहायता के ऋण भाग के वित्तपोषण हेतु राज्य सरकारों को बाजार से सीधे ऋण लेना होगा। भारत सरकार केवल राजकोषीय रूप से कमजोर राज्यों के मामले में ही हस्तक्षेप करेगी जो बाजार से ऋण उगाहने में असमर्थ हैं।

कपार्ट के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए धनराशि

979. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** 11 मार्च, 2005 केअतारांकित प्रश्न संख्या 1446 के उत्तर के संम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक एकत्रित कर लिये जाने तथा क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इस प्रश्न के उत्तर में क्षेत्रीय कार्यालयों से बृहत् आंकड़े एकत्र करना और कापार्ट मुख्यालय में उसका संकलन शामिल है। इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है लेकिन एकत्र की गई जानकारी की प्रामाणिकता को पुन: जांच की जा रही है ताकि उसकी विशुद्धता सुनिश्चित हो सके।

(घ) यह जानकारी अगस्त, 2005 तक तैयार कर ली जाएगी।

सुनामी-चेतावनी-प्रणाली

980. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **महासागर विकास विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्द महासागर क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व एशिया में सुनामी की पूर्व चेतावनी के लिए एक मल्टी नोडल सिस्टम स्थापित करने के लिए थाइलैण्ड के फुकेत में कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था; और

(ग) सम्मेलन के क्या निष्कर्ष निकले?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। सुनामी पूर्व चेतावनी प्रबंध संबंधी क्षेत्रीय सहयोग पर एक सम्मेलन थाई सरकार द्वारा फुकेत, थाईलैंड में जनवरी, 2005 में आयोजित किया गया था तथा इसमें भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ग) फुकेत मंत्री-स्तरीय विज्ञप्ति में यह निर्णय लिया गया कि हिन्द महासागर के लिए सुनामी पूर्व चेतावनी प्रबंध संबंधी क्षेत्रीय सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है।

वस्त्र उद्योग का विकास

981. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सभी राज्यों में, विशेषकर कर्नाटक में विद्यमान विभिन्न विकास परियोजनाओं के विकास के लिए धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सभी राज्यों में विशेषकर कर्नाटक में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए आबंटित तथा संवितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिए संवितरित धनराशि का कर्नाटक सरकार सहित राज्य सरकारों ने उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) वस्त्र क्षेत्र में ऊन, रेशम एवं हथकरघा को छोड़कर वस्त्र मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के लिए कोई राज्य-वार आवंटन अथवा सीधी वित्तीय सहायता नहीं है।

(ख) ऊन, रेशम और हथकरघा योजनाओं के संबंध में निधियां जारी की जाने तथा उनके उपयोग की राज्य-वार स्थिति क्रमशः विवरण-I, विवरण-II और विवरण-III में दी गई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। क्षेत्र-वार निधियों के उपयोग न होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) **ऊन क्षेत्र** - सूखे की स्थिति में भेड़ों के झुण्डों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने का स्वभाव, अच्छी एवं समुचित गुणवत्ता में भेड़ों की अनुपलब्धता, भेड़ एवं ऊन विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा बजटीय सहायता का अभाव;

(2) **रेशम क्षेत्र** - राज्य प्रस्तावों को अनुमानित रूप से अंतिम रूप देते है और वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों की मांग करते है, निविदा संबंधी प्रक्रिया से किसानों को सब्सिडी/सहायता के वितरण में विलम्ब होता है, राज्य सरकारों से उनका हिस्सा उपलब्ध नहीं होता और लाभभोगी का हिस्सा पूरा करने के लिए ऋण उपलब्ध न होना; और

(3) **हथकरघा क्षेत्र** - अधिकतर राज्यों की वित्तीय स्थितियां और प्रक्रिया संबंधी विलम्ब।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों की राज्य-वार रिलीज (2001-02 से 2003-04)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	योजनाओं/परियोजनाओं/ कार्यक्रमों का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	वर्ष			अर्वटित कुल निधि
				2001-02	2002-03	2003-04	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	गुजरात भेड़ व ऊन विकास निगम लिमिटेड, गांधीनगर		64.84	34.50	99.34
		भेड़ व ऊन सुधार योजना (आई.डब्ल्यू.आई.पी.)				133.50	133.50
2.	राजस्थान	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	24.21	42.76		66.97
		मशीन कतरन-सह-प्रशिक्षण परियोजना	केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, आविकनगर		0.72		0.72
3.	हिमाचल प्रदेश	एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम		50.24	42.14	50.69	143.07
	(आई.डब्ल्यू.आई.पी.)	भेड़ व ऊन सुधार योजना विपणन परिसंघ लि., शिमला	हिमाचल प्रदेश ऊन अधिप्राप्ति व			125.05	125.05
		ड्रायर संयंत्र				7.85	7.85
		एकीकृत अंगोरा खरगोश विकास परियोजना	पशुपालन, विभाग, शिमला	4.83	0.35		5.18
4.	उत्तर प्रदेश	एकीकृत भेड़ व ऊन परियोजना	उत्तर प्रदेश मुर्गी पालन व पशु विशिष्टता लि., लखनऊ	30.16	16.08	25.50	71.74

1	2	3	4	5	6	7	8
		मशीन कतरन-सह-प्रशिक्षण परियोजना		0.72	0.54		1.26
5.	महाराष्ट्र	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र, मेंधी वा शेली विकास महामंडल लि., पुणे	10.80	9.68		20.48
		पश्मीना विकास [यू.एन.डी.पी. (सी.सी.एफ.-1)]	ऊन अनुसंधान संघ, थाने		65.00		65.00
6.	हरियाणा	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	हरियाणा राज्य पशु विकास बोर्ड, चंडीगढ़	64.80		73.09	137.89
7.	कर्नाटक	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	कर्नाटक भेड़ व भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड, बेंगलूर	17.41	8.51		25.92
		भेड़ व ऊन सुधार योजना			0.47	12.94	13.41
		मशीन कतरन-सह-प्रशिक्षण परियोजना		2.93	2.34		5.27
8.	आंध्र प्रदेश	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	निदेशक, पशुपालन विभाग, हैदराबाद	58.54	34.19		92.73
9.	जम्मू-कश्मीर	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	जम्मू व कश्मीर भेड़ बोर्ड, जम्मू/ एल.ए.एच.डी.सी., लेह	30.90	59.85	21.31	112.06
		भेड़ व ऊन सुधार योजना (पी.एम.)	सचिव, पशुपालन विभाग, श्रीनगर		52.80	329.32	382.12
		विकास विशिष्ट फाइबर (पश्मीना)	सचिव, पशुपालन विभाग, जम्मू			60.75	60.75
		पश्मीना विकास [यू.एन.डी.पी. (सी.सी.एफ.-1)]	लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद् (एल.ए.एच.डी.सी.), लेह		357.50		357.50
		मशीन कतरन-सह-प्रशिक्षण परियोजना	जम्मू व कश्मीर भेड़ बोर्ड, जम्मू/ एल.ए.एच.डी.सी., लेह/पशुपालन	1.80	4.88		6.68

	एकीकृत अंगोरा खरगोश विकास परियोजना	जम्मू व कश्मीर भेड़ बोर्ड, जम्मू	0.71			0.71
	लघु ऊन प्रक्षालन संयंत्र	लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एल.ए.एच.डी.सी.), लेह	10.50			10.50
10. उत्तरांचल	भेड़ व ऊन सुधार योजना (आई.डब्ल्यू.आई.पी.)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल भेड़ व ऊन विकास बोर्ड, देहरादून		37.75	38.37	76.12
	एकीकृत अंगोरा खरगोश विकास परियोजना	रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला, पिथौड़गढ़		7.80	1.42	9.22
	विकास विशिष्ट फाइबर (अंगोरा विकास)	रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला, पिथौड़गढ़			6.55	6.55

2001-02 - 9वीं योजना स्कीम

2002-03 - 9वीं योजना स्कीम को 10वीं योजना के प्रथम वर्ष में क्रियान्वित करना जारी रखा गया था क्योंकि 10वीं योजना स्कीम मंजूर नहीं की जा सकी थी।

2003-04 - 10वीं योजना स्कीम

विवरण-II

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) के तहत विभिन्न राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग की स्थिति तथा खर्च/जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा (2002-03 से 2004-05 तक)

क्रमांक	राज्य	2002-03			2003-04			2004-05 (अनंतिम)			जारी कुल निधि	कुल प्राप्त यू.सी.	लंबित यू.सी.	प्राप्त यू.सी. का % (02-03 से 04-05-5)
		जारी	प्राप्त	लंबित	जारी	प्राप्त	लंबित	जारी	प्राप्त	लंबित	(2002-03 और 2003-04)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	कर्नाटक	1506.05	1103.18	402.87	764.24$	340.85	123.39	859.60	329.87	529.73	3129.89	2073.90	1055.99	0.6%
2.	तमिलनाडु	62.32	59.99	2.33	152.33	145.71	6.62	191.14	2.29	188.85	405.79	207.99	197.80	51%
3.	जम्मू-कश्मीर	280.14	251.50	6.64	313.61	229.04	84.57	262.84	42.20	220.64	836.59	522.74	313.85	62%
4.	आंध्र प्रदेश	1505.86	1456.79	49.07	878.68	877.68	1	1155.72	664.22	491.15	3540.26	2998.69	541.57	85%
5.	पश्चिम बंगाल	65.41	57.42	7.99	48.47	41.67	6.80	112.63	1.19	111.44	226.51	100.28	128.23	44%
6.	महाराष्ट्र	92.22	77.70	14.52	104.47	83.28	21.19	50.80	1.68	49.12	247.49	162.66	84.83	66%
7.	मध्य प्रदेश	52.59	39.97	12.62	74.92	66.95	7.97	79.05	14.25	64.80	206.56	121.17	85.39	59%
8.	उड़ीसा	50.62	27.27	23.35	82.29	55.29	27	24.32	0.32	24	157.23	82.88	74.35	53%
9.	बिहार	106.27	106.27	0.00	38.30	38.30	0.00	86.69	35.54	51.15	231.26	180.11	51.15	78%
10.	उत्तर प्रदेश	22.86	22.86	0.00	52.91	40.40	12.51	92.05	12.05	80.00	167.82	75.31	92.51	45%
11.	केरल	38.49	21.89	16.60	82.30	54.69	27.61	106.32	20.29	86.03	227.11	96.67	130.24	43%
12.	गुजरात	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-
13.	पंजाब	0.00		0.00	0.00		0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00	-

14. हरियाणा	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-
15. हिमाचल प्रदेश	1.45	1.45	0.00	349.62	211.79	167.83	306.41	1.10	307.31	659.48	214.34	445.14	33%
16. राजस्थान	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-
17. छत्तीसगढ़	12.13	12.13	0.00	125.23	87.21	38.02	156.35	10.82	145.53	293.71	110.16	183.55	38%
18. झारखण्ड	103.35	103.35	0.00	83.77	83.77	0.00			0.00	187.12	187.12	0.00	100%
19. उत्तरांचल	213.41	213.41	0.00	112.29	112.29	0.00	117.43	5.20	112.23	443.13	330.90	112.23	75%
20. सिक्किम	15.18	15.16	0.00	16.45	16.45	0.00	43.27		43.27	74.00	31.61	43.27	42%
21. असम	119.03	21.07	97.96	315.20	19.15	296.13	442.21	33.65	406.56	876.52	73.87	802.65	8%
22. अरुणाचल प्रदेश	2.62	0.00	2.62	48.79	42.21	6.58	88.63	3.60	85.03	140.04	45.81	94.23	33%
23. मणिपुर	0.05	0.05	0.00	24.00	0.20	23.72	11.74		71.74	95.79	0.33	95.46	0%
24. मेघालय	33.11	0.40	32.63	87.39		87.39	152.62	0.42	162.20	283.12	0.90	262.22	0%
25. मिजोरम	84.40	75.80	8.69	106.97	32.40	74.57	141.71	3.15	138.56	333.17	111.35	221.82	33%
26. नागालैण्ड	2.49	2.04	0.45	32.31	10.81	13.50	106.45	31.64	74.81	141.25	52.49	88.76	37%
27. त्रिपुरा	36.56	30.36	6.20	20.01	23.91	4.10	185.73		185.73	250.30	54.27	196.03	22%
कुल	4386.68	3700.14	686.54	3922.63	2922.13	1000.50	4846.10	1213.87	3632.23	13155.41	7836.14	5319.27	60%

$ केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एरी कच्चा माल तक का जारी 50.00 लाख रुपए शामिल है।

यूसी - उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र

विवरण-III

योजना : दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन परियोजना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	पिछले तीन वर्षों के दौरान शामिल परियोजनाएं	पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि	पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	115	1477.95625	1350.03625
2.	बिहार	11	12.62000	0.00000
3.	छत्तीसगढ़	59	76.54250	20.63250
4.	दिल्ली	00	0.00000	0.00000
5.	गुजरात	00	0.00000	0.00000
6.	हरियाणा	00	0.00000	0.00000
7.	हिमाचल प्रदेश	88	157.85190	17.90190
8.	जम्मू-कश्मीर	00	0.00000	0.00000
9.	झारखंड	00	0.00000	0.00000
10.	कर्नाटक	52	39.92250	13.04250
11.	कुरल	295	389.35000	0.00000
12.	मध्य प्रदेश	8	7.48000	0.00000
13.	महाराष्ट्र	00	0.00000	0.00000
14.	उड़ीसा	00	0.00000	0.00000
15.	पंजाब	00	0.00000	0.00000
16.	राजस्थान	2	4.77000	0.00000
17.	तमिलनाडु	924	1727.99375	314.61325
18.	उत्तर प्रदेश	434	1247.06250	248.59250
19.	उत्तरांचल	22	62.99900	32.36900
20.	पश्चिम बंगाल	94	154.51475	46.75475
	कुल : (क)	2104	5359.06315	2043.94265

1	2	3	4	5
पूर्वोत्तर राज्य				
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	12.83000	0.00000
2.	असम	202	1091.85402	9.73402
3.	मणिपुर	392	1000.66198	537.14198
4.	मेघालय	00	0.00000	0.00000
5.	मिजोरम	00	0.00000	0.00000
6.	नागालैंड	308	902.39000	268.25000
7.	त्रिपुरा	16	29.50000	29.50000
8.	सिक्किम	00	0.00000	0.00000
	कुल (ख)	920	3037.23600	844.62600
	कुल योग (क+ख)	3024	8396.29915	2888.56865

मूल्य वर्धित कर

982. श्री सुरेश अंगडि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मूल्य वर्धित कर लागू करने के बाद राज्यों को किसी राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिए "विशेष अनुदान सहायता" शीर्ष के अंतर्गत एक अलग से खाता बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मूल्य वर्धित कर लागू करने के बाद कुछ राज्यों ने अपने राजस्व संग्रहण में गिरावट की सूचना दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) मूल्य वर्धित कर लागू करने के कारण राजस्व हानि के लिए (यदि कोई हो तो) राज्यों को केन्द्रीय प्रतिपूर्ति देने के लिए बजट अनुमान 2005-06 में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की मांग सं. 42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 3601-अनुदान सहायता के तहत 5000 करोड़ रुपये का एक प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 की प्रथम तिमाही के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार केवल बिहार राज्य को पिछले वर्ष की समनुरूपी अवधि की तुलना में पूर्ण रूप से राजस्व हानि हुई है।

[हिन्दी]

काला धन

983. श्री शिवराज सिंह चौहान:

श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार काले धन की तलाशी तथा जब्ती से संबंधित नियमों/योजनाओं में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काला धन उजागर करने के लिए विशेष योजनाओं की सिफारिश करने के लिए बने दो आयकर महानिदेशकों (जांच) तथा एक मुख्य आयकर आयुक्त वाले विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) विशेषज्ञ दल के काले धन के प्रकटन को प्रोत्साहित करने के लिए कतिपय उपायों/स्कीमों की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

मूल्य वर्धित कर

984. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य वर्धित कर (वैट) पर राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने वैट से संबंधित मुद्दों और वैट को लागू करने में राज्यों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जांच करने के लिए 9 जुलाई, 2005 को बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय लिये गए हैं;

(ग) क्या इस समिति ने नई प्रणाली से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को हो रहे घाटे के संबंध में भी कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर अंतिम निर्णय क्या लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) वैट संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की एक बैठक 9 जुलाई, 2005 को हुई। उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों का सार इस प्रकार है:

(i) अधिकार प्राप्त समिति ने क्षतिपूर्ति पर भारत सरकार के संशोधित अनुदेशों का समर्थन किया और राज्यों को तदनुसार अपने क्षतिपूर्ति दावों को फाइल करना शुरू करने का परामर्श दिया।

(ii) राज्य सी.एस.डी. कैंटीनों से बिक्री में छूट दे सकते हैं और राजस्व विभाग से स्पष्टीकरण/पुष्टि पर भारत सरकार से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।

(iii) यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक लेन-देन के बाद नकद पर्ची (कैश-मीमो) जारी करने और लेने के लिए उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रचार अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। वैट-भिन्न राज्यों में भी अभियान जारी रखने की आवश्यकता है।

(iv) कीमतों पर वैट के प्रभाव का सावधानी से और विस्तृत अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

(v) राज्य चयनात्मक और जिम्मेदार प्रवर्तन शुरू कर सकते हैं। दण्डात्मक कार्रवाई को पहले से अधिक सख्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(vi) अतः राज्यों को वैट की अनुमोदित दर अथवा बिक्री कर की एक समान न्यूनतम दरों से विचलित नहीं होना चाहिए।

(ग) से (ङ) नए शासन के अधीन महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के हानि दिखाने के परिणामस्वरूप अधिकारप्राप्त समिति द्वारा कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया।

वैश्विक विकास नेटवर्क

985. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास की समस्याओं का समाधान करने के लिए वैश्विक विकास नेटवर्क की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्लोबल विकास नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

काम के बदले अनाज संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम

986. श्री सीताराम सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काम के बदले अनाज संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं और इसमें कौन-कौन सी एजेंसियां संलग्न हैं तथा उनमें से प्रत्येक को सौंपे गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है और इससे निर्धन व्यक्तियों को किस सीमा तक लाभ होने की सम्भावना है; और

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य-वार उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) और (ख) जी, हां। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम देश के 150 अत्यंत पिछड़े चुनिंदा जिलों में नवम्बर, 2004 से शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को अतिरिक्त पूरक मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। जिला कलक्टर जिला स्तर पर नोडल अधिकारी होता है। कार्यान्वयन एजेंसी कोई लाइन विभाग, पंचायती राज संस्थाएं, प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन, स्व-सहायता समूह, केन्द्र अथवा राज्य सरकार की अन्य एजेंसियां, जिसे भी कलक्टर द्वारा निर्धारित किया जाए, हो सकती है।

(ग) और (घ) मंत्रालय के मूल्यांकन के आधार पर 150 अत्यंत पिछड़े चुनिंदा जिलों में एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. और एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत वर्तमान आबंटन से प्रत्येक बी.पी.एल. ग्रामीण परिवार, जिसकी संख्या लगभग 1 करोड़ है, से एक व्यक्ति के लिए 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जा सकेगा। तथापि, एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत अतिरिक्त पूरक मजदूरी रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य के मद्देनजर, सृजित श्रमदिवस के रूप में निष्पादन की निगरानी की जाती है। इस प्रकार, वर्ष 2004-05 और 2005-06 (जून, 2005 तक) के दौरान राज्यवार सृजित श्रमदिवसों को दर्शाने वाली स्थिति संलग्न विवरण-I में है, जबकि वर्ष 2005-06 के दौरान संसाधन के आबंटन और रिलीज संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	चुने गए जिलों की सं.	सृजित श्रमदिवस (लाख में)	
			2004-05 (अनंतिम)*	2005-06 (जून, 05 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8	39.51	88.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	2.49	असूचित
3.	असम	5	0.00	96.86
4.	बिहार	15	54.96	37.94
5.	छत्तीसगढ़	10	130.85	15.94
6.	गुजरात	6	3.82	असूचित
7.	हरियाणा	1	असूचित	असूचित

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1.74	असूचित
9.	जम्मू-कश्मीर	2	असूचित	असूचित
10.	झारखंड	14	13.19	असूचित
11.	कर्नाटक	3	4.11	19.73
12.	केरल	1	0.21	असूचित
13.	मध्य प्रदेश	15	114.07	143.95
14.	महाराष्ट्र	11	असूचित	असूचित
15.	मणिपुर	1	5.21	असूचित
16.	मेघालय	1	1.24	असूचित
17.	मिजोरम	1	असूचित	असूचित
18.	नागालैंड	1	असूचित	असूचित
19.	उड़ीसा	18	260.27 *	असूचित
20.	पंजाब	1	असूचित	असूचित
21.	राजस्थान	5	33.14	8.77
22.	सिक्किम	1	1.06	0.35
23.	तमिलनाडु	4	28.62	असूचित
24.	त्रिपुरा	1	15.30	15.30
25.	उत्तरांचल	2	0.50	0.42
26.	उत्तर प्रदेश	15	29.99	28.48
27.	पश्चिम बंगाल	6	43.42	58.36
	कुल	150	783.68	514.99

* नवम्बर, 2004 से मार्च, 2005 तक

			आबंटन		रिलीज		आबंटन		रिलीज	
			निधियां (लाख रु. में)	खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)	निधियां (लाख रु. में)	खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)	निधियां (लाख रु. में)	खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)	निधियां (लाख रु. में)	खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	8	12214.72	125413	12214.72	125413	27199.63	301948	13599.82	150976
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	190.80	0	190.80	0	425.26	4724	0.00	0
3.	असम	5	16645.79	108984	16645.79	108984	37100.61	412219	0.00	0
4.	बिहार	15	26411.54	272432	26456.54	272432	58812.89	655916	8753.81	75404
5.	छत्तीसगढ़	10	10410.19	109045	10410.19	109045	23181.35	262540	10421.85	118297
6.	गुजरात	6	3994.69	41042	3994.69	41042	8895.33	98814	0.00	0
7.	हरियाणा	1	281.85	2894	281.85	2894	627.62	6968	0.00	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1	303.91	3121	303.91	3121	676.75	7514	338.38	3758
9.	जम्मू-कश्मीर	2	494.26	5074	494.26	5074	1100.60	12216	298.29	3311
10.	झारखण्ड	14	22595.70	232004	22595.70	232004	50315.90	558580	0.00	0
11.	कर्नाटक	3	2925.38	30038	2925.38	30038	6514.20	72320	0.00	0
12.	केरल	1	547.14	5618	547.14	5618	1218.36	13526	0.00	0
13.	मध्य प्रदेश	15	15808.32	162310	15808.32	162310	35201.76	390782	12319.07	136757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	महाराष्ट्र	11	15495.26	158998	15495.26	158998	34504.70	382807	981.55	10899
15.	मणिपुर	1	399.22	2614	399.22	2614	889.78	9887	44.89	4991
16.	मेघालय	1	543.85	3562	543.85	3562	1212.16	13473	0.00	0
17.	मिजोरम	1	95.52	626	95.52	626	212.89	2368	0.00	0
18.	नागालैंड	1	455.72	2984	455.72	2984	1015.71	11286	0.00	0
19.	उड़ीसा	18	22283.67	228863	22283.67	228863	49621.06	551018	22129.04	245742
20.	पंजाब	1	716.32	7356	716.32	7356	1595.09	17711	0.00	0
21.	राजस्थान	5	3532.69	36269	3532.69	36269	7866.58	87322	3933.31	43661
22.	सिक्किम	1	315.73	2068	315.73	2068	703.70	7822	0.00	0
23.	तमिलनाडु	4	4851.58	49815	4851.58	49815	10803.45	119936	0.00	0
24.	त्रिपुरा	1	1543.37	10105	1543.37	10105	3439.89	38221	0.00	0
25.	उत्तरांचल	2	1014.86	10418	1014.86	10418	2259.88	25083	0.00	0
26.	उत्तर प्रदेश	15	26378.11	270779	26378.11	270779	58738.53	651936	0.00	0
27.	पश्चिम बंगाल	6	11449.81	117568	11449.81	117568	25496.32	283063	2934.28	32576
	कुल	150	201900.00	2000000	201945.00	2000000	449630.00	5000000	76154.29	826372

[अनुवाद]

सुनामी के प्रति जागरुकता

987. श्री प्रबोध पाण्डा:

श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **महासागर विकास विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालीय छात्रों के माध्यम से सुनामी के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना आरंभ की है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। सुनामी को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के माध्यमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन में शिक्षा के एक भाग के रूप में पहले ही शामिल कर लिया गया है। कक्षा VII, IX, X के लिए 'आर्थिक सुरक्षित भारत की ओर' नामक एक प्रकाशन निकाला गया है। कक्षा X के लिए सुनामी और आपदा प्रबंधन के लिए आधारभूत कौशल पर एक अध्याय आरंभ किया गया है।

(ग) सुनामी तथा तूफान महोर्मि संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, इसके निम्नलिखित संघटक हैं:--

- सुनामी पैदा करने वाले भूकंप आने के लगभग वास्तविक समय का पता लगाने के लिए मौजूदा भूकंप वैज्ञानिक नेटवर्क को सुदृढ़ करना
- हिन्द महासागर में वास्तविक समय संयोजन के साथ समुद्र तल के निकट उपयुक्त स्थानों पर सुनामी चेतावनी सेंसर स्थापित करना
- ज्वारमापी और डाटा ब्वॉय नेटवर्किंग
- समूचे तट के लिए आप्लावन दृश्यलेखों की मॉडलिंग
- सूचना एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और सुनामी तथा तूफान महोर्मि परामर्शी सूचनाएं तैयार करने के लिए केन्द्र की स्थापना।

सरकारी व्यय में मितव्ययता

988. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में सम्पत्ति कर, आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की बकाया राशि में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उपरोक्त प्रत्येक ने पृथक्-पृथक् दर्ज की गई वृद्धि प्रतिशतता कितनी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इन बकाया धनराशियों में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि धन के अभाव में कई परियोजनाएं या तो बीच में ही छोड़ दी गईं अथवा आरम्भ ही नहीं की गईं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी व्यय में मितव्ययता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष दर्ज प्रतिशत वृद्धि/कमी सहित आयकर (निगमित कर सहित) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, धन कर तथा गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की बकाया राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

आयकर (निगमित कर सहित)

वर्ष	आयकर बकाया की कुल राशि (रु. करोड़ों में) (लगभग)	पिछले वर्षों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी
2002-2003	72290	(-)0.52
2003-2004	87886	21.57
2004-2005	100379	14.22

*बकाया आयकर और निगमित कर के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बकाया की कुल राशि (रु. करोड़ों में) (लगभग)	पिछले वर्षों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी
2002-2003	11502	0.90%
2003-2004	12613	9.66%
2004-2005	12195	-3.31%

धन कर

वर्ष	धन कर बकाया की कुल राशि (रु. करोड़ों में) (लगभग)	पिछले वर्षों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी
2001-2002	732	39.42
2002-2003	1057	44.39
2003-2004	794	(-)33.12
*2004-2005	289 (अनंतिम)	

*केवल दिसम्बर, 2004 तक आंकड़े उपलब्ध है।

गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में कमी आई है। इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(रु. करोड़ों में)

वर्ष	सकल	निवल
2002	70861 (10.4)	35554 (5.5)
2003	68714 (8.8)	32764 (4.4)
2004	64786 (7.2)	24617 (2.9)

*कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गैर निष्पादनकारी आस्तियों से सकल/निवल अग्रिम तक के प्रतिशत हैं।

(ग) बकाया की वसूली और उसका बनना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बकाया से पर्याप्त वसूली के लिए बहु-आयामी नीति का विकास एवं कार्यान्वयन करने के लिए कार्यबलों का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, उठाए गए कदमों में शामिल हैं - ऐसी अपीलों, जिनमें स्थगन दिया गया है वहां स्थगन आदेश पारित किए जाने की तारीख से 180 दिनों के अंदर निर्णय करना आयकर अपील अधिकरणों के लिए सांविधिक रूप से बाध्यकारी बनाना, किसी मामले को अलग रखने अथवा नए आदेशों के लिए कर-निर्धारण अधिकार के पास इसे वापस भेजने के लिए आयकर (अपील) आयुक्त के अधिकारों को सीमित करना; क्षेत्रीय एककों की कर-मांग की वसूली के लिए व्यापक अनुदेश जारी करना, अवसूलनीय बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिए अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विभिन्न आयकर प्राधिकारियों के संबंध में मौद्रिक सीमा को बढ़ाना, बकाया देय कर की वसूली के लिए विशेष एकक की स्थापना करना आदि।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, बकाया की वसूली करने के लिए एक विशेष बहु-आयामी अभियान शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं - शुल्क के वसूलनीय बकाया की वसूली के लिए शीघ्र कार्रवाई करना, भिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष पड़े मामलों की निगरानी करना, लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई और निपटान के लिए न्यायालयों तथा अन्य अपीलीय प्राधिकारियों के सम्मुख याचिका दायर करना एवं आयुक्त (अपील) के पास लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करना।

(घ) सांख्यकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (आधारभूत संरचना और परियोजना मानीटरिंग प्रभाग) मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 8 परियोजनाएं, जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ, निधियों की कमी के कारण बंद कर दिया गया है, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) सरकार का लगातार यह प्रयास रहता है कि आयोजना भिन्न, विकासात्मक भिन्न व्यय को नियंत्रित किया जाए। यह इस संदर्भ में है कि अन्य उपायों के साथ-साथ फिजूलखर्च को रोकने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते है। वित्त मंत्रालय ने व्यय-प्रबंधन, राजकोषीय सावधानी और मितव्ययिता के संबंध में 24 सितम्बर, 2004 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, लाभ वाले सभी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को इक्विटी अथवा कर-पश्चात् लाभों पर न्यूनतम 20% लाभांश घोषित करना, निर्धारित बजटीय सीमाओं से व्यय के किसी विषयांतरण को रोकना; आयोजना-भिन्न, वेतन-भिन्न व्यय और पेट्रोल/तेल/स्नेहकों तथा यात्रा के लिए बजटीय आवंटनों में अनिवार्य 10% कटौती; सेवाओं की लागत की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए कर-भिन्न प्राप्तियों में संशोधन, पदों के सृजन पर रोक; स्वीकृत पदों की संख्या में कटौती; नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध; विदेश यात्रा और मनोरंजन /आतिथ्य खर्चों पर प्रतिबंध; पर्याप्त अप्रयुक्त शेष और बैंकों में जमा पूंजी रखने वाली स्वायत्त संस्थाओं को निधियों की निर्मुक्ति की, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा समीक्षा और उन स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनके पास निधियां जुटाने की संभावना है, को कम अनुदानों की निर्मुक्ति को चरणबद्ध तरीके से कम करना शामिल हैं। मंत्रालयों/विभागों से इन मितव्ययिता अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

निधियों की कमी के कारण रद्द की गई/नहीं ली गई परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना	क्षमता	अनुमोदन की मूल तिथि	कार्य शुरू किये जाने की तारीख (मूल अद्यतन)	कार्यभार सौंपे जाने की प्रत्याशित तिथि	अनुमोदित लागत (रु. करोड़ में) (मूल अद्यतन)	प्रत्याशित लागत (रु. करोड़ में)	व्यय (रु. करोड़ में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कोयला								
1.	कर्मा ओ.सी. महाराष्ट्र	0.80 एम.टी. वाय	12/1990	3/1996		47.4	47.40	1.64	भूमि अधिग्रहण समस्या के समाधान के बाद शुरू करना तथा निधियां उपलब्ध करा दिए जाते हैं
2.	परेज ईस्ट, यू.जी. हजारीबाग	0.30 एम.टी. वाय	9/1992	3/1999		29.34	29.34	1.10	-वही-
3.	तारमी, ओ.सी. बोकारो झारखंड	0.50 एम.टी. वाय	5/1991	3/1995		29.55	29.55	0.23	-वही-
4.	हिन्डजर ओ.सी. हजारीबाग	0.78 एम.टी. वाय	3/1991	3/1995		41.48		0.23	-वही-
5.	विश्वकर्मा ओ.सी. धनबाद	0.7 एम.टी. वाय	8/1997	3/2001	3/2002	44.74	44.74	0.84	भूमि और निधि की समस्या
6.	राजमहल ओ.सी. गोंडा	1.5 एम.टी.	9/1996	3/2002		46.86	46.86	0.00	एन.टी.पी.सी. द्वारा कम उठान तथा निधियों की कमी राजमहल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									आपटीमाइजेशन परियोजना सहित जो कि निरूपणाधीन है
7.	कालीदासपुर, यू.जी. बांकुरा, प. बंगाल	0.54 एम.टी. वाय	11/1986 11/1995	3/1993 3/1998	3/2004	47.96 74.05	37.97		निधियों की कमी के कारण बंद कर दिया गया
8.	राजाबागान गोदी, पश्चिम बंगाल का आधुनिकीकरण	एस.बी. 27000 टी.एस.आर. नं. 106/वाय आर.	7/1988 12/1992	2/1993 9/1995	6/2002	66.09	71.34	3.91	नीदरलैंड सरकार के साथ निधियों के बारे में समझौता नहीं किया जा सका।

विद्युत क्षेत्र संबंधी समझौता

989. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ और भारत के बीच ऊर्जा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) नवंबर, 2004 में देश में हुए 5वें भारत-यूरोपीयन संघ के शिखर सम्मेलन में लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में एक भारत-यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल गठित किया गया है। भारत-यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की प्रथम बैठक 29 जून,2005 को ब्रसल्स में हुई थी। ऊर्जा पैनल ने विचारार्थ विषय को स्वीकार किया, सुरक्षित एवं स्थिर ऊर्जा आपूर्ति हेतु संभावित नीतियों, वर्तमान एवं भावी आपूर्ति की स्थिति और संबंधित ऊर्जा मांग अनुमानों के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान किया है।

ऊर्जा पैनल ने लाभ के रूप में अभिज्ञात निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यकारी समूहों को स्थापित करने का निर्णय लिया है:-

- कोयला और स्वच्छ कोयला रूपांतरण प्रौद्योगिकियां।
- ऊर्जा दक्षता और अक्षय ऊर्जा
- आई.टी.ई.आर. में भारत की भागेदारी समेत फ्यूजन ऊर्जा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लम्बित प्रस्ताव

990. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत कुछ प्रस्ताव पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मामले को पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या निकले; और

(ङ) लम्बित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) जी, हां।

(ख) वानिकी मंजूरी के लिए लंबित राज्यवार मामलों की संख्या निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	राज्य	लंबित मामलों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़	53
2.	गोवा	4
3.	गुजरात	56
4.	हिमाचल प्रदेश	448
5.	कर्नाटक	4
6.	मध्य प्रदेश	67
7.	महाराष्ट्र	4
8.	उड़ीसा	6
9.	सिक्किम	16
10.	तमिलनाडु	2
11.	उत्तरांचल	30
12.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	692

(ग) से (ङ) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है। यह राज्य सरकार/जिला पंचायत की जिम्मेदारी है कि वे जहां भी आवश्यकता हो, संबंधित वन अधिकारी से वानिकी मंजूरी के साथ-साथ, प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 'केन्द्र प्रायोजित योजना' के रूप में पी.एम.जी.एस.वाई. तैयार किए जाते समय यह कहा था कि वन भूमि पर सड़क निर्माण के मामले में,

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वानिकी मंजूरी की आवश्यकता है, जो कि सांविधिक है। मंत्रालय ने यह भी बताया था कि उसके छ: क्षेत्रीय कार्यालयों के पास प्रत्यायोजित शक्तियां हैं और पूर्ण जानकारी होने की स्थिति में छ: सप्ताह के भीतर वानिकी मंजूरी ली जा सकती है। सभी राज्य सरकारों को, तदनुसार इस मंत्रालय द्वारा 23 जून, 2003 को सलाह दी गई कि वे ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई करें और अपनी रिपोर्टें भेजें ताकि अत्यधिक विलंब होने की स्थिति में इस मामले को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ उठाया जा सके।

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

991. श्री जुएल ओराम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी सूती/मानव-निर्मित फाइबर की कपड़ा मिलें हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इन मिलों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मौजूदा मिलों के विकास के लिए मिल-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) 30-06-2005 की स्थिति के अनुसार, देश में सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (गैर-एस.एस.आई.) की संख्या 1783 थी।

(ख) और (ग) वस्त्र और पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण को गति देने के लिए सरकार ने **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.)** शुरू की है जो 01-04-1999 से 31-03-2007 तक लागू है। इस योजना का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इस योजना के तहत, निधि उन मिलों के मामले में घटी हुई ब्याज-दर पर ऋण के रूप में प्रदान की जाती है जिनके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और जो मिलें ऐसी परियोजना वाली नोडल एजेंसियों/सहयोजित संस्थाओं से संपर्क करती हैं जो इस योजना के अनुरूप है। इस योजना के तहत ऋण नोडल एजेंसियों/सहयोजित संस्थाओं द्वारा उनके वित्तीय मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। सरकारी निधि पूंजीगत सब्सिडी अथवा वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति दिए जाने तक सीमित है। तदनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई निधियां निम्नलिखितानुसार हैं:-

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2002-03	202.59
2003-04	249.07
2004-05	283.60

विवरण

वस्त्र मिलों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए योजना

वस्त्र एवं पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण को गति देने के लिए भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.)** शुरू की है जो 01-04-1999 से 31-03-2007 तक लागू है। इस योजना में मुख्य रूप से योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा लगाए गए 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।

(1) 5% ब्याज सहायता के बजाय विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में 5% बिन्दु प्रतिवर्ष से अनधिक मुद्रा दर ह्रास बिन्दु शामिल करना।

(2) लघु वस्त्र एवं पटसन औद्योगिक एककों के लिए या तो 15% ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी (सी.एल.सी.एस.) प्राप्त करने अथवा मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति का विकल्प।

(3) लघु विद्युतकरघा एककों के लिए 100 लाख रुपए की लागत तक की विद्युतकरघा एवं बुनाई प्रारंभिक मशीनों के लिए ऋण संबद्ध 20% पूंजीगत सब्सिडी का अतिरिक्त विकल्प, जिसमें बड़े ऋण नेटवर्क से ऋण लेने की सुविधा है। इस नेटवर्क में सभी सहकारी बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य उपयुक्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं।

(4) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए 20-04-2005 से मौजूदा 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति के अलावा, 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी (सी.एल.सी.एस.)।

2. योजना का उद्देश्य:

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा एककों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग के वास्ते निधियां उपलब्ध कराना तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त नए एककों की स्थापना करना है ताकि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी अर्थक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सके।

3. योजना का कार्य क्षेत्र:

इस योजना के तहत वस्त्र एवं पटसन उद्योग के निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं:-

(क) वस्त्र उद्योग में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) रेशम रीलिंग और ट्विस्टिंग

(2) ऊन प्रक्षालन और कंबिंग

(3) सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सचराइजिंग क्रिंपिंग और ट्विस्टिंग

(4) कताई

(5) विस्कोस फिलामेंट यार्न (वी.एफ.वाई.)

(6) बुनाई, गैर-वूवन्स सहित निटिंग, फैब्रिक कशीदाकारी एवं तकनीकी वस्त्र

(7) परिधान/मेडअप्स विनिर्माण

(8) फाइबर, यार्नों, फैब्रिकों, परिधानों और मेड-अप्स का प्रसंस्करण।

(ख) पटसन उद्योग

4. प्रमुख एजेंसियां:

विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस योजना के तहत प्रमुख एजेंसियां निम्नलिखित हैं:-

क्षेत्र	प्रमुख एजेंसी
वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग क्षेत्र को छोड़कर)	आई.डी.बी.आई.
लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र	सिडबी
पटसन उद्योग	आई.एफ.सी.आई.

5. पात्र वस्त्र मशीनों की किस्म:

सामान्यतः इस योजना के तहत सूचीबद्ध केवल नई मशीनों को ही अनुमति दी जाएगी। परंतु कुछ श्रेणियों में, जो सूचीबद्ध भी हैं, पात्र आवेदक एककों द्वारा 10 वर्ष के न्यूनतम शेष जीवनकाल वाली सैकेंड हैंड मशीनरी का आयात किए जाने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि विनिर्माण वर्ष से गणना किए गए अनुसार 10 वर्ष का अधिकतम बीता हुआ जीवनकाल (पुराना) हो। इस योजना के तहत सूचीबद्ध न की गई निर्धारित प्रौद्योगिकी के बराबर अथवा उससे उच्चतर अथवा टी.यू.एफ.एस. के लागू रहने के दौरान विकसित किसी भी अन्य वस्त्र मशीनरी की पात्रता सरकार द्वारा विशेष रूप से निर्धारित संदर्भ पर अथवा स्वविवेक पर होगी।

6. सामान्य पात्रता शर्तें:

कोई भी वस्त्र एकक जो संबंधित वित्तीय संस्थाओं के साधारण उधार मानदंडों के अनुसार पात्र हो तथा इस योजना के निर्धारित मानदंडों को पूरा करता हो, इस योजना के तहत निधियां प्राप्त कर सकता है। तथापि, इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रकार के एकक पात्र हैं:-

(1) विस्तार सहित अथवा बिना विस्तार के मौजूदा एकक तथा नए एकक

(2) मौजूदा एकक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से आधुनिकीकरण कर सकते हैं और/अथवा विस्तार कर सकते हैं।

(3) नए एककों को उपयुक्त पात्र प्रौद्योगिकी से ही अपनी संपूर्ण सुविधाएं स्थापित करनी होंगी।

(4) कोई भी एकक योजना में निर्धारित किए गए अनुसार एकीकृत रूप से एक या अधिक क्रियाकलाप कर सकता है।

7. योजना की कार्य प्रणाली

इस योजना के तहत ऋण प्रमुख एजेंसियों/सहयोजित संस्थाओं द्वारा योजना और संबंधित वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय मानदंडों के अनुरूप परियोजनाओं के लिए उद्योग के पहचाने गए क्षेत्रों को दिए जाते हैं। सरकारी धनराशि योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना पर वित्तीय संस्थाओं/बैंकों (आई.डी.बी.आई., सिडबी, आई.एफ.सी.आई.) द्वारा लगाए गए 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति तक सीमित है।

8. योजना की मानीटरिंग तथा पुनरीक्षा

मॉनीटरिंग और पुनरीक्षा के लिए सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में एक **अंतर मंत्रालयी संचालन समिति (आई.एम.एस.सी.)** गठित

की गई है। यह समिति सामान्यत: त्रैमासिक आधार पर बैठक करती है। इस योजना के तहत किसी यूनिट अथवा मशीनरी की पात्रता के संबंध में किसी भी प्रमुख एजेंसी द्वारा उठाए गए किसी भी तकनीकी मुद्दे को पारिभाषित करने अथवा उसे स्पष्ट करने के लिए वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक **तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटरिंग समिति (टी.ए.एम.टी.)** भी गठित की गई है। टी.ए.एम.सी. की बैठक सामान्यत: प्रतिमाह होती है। टी.ए.एम.सी. अंतर मंत्रालयी संचालन समिति को तकनीकी सलाह भी प्रदान करती है तथा प्रगति के संबंध में नियमित आधार पर मॉनीटरिंग भी करती है।

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु परिव्यय

992. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का कुल परिव्यय कितना है;

(ख) क्या गत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के परिव्यय में कटौती की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य विशेषकर गुजरात इस कटौती से प्रतिकूलत: प्रभावित होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) 1100 करोड़ रुपये की राशि 2005-06 के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आवंटित की गई है। हालांकि मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इस राशि को 2500 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(ख) जी नहीं, 2004-05 के दौरान कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये जारी किए गए थे और "एक लाख गांवों और एक करोड़ घरों के त्वरित विद्युतीकरण" की योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये और जारी किए गए जिससे ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत जारी की गई राशि 400 करोड़ रुपये हो गई।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के आलोक में, प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(घ) और (ङ) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्नपूर्णा योजना हेतु धनराशि का आबंटन

993. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्नपूर्णा योजना के क्रियान्वयन के लिए अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या कतिपय राज्यों से इस योजना के अन्तर्गत धनराशि और खाद्यान्न बढ़ाने सम्बन्धी अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्यों ने केन्द्र सरकार से खाद्यान्नों की ढुलाई और वितरण के परिवहन प्रभार को वहन करने के लिए भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दोनों मुद्दों पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान अन्नपूर्णा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार आबंटित निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 2002-03 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) और अन्नपूर्णा योजना को राज्य योजना में अन्तरित कर दिए जाने के पश्चात् इस मंत्रालय द्वारा योजना-वार आबंटन नहीं किया जाता है। अंतरित योजनाओं के लिए कुल आबंटन का निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया जाता है। इस संबंध में राज्यों के प्रयासों को तेज करने के लिए योजना आयोग द्वारा राज्यों के लिए किए गए आबंटन के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को निधियां दी जा रही हैं। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता एन.एस.ए.पी. और अन्नपूर्णा योजना के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त आबंटन है। राज्य योजनाओं के चयन एवं कार्यान्वयन में अपेक्षित लोचनीयता बरत सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास अंतरित कर दी गई योजनाओं के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं है।

(ख) राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों ने योजना के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से अपने-अपने राज्यों के खाद्यान्नों के आबंटन को बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(ग) किसी भी राज्य सरकार से इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जानकारी दी है कि राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने-अपने राज्यों के वार्षिक आबंटन को क्रमश: 12635.16 मीट्रिक

टन से 24758.16 मीट्रिक टन, 6593.00 मीट्रिक टन से 24000.00 मीट्रिक टन और 11184.00 मीट्रिक टन से 24000.00 मीट्रिक टन कर देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से प्राप्त पत्र योजना आयोग को भेज दिया गया है क्योंकि अन्तरित योजनाओं के लिए समस्त संयुक्त आबंटन योजना आयोग द्वारा किया जाता है। साथ ही, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और अन्नपूर्णा योजना नामक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का प्रस्ताव भी योजना आयोग के पास भेजा गया है।

विवरण

वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान अन्नापूर्णा योजना के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन 2000-01	आबंटन 2001-02
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	624.43	979.59
2.	बिहार	1116.20	1167.65
3.	छत्तीसगढ**	0.00	223.51
4.	गोआ	6.03	6.31
5.	गुजरात	296.94	0.00
6.	हरियाणा	115.64	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	51.05	53.41
8.	जम्मू-कश्मीर	68.47	71.63
9.	झारखंड	368.08	385.05
10.	कर्नाटक	455.86	0.00
11.	केरल	301.36	315.25
12.	मध्य प्रदेश	802.64	0.00
13.	महाराष्ट्र	897.51	938.88
14.	उड़ीसा	434.15	454.16
15.	पंजाब	83.48	0.00
16.	राजस्थान	318.24	665.57

1	2	3	4
17.	तमिलनाडु	576.59	603.17
18.	उत्तर प्रदेश	1681.93	2212.40
19.	उत्तरांचल **	0.00	89.03
20.	पश्चिम बंगाल	641.04	670.59
	उप-योग	8839.64	8836.20
	पूर्वोत्तर राज्य		
21.	अरुणाचल प्रदेश	39.90	39.90
22.	असम	577.63	577.63
23.	मणिपुर	71.99	71.99
24.	मेघालय	77.62	77.62
25.	मिजोरम	21.68	21.68
26.	नागालैंड	56.38	56.38
27.	सिक्किम	20.82	20.82
28.	त्रिपुरा	124.46	124.46
	उप-योग	990.48	990.48
	कुल योग	9830.12	9826.68

** छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के लिए निधियां इन राज्यों के गठन से पहले क्रमश: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को रिलीज कीगई थीं। नए राज्यों का आबंटन नहीं मिला है।

यूको बैंक

994. श्रीमती मिनाती सेन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता स्थित यूको बैंक संगठन पुनर्गठन के लिए पांच चयनित किये गए वैश्विक परामर्शदाताओं में से किसी एक का चयन करने की योजना बना रहा है;

(ख) क्या यह परामर्शदाता एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण (ताकत, कमजोरी, अवसर और जोखिम) और सी.ए.एफ. (सफलता के महत्वपूर्ण घटकों) की पहचान करेगा;

(ग) क्या इस अध्ययन में बैंकिंग उद्योग की वर्तमान स्थिति और मौजूदा परिदृश्य में यूको बैंक की स्थिति का आकलन किया जायेगा;

(घ) क्या सरकार पुनर्गठन के आधार पर भारतीय बैंकिंग के वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए किसी वैश्विक परामर्शदाता को अनुमति दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी, हां.

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

995. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **वित्त मंत्री** 11-3-2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1471 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सूचना कब तक एकत्र किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी बैंक

996. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतरण मूल्य (ट्रांसफर प्राइसिंग) निर्धारण अनियमितताओं में कितने विदेशी बैंक दोषी पाए गए हैं और अंतरण मूल्य निर्धारण निदेशालय (ट्रांसफर प्राइसिंग डायरेक्टोरेट) ने अब तक कितने बैंकों के विरुद्ध जांच की है; और

(ख) दोषी विदेशी बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) 20 मामले।

(ख) 19 मामलों में अन्तरण मूल्य में कुल 119.79 करोड़ रुपए का समायोजन किया गया है। एक मामले में अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के बारे में सूचना एवं दस्तावेज को रखने एवं उनका अनुरक्षण करने में विफल रहने पर तथा लेखाकार से प्राप्त रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु अर्थदण्ड संबंधी कार्यवाहियां शुरू की गई हैं।

[अनुवाद]

लघु विद्युत परियोजनाएं

997. श्री पी. करुणाकरन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में लघु-विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई गहन अध्ययन किया गया है;

(ग) क्या इस योजना को किसी राज्य ने कार्यान्वित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) ऊर्जा के पारम्परिक और गैर-पारम्परिक स्रोत, दोनों का उपयोग करते हुए लघु इलैक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं (माइक्रो-इलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट) को कार्यान्वित करना संभव है। विद्युत अधिनियम, 2003 ने उत्पादन के लिए उच्चतर उदार फ्रेमवर्क (हाइली लिवरल फ्रेमवर्क) को उपयुक्त स्थान पर रखा है। उत्पादन के लिए उसे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है।

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, बॉयोमास, सौर्य, पवन, लघु हाइड्रो आदि जैसे सतत् ऊर्जा स्रोतों से लघु इलैक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं (माइक्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्टों) की स्थापना करने के लिए बहुत से प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। ये परियोजनाएं विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य एजेंसियों, स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों आदि के द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, देशीय आधार पर क्रॉस फ्लो टरवाइन्स पर विकसित की गई माइक्रो हाइडल परियोजनाओं (100 कि.वा. तक) के उन्नयन के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लाभ प्राप्त लोग

998. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य-वार देश में विशेषरूप से तमिलनाडु में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ऐसे ग्रामीण गरीब लोगों की जिला-वार संख्या कितनी है जिन्होंने इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभ उठाया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित (निर्मित आवास) बी.पी.एल. परिवारों की राज्य-वार संख्या तथा तमिलनाडु में बी.पी.एल. परिवारों के लिए निर्मित आवासों की जिलावार संख्या का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I तथा II में दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित (निर्मित आवास) बी.पी.एल. परिवारों की जिला-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

तमिलनाडु

(इकाई सं. में)

क्र.सं.	जिलों के नाम	वर्ष के दौरान लाभान्वित (बनाए गए मकान) बी.पी.एल. परिवारों की संख्या			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	कोयम्बटूर	2978	2753	2804	0
2.	कुड्डालोर	4552	2854	3798	0
3.	धरमपुरी	1924	1087	1278	99
4.	डिंडिगुल	3425	2732	2822	0
5.	इरोड	3927	3818	1206	0
6.	कांचीपुरम	2558	3223	4715	78
7.	कन्याकुमारी	3027	2828	195	0
8.	करूर	484	458	1744	22
9.	कृष्णागिरी	0	0	1448	0
10.	मदुरै	2162	1715	2153	0
11.	नागपट्टनम	1615	1294	2511	0
12.	नामक्कल	879	818	1261	0
13.	नीलगिरी	1825	1628	422	0
14.	पेराम्बलूर	1210	764	1702	50
15.	पुडुकोट्टई	2603	2649	1718	0

1	2	3	4	5	6
16.	रामनाथपुरम	4479	3907	946	0
17.	सलेम	2174	1982	2906	0
18.	शिवगंगई	2351	2396	785	53
19.	तंजावुर	3443	3133	2230	352
20.	थेनी	476	383	460	3
21.	तिरुचिरापल्ली	1119	908	1776	0
22.	तिरूनलवेली	1608	1544	1220	0
23.	तिरूवल्लूर	1674	1637	3778	0
24.	तिरूवन्नामलाई	2327	2560	1249	0
25.	तिरूवरुर	1248	1267	2180	0
26.	तुतीकोरिन	2508	2532	1107	0
27.	वेल्लोर	2613	2542	2942	17
28.	विल्लुपुरम	2160	2479	6041	0
29.	विरुधुनगेर	1039	1178	1290	0
	कुल	62988	57069	58687	674

वर्ष 2004-05 के दौरान बनाए गए नए जिले

विवरण-II

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित (बनाए गए मकान) बी.पी.एल. परिवारों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(इकाई सं. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	वर्षवार बनाए/मरम्मत किए गए मकानों की संख्या			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	126837	105295	126039	17634
2.	अरुणाचल प्रदेश	3423	6646	4162	0

1	2	3	4	5	6
3.	असम	65587	78752	129495	12775
4.	बिहार	172524	183792	252026	26866
5.	छत्तीसगढ़	16255	18302	20134	1795
6.	गोवा	269	233	428	169
7.	गुजरात	27053	31189	33654	3718
8.	हरियाणा	9840	9175	8845	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3413	3841	4749	52
10.	जम्मू-कश्मीर	5749	8412	7252	0
11.	झारखण्ड	40482	60290	66081	0
12.	कर्नाटक	42452	49833	50707	2823
13.	केरल	32107	39825	39831	6910
14.	मध्य प्रदेश	63691	65768	75365	5372
15.	महाराष्ट्र	85970	103135	105449	7635
16.	मणिपुर	2571	1666	5820	0
17.	मेघालय	3305	6465	4665	0
18.	मिजोरम	1305	2202	2052	0
19.	नागालैंड	6698	5966	5099	0
20.	उड़ीसा	444669	154205	89891	2415
21.	पंजाब	5651	6050	4460	475
22.	राजस्थान	37592	41888	31070	1300
23.	सिक्किम	1149	2041	1584	137
24.	तमिलनाडु	62988	57069	58687	674
25.	त्रिपुरा	10321	15003	12132	0
26.	उत्तर प्रदेश	177190	190950	199096	5923
27.	उत्तरांचल	11799	21666	26376	2460

1	2	3	4	5	6
28.	पश्चिम बंगाल	86709	90601	150515	10220
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	532	671	60	0
30.	दादर व नगर हवेली	54	14	0	0
31.	दमन व दीव	48	7	9	3
32.	लक्षद्वीप	5	14	16	0
33.	पांडिचेरी	403	264	88	0
	कुल	1548641	1361230	1515837	109356

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सेवा कर

999. श्री बापू हरी चौरे:

श्री संजय धोत्रे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान महाराष्ट्र में सेवा कर एकत्रित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) जनवरी 2005 के अंत तक महाराष्ट्र में सेवा कर शीर्ष के अंतर्गत वसूली गई वास्तविक राशि कितनी है;

(ग) सभी सेवा प्रदान करने वालों को सेवा कर के दायरे में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(घ) क्या सरकार का विचार यह है कि सेवा कर आय का एक प्रमुख स्रोत रहेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वित्त वर्ष 2004-05 के लिए पूरे देश का सेवाकर संग्रहण का बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 14150 करोड़ रुपये का था। सेवा कर संग्रहणके लक्ष्य राज्यवार निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जनवरी, 2005 तक (अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 तक) महाराष्ट्र राज्य से सेवा कर के रूप में 3236 करोड़ रुपये संगृहीत किये गये थे।

(ग) सभी संभाव्य सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए बहुत से कदम उठाये गये हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं।

(i) नये सेवा कर निर्धारितियों की पहचान के लिए गली-गली सर्वेक्षण कराये गये थे।

(ii) सेवा कर प्रदाताओं के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 1 अक्तूबर, 2004 को एक माफी स्कीम आरम्भ की गई थी जिसके अंतर्गत वे सेवा प्रदाता जिन्होंने सेवा कर पंजीकरण प्राप्त नहीं किया और नये पंजीकरण के लिए आवेदन कर रखा था, को जुर्माना लगाने से छूट दी गई थी।

(iii) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक परियोजना प्लान परिचालित की गई थी जिसमें 71 सेवाओं के अद्यतन इन्टरनेट साइट जो कर संजाल के अंतर्गत हैं शामिल किये गये हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों को इन इन्टरनेट साइटों से अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की पहचान करने और पता लगाने तथा उनको पंजीकरण के निदेश दिए गए थे।

(iv) मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया था।

(घ) और (ङ) वर्ष 2004-05 के लिए सेवा कर का संग्रहण 14,134 करोड़ रुपये (अनंतिम) का था और वित्त वर्ष 2005-06 के लिए बजट अनुमान 17,500 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे।

ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अनियमितताएं

1000. मोहम्मद शाहिद:

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

श्री मो. ताहिर:

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

श्री मुन्शी राम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर खर्च की गई राशि पर कुछ आपत्तियां की गई हैं जैसा कि 6 जून, 2005 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें क्या अनियमितताएं पाई गई;

(घ) इस पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) क्या उक्त योजना पर खर्च की गई राशि स्वीकृत राशि से अधिक है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार उक्त राशि के लिए आबंटित की गई राशि को रोकने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या ग्रामीण सड़कों के विकास पर खर्च की जाने वाली राशि प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित की गई है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण पर हुए व्यय के संबंध में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को कोई भी आपत्ति नहीं जतायी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मंत्रालय ने पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन के लिए 15-07-2005 तक 12954.69 करोड़ रु. की राशि रिलीज की है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रत्येक वर्ष पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों पर व्यय का निर्धारण योजना के लिए बजट आबंटन से होता है।

(झ) पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए वर्ष 2000-01 से 2005-06 के दौरान वर्षवार बजट आबंटन निम्नलिखित है:-

वर्ष	आबंटित राशि (रु. करोड़ में)
2000-01	2500
2001-02	2500
2002-03	2500
2003-04	2325
2004-05	2148+320 (ए.वि.बैं./वि.बैं. के लिए)
2005-06	3809.5+425.5 (ए.वि.बैं./वि.बैं. के लिए)

[अनुवाद]

कंपनी अधिनियम, 1956 का संशोधन

1001. श्री बाडिगा रामकृष्णा:

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

श्री रायापति सांबासिवा राव:

श्री चन्द्रभूषण सिंह:

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए गठित डा. जे.जे. ईरानी की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई समय-सूची क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) जी, हां। डा. जे.जे. ईरानी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 31 मई, 2005 को सरकार को अपनी सिफारिशें दे दी हैं।

(ख) और (ग) डा. जे.जे. ईरानी द्वारा दी गयी रिपोर्ट में मामलों का व्यापक रेंज है जिसमें कम्पनियों का पंजीकरण, प्रबंधन एवं बोर्ड शासन, निवेशक संरक्षण, पूंजी तक पहुंच, लेखा और लेखा परीक्षा, विलयन एवं अर्जन, जांचें, अपराध और दण्ड एवं पुनर्निर्माण और समापन आदि शामिल हैं। समिति की रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. डीसीए.निक.इन. पर है। सिफारिशों की जांच की जा रही है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के संशोधन/पुनरावलोकन के लिए प्रस्ताव उचित समय पर लागू करने के लिए लाए जाएंगे।

भारत उदय मीडिया कैम्पेन

1002. श्री बालासाहिब विखे पाटील:

श्री रघुनाथ झा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा 'भारत उदय मीडिया' कैम्पेन के लिए 63.23 करोड़ रुपए का अनधिकृत व्यय किया गया है जैसाकि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस व्यय के लिए चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध जांच करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कपास का निर्यात

1003. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में मुख्य रूप से कपास का निर्यात किया जाता है जबकि पोलिएस्टर उत्पादों की काफी मांग है;

(ख) क्या उद्योग ने सरकार को सिन्थेटिक ऊन तथा धागा क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता देने के लिए सिन्थेटिक वस्त्र क्षेत्र को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है क्योंकि मल्टी फाइबर अरेंजमेंट के दौर के बाद नई चुनौतियों का सामना करने के लिए वस्त्र उद्योग तैयार हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विश्व वस्त्र तथा कपड़ा निर्यात में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) कपास आधारित वस्त्र मदों (सूती यार्न, फेब्रिक्स, मेड अप्स और सिलेसिलाए परिधान) के निर्यात 7769.7 मिलियन यू.एस. डालर मूल्य के थे जबकि वर्ष 2004-05 के दौरान ऐसी मानव निर्मित वस्त्र मदों के निर्यात 2557.6 मिलियन यू.एस. डालर के थे। इसका कारण यह रहा है कि भारत को देश में उपजाई जाने वाली कपास के सुदृढ़ कच्चा माल आधार के कारण कपास में अतर्निहित बढ़त प्राप्त है।

(ख) जी, हां।

(ग) उद्योग से सिंथेटिक फाइबर/यार्न पर वित्तीय शुल्क कम करने, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्चा माल उपलब्ध कराने, निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत बढ़े हुए लाभ प्रदान करने आदि के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(घ) मानव निर्मित और ब्लैंडिड वस्त्र मदों की खपत के लिए बढ़ती हुई वैश्विक प्रवृत्ति का सामना करने के वास्ते अवसरों का लाभ उठाने के लिए सरकार ने भारतीय वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के वास्ते समय-समय पर अनेक कदम उठाए हैं। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

1. वस्त्र उद्योग के उत्पाद शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है। पालिएस्टर फिलेमेंट यार्न/आंशिक रूप से उन्मुख यार्न/पालिएस्टर टेक्सच्युराईज्ड यार्न पर उत्पाद

शुल्क बजट 2005-2006 में 24% से घाटा कर 16% कर दिया गया है। मानव निर्मित फिलेमेंट यार्न और मानव निर्मित स्टेप्ल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य संवर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क छूट का विकल्प दिया गया है।

2. 5% रिआयती सीमा शुल्क के तहत सिंथेटिक फाइबर/यार्न उद्योग के अनेक पूंजीगत माल के आयात की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. सरकार ने सिले सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

4. वस्त्र क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत सौ प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति वस्त्र क्षेत्र में दी गई है।

5. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1-4-1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) लागू कर दी गयी है।

6. सरकार ने निर्यात को गति देने के लिए संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने के लिए "अपैरल पार्क निर्यात योजना" नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की है।

7. महत्वपूर्ण वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र केन्द्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) शुरू की गई है।

8. निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

9. परिधान निर्यातकों को, पिछले वर्ष के दौरान उनके वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक ट्रिमिंग तथा अलंकरण मदों की 21 मदों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

10. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी सात शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए.टी.डी.सी.), डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

11. पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

मृत जमाकर्ताओं के धन को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

1004. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई बैंकों द्वारा मृत जमाकर्ताओं के खातों से बकाया राशि उनके "उत्तराधिकारी या नामिती" के नाम तुरंत जारी नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके संबंध में कार्यविधि को सरल बनाने के निर्देश बैंकों को जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में बैंकों का अनुपालन कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा गठित लोक सेवा कार्यविधि एवं कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा संबंधी समिति ने यह पाया कि जटिल कार्यविधियां, विशेषकर जो दिवंगत जमाकर्त्ता के परिवार के संबंध में लागू हैं, ऐसे परिवार के सदस्यों को बहुत कष्ट देती हैं। सी.पी.पी.ए.पी.एस. की सिफारिशों के आलोक में, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 9 जून, 2005 को बैंकों को अनुपालन हेतु अनुदेश जारी किए हैं जिनमें जमा खाते में शेषराशि तक पहुंच, मीयादी जमा खाते की समयपूर्व समाप्ति, दिवंगत जमाकर्त्ता के नाम में अलग-अलग जमाखातों पर कार्रवाई (ट्रीटमेंट आफ फ्लोस), सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं तक पहुंच, दावों के निपटान के लिए समय सीमा, ग्राहक मार्गदर्शन एवं प्रचार आदि शामिल हैं।

ग्रामीण अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश

1005. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य को कहां तक पूरा किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान ग्रामीण अवसंरचना के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी राशि का निवेश किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) ग्रामीण सुविधाओं के विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना के नाम से ग्रामीण आवास कार्यक्रम तथा ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम शामिल है। पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत बजट आवंटन को 2004-05 में 2468 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2005-06 में 4235 करोड़ रु., आई.ए.वाई. के अंतर्गत 2460.67 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2775.00 करोड़ रु. तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के अंतर्गत 1921.10 करोड़ रु. से बढ़ाकर 4050.00 करोड़ रु. किया गया है।

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रिलीज की गई राशि इस प्रकार है:-

(रु. करोड़ में)

कार्यक्रम का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
पी.एम.जी.एस.वाई.	2469.00	2288.26	2235.72
आई.ए.वाई.	1628.52	1871.07	2883.10
ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम	2110.00	2585.00	2900.00

ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों को बढ़ावा देना

1006. श्री ई. पोन्नुस्वामी:

कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

प्रो. एम. रामदास:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी उद्योग परिषद की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें राज्य-वार किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) इसका किस प्रकार संचालन किए जाने की संभावना है तथा इसके लिए किस अनुवीक्षण एजेन्सी को नियुक्त किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

1007. श्री सीताराम सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत शुरू किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई तथा लाभ प्राप्त गांवों की संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल तथा बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं की स्थायी उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

ग्रामीण पेयजल क्षेत्रों में, यह मिशन निम्नलिखित विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित करता है:-

- शामिल न की गई और आंशिक तौर पर शामिल की गई बसावटों और ग्रामीण विद्यालयों को कवर करना

- ग्रामीण जल आपूर्ति की मौजूदा योजनाओं के प्रचालन और रख-रखाव का कार्य शुरू करना
- जल गुणवत्ता समस्याओं का निपटान तथा जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना
- स्थायित्व पर परियोजनाएं शुरू करना
- अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू करना
- सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.), मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) क्रियाकलाप शुरू करना तथा इस क्षेत्र में विभिन्न क्रियाकलापों के नियोजन, मानीटरिंग तथा कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली की स्थापना करना

ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्र में, मिशन केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित करता है तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) परियोजनाओं का अनुमोदन कर के राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वच्छता क्षेत्रों में एच.आर.डी. और आई.ई.सी. के लिए निधियां भी दी जाती हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष (25-7-2005 की स्थिति के अनुसार) के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों तथा लाभान्वित बसावटों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। टी.एस.सी. परियोजनाओं को जिले के ग्रामीण क्षेत्र को शामिल करते हुए जिले स्तर पर मंजूर किया जाता है। पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष (25-7-2005 को स्थिति के अनुसार) के दौरान सी.आर.एस.पी. तथा टी.एस.सी. परियोजनाओं के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर देखा जा सकता है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के विभिन्न घटकों* के अंतर्गत रिलीज की गई राशि			लाभान्वित बसावटों की संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार		
		2003-2004	2004-2005	2005-2006 (25-7-05 की स्थिति के अनुसार)	2003-2004	2004-2005	2005-2006 (25-7-05 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	314.84	371.97	126.24	69732	69732	69732
2.	अरुणाचल प्रदेश	36.76	69.47	50.04	3997	4045	4140
3.	असम	105.62	140.31	84.37	70179	70250	70317
4.	बिहार	36.05	96.67	85.86	105340	105340	105340
5.	छत्तीसगढ़	31.78	26.90	29.90	50379	50379	50379
6.	गोवा	0.13	0.00	0.15	392	392	395
7.	गुजरात	145.68	113.27	69.96	30240	30268	30269
8.	हरियाणा	34.83	29.64	20.41	6745	6745	6745
9.	हिमाचल प्रदेश	64.86	66.03	59.80	44793	45367	45367
10.	जम्मू-कश्मीर	150.59	150.22	118.97	10199	10407	10524

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखण्ड	25.01	31.66	3.68	99991	100096	100096
12.	कर्नाटक	183.50	198.94	100.31	56682	56682	56682
13.	केरल	70.14	62.80	31.86	9535	9763	9763
14.	मध्य प्रदेश	112.17	120.27	85.17	109489	109489	109489
15.	महाराष्ट्र	230.02	292.62	165.38	85405	85538	85603
16.	मणिपुर	17.02	21.03	1.63	2791	2791	2791
17.	मेघालय	22.14	30.35	1.86	8452	8623	8624
18.	मिजोरम	14.75	20.02	14.18	807	807	807
19.	नागालैंड	18.08	20.48	14.56	1453	1484	1484
20.	उड़ीसा	84.53	103.22	70.68	114099	114099	114099
21.	पंजाब	26.73	35.33	21.72	12260	12522	12646
22.	राजस्थान	297.46	370.66	252.12	88986	90972	91646
23.	सिक्किम	6.31	8.32	5.99	1679	1679	1679
24.	तमिलनाडु	134.92	161.59	68.78	66631	66631	66631
25.	त्रिपुरा	27.04	23.96	17.54	7412	7412	7412
26.	उत्तर प्रदेश	135.10	169.92	16.21	243508	243508	243508
27.	उत्तरांचल	27.63	38.94	32.41	30933	30951	30944
28.	पश्चिम बंगाल	109.46	101.66	77.18	79036	79036	79036
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.11	20.37	0.13	504	504	504
30.	दादर व नगर हवेली	0.35	0.52	0.08	486	497	497
31.	दमन व द्वीप	0.00	0.00	0.00	32	32	32
32.	दिल्ली	0.01	0.00	0.06	219	219	219
33.	लक्षद्वीप	0.01	0.00	0.00	10	10	10
34.	पांडिचेरी	0.12	1.00	0.06	227	267	267
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	18	18	18
	कुल	2463.75	2898.14	1626.48	1412641	1416555	1417695

*सामान्य, डी.डी.पी., प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, क्षेत्र सुधार/स्वजलधारा, आपदा राहत

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	सी.आर.एस.पी. के अंतर्गत रिलीज की गई राशि (रु. करोड़ में)			अनुमोदित टी.एस.सी. परियोजनाएं (लाभान्वित जिलों की संख्या)		
		2003-2004	2004-2005	2005-2006 (25-7-05 की स्थिति के अनुसार)	2003-2004	2004-2005	2005-2006 (25-7-05 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	46.60	33.62	4.01	4	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.00	0.00	0	0	0
3.	असम	1.99	2.55	0.00	3	1	4
4.	बिहार	0.00	1.20	0.00	0	0	3
5.	छत्तीसगढ़	0.00	11.00	4.16	2	1	1
6.	गोवा		1.35	0.00	1	0	0
7.	गुजरात	0.00	36.90	1.89	0	20	0
8.	हरियाणा	0.62	8.11	0.00	12	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.50	0.86	0	0	3
10.	जम्मू-कश्मीर	0.76	10.45	0.00	10	0	0
11.	झारखण्ड	2.95	19.47	20.78	0	16	0
12.	कर्नाटक	0.00	4.62	30.60	0	15	9
13.	केरल	8.64	8.06	1.07	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	46.40	22.43	5.34	30	0	0
15.	महाराष्ट्र	7.25	34.93	3.65	13	0	0
16.	मणिपुर	1.04	0.00	0.00	0	0	0
17.	मेघालय	2.21	0.00	0.00	2	0	0
18.	मिजोरम	0.12	0.60	0.00	1	0	0
19.	नागालैंड	0.00	0.63	0.00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उड़ीसा	3.44	45.82	7.34	0	15	0
21.	पंजाब	0.00	7.00	0.00	9	0	0
22.	राजस्थान	1.19	7.01	22.27	0	20	0
23.	सिक्किम	0.38	0.74	0.00	0	0	0
24.	तमिलनाडु	27.71	29.72	36.52	6	1	9
25.	त्रिपुरा	8.19	3.69	0.00	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	31.20	34.75	15.05	29	0	0
27.	उत्तरांचल	0.13	5.03	0.57	7	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	11.81	15.67	23.97	3	0	4
29.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0	0	0
30.	दमन व द्वीप	0.00	0.00	0.00	0	0	0
31.	पांडिचेरी	0.00	0.47	0.00	0	0	0
	कुल	202.63	347.32	178.08	132	89	33

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश

1008. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विद्युत व्यापार में विदेशी निवेश को नया रूट दिया गया है तथा स्वतः अनुमोदन रूट के माध्यम से विद्युत कारोबार में शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश के विद्युत क्षेत्र को किस हद तक मदद मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग को यह अनुशंसा गई है कि पृथक् कार्य के रूप में विद्युत व्यापार में स्वतः अनुमोदन के तरीके से 100% तक एफ.डी.आई. प्रदान करके एफ.डी.आई. संबंधी क्षेत्रकीय नीति को और अधिक उदार बनाया जाए। बशर्ते कि विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों और उपयुक्त विद्युत नियामक आयोग के नियमों का अनुपालन हो जाए।

[हिन्दी]

रिलायंस ग्रुप में अनियमितताएं

1009. **मो. मुकीम:**

श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी रिलायंस ग्रुप ऑफ इन्डस्ट्रीज में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई जांच करा रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार ऐसी जांच की स्थिति क्या है;

(ग) इस जांच के कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) सरकार द्वारा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गरीबी उपशमन कार्यक्रम

1010. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार व्यापारिक घरानों के रचनात्मक सहयोग से एक व्यापक गरीबी उपशमन कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम में दक्षता विकास रोजगार सृजन तथा ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गरीबी उपशमन योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहन/सहायता का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (घ) व्यापारिक घरानों के रचनात्मक सहयोग से व्यापक गरीबी उपशमन कार्यक्रम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मंत्रालय, ग्रामीण विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है और निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सहायता से व्यवहार्य और स्थायी जीविकोपार्जन मॉडल तैयार करने का प्रयास कर रहा है।

(ङ) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, गरीबी उपशमन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन/सहायता देती है।

[हिन्दी]

लोक अभियोजकों की रिक्तियां

1011. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में विशेषकर दिल्ली में लोक अभियोजकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लोक अभियोजकों की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1012. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की अवधि के दौरान कितनी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं में कितनी अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 10वीं और 11वीं योजना में 1,00,000 मे.वा. की अभिवृद्धि करने की जरूरत थी।

10वीं योजना में 41,110 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य है और 11वीं योजना के दौरान 60,000 मे.वा. से भी अधिक की अभिवृद्धि करने हेतु परिकल्पना की गई है।

बाद की योजना-अवधि में क्षेत्रवार परियोजना विकास करने तथा उत्पादन आरंभ करने हेतु चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया चालू है।

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण

1013. **श्री के.सी. पलनिसामी:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सरकार द्वारा देश में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान तथा

सशक्तीकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों/उपायों का ब्यौरा क्या है तथा क्या किसी धनराशि का आबंटन भी किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम क्रियान्वित करता है। मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देशों को बनाते समय महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए विशेष घटकों की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) नाम से एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है कि 30% रोजगार अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायें। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) स्थायी स्व-रोजगार शुरू करने के लिए ग्रामीण गरीबों को स्व-सहायता समूह में संगठित करने का एक स्व-रोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रत्येक ब्लॉक में बनाए गए 50% समूह पूरी तरह से महिलाओं के होंगे जो कुल रोजगार के कम से कम 40% के बराबर होगा। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकानों के निर्माण के लिए सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि मकान परिवार की महिला सदस्य के नाम आबंटित किया जाए अथवा, वैकल्पिक रूप में, संयुक्त रूप से पति और पत्नी दोनों के नाम किए जाएं। इसी प्रकार, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव के लिए 10% आबंटित निधियां इस्तेमाल की जा सकती हैं और ग्रामीण जल आपूर्ति के अंतर्गत भी ग्राम स्तर समितियों में ग्रामीण महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु अक्षय ऊर्जा

1014. श्री मोहम्मद शाहिद:

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

श्री मो. ताहिर:

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

श्री मुन्शी राम:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'अक्षय ऊर्जा' के अंतर्गत 2009 तक देश में 25 हजार गांवों को बिजली उपलब्ध कराने की कोई योजना शुरू की है, जैसाकि दिनांक 17 जून, 2005 को 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च की जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) मंत्रालय द्वारा ऐसे अविद्युतीकृत दूरस्थ जनगणना गांवों, जहां तक ग्रिड विस्तार या तो अव्यवहार्य होने अथवा किफायती न होने की संभावना है, के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युतीकरण के लिए एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रारंभिक सूचियों से पता चलता है कि देश में ऐसे गांवों की संख्या लगभग 25,000 हो सकती है। दसवीं योजना के लिए ऐसे 5,000 दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक मंत्रालय ने 3064 गांवों के विद्युतीकरण के लिए सहायता दी है जिसमें से 1944 गांवों में कार्य पूरा कर लिया गया है जबकि शेष 1120 गांवों में कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। शेष गांवों का विद्युतीकरण 11वीं योजना के दौरान किए जाने की आशा है।

(ख) और (ग) मंत्रालय द्वारा अपने दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को बैंचमार्क परियोजना लागतों के 90% तक की एक समय की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस समय कार्यक्रम का कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों में मुख्य रूप से राज्य अक्षय ऊर्जा नोडल एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। 10वीं योजना में मंत्रालय को इस कार्यक्रम के लिए 735 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। 11वीं योजना के लिए निधियों की आवश्यकता को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और संभावना है कि यह आवश्यकता गांवों में वास्तविक रूप से संस्थापित की गई विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के मिश्रण पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम

1015. श्री बाडिगा रामकृष्णा:

कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम आरंभ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान योजनाओं से यह किस प्रकार भिन्न है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) इसके दायरे में राज्यवार कितने जिलों तथा परिवारों को लाने की संभावना है; और

(ङ) इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) संसद में 21-12-2004 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक (एन.आर.ई.जी.बी.), 2004 पेश किया गया था। विधेयक का उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम वाला कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार देना है।

(ख) पहली बार एन.आर.ई.जी. विधेयक, 2004 में पात्र ग्रामीण गरीब परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।

(ग) से (ङ) विधेयक को संसद द्वारा अभी पारित नहीं किया गया है। इसलिए वित्तीय आबंटन, कवरेज तथा इस स्तर पर इसके कार्यान्वयन के उपायों के बारे में बताना संभव नहीं है।

ऋण नीति

1016. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 की ऋण नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ख) क्या बैंक दर के बढ़ने का रुझान दिखाई देना शुरू होने के परिणामस्वरूप ब्याज दरें बढ़ गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ब्याज दरों के बढ़ने पर रोक लगाने विशेषकर कृषि तथा प्राथमिकता क्षेत्र में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 अप्रैल, 2005 को यथा घोषित वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति विवरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार है:-

(i) बैंक दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया;

(ii) पुनर्खरीद दर को प्रति पुनर्खरीद पर संबंध करना जारी रखना;

(iii) आरक्षित नकदी निधि अनुपात को 5.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया;

(iv) ब्याज दर विनियम में कोई परिवर्तन नहीं।

विकास और विनियामक नीतियों का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक 26 जुलाई, 2005 को घोषित वर्ष 2005-06 की वार्षिक नीति की प्रथम तिमाही पुनरीक्षा में ब्याज दरों सहित समग्र नीति स्वरूप को अपरिवर्तित रखा गया है।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च

1017. श्री सीताराम सिंह: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के वास्ते राज्य सरकारों द्वारा कितने प्रस्ताव भेजे गए; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई तथा परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) वैज्ञानिक विभागों के लिए योजना आवंटन 9वीं योजना में 12022.17 करोड़ रु. से बढ़ कर 10वीं योजना में 25243.00 करोड़ रु. हो गया है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय 1998-99 में 12901 करोड़ रु. से बढ़

कर वर्ष 1999-00 में 15090 करोड़ रु., 2000-01 में 17660 करोड़ रु. हो गया और वर्ष 2002-03 के लिए अनुमानित आंकड़ा 24226 करोड़ रु. का है। इसमें केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अनुसंधान तथा विकास संस्थानों, उद्योगों की आंतरिक अनुसंधान तथा विकास इकाइयों तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) द्वारा मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान संगठन (एस.आई.आर.ओ.) का अनुसंधान तथा विकास व्यय शामिल है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों में स्थित संस्थानों और विश्वविद्यालयों की प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कई योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान विभिन्न राज्यों में वित्त पोषित अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं की संख्या 2718 है जिनकी स्वीकृत लागत 448.69 करोड़ रु. है। वर्ष के लिए अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं की राज्य वार संख्या और उनकी स्वीकृत लागत से संबंधित विवरण संलग्न है।

विवरण

विश्वविद्यालयेतर अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को राज्य वार सहायता

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की कुल लागत (लाख रु. में)	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की कुल लागत (लाख रु. में)
वर्ष	2000-01		2001-02		2002-03	
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	49.87	4	158.43	2	42.72
आन्ध्र प्रदेश	134	1722.36	167	4892.64	175	2793.81
अरुणाचल प्रदेश	9	159.71	7	98.67	13	101.99
असम	42	549.89	38	573.72	62	773.66
बिहार	15	139.48	10	87.56	9	237.73
चण्डीगढ़	64	828.57	75	1808.50	70	930.19
छत्तीसगढ़ *	1	15.96	8	79.33	8	84.72
दिल्ली	223	4227.12	290	6763.73	251	3982.89
गोवा	9	96.56	4	47.00	9	138.77
गुजरात	50	561.21	63	667.47	73	898.39
हरियाणा	32	211.89	36	431.08	44	436.02
हिमाचल प्रदेश	18	185.39	34	617.99	19	426.60
जम्मू-कश्मीर	13	229.14	24	293.66	16	246.86

1	2	3	4	5	6	7
झारखण्ड *	35	475.83	38	932.71	33	1632.97
कर्नाटक	176	3257.03	222	3921.25	278	7573.53
केरल	73	1067.50	84	1697.28	101	1865.79
मध्य प्रदेश	51	689.44	41	905.64	44	412.98
महाराष्ट्र	203	3420.00	236	4367.55	266	5785.16
मणिपुर	8	141.94	4	71.15	6	69.17
मेघालय	7	79.09	6	78.01	9	199.01
मिजोरम	2	32.63	4	42.65	2	27.03
नागालैंड	2	18.39	4	60.98	3	45.15
उड़ीसा	34	312.87	39	382.56	38	392.75
पांडिचेरी	9	121.86	12	119.01	21	178.80
पंजाब	46	403.98	26	326.87	58	720.47
राजस्थान	35	512.60	47	700.41	53	503.77
सिक्किम	1	32.20	3	44.42	2	25.66
तमिलनाडु	209	3207.73	225	5373.67	298	3359.15
त्रिपुरा			3	27.28	4	49.91
उत्तर प्रदेश	226	2745.10	242	3273.47	294	3836.16
उत्तरांचल *	45	297.37	73	1179.69	118	1950.88
पश्चिम बंगाल	234	2878.29	235	4471.61	339	5146.31
कुल	2009	28671.00	2304	44495.99	2718	44869.00

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विद्युत नीति

1018. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं जो कि बिजली अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को जून, 2005 तक कुछ दिशानिर्देश जारी करने थे;

(ग) क्या बिजली अधिनियम ने सरकार के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वह अधिनियम लागू होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर इस प्रकार के स्पष्टीकरण दे; और

(घ) यदि हां, तो ये नियम देश में विद्युत की स्थिति को सुधारने में कितने सफल होंगे?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) विद्युत अधिनियम, 2003 जो कि 10 जून, 2003 को लागू किया गया है, के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने विभिन्न नियमों, दिशा-निर्देशों व आदेशों और शासकीय अधिसूचनाओं/संकल्पों के रूप में राष्ट्रीय विद्युत नीर्ति को अधिसूचित किया है।

(ख) और (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 183(1) निम्नवत है:-

"यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई पैदा होती हैं तो केंद्रीय सरकार प्रकाशित आदेश के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे प्रावधान बना सकती है जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक हों,

बशर्ते की इस अधिनियम के आरंभ होने के तिथि से दो वर्ष समाप्त होने के पश्चात् इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश जारी किया जाएगा।"

10 जून, 2003 अधिनियम आरंभ होने की तिथि होने के नाते धारा 183 के अंतर्गत कोई भी आदेश 9 जून, 2005 को या इससे पहले ही जारी किया जा सकता है।

(घ) अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी विभिन्न नियम, आदेश इत्यादि अपेक्षित हैं ताकि कानून के लक्ष्य प्राप्त हो सकें।

पंजाब और सिंध बैंक के लिए पैकेज

1019. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रहे पंजाब और सिंध बैंक को एक राहत पैकेज देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) आमूल परिवर्तन की नीति के भाग के रूप में सरकार ने पंजाब एंड सिंध बैंक के पुनर्गठन पैकेज के भाग के रूप में 500 करोड़ रु. की पूंजी प्रदान करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

न्यायालयों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि

1020. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय के आधुनिकीकरण तथा ढांचागत विकास के लिए आबंटित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह धनराशि पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस धनराशि को बढ़ाना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) विवरण सलंग्न है।

(ख) और (ग) आबंटन को निधियों की सम्पूर्ण उपलब्धता के भीतर किया जाता है जो कि सदैव प्राक्कलन से कम होता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (02/03 से 06/07) के दौरान न्याय विभाग के आबंटन को, जो कि विभिन्न योजना स्कीमों के लिए नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 384.63 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) पिछली पंचवर्षीय योजना (9वीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान न्याय विभाग ने देश में निचले न्यायालयों, उच्च न्यायालयों के आधुनिकीकरण और संरचनात्मक विस्तार के लिए वर्ष-वार निम्नलिखित राशि आबंटित/जारी की थी:-

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित/जारी की गई निधियां
1.	1997-98	64.00
2.	1998-99	66.00
3.	1999-2000	73.00
4.	2000-2001	84.95
5.	2001-2002	96.00
	योग	384.63

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना (10वीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान न्याय विभाग द्वारा आबंटित राशि के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित/जारी की गई निधियां
1.	2002-2003	120.00
2.	2003-2004	105.00
3.	2004-2005	110.00
4.	2005-2006	220.00
5.	2006-2007	145.00
	योग	700.00

[अनुवाद]

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

1021. **श्री के.सी. पलनिसामी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के लिए तमिलनाडु में कौन-कौन से जिलों की पहचान की गई है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले को कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) क्या तमिलनाडु के करूर जिले की पहचान की गई है तथा उसे इस कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को तमिलनाडु के 24 जिलों में कार्यान्वित कर रहा है। जिलों के नाम तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक जिले को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। तमिलनाडु के करूर जिले को स्वीकृत की गई तीन आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाएं चल रही हैं। ब्लॉकों के नाम, परियोजना स्वीकृत करने का वर्ष, शामिल किया गया कुल क्षेत्र, कुल लागत तथा इन परियोजनाओं के अंतर्गत अभी तक जारी की गई निधियां नीचे दिए गए अनुसार है:-

परियोजना संख्या	ब्लॉक	स्वीकृत करने का वर्ष	शामिल किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल लागत (लाख रुपये में)	अभी तक जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)
I	कडावुर	1999-2000	11606	464.24	458.770
II	थोगामलई	2001-2002	6016	360.96	196.880
III	कृष्णार्यापुरम	2005-2006	5000	300.00	41.250

विवरण

तमिलनाडु में आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत जिलों के नाम तथा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जिले को जारी की गई निधियों को दिखाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिले का नाम	1-4-2002 से 25-7-2005 तक जारी की गई कुल राशि
1	2	3
1.	कोयम्बटूर	409.760
2.	कुड्डालोर	206.680
3.	धर्मापुरी	605.413
4.	डिन्डीगुल	674.367
5.	ईरोड	294.121
6.	कांचीपुरम	122.570
7.	करूर	440.720
8.	कृष्णागिरी	82.500

1	2	3
9.	मदुरै	165.495
10.	नामाक्कल	299.637
11.	पेरम्बालूर	284.282
12.	पुडुकोटयै	376.257
13.	रामनाथपुरम	259.940
14.	सलेम	274.067
15.	शिवगंगै	203.600
16.	थेनी	214.162
17.	थिरूनेलवेली	333.498
18.	तिरूवाल्लूर	246.629
19.	थूथकुडी	162.418
20.	तिरूचिरापल्ली	437.659
21.	तिरूवन्नामलयै	123.750
22.	वेल्लोर	291.566
23.	विल्लुपुरम	117.250
24.	विरुद्धुनगर	155.813
	योग	6782.154

[हिन्दी]

एस.बी.आई. के सहयोगी बैंकों का विलय

1022. मोहम्मद शाहिद:
श्री अनन्त नायक:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री सुरेश अंगडि:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मुन्शी राम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) के साथ इन बैंकों के विलय की कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार बैंकों की संख्या विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कम करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(च) कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने तथा ग्रामीण पहाड़ी तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(i) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर

(ii) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद

(iii) स्टेट बैंक आफ इंदौर

(iv) स्टेट बैंक आफ मैसूर

(v) स्टेट बैंक आफ पटियाला

(vi) स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र

(vii) स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर

(ख), (ग) और (च) किसी बैंक का अन्य बैंक में विलय का प्रस्ताव उन संबंधित बैंकों के प्रबंधन से प्राप्त होना है, जिनमें सरकार आम शेयर धारक के रूप में समर्थक की भूमिका अदा करती है। सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकन संबंधी कोई निदेश जारी नहीं किया गया है। बैंकों के बोर्डों का विलय होने वाले/समेकित किए जाने वाले बैंकों के सहक्रिया स्तरों के आधार पर इस संबंध में निर्णय लेना है। विलय के किसी प्रस्ताव का समर्थन करते समय सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विलय होने वाले बैंकों के पणधारियों एवं कर्मचारी के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.01 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका की हाल की राजकीय यात्रा

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अमेरिका के अपने हाल के दौरे के संबंध में एक वक्तव्य इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। राष्ट्रपति श्री जार्ज बुश ने मुझे सरकारी दौरे पर आमंत्रित किया था। वहां पर मेरा और मेरी पत्नी का राष्ट्रपति श्री बुश तथा प्रथम महिला श्रीमती लॉरा बुश द्वारा गर्मजोशी एवं सम्मान के साथ स्वागत किया गया। राष्ट्रपति श्री बुश के साथ हुई मेरी व्यापक बातचीत में अनेक द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों को शामिल किया गया। अमेरिका प्रवास के दौरान मेरी उप राष्ट्रपति तथा अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ मंत्रिमंडल सदस्यों जैसे विदेश मंत्री सुश्री कोंडोलीजा राइस, रक्षा मंत्री श्री रम्सफील्ड तथा वित्त मंत्री श्री स्नो से भी मुलाकात हुई। मुझे अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं समझता हूं कि मेरा यह दौरा हमारी विदेश नीति से जुड़े हितों को आगे बढ़ाने में और इसके सार्थक नतीजों को देखते हुए सफल रहा है। यह इस बात से स्पष्ट है कि अमेरिका यह संकेत देना चाहता था कि हमने अपने संबंधों में बदलाव लाने शुरू कर दिए हैं ताकि उनमें निहित संभाव्यता को ठोस रूप दिया जा सके।

मेरे दौरे के दौरान जारी किये गए संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी जा रही है। महोदय, मेरे दौरे का प्रयोजन अमेरिकी सरकार को भारत में सन् 1991 से शुरू हुए बदलावों की जानकारी देना था। इन परिवर्तनों से हमें अमेरिका के साथ और अधिक समानता के आधार पर कार्य करने की एक अधिक मजबूत क्षमता हासिल हुई है क्योंकि हमारे दोनों देशों के समक्ष समान चिन्ताएं और चुनौतियां हैं। मैंने इस बात पर भी बल दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत है और हम आशा करते हैं कि हम वैश्वीकरण की आर्थिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेंगे और उनसे लाभ उठायेंगे। हम इस बात के लिए कृत-संकल्प हैं कि हम निवेश जिसमें विदेशी निवेश भी शामिल है, के लिए एक आकर्षक केन्द्र के रूप में उभरें और अमेरिका का व्यवसायी समुदाय अधिक से अधिक निवेश तथा व्यापार के जरिए भारत के विकास में अपना योगदान दे सके। हमने ऐसे परस्पर लाभकारी संबंधों की शुरुआत कर ली है जिनका स्वरूप हमारे ज्ञान क्षेत्र की मजबूती पर तय किया गया है। इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य अमेरिका को यह स्पष्ट कराना था कि भारत के ज्ञान-आधारित उद्योगों और सेवाओं के एक केन्द्र के रूप में उभरने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच दीर्घकालिक सहयोग का एक बेहतर आधार तैयार होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार और हमारी विकास दरों में वृद्धि न केवल हमारे अपने लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था की प्रगति और स्थिरता के लिए भी लाभदायक होंगी।

वाशिंगटन में राष्ट्रपति श्री बुश और उनके प्रशासन के सदस्यों से हुई मेरी बातचीत उपयोगी रहीं और इनसे इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिली है। दोनों पक्ष इस बात से सहमत थे कि हमारे संबंध साझे मूल्यों और उन साझे हितों पर आधारित हैं जिनमें लोकतांत्रिक क्षमताओं को अपेक्षानुसार और स्वेच्छा से मजबूत करना तथा दोहरा मापदंड अपनाए बगैर आतंकवाद से मुकाबला करना शामिल है। भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने के मुद्दे को दोनों देशों द्वारा एक प्राथमिकता समझा गया। आर्थिक मोर्चे पर हमने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सी.ई.ओ.) का मंच शुरू करने का स्वागत किया जिसने दोनों देशों के सर्वोत्तम व्यावसायियों को एक-दूसरे के करीब लाने में मदद की है। हमने भारत के आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत् विकास में इसके महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेशों की हमारी जरूरत पर बातचीत की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व को समझते हुए हम कृषि क्षेत्र में पहल करने पर भी सहमत हुए जिसका उद्देश्य हरित क्रांति के आधार पर अनुसंधान और कृषि पद्धतियों की एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना है।

महोदय, भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व को समझते हुए हमने उन उपायों पर भी चर्चा की जो यह सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका की उच्च प्रौद्योगिकी तक सुलभता अधिक उदार और पूर्वानुमेय हो। हम अंतरिक्ष में खोज, उपग्रह संचालन तथा प्रक्षेपण जैसे अग्रणी क्षेत्रों, और उनसे संबंधित वाणिज्यिक कार्यकलापों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के प्रयास करेंगे जिनसे हमारे अंतरिक्ष उद्योग जिसे एक ग्लोबल लीडर के रूप में जाना जाता है, को बहुत अधिक लाभ होगा। मेरी यात्रा के दौरान एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी ढांचागत समझौते पर भी सहमति हुई है जिसमें संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण के विस्तार की व्यवस्था होगी। सहयोग के एक नए स्तर पर कार्य करने के आशय को रेखांकित करते हुए अमेरिका ने अपनी *एन्टिटी लिस्ट* से पांच भारतीय संगठनों को हटाने की घोषणा की।

इनमें से तीन अन्तरिक्ष क्षेत्र से तथा दो आणविक ऊर्जा क्षेत्र से हैं। अमेरिका ने इस मामले में आगे समीक्षा करने का भी संकेत दिया।

अध्यक्ष महोदय, विकास के लिए हमारे दृष्टिकोण के एक आवश्यक घटक के रूप में भारत की ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत मेरी बातचीत का एक महत्वपूर्ण विषय था। मैंने इस बात की भी जानकारी दी कि भारत की आर्थिक विकास दर को बनाए रखने और उसमें तेजी लाने के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि परमाणु ऊर्जा सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों तक भारत की बेरोकटोक पहुंच हो। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका ने सभी स्रोतों से ऊर्जा की पर्याप्त और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के बारे में हमारे पक्ष को समझा। मैंने उल्लेख किया कि इस दृष्टिकोण से जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होने में मदद मिलेगी। इसके दोहरे लाभ होंगे - एक तो तेल कीमतों में कमी आएगी तथा साथ ही पर्यावरण को भी अक्षुण्ण बनाए रखा जा सकेगा। इस संदर्भ में हमने असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

तद्नुसार, राष्ट्रपति श्री बुश के साथ मेरी बातचीत का केन्द्र-बिन्दु भारत और अमेरिका के बीच उस द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग को फिर से शुरू करना था जिसमें दशकों से प्रगति नहीं हुई थी। राष्ट्रपति बुश और मैं इस बात पर सहमत हुए कि हम परमाणु ऊर्जा को भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के एक साधन के रूप में संवर्धित करने की दिशा में काम करेंगे। अमेरिकी पक्ष ने अपने कानूनों और नीतियों में घरेलू स्तर पर सामंजस्य स्थापित करने और प्रासंगिक अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने हेतु अपने दोस्तों और साझेदारों के साथ मिलकर काम करने का वायदा किया। सम्पूर्ण असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग में तारापुर संयंत्र के लिए ईंधन की आपूर्ति पर शीघ्रता से विचार करना शामिल होगा लेकिन यह उस तक ही सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका अपने अन्य भागीदारों को भी इस प्रकार के अनुरोधों पर अनुकूल ढंग से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हमने अन्तरराष्ट्रीय ताप परमाणु अनुसंधान परियोजना और जेनेरेशन IV इंटरनेशनल फोरम में पूर्ण सहयोगी के रूप में भाग लेने की अपनी इच्छा पर विचार करवाने में भी सफलता पाई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों का भविष्य में हमारे देश के लिए और वास्तव में विश्व ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्व है। अमेरिका ने भारत को शामिल करने के विचार से अन्य सहभागियों से विचार-विमर्श करने पर भी सहमति जताई। यह न केवल हमारे परमाणु वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त की गई अत्यधिक अन्तरराष्ट्रीय महत्ता और मान-सम्मान का ही सबूत है बल्कि उनकी उपलब्धियों की पहचान का प्रमाण भी है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा परमाणु कार्यक्रम बेजोड़ है। इसमें सभी प्रकार के कार्यकलाप शामिल हैं जो विद्युत उत्पादन, उच्च अनुसंधान तथा विकास और हमारे स्ट्रैटेजिक कार्यक्रम सहित उन्नत परमाणु ऊर्जा की विशेषता दर्शाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने सम्पूर्ण परमाणु ईंधन चक्र पर विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। हमने अपने कार्यक्रम के विकास का जो तरीका सोचा है वह हमारे सीमित यूरेनियम संसाधनों और थोरियम के विशाल भंडार पर आधारित है। यद्यपि इन संसाधनों में उपलब्ध ऊर्जा क्षमता असीम है तथापि, इस त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जिसमें पहले स्तर पर प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स (पी.एच.डब्ल्यू.आर.), दूसरे स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और तीसरे स्तर पर थोरियम रिएक्टर्स होते हैं, के प्रति वचनबद्ध रहते हैं। इनके लिए एक समन्वित और क्रमिक ढंग से कार्यान्वयन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है और हम पं. जवाहर लाल नेहरू और डॉ. होमी भाभा की भावी सोच के अनुसार इस कार्यक्रम में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। हम इस मूल्यवान विरासत को आगे बढ़ाते रहेंगे।

महोदय, ऊर्जा हमारे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। हमने अपने दीर्घकालिक ऊर्जा स्रोतों का आकलन किया है और यह स्पष्ट है कि परमाणु विद्युत को हमारी बिजली उत्पादन योजनाओं में एक अहम भूमिका अदा करनी है। यद्यपि घरेलू संसाधनों पर आधारित हमारे देशी परमाणु विद्युत कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का विकास जारी रहेगा फिर भी, हमारे लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन को तेजी से आगे बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। हम न्यूनतम संभव लागत पर प्राप्त किए गए आर्थिक विकास के स्तरों पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से यह बहुत उपयोगी होगा यदि हम अन्तरराष्ट्रीय बाजार से परमाणु ईंधन के साथ-साथ परमाणु रिएक्टर्स भी प्राप्त कर सकें। इस समय, हमारे चारों ओर परमाणु प्रौद्योगिकी प्रतिबंधक व्यवस्थाएं लागू होने के कारण यह संभव नहीं है। हम अमेरिका के साथ अब जिस बात पर सहमत हुए हैं उससे हमारे घरेलू प्रयासों में मदद देने के लिए बाहर से परमाणु ईंधन तथा परमाणु विद्युत रिएक्टर्स और अन्य प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने की संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन से विश्व में हो रहे जलवायु परिवर्तन के संबंध में भी काफी चिंता है। इस प्रकार हमें स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां अपनाने की जरूरत है। इस संदर्भ में भी परमाणु विद्युत अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महोदय, संयुक्त वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया है कि उन्नत किस्म की परमाणु प्रौद्योगिकी से संपन्न एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत को वही लाभ तथा फायदे मिलने चाहिएं जो

[डा. मनमोहन सिंह]

ऐसे अन्य देशों को मिलते हैं। इसके परिणामस्वरूप, हम यह आशा करते हैं कि अमेरिका तथा दुनिया के देशों के साथ भारत की परमाणु व्यापार तथा वाणिज्य की पुनः शुरुआत एक ऐसा लक्ष्य है जो हासिल किया जा सकता है तथा इसमें प्रौद्योगिकीय प्रतिबंधक व्यवस्थाओं जिन्होंने अब तक भारत को निशाना बनाया हुआ है, को समाप्त करना भी शामिल है।

अन्य परमाणु शक्ति-सम्पन्न देशों के समान ही लाभ तथा फायदे हासिल करने के पीछे हमारी यह सोच है कि हम भी अमेरिका सहित ऐसे अन्य परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों की भांति बन्धनों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। साथ ही हम भी वैसे ही अधिकारों तथा लाभों की आशा करते हैं। इस तरह हमने गैर भेदभाव का सिद्धान्त सुनिश्चित किया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी प्रतिबद्धताएं अमेरिका द्वारा अपनी ओर से इस समझौते को पूरा करने पर निर्भर करेंगी और तभी हम भी अपनी ओर से इसे पूरा करेंगे। संयुक्त वक्तव्य में हमारे द्वारा असैन्य तथा सैन्य परमाणु सुविधाओं की चरणबद्ध तरीके से पहचान करने और उन्हें अलग करने तथा असैन्य परमाणु सुविधाओं को स्वेच्छा से अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों के तहत रखने हेतु निर्णय लेने की बात कही गई है। भारत कभी भी भेदभाव स्वीकार नहीं करेगा। इस संयुक्त वक्तव्य में हमारे स्ट्रैटेजिक परमाणु अस्त्र कार्यक्रम, जिस पर हम अपना अप्रतिबंधित, पूर्ण तथा स्वायत्त नियंत्रण बनाए रखेंगे, को सीमित करने या उस पर रोक लगाने जैसा कुछ नहीं है।

संयुक्त वक्तव्य में उल्लिखित सभी उपायों के कार्यान्वयन की कुंजी पारस्परिकता है। हम अमेरिका तथा भारत द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों के बीच घनिष्ठ सह-सम्बंधों की अपेक्षा करते हैं। भारत की कार्रवाइयां हर स्तर पर अन्य पक्ष द्वारा पूरी की गई कार्रवाइयों पर निर्भर करेगी। यदि हम इस बात से संतुष्ट नहीं हुए कि हमारे हित पूर्णतः सुरक्षित हैं तो हम पूर्व-निर्धारित तरीके से आगे बढ़ने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

अतः हमारे अपने विधिवत् सुविचारित राष्ट्रीय निर्णयों के आधार पर असैन्य परमाणु सुविधाओं की पहचान तथा उन्हें अलग करने के सम्बंध में चरणबद्ध कार्रवाई यथोचित समय पर और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। हमारी असैन्य सुविधाओं को स्वैच्छिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों के तहत रखने से पूर्व हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत पर लगे सभी प्रतिबंध उठा लिए गए हैं। निर्णय लेने की हमारी स्वायत्तता किसी भी हालत में सीमित नहीं होगी।

मैं सदन में जोर देकर यह बात कहना चाहता हूं कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति सम्पन्न देश है जिसका परमाणु अप्रसार के सम्बंध में त्रुटिहीन रिकार्ड रहा है। हमारी स्ट्रैटेजिक नीतियां तथा परिसम्पत्तियां राष्ट्रीय सुरक्षा का स्रोत हैं और बनी रहेंगी तथा ये किन्हीं भी बाहरी वार्ताकारों के साथ हमारी बातचीत के दायरे से बाहर रहेंगी। इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार मौजूदा अथवा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे स्ट्रैटेजिक कार्यक्रम के सम्बंध में किसी भी विखंड्य सामग्री की कमी नहीं होने देगी अथवा किसी भी अन्य सामग्री पर सीमा बंधन नहीं लगने देगी। हमारे देश के रक्षा तथा सुरक्षा हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और बने रहेंगे।

हमारी नीतियों तथा कार्यों के कारण हमें विश्व में पहचान तथा व्यापक सम्मान मिला है जोकि मुझे विश्वास है यह सदन भी मानता है और उसका स्वागत करता है। इसके कारण हम न केवल तीन दशक से चले आ रहे प्रौद्योगिकीय प्रतिबंधन को समाप्त करने के लिए एक विश्वसनीय उदाहरण बन गए हैं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में हमें एक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त होने लगा है।

महोदय, मैंने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान उस तथ्य पर भी प्रकाश डाला जिसके आधार पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का विस्तार करने के लिए और परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश पाने के लिए एक ठोस मामला तैयार किया है। इस मसले पर अमेरिका का बिलकुल अलग रुख है और उसने भारत के रुख का समर्थन करना संभव नहीं पाया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि समय के साथ-साथ अमेरिका हमारी बात को वैधता प्रदान करेगा। वस्तुतः संयुक्त वक्तव्य में भारत के रुख के प्रति अमेरिका की बढ़ती मान्यता परिलक्षित होती है। इसमें उल्लेख किया गया है कि "अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को विश्व परिदृश्य में सन् 1945 से लेकर अब तक हुए बदलावों को पूर्णतया प्रतिबिम्बित करना होगा।" अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी यह बात दोहराई है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भारत की प्रमुख तथा बढ़ती भूमिका को परिलक्षित करने के प्रति अपना अनुकूल रवैया अपनाने लगी हैं। इस संबंध में, अमेरिका के साथ मिलकर हमने जो वैश्विक पहलें आरंभ की हैं, वे हमारी सुदृढ़ता तथा क्षमताओं को अधिक मान्यता देने की साक्ष्य हैं। इन पहलों में आपदा राहत, एच.आई.वी./एड्स तथा उन समाजों जो इस तरह की सहायता चाहते हैं, में लोकतांत्रिक क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं मानता हूं कि मेरी अमेरिका यात्रा से हमारी चिन्ताओं और हितों को बेहतर ढंग से समझा गया है। इस यात्रा के कारण महत्वपूर्ण पहलें हुई हैं जिनका भारत के लिए अत्यधिक आर्थिक तथा विकास सम्बंधी महत्व है। मैंने भारत की जनता की ओर से मजबूत पक्ष रखा है कि जब भी वैश्विक परिषदों में ऐसे निर्णय लिए जाएं जिनसे हम प्रभावित होते हैं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह सदन इन सभी बातों का स्वागत करेगा।

महोदय, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हम इस बात को लेकर गर्व महसूस कर सकते हैं कि हमारी उपलब्धियों को दुनियाभर में स्वीकार किया जा रहा है। इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शिक्षकों, कामगारों, किसानों, उद्यमियों तथा व्यावसायिकों को जाता है। भारत अब सौ करोड़ से भी अधिक की जनसंख्या वाला देश है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जिसका आज सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) वृद्धि दर में दूसरा स्थान है। जिस तरह से हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में यह प्रगति की है, वह प्रशंसा और सम्मान की बात है। भारत को विश्व में निरंतर एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। इसलिए, मैं मानता हूं कि हमारी शक्ति हमारे द्वारा चुने गए सही मार्ग में और हमारे लोगों की सृजनात्मकता तथा उद्यमशीलता में निहित है। इससे आज भारत राष्ट्रों के बीच गर्व से खड़ा होने में समर्थ हुआ है।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि संयुक्त वक्तव्य के पहलुओं के संबंध में कुछ हलकों में आलोचना होगी। रचनात्मक आलोचना संसदीय परम्परा का हिस्सा है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इससे हमारी चर्चाओं में स्पष्टता और हमारी लोकतंत्रीय संस्था में जीवंतता आती है। तथापि, मैं इस सम्माननीय सदन को तथा इसके माध्यम से अपने राष्ट्र को आश्वस्त कर सकता हूं कि अमेरिका का मेरा दौरा विश्व की एक महाशक्ति के साथ संबंध बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया था ताकि हम अपने विकास संबंधी विकल्पों को व्यापक बना सकें। मेरा प्रयास था कि अपने स्ट्रैटेजिक हितों की रक्षा करते हुए अपने विकास को बढ़ाने के लिए ऊर्जा आपूर्तियां प्राप्त की जाएं। मैं समझता हूं कि लम्बे समय से चली आ रही कुछ प्रतिबंधात्मक परमाणु व्यवस्थाओं को हटाने से अब हमें काफी मात्रा में ऊर्जा मिल सकेगी जिसकी हमें अपने औद्योगिकीकरण कार्यक्रम के व्यापक विकास के लिए जरूरत होगी। एक बार परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाने पर यह सस्ती ऊर्जा भारत को आर्थिक वृद्धि की अपनी मौजूदा गति को तेज करने में सक्षम बना देगी ताकि भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित बनाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्माननीय सदन में एकत्रित हम सभी लोग यह मानते हैं कि हमने अपने स्वतंत्रता संघर्ष से प्रेरित होकर विरासत में एक गौरवशाली और देशभक्तिपूर्ण परम्परा पाई है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा समर्थित वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए काम करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारा मुख्य ध्येय रहेगा। साथ ही, मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक हमारी मौलिक तथा स्ट्रैटेजिक जरूरतों का संबंध है, हमने न तो कभी समझौता किया है और न ही कभी समझौता करेंगे। हमारी विरासत हममें विश्वास जगाती है, हमारा अनुभव हमें साहस प्रदान करता है और हमारी मान्यता हमें आज अधिकारपूर्वक यह दावा करने का दृढ़ विश्वास दिलाती है कि हमारा राष्ट्र एक अधिक बेहतर भविष्य की दहलीज पर खड़ा है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे अमेरिका दौरे से हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु नए अवसरों तथा संभावनाओं के द्वार खुले हैं और तीव्र सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। हमें इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक संगठित राष्ट्र के रूप में मिल-जुलकर कार्य करना होगा ताकि भारत को उभरती विश्व अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख शक्ति-केंद्र बनाया जा सके।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2384/05]

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, मैं आशा करता हूं कि इसे चर्चा में बदला जाएगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सूचनाएं दीजिए। सोमवार को ही प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री उपस्थित होंगे। अतः माननीय सदस्य सूचनाएं दे सकते हैं, सोमवार को ही इस पर चर्चा की अनुमति दूंगा।

अपराह्न 12.26 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा के कार्य के बारे में

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को सूचित करना है कि 24 जुलाई, 2005 को हुई नेताओं की बैठक में यह सहमति व्यक्त की गई कि प्रश्नकाल के पश्चात् उठाए जाने वाले अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को चरणबद्ध तरीके से लिया जाए। पहले चरण में, प्रश्नकाल के पश्चात् अत्यंत अविलंबनीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामान्यतः लगभग पांच मामले

[अध्यक्ष महोदय]

लिए जाएंगे। दूसरे चरण में, उस दिन के लिए शेष बचे लोक महत्व के मामले, जिनमें निर्वाचन क्षेत्र के मामले भी शामिल हैं, सायं 6.00 बजे के पश्चात् लिए जाएं। उपर्युक्त निर्णय सोमवार 1 अगस्त, 2005 से लागू किया जाता है।

मैं इस मामले में सभी माननीय सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं ताकि हम माननीय सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा करते हुए समय का इष्टतम उपयोग कर सकें।

अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस मिला हैं लेकिन अभी जीरो ऑवर शुरू नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यो, मुझे यह भी घोषणा करनी है कि माननीय गृह मंत्री अपराह्न 2.45 बजे प्राकृतिक आपदाओं के सम्बंध में चर्चा का उत्तर देंगे। वह महत्वपूर्ण सरकारी कार्य के लिए गए हैं और मैंने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी है। मैंने आज सुबह बैठक में माननीय नेताओं को पहले ही सूचित कर दिया है।

माननीय रेल मंत्री भी वापस आने पर अपराह्न 4.30 बजे रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य देंगे।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

अपराह्न 12.27 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2364/05]

(2) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2365/05]

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): महोदय, मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अंतर्गत, उक्त अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन के संबंध में 1 जनवरी, 2003 से 31 दिसम्बर, 2003 तक की अवधि के लिए 33वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2366/05]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 282 (अ) जो 9 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विदेश व्यापार नीति 2004-09 के अंतर्गत घोषित विशेष कृषि उपज योजना (स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्कीम) को कार्यान्वित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 320 (अ) जो 17 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 321 (अ) जो 17 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002/सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 467 (अ) जो 12 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002/सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 331 (अ) जो 20 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 419 (अ) जो 23 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गुजरात राज्य में सूरत जिले में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को सज्जा के लिए विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।.

(सात) का.आ. 577 (अ) जो 26 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 578 (अ) जो 26 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 725 (अ) जो 26 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 726 (अ) जो 26 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 887 (अ) जो 27 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 888 (अ) जो 27 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2367/05]

(2) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 775 (अ) जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 30 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 455 (अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(दो) का.आ. 780 (अ) जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 30 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 456 (अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(तीन) आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2005 जो 17 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 855 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2005 जो 17 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 856 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (17वां संशोधन) नियम, 2005 जो 20 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 896 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्री पी.एम. सईद]

(छह) आयकर (18वां संशोधन) नियम, 2005 जो 29 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 903 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2005 जो 30 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 928 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) स्रोत पर एक कटौती की कागजी विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी स्कीम, 2005 जो 30 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 929 (अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) स्रोत पर संग्रहीत कर की कागजी विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी स्कीम, 2005 जो 30 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 930 (अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) आयकर (20वां संशोधन) नियम, 2005 जो 1 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 932 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2005 जो 1 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 755 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) आयकर (13वां संशोधन) नियम, 2005 जो 1 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 756 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2005 जो 20 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 863 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 703 जो 5 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (पी.आई.डी.बी.), चण्डीगढ़" को निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 704 जो 5 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "द भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 705 जो 5 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "इंस्टीट्यूट फार फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च, चेन्नई" को निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 706 जो 5 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, जनपथ, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 707 जो 5 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "इंडियन इंस्टिट्यूट फार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 708 जो 5 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "द थियोसोफिकल सोसाइटी, अडयार, चेन्नई" को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1083 जो 26 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1084 जो 26 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "राजीव गांधी फाउंडेशन, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 1085 जो 26 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "विवेकानन्द केन्द्र प्रतिष्ठान, चेन्नई" को निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 1086 जो 26 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल" को निर्धारण वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 1087 जो 26 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल" को निर्धारण वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1143 जो 2 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "नेशनल फाउंडेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1144 जो 2 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "हरिजन सेवक संघ, किंग्स्वे, दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 1145 जो 2 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "श्री रामचन्द्र मिशन, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 1350 जो 16 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "पेरियार मनिअम्मई इंस्टिट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नालोजी, पेरियार, चेन्नई" को निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 1768 जो 19 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "आदि प्राशक्ति चैरिटेबल, मेडिकल एजुकेशनल एण्ड कल्चरल ट्रस्ट, मेल्मारूवथूर, तमिलनाडु" को निर्धारण वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1770 जो 14 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "तिब्बतन होम्स फाउंडेशन, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

[श्री पी.एम. सईद]

(इकतीस) का.आ. 1772 जो 14 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "नेशनल फेडरेशन आफ द ब्लाइंड, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1773 जो 14 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "पोपुलेशन फाउंडेशन आफ इंडिया, बी-28, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(तेंतीस) का.आ. 2042 जो 11 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोपेगेन्डा इंस्टिट्यूशन पेरियार, चेन्नई" को निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 2043 जो 11 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "भारतीय संसदीय ग्रुप, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2368/05]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 332 (अ) जो 20 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेनवेट क्रेडिट (छठा संशोधन) नियम, 2005 जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 298 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेनवेट क्रेडिट (सातवां संशोधन) नियम, 2005 जो 16 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 311 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेनवेट क्रेडिट (आठवां संशोधन) नियम, 2005 जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 371 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 293 (अ) जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) की दरें 13 मई, 2005 से पहले विद्यमान दरों की तरह ही जारी रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 294 (अ) जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क की दरें 13 मई, 2005 से पहले विद्यमान दरों की तरह ही जारी रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 295 (अ) जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 296 (अ) जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उत्पादित और उत्पादन कारखाने के भीतर अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त सभी माल को उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 297 (अ) जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 316 (अ) जो 16 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 9/2005-के.उ.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 317 (अ) जो 16 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 23/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 325 (अ) जो 19 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या 50/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 346 (अ) जो 31 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2369/05]

(4) वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 111 की उपधारा (3) के अंतर्गत बैंककारी नकद संव्यवहार का नियम, 2005 जो 30 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 737 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2370/05]

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत बैंक आफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 9 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ.: एच.आर.एम. 97: सी: 27/108एच/81 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2371/05]

(6) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2372/05]

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 318 (अ) जो 16 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हेतु थे तथा जिनका आशय विशेष आर्थिक जोन में उत्पादित अथवा विनिर्मित तथा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री के लिए स्वीकृत समस्त माल को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 326 (अ) जो 19 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 9 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 104/2002-सी.शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 327 (अ) जो 19 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 95/2002-सी.शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 341 (अ) जो 27 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ताईबान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्रेट पर से अंतिम तथा प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेना किंतु यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्रेट पर शुल्क जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 350 (अ) जो 22 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 21 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 53/2002-सी.शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्री पी.एम. सईद]

(छह) सा.का.नि. 372 (अ) जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ (जर्मनी को छोड़कर), ब्राजील और मेक्सिको में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित एक्रीलोनाईट्राइल बुटाडिन रबड़ के बेल के रूप में भारत में आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 392 (अ) जो 14 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 115/2000-सी.शु. की विधिमान्यता को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 411 (अ) जो 17 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ताईवान में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित एनाल्जिन पर से अंतिम तथा प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेना किंतु चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित एनाल्जिन पर शुल्क जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 420 (अ) जो 23 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमेरिका, चेक रिपब्लिक, यूरोपीय संघ और कोरिया रिपब्लिक में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम सायनाईड पर प्रतिपाटन शुल्क की विधिमान्यता को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2373/05]

(8) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य (संशोधन) विनिमय, 2004 जो 15 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डी.आई.सी.जी.सी./37/06-02-04/05-06 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2374/05]

(9) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) "दूरसंचार के 150 वर्ष" के स्मरणोत्सव पर ढाले गए एक सौ तथा दो रुपये का सिक्का निर्माण नियम, 2004 जो 29 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 841 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) "अनेकता में एकता" थीम वाले ढाले गए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के दो रुपए, एक रुपया और पचास पैसों का सिक्का निर्माण नियम, 2005 जो 24 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 422 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2375/05]

(10) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डाकघर बचत खाता (संशोधन) नियम, 2005 जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 286 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर सावधिक जमा (संशोधन) नियम, 2005 जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 287 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाकघर (मासिक आय खाता) संशोधन नियम, 2005 जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 288 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2376/05]

(11) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) संशोधन नियम, 2005 जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 289 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 2005 जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 290 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2377/05]

(12) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2005 जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2378/05]

(13) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 और 24 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2379/05]

(14) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 358 (अ) जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पत्तन एवं अन्य पत्तन के निर्माण के संबंध में किसी वाणिज्यिक कंसर्न द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवा को सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 359 (अ) जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सड़कों, विमानपत्तनों, रेलवे, परिवहन टर्मिनलों, पुलों, सुरंगों, बांधों, पत्तनों अथवा अन्य पत्तनों के निर्माण की प्रक्रिया में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई कार्य स्थल निर्माण एवं सफाई, खुदाई तथा मिट्टी हटाई एवं विध्वंश तथा ऐसे अन्य समान कार्यकलाप पर सेवा को सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 360 (अ) जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय काम्प्लेक्स के निर्माण के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवा को उस पर उद्ग्रहणीय उतने सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 361 (अ) जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 362 (अ) जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित चार अधिसूचनाओं को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 363 (अ) जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मुव्वकिल के लिए अथवा उसकी तरफ से माल के उत्पादन अथवा प्रसंस्करण के लिए कराधेय सेवा जो कटे हुए और पालिश किए गए हीरे और रत्न-पत्थर अथवा सोने और अन्य मूल्यवान धातुओं के सादे और जड़ित आभूषणों के विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान की गई हो, को सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 364 (अ) जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवा, जो किसी अनिवासी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर उपलब्ध कराई गई हों और भारत के बाहर उपयोग की गई हों, को कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2005 जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 365 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्री पी.एम. सईद]

(नौ) सा.का.नि. 366 (अ) जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 36/2004-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 367 (अ) जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी सेवादाता द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गईं कराधेय सेवा, जहां उक्त कराधेय सेवाएं भारत से बाहर प्राप्त की जाती हैं और उपयोग में ली जाती हैं, को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 368 (अ) जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सेवा कर (व्यक्तियों की विशेष श्रेणी का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2005 जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 369 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सेवाओं का निर्यात (संशोधन) नियम, 2005 जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 370 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2380/05]

(15) सेवा निर्यात नियम, 2005 के नियम 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302 (अ) जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना संख्या 12/2005-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2381/05]

(16) वित्त अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 357 (अ) जो 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 16 जून, 2005 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करना है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 88 के खंड (क) और (ख) के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2382/05]

अपराह्न 12.28 बजे

याचिका समिति

सातवां और आठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का सातवां और आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.29 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): महोदय, मैं 'महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए स्व-सहायता समूहों का कार्यकरण' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी पहले प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2383/05]

अपराह्न 12.30 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

(एक) दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में समिति का दसवां प्रतवेदन; और

(दो) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(दो) साक्ष्य

श्री उदय सिंह: महोदय, मैं निम्नलिखित की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं:-

(एक) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य; और

(दो) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य।

अपराह्न 12.31 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले और छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

(दो) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्यवाही संबंधी चौथी प्रगति रिपोर्ट

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) आर्थिक कार्य विभाग, व्यय और विनिवेश विभाग से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन तथा राजस्व विभाग से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में; और

सभा पटल पर रखा गया। [ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2385/05]

(दो) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथी प्रगति रिपोर्ट के बारे में।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): आज मैं इस सम्माननीय सदन के समक्ष शेयर बाजार घोटाले तथा उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में चतुर्थ प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। तृतीय प्रगति रिपोर्ट 10 दिसम्बर, 2004 को संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। संयुक्त संसदीय समिति की पैरा 3.31 में निहित सिफारिश के अनुसार, चतुर्थ प्रगति रिपोर्ट छः महीनों के भीतर अर्थात् 10 जून, 2005 तक प्रस्तुत की जानी थी। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए रिपोर्ट अब प्रस्तुत की जा रही है।

मैं इस घोटाले के कारणों की जांच करने, उनका विश्लेषण करने और ब्यौरेवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का आभारी हूं। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट और तीन प्रगति रिपोर्टें पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं जिनमें कुल 276 सिफारिशों में से 204 सिफारिशों पर कार्रवाई पूर्ण हो जाने की सूचना दी जा चुकी है। चतुर्थ प्रगति रिपोर्ट में 23 और सिफारिशों पर कार्रवाई पूर्ण हो गई है जिससे कार्रवाई पूर्ण किए जाने के लिए शेष सिफारिशों की संख्या घटकर 49 रह गई है।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे सब जिन्होंने घोटाला किया था अथवा जो अपराधों में अभिषंगी थे, को सजा मिले। हमारा यह संकल्प है कि समुचित सुधारात्मक उपाय किए जाएं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह सुनिश्चित करने के हमारे दृढ़ संकल्प का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बाजार हेराफेरी करने वालों और जानबूझ कर बाजार में डर फैलाने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम संभव कार्रवाई की जाएगी।

मैं इस संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए भी इस सम्माननीय सदन का सहयोग चाहूंगा कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा यथा अनुशंसित आवश्यक विधायी परिवर्तन शीघ्र किए जाएं।

[श्री पी. चिदम्बरम]

मैं अश्वस्त करना चाहूंगा कि घोटाले के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और हम सदन के पूर्णतया संतुष्ट होने तक नियमित अंतरालों पर प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे।

सभा पटल पर रखा गया। [ग्रन्थालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2386/05]

अपराह्न 12.32 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 1 अगस्त, 2005 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:-

1. बिहार राज्य में 6 सितम्बर, 2005 से आगे राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

2. बिहार बजट 2005-06 पर सामान्य चर्चा।

3. वर्ष 2005-06 के लिए लेखानुदान मांगों (बिहार) पर चर्चा और मतदान।

4. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:-

   (क) वर्ष 2005-06 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य)

   (ख) वर्ष 2002-03 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (सामान्य)

   (ग) वर्ष 2005-06 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल)

   (घ) वर्ष 2002-03 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल)

5. "वर्ष 2005-06 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक विषयों" के संबंध में रेल अभिसमय समिति (2004) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विचार और उन्हें स्वीकार किया जाना।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: *श्री सिंह, कृपया ऐसा मत कीजिए। केवल माननीय मंत्री सरकारी गैलरी में जा सकते हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए।*

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई अम्बालाल पटेल (मेहसाना): महोदय, लोक सभा के अगले सप्ताह के एजेन्डा में निम्नलिखित मानव हित एवं जनहित कार्यों को शामिल करने की कृपा करें।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाणा में ग्रामीण विकास कार्यों में जो धनराशि आबंटित की जा रही है, उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। अतः ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा एवं ग्रामीण विकास के लिए आबंटित राशि की केवल 15 प्रतिशत धनराशि ही गांवों के विकास में लगती है। इन कारणों पर चर्चा करने का कार्य,

2. देश भर में बन्द एन.टी.सी. मिल में कई हजार लोग बिना काम के वेतन ले रहे हैं और भारत सरकार को इसका भार सहन करना पड़ रहा है। देश की बन्द एन.टी.सी. मिलों को पुनः खोल कर उसका आधुनिकीकरण करने का कार्य।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए:-

1. छत्तीसगढ़ राज्य की ओर चलने वाली चिरपिरी से बिलासपुर ट्रेन को रायपुर दुर्ग तक बढ़ाया जाए जिससे मनेन्द्र चिरपिरी कोरवा क्षेत्र के आसपास के नागरिकों को रायपुर राजधानी तक आने-जाने में सुविधा मिल सके।

2. छत्तीसगढ़ राज्य की रायपुर राजधानी से बिलासपुर दुरारा नम्बर शहर हवाई पट्टी छोटी होने के कारण बड़े हवाई जहाज उतरने में कठिनाई हो रही है। इसीलिए बिलासपुर नई हवाई पट्टी बनाने की आवश्यकता है। स्वीकृति दी जाए।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में शागिल किए जाएं:-

(1) हॉडा स्कूटर साइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया लि. गुड़गांव की घटनाओं से यह देखा गया है कि कंपनी ने श्रमिकों को यूनियन बनाने के अधिकार से वंचित रखा। प्रबंधन

ने यूनियन बनाने की दलील पर चार श्रमिकों को हटा दिया और 25 अन्य को निलम्बित कर दिया। चूंकि कंपनी एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो क्या मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश की इजाजत देते हुए श्रम कानूनों में छूट दी थी।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न पूछने का यह तरीका नहीं है।

श्री सुनील खां: (2) रेलवे बोर्ड ने बिहार में स्थित बी.बी.यू.एन.एल. और मैसर्स भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि. (बी.डब्ल्यू.ई.एल.) की सहायक कंपनी को सहायता का एक विशेष पैकेज दिया है जबकि रेलवे बोर्ड ने बर्नपुर में बी.बी.यू.एन.एल. और बी.एस.सी.एल. के हावड़ा वर्क्स की अन्य सहायक कंपनियों को वैसा ही 'सहायता का विशेष पैकेज' नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए:-

1. देश की कुल आबादी का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहा है। इन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका लाभ बहुत ही कम लोगों को मिल रहा है। अब तक के जो सर्वेक्षण गरीबी रेखा के हुए हैं, उनमें लाखों लोगों को शामिल नहीं किया गया है। उन्हें इस सूचना में शामिल करने के लिए उचित सर्वेक्षण एवं कार्यवाही की जरूरत है।

2. देश में बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन भयंकर रूप धारण कर रही है। सरकार के द्वारा बेरोजगारी मिटाने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम बेरोजगारों की तुलना में बहुत कम हैं। देश के अंदर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार दिनोंदिन घटते जा रहे हैं। अतः इसके निदान हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें:-

1. भारतवर्ष के मछुआ/कश्यप समुदाय की आर्थिक, सामाजिक स्थिति अत्यंत ही खराब है। अतः इसे अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए।

2. भारतवर्ष के कतिपय राज्यों में महिला-पुरुष अनुपात बुरी तरह असंतुलन की ओर जा रहा है। इस हेतु विशेष प्रयास किया जाएं एवं लड़कियों के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा के उपाय किए जाएं।

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए जो लोकहित में हैं:-

1. गुजरात के अमरेली जिले की बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में जिप्सम खाद का कारखाना विश्व बैंक की सहायता से खोले जाने का कार्य।

2. गुजरात के अमरेली जिले में नए डाकघर खोले जाने एवं बन्द हुए डाकघरों को पुनः खोले जाने का कार्य कराया जाए।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए:-

1. भारत-तिब्बत (चीन) व्यापार के अन्तर्गत सीमान्त जिला पिथौरागढ़, उत्तरांचल के परम्परागत व्यापार के संरक्षण हेतु भेड़-बकरियों के आयात पर कोरेन्टाइन परीक्षण तथा आई.ई.सी. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड जैसे प्रावधानों की बाध्यता समाप्त कर, स्थानीय पशु चिकित्सकों को पशुओं की जांच का अधिकार दिए जाने व कच्चे रेशम के आयात को पूर्ण छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

2. भारत-तिब्बत (चीन) के मध्य परम्परागत व्यापार को बढ़ाने व स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहन हेतु व्यापार की अवधि को पूर्व की भांति स्थायी रूप से प्रतिवर्ष 1 जून से 31 अक्तूबर तक निर्धारित किए जाने की आवश्यकता।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए:-

1. नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन से रतलाम तथा उज्जैन एवं इन्दौर के बीच नई रेल यात्री गाड़ियों को प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। अतएव, नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन से कोटा-नागदा, उज्जैन-इन्दौर तक, मथुरा से उज्जैन तक, कोटा नागदा-रतलाम तक नई रेल यात्री गाड़ियां चलाई जाए तथा महिदपुर रोड, नगदा, खाचरोड स्टेशनों के रेल यात्री गाड़ियों के स्टॉपेज तथा रेल यात्री आरक्षण सुविधाएं पूर्ववत की जाएं।

2. मध्य प्रदेश में ग्राम विकास के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क योजना को प्रभावी रूप से लागू करने तथा केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) से सड़क निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृत कर धनराशि उपलब्ध करायी जाए।

श्री काशीराम राणा (सूरत): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए जो लोकहित में हैं:-

1. एन.डी.ए. शासनकाल में 30 लाख की आबादी वाले सूरत शहर में स्थित रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किए जाने की प्राप्त स्वीकृति मिलने के बाद रेलवे स्टेशन भी आदर्श रेलवे स्टेशन पर अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है जबकि कई शहरों में घोषित आदर्श स्टेशनों पर कार्य हो चुका है। अतः सूरत रेलवे स्टेशन पर आदर्श रेलवे स्टेशन के अंतर्गत कार्य किए जाने का कार्य एवं सूरत के पास उधना रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर यार्ड एवं प्लेटफार्म के विस्तार के कार्य।

2. सूरत शहर में 30 लाख की आबादी एवं बढ़ते यातायात को देखते हुए सूरत में मेट्रो रेलवे चलाने हेतु सर्वे एवं कार्य शुरू करवाने का कार्य।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए:-

1. उत्तरी बंगाल के लोगों को सिंचाई हेतु पानी, जलविद्युत शक्ति और जलापूर्ति के सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'तीस्ता बैराज परियोजना' को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना और उसे समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त धन प्रदान करना।

2. इस सत्र में 'महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा' विधेयक के संशोधित पाठ को पुरःस्थापित करना और पारित करना।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर विचार करेंगे। श्री गुरुदास दासगुप्त।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, कल पटना से दिल्ली आ रही श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में बम विस्फोट हुआ, जिसके कारण 17 लोग मारे गए और 250 से अधिक लोग गम्भीर रूप से घायल हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर रेल मंत्री जी आज शाम साढ़े चार बजे स्टेटमेंट देंगे।

योगी आदित्यनाथ: प्रतिदिन रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं और यात्रियों का जीवन सुरक्षित नहीं है। इन स्थितियों को देखते हुए रेल मंत्री जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं ये मामले ध्यानाकर्षण के पश्चात् उठाये जाते हैं। मैंने पहले ही घोषणा की है कि शाम को 4.30 बजे माननीय रेल मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यावाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आपको ध्यानाकर्षण के पश्चात् मौका दूंगा। श्री योगी जी मैंने आपको कहा है कि मैं आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको कहा है कि मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन सही समय पर दूंगा। आप तो साधु हैं, थोड़ा-बहुत अनुशासन मानना चाहिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): स्टेटमेंट तो साढ़े चार बजे होगा, लेकिन इस्तीफा तो कभी भी मांगा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: उस समय मांगेंगे तो बात में ज्यादा वजन होगा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं पता यहां क्या कहा जा रहा है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप सभी बहुत सहयोग करने वाले माननीय सदस्य हैं। कृपया आप इस सभा को चलने दीजिए। नियमानुसार, मैं पहले ही ध्यानाकर्षण पर जा चुका हूं और जब मैं 'शून्य काल' पर आऊंगा तो उन विषयों को उठाने का अवसर मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यावाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं? कोई सूचना नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को स्थगित करूंगा। कुछ भी नहीं होगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ पता नहीं है कि आप क्या मामला उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी; इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता भी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइये। इतना इम्पेशेन्ट मत होइये। बाहर जाकर बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव अपने स्थान पर जाइये और बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि कुछ करना होता है तो एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी माननीय सदस्य किसी भी समय उठेगा और अपनी इच्छा से कुछ भी कहेगा। मुझे भी पता नहीं है कि सभा में क्या हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हमने सूचनाएं दी हैं।

अध्यक्ष महोदय: सैंकड़ों सूचनाएं दी गई हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किसी समय किसी सदस्य को बुलाने का मेरा अधिकार है। आप मेरा अधिकार नहीं ले सकते। मैंने पहले ही कहा है कि अब ध्यानाकर्षण पर विचार किया जाएगा। यदि आप सहयोग करेंगे तो इस सभा में जो प्रक्रिया है मैं उसका पालन करूंगा। अन्यथा, मैं सभा को स्थगित करके बाहर चला जाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): यहां चर्चा होनी चाहिए। पन्द्रह साल हो गये। यह सही समय है इस इश्यू को उठाने का और आज आडवाणी जी भी यहां हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सलीम, चर्चा के लिए अनुरोध करने का यह तरीका नहीं होता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। विषयों को उठाने के विभिन्न तरीके होते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। आपको मुश्किल हो जाएगी।

...*(व्यवधान)*

मो. सलीम: आडवाणी जी पहले से ही परेशान है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको उनके साथ सहानुभूति जतानी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यही कारण है कि हम इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): आज देश में जो साम्प्रदायिक सद्भाव है, उसको बिगाड़ने के लिए भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। रायबरेली की एक विशेष अदालत में प्रतिपक्ष के नेता सहित सात नेताओं के खिलाफ आरोप तय हुआ है। आरोप तय होने के बाद पूरे देश के साम्प्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपसे सहमत हूं। कृपया बैठिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम मद सं. 13, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे। श्री गुरुदास दासगुप्त।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मोहम्मद सलीम, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: सलीम जी, आपका प्वाइंट आ गया। कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यादव जी, मैंने उनको भी कह दिया है। कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: सलीम जी, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। आप भी असंसदीय भाषा बोल रहे हैं।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यादव जी आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपाल जी आब बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कृपया व्यवधान मत डालिये।

...(*व्यवधान*)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कृपया व्यवधान मत डालिये।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: स्वाईं जी आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं।

(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं समझता हूं कि हमने इस विषय पर ज्यादा समय दिया है। अब हम विनिवेश जैसे बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं।

...(*व्यवधान*)

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, यह भी एक संवेदनशील मुद्दा है और हमने इसकी सूचना दी है...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया पहले मेरी बात सुनिए।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(*व्यवधान*)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, कृपया अब बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी बात सुन ली है। कृपया अब बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री यादव जी, रिकार्ड तो कुछ हो नहीं रहा है।

...(*व्यवधान*)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोगों द्वारा कही हुई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। आप बैठ जायें। मेरा ख्याल है कि अब बहुत हो गया है।

[अनुवाद]

यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसे श्री गुरुदास दासगुप्त जी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में उठायेंगे।...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, उधर वाले सदस्य आडवाणी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं और इधर वाले सदस्य लालू प्रसाद जी का इस्तीफा मांग रहे हैं लेकिन इनके इस्तीफा देने से कोई बदलाव होने वाला नहीं है...*(व्यवधान)* मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब रेल में बम विस्फोट का मामला सदन में उठा था, उस समय माननीय अध्यक्ष आसन पर थे। लेकिन अब जब कि सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है तो पहले बम विस्फोट पर चर्चा करवा दीजिये।...*(व्यवधान)* यह तो अध्यक्ष जी का नियमन है।...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: उपाध्यक्ष जी, बम विस्फोट का मामला तो खतरनाक है, चाहे वह अयोध्या में हो, अक्षरधाम में हो या कहीं हो ...*(व्यवधान)* ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: सुमनजी, आप बैठ जायें। मैंने एक अनाउंसमेंट करनी है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.45 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.47 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.47 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदय: सुबह माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई थी कि माननीय गृह मंत्री जी अपराह्न 2.45 बजे एक वक्तव्य देंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा निर्देश, वर्ष 2004 के संस्करण के अध्याय दो में सभा की कार्यवाही की व्यवस्था के बारे में स्पष्ट उल्लेख है। किसी दिन की कार्यवाही सूची में, जो सभी को भेजी जाती है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मद सं. 13 पर आता है। माननीय गृह मंत्री एक वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। वे वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं। उनके द्वारा उत्तर दिया जाना ध्यानाकर्षण के बाद आता है। ध्यानाकर्षण के निस्पादन किए बिना आप माननीय गृह मंत्री को कैसे अनुमति दे सकते हैं? वस्तुतः, मैं उनका सम्मान करता हूं, और मैं उनको सुनना चाहता हूं। लेकिन नियम पुस्तिका के अनुसार कार्य सूची में सूचीबद्ध ध्यानाकर्षण के पहले आप वाद-विवाद पर जवाब की अनुमति नहीं दे सकते। आज की कार्य सूची में माननीय मंत्री जी द्वारा जवाब का क्रम ध्यानाकर्षण के बहुत बाद आता है। इसलिए, महोदय आप उसे अभी अनुमति नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सभा की राय जानना चाहता हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या सभा इस पर निर्णय करेगी?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: दासगुप्त जी, मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है आपका मसला हल हो जाए।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, यदि ध्यानाकर्षण पर अब विचार किया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए बाद में मौका दिया जा सकता है। हो सकता है यह आज संभव न हो क्योंकि अपराह्न 3.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य भी होना है। हो सकता है अगली बैठक में हमें मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)* मैं इस बात पर जोर नहीं दे रहा हूं कि मुझे आज ही सुना जाए। अब ध्यानाकर्षण

प्रस्ताव पर चर्चा हो। मैं सोमवार को या किसी अन्य निर्धारित दिन जवाब दूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो सवाल उठाया था, उसका क्या हुआ।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उस मामले पर फैसला होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। आपने बहुत छूट ले ली है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: मामला विचाराधीन है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, कृपया मेरी बात सुनिए। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मोहम्मद सलीम, आपने काफी समय ले लिया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: डा. सुजान चक्रवर्ती, आप सीमा से बाहर जा रहे हैं। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो आप बोल नहीं सकते। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप सभी मेरी बात को सुनने की कोशिश करें। आप सभी ने सदन का काफी समय ले लिया है। आप सभी जिम्मेदार सदस्य हैं। हम डिसइंवेस्टमेंट जैसे सैंसिटिव मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप श्री गुरुदास दासगुप्त जी को बोलने का समय दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: उपाध्यक्ष महोदय, हमारा मुद्दा भी बहुत जरूरी है। यह देश का मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 3.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.56 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.31 बजे

लोक सभा पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष जी, रेल के बम विस्फोट पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष महोदय का नियमन हुआ था, लेकिन नियमन के बाद भी चर्चा नहीं हो रही है, यह बहुत ही दुखद है।...*(व्यवधान)* इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम लोगों ने विधिवत् नोटिस दिया है कि 18 लोग मारे गये हैं और रेल विभाग ने पहले कोई व्यवस्था नहीं की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद देना चाहिए, जो स्वयं वहां गये और जिन्होंने मृतकों के परिवार के लोगों को चैक भी दिया है। उनके पदाधिकारी वहां पर सब मरीजों का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन रेल विभाग के कान बिल्कुल सूने पड़े हुए हैं, उनके कानों में पारा पड़ा हुआ है, इसलिए इस सवाल पर आप पहले चर्चा सुन लीजिए और इसके बाद कोई बात करवाइये।...*(व्यवधान)*

यह गम्भीर घटना है, इससे बड़ी क्या घटना हो सकती है कि एक तरफ गया से जाने वाली ट्रेन में 20 जिन्दा बम मिले हैं और एक में बम विस्फोट हो गया। अगर 20 बमों में विस्फोट हो गया होता तो आज देश की क्या स्थिति होती? हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय का जो नियमन हुआ है, उस नियमन के आलोक में आप बम विस्फोट पर चर्चा करवाइये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिये।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

कल जो रेल दुर्घटना हुई है, उस पर 4.30 बजे रेलवे मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप हमारी बात कब सुनिएगा? क्या एकतरफा गाड़ी चलेगी? आप पहले हम लोगों की बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस का समय है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब मैं जवाब देने वाला बैठा हूं, आपको बोलने की क्या जरूरत है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस है, इसीलिए आज हम लोग जो सवाल जीरो ऑवर में उठा रहे थे, माननीय प्रतिपक्ष के नेता को इस्तीफा देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): पहले वे इस्तीफा दे दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य पर विचार करेगी।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मद सं. 18, श्री मधुसूदन रेड्डी।

श्री मधुसूदन रेड्डी (अहमदाबाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप तो सदन के सीनियर सदस्य हैं, आप तो समझ सकते हैं। मैंने कहा है कि रेल मंत्री जी साढ़े चार बजे के बाद स्टेटमेन्ट देंगे। उसके बाद आप नोटिस दे सकते हैं और उस पर बहस हो सकती है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: ठीक है, उपाध्यक्ष जी, चूंकि हम लोगों ने नोटिस भी दिया हुआ है, फिर भी उस पर चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए हम दिन भर के लिए सदन का बहिष्कार कर रहे हैं।

अपराह्न 3.36 बजे

(इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह सभा-भवन से बाहर चले गए।)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, आप इन सी.पी.एम. के लोगों का उदाहरण लीजिए। वे सभा में कहीं नहीं हैं। वे जानबूझ कर वह मामला उठाना चाहते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि भेल पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि भेल में विनिवेश पर कोई बहस हो। इसीलिए, वे अनावश्यक रूप से हम राजद के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप सभी बैठ जाएं। स्वाईंजी आप भी बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

श्री हरिन पाठक: महोदय, इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर कम्यूनिस्ट पार्टी से कोई भी सदस्य इस सभा में उपस्थित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.37 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद सं. 18, श्री मधुसूदन रेड्डी।

श्री मधुसूदन रेड्डी (आदिलाबाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 27 जुलाई, 2005 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 27 जुलाई, 2005 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.38 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं.-15 पर विचार करेंगे। श्री विजय हान्डिक।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, अपने सहयोगी श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 28 जुलाई, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 28 जुलाई, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्यों पर विचार करेंगे।

अपराह्न 3.39 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुरःस्थापित

(एक) अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004*

[अनुवाद]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में विधायी निकायों के निर्वाचन में मतदान अनिवार्य करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश में विधायी निकायों के निर्वाचन में मतदान अनिवार्य करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 29-7-2005 में प्रकाशित।

श्री चंद्रकांत खैरे: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आर. साम्बासिवा राव - उपस्थित नहीं।

श्री काशीराम राणा।

अपराह्न 3.39½ बजे

(दो) प्राइवेट विद्यालय (विनियमन) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: कि प्राइवेट विद्यालयों के कार्यकरण को विनियमित करने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्राइवेट विद्यालयों के कार्यकरण को विनियमित करने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

(तीन) स्वैच्छिक संगठन (विनियमन) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता और उनके विनियमन तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता और उनके विनियमन तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40½ बजे

(चार) राष्ट्रीय उद्यान विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना और नियंत्रण तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना और नियंत्रण तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हआ।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

(पांच) पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 29-7-2005 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 29-7-2005 में प्रकाशित।

करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41½ बजे

(छह) राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करने हेतु एक राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश के राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करने हेतु एक राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करनेकी अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.42 बजे

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*
(नए अनुच्छेद 24क का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को परःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 29-7-2005 में प्रकाशित।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.42½ बजे

(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*
(अनुच्छेद 19 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.43 बजे

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*
(नए अनुच्छेद 31 का अंतःस्थापन)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 29-7-2005 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.43½ बजे

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*
(नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.44 बजे

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*
(नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 29-7-2005 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.44½ बजे

(बारह) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005*
(नई धारा 3ग का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद सं. 32, श्री सरेश कुरुप - उपस्थित नहीं।

मद सं. 33, श्रीमती कृष्णा तीरथ - उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.45 बजे

(तेरह) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2005* (अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जन-जातियां) आदेश, 1950 में

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 29-7-2005 में प्रकाशित।

और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जन-जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कीरेन रिजीजू: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.45½ बजे

(चौदह) कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों के कल्याण और उनके नियोजन तथा उनके कार्य की दशा विनियमित करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कृषि कर्मकारों के कल्याण और उनके नियोजन तथा उनके कार्य की दशा विनियमित करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.46 बजे

(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*
(अनुच्छेद 200 आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 29-7-2005 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.46½ बजे

(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*
(नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चंद्रकांत खैरे: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.47 बजे

(सत्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*
(अनुच्छेद 371 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 29-7-2005 में प्रकाशित।

श्री चंद्रकांत खैरे: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.48 बजे

(अठारह) एयरलाइन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एयरलाइन विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि एयरलाइन विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चंद्रकांत खैरे: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.49 बजे

बालक श्रम उत्सादन विधेयक, 2005 - *जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 43 पर विचार करेगी। पिछली बार जब सभा की बैठक स्थगित हुई थी तो श्री चन्द्रप्पन बोल रहे थे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं अपने देश में बालक श्रम समस्या की गम्भीरता के बारे में बोल रहा था। यह अत्यन्त दुखदायी तथ्य है जबकि हमें पता चलता है कि पूरे विश्व में बाल श्रम का एक चौथाई भाग भारत में है। यह समस्या के परिमाण को दर्शाता है। निसन्देह यह समस्या हमारे देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति से काफी हद तक जुड़ी हुई है।

बालक श्रम की समस्या गरीबी की स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। गरीब लोग, जो दो वक्त भोजन नहीं जुटा पाते, समझते है कि उनके बच्चे कुछ कमाई कर लेंगे तो उनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा। लेकिन वह यह नहीं सोचते कि बच्चे स्कूल जाकर पढ़ेंगे तो भी उनका भविष्य सुधरेगा। वे बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में नहीं सोचते हैं। इसके स्थान पर वे उन्हें काम करने भेज देते हैं। यदि ऐसी स्थिति जारी रहती है तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अतः हमारा दृष्टिकोण इसे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में लेने वाला होना चाहिए और उसके बाद समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए ताकि इन बच्चों की मदद की जा सके और वे स्कूलों और बालबाड़ी में जाएंगे।

कानूनों की कमी नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार 5 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। यह मौलिक कानून है। कई अन्य कानून भी हैं जो बाल श्रम की स्थिति के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि हम इस समस्या को हल किस प्रकार कर सकेंगे। लेकिन समस्या यह है कि यह समस्या अभी भी विद्यमान है। जैसाकि आप जानते हैं कि ये बच्चे खतरनाक व्यवसायों में श्रम कर रहे हैं। वे इन फैक्टरियों में काम करते हैं जहां पटाखे, नमक, ईंट, रत्न पॉलिश करना, कृषि और कालीन बनाने आदि जैसे उद्योग हैं। वे अधिकतर परम्परागत उद्योगों में भी कार्य करते हैं। इस सभा को चिन्ता है कि जिस समस्या पर हम चर्चा कर रहे हैं उस विशाल समस्या का समाधान किस प्रकार ढूंढा जाए।

इस सम्बंध में मेरे पास कुछ सुझाव है। सबसे पहला सुझाव है कि कई योजनाएं क्रियान्वयाधीन है। यदि आप कार्यान्वित की जा रही उन योजनाओं की जांच करें तो आपको पता चलेगा कि उन कार्यान्वयन बहुत धीमा है। उनमें तत्परता की भावना का अभाव है। उनमें चिन्ता की भावना का अभाव है कि इस देश को इस समस्या का हल ढूंढना होगा। इस विचार धारा को बदलना होगा। यह पहली बात है। यदि यह रवैया बदल जाता है तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमने जो अपने आपके, इस देश में और इस सभा में जो वायदा किया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक हम इस समस्या का हल ढूंढ लेंगे और यदि हम इसके बारे में गम्भीर हैं तो हमें इसके लिए अधिक निधियां प्रदान करनी होंगी। इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए हमें यह करना ही होगा। लेकिन यह दृष्टिकोण न तो केन्द्र सरकार में और न ही राज्य सरकारों में देखने को मिला है। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा।

जहां तक बालक श्रम के बारे में विधान का समस्या है जो इसे रोक रहा है, इसे हतोत्साहित कर रहा है और दण्ड देने के

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 29-7-2005 में प्रकाशित।

बात कर रहा है तो यदि आवश्यक हुआ तो उसे अधिक शक्तियां दी जाएं। मैं यह नहीं कहता कि अधिक कानूनों की आवश्यकता है। नए कानून बनाने और इन बने हुए कानूनों को और अधिक अधिकार देने के बजाए हर स्तर पर यह सुनिश्चित कराने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति होनी चाहिए कि इन कानूनों को उचित प्रकार से लागू किया जाए। सरकार की ओर से इस प्रकार के कुछ आश्वासन मिलने चाहिए। इस सभा को अपनी यह भावना व्यक्त करनी चाहिए कि सम्बद्ध विधान लागू किया जाए। मैं समझता हूं कि इस को क्रियान्वित करने के तरीके को भी बदलना चाहिए। हमारे यहां पंचायती राज व्यवस्था है। इसमें तीन स्तरीय पंचायतें हैं। यदि हम उन्हें जनता में चेतना सृजित करने की भूमिका अदा करने को करें कि इस समस्या का हल निकल जाना चाहिए तो वे लोगों में यह संदेश भेजने का कार्य करने में मदद कर सकेंगी।

दूसरा यह लोगों का संदेश पहुंचाने तक का ही प्रश्न नहीं है बल्कि केन्द्र के साथ-साथ राज्यों को भी पर्याप्त संसाधनों को ढूंढना होगा ताकि पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करके इस समस्या को हल किया जा सके।

गरीबी विशेषकर सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों और हमारी जनसंख्या के सबसे अधिक पिछड़े वर्गों की स्थितियों में बच्चों द्वारा अर्जित की गई आय काफी महत्वपूर्ण होती है। आप मछुआरा समुदाय का उदाहरण लीजिए। वे तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। इस समुदाय के बच्चे मत्स्य से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब हैं उनको सहायता दी जानी चाहिए। तत्पश्चात् आप पूरे उत्तर भारत, हिन्दी बोलने वाले राज्यों को लीजिए। यदि आप पूरे देश को एक इकाई के रूप में लेते हैं तो यह पूरा एक क्षेत्र है। इसके पश्चात् आप पाएंगे कि अधिकतर लोग यहां पिछड़े हुए और अनपढ़ हैं और बालक श्रम देश के इस भाग में पहले से ही विद्यमान है। इस पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और इस समस्या का हल ढूंढने के लिए इन राज्यों में सरकार द्वारा विशेष प्रयास भी किए जाने चाहिए।

महोदय, मैंने यहां मछली पकड़ने वाले (मछुआरा) समुदाय और हिन्दी बोलने वाले राज्यों का जिक्र किया है, सामान्यतया मुस्लिम समुदाय के बीच बाल श्रम काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इस समुदाय के गरीब लोगों को पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए ताकि इस समुदाय के बच्चे फैक्टरियों में जाने के बजाय स्कूल जाएं। मैं समझता हूं कि इन पहलुओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में कार्यक्रमों को गम्भीरतापूर्वक क्रियान्वित किया जाए। यदि सरकार के पास इच्छा शक्ति है और उसने इस समस्या को हल करने का निश्चय कर लिया है तो भारत सरकार को पहल करनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलानी चाहिए और इस बात पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए कि सरकार का इस समस्या के प्रति क्या दृष्टिकोण है और वह इस समस्या को किस प्रकार हल करने जा रही है और वे किस सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है इस समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को किस प्रकार शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित कर सकती है। ये सभी चीजों पर राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली सर्वदलीय बैठक में चर्चा की जानी चाहिए। इसके पश्चात्, विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और अन्य जन संगठनों को यह संदेश आम जनता तक ले जाने के लिए और इस बाल श्रम समस्या को रोकने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मदद करने के लिए कहना चाहिए। अधिक समर्थन, समाज को विभिन्न वर्गों की अधिक अन्तर्ग्रस्तता में, पंचायती राज संस्थाओं के अधिक शामिल होने से मेरे द्वारा बताये गए पिछड़े समुदायों और उत्तर भारत के बच्चों के बीच व्याप्त इस समस्या पर अधिक बल देकर ही सरकार अभी किए जा रहे प्रयास के बजाए इस समस्या को अधिक प्रभावशाली ढंग से हल करने में समर्थ हो सकेगी।

इसमें काफी संभावना है कि हमें आई.एल.ओ. जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से हमारे प्रयास को काफी मदद मिल सकती है। हम उनके पास अधिक धन और परियोजनाएं लेजाकर नहीं गए है। इस समस्या को हल करने के लिए उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए हमें अधिकतम प्रयास करने चाहिए। अई.एल.ओ. के अलावा कई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो अपने प्रयासों से सरकार की मदद कर सकते हैं। हमें गैर सरकारी संगठनों से मदद लेनी चाहिए। वे वित्त प्रदान कर सकते हैं। हम अन्य देशों से भी वित्तीय सहायता ले सकते हैं। यदि सभी सारी सहायता को एकत्र किया जाए और उसके बाद उसे कमजोर वर्गों में वितरित किया जाए तो उन्हें अपेक्षित सहायता मिल सकती है और उनके बच्चे फैक्टरियों में श्रम हेतु जाने के बजाय स्कूल में जाना शुरू कर सकते हैं। इससे ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जहां हम इस समस्या का हल ढूंढने में समर्थ हो सकेंगे।

मैंने दलित समुदाय, जनजातीय समुदाय, मछुआरा समुदाय और मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ पिछड़े राज्यों के बच्चों और उत्तर भारत के क्षेत्रों के बच्चों का उल्लेख भी किया है।

महोदय, आप घंटी न बजाएं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा और मैं शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त करने जा रहा हूं।

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

अपराह्न 4.00 बजे

अवसंरचना सहायता क्या है जिसे हमें उपलब्ध कराना होगा? यदि वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और बच्चों के स्कूल जाने और पढ़ने के लिए स्थितियां बनाई जाती हैं तो वे स्कूल जाएंगे। हमें और अधिक आंगनवाड़ियां खोलनी होंगी। आई.सी.डी.एस. योजना का विस्तार करना होगा ताकि प्रत्येक बच्चे को अपने घर के समीप ही आंगनवाड़ी मिलें। यदि आंगनवाड़ी घर के पास होगी तो वे वहां जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। इतना ही नहीं आंगनवाड़ियों में अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। अभी तो वे कुछ विशेष सुविधाएं ही प्रदान कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अधिक सुदृढ़ किया जाए। आंगनवाड़ियों में केवल मध्याह्न भोजन ही नहीं बल्कि पोष्टिक भोजन के साथ-साथ स्वास्थ्य और स्वास्थ्या सम्बन्धी शिक्षा भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। जहां आवश्यकता हो वहां अधिक प्राथमिक स्कूल खोले जाने चाहिए। हमें इसे सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में देखना चाहिए। हमें पता लगाना होगा कि सबसे प्रभावित स्थान कौन से हैं। हमें अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करनी होगी। हम राजनीतिक दलों, जन संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की राष्ट्रीय बैठक आयोजित कर सकते है और पंचायती राज संस्थाओं का प्रयोग करते हुए लोगों तक सन्देश भेज सकते हैं।

इस सबके साथ, मैं समझता हूं, हम इस समस्या का हल ढूंढने में समर्थ होंगे इसके पश्चात् समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता होगी और पूरे देश को एकजुट करना होगा ताकि इस समस्या का हल ढूंढा जा सके। यदि सरकार इस विचारधारा से सहमत है तो मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में इस समस्या का कुछ हल ढूंढ पाने में समर्थ हो सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि यह सभा इन सभी प्रस्तावों से सहमत होगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, श्री इकबाल अहमद सरडगी द्वारा प्रस्तुत बालक श्रम उत्सादन विधेयक, 2005 अत्यधिक महत्वपूर्ण निजी विधेयक है। श्रम मंत्री जी यहां विद्यमान हैं। मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि इस पर चर्चा के बाद कुछ सार्थक प्रयास बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में किए जाएं। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। वैसे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में भी कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा कारखाने में काम नहीं करेगा। शोषण के विरुद्ध राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39 में भी कहा गया है कि बचपन और युवावस्था की रक्षा की जाएगी। संविधान में इसकी व्यवस्था होने के बाद और तमाम कानून होने के बावजूद भी बाल श्रमिकों की अवस्था यथावत है, बल्कि उसमें इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई है।

आजादी के करीब 58 वर्ष के बाद भी हमारे देश में लगभग दस करोड़ बाल श्रमिक मौजूद हैं, जिनमें दो हिताई ग्रामीण अंचल में हैं और एक तिहाई शहरी अंचल में हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रमिक विरोधी दिवस के अवसर पर यह बताया गया कि लगभग 50 लाख बाल श्रमिक घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे आदिवासी, गरीब और पिछड़े समुदाय से सम्बन्धित हैं। विश्व में कुल 24.6 करोड़ बाल श्रमिक हैं, जिनमें से दस करोड़ हमारे देश में हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बाल श्रमिकों के हित में काम करने वाली यूनीसेफ संस्था ने कहा है कि 21वीं सदी में बाल श्रमिक पूरी दुनिया पर एक बदनुमा दाग है।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने अमरीकी श्रम विभाग और आई.एल.ओ. के साथ सन् 2007 तक बाल श्रम भारत से मिटाने का संकल्प लिया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पिछली सरकार में श्रम मंत्री माननीय साहिब सिंह वर्मा जी ने बताया था कि इसके लिए करीब चार करोड़ डालर की परियोजना शुरू की जा रही है और वर्ष 2007 तक हम बाल श्रमिकों की समस्या को समूल नष्ट कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 6 संधियों पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किये हैं। बाल श्रमिकों को मुक्ति दिलाने के लिए 1986 का कानून बना हुआ है जिसमें बच्चों को काम करने से मनाही है। सन् 1987 में बाल श्रमिकों के बारे में एक राष्ट्रीय नीति भी बनाई गयी और बाल श्रम समाप्त करने के लिए एक कानून सन् 1951 में बनाया गया और सन् 1952 में बाल-श्रमिक समझौते पर हस्ताक्षर भी किये गये।

अपराह्न 4.06 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी जो अपेक्षित परिणाम हमारे देश में इन सबका आना चाहिए वह नहीं आ रहा है। अब भी करीब चार से पांच लाख ऐसे बंधुआ बाल श्रमिक अकेले दिल्ली में हैं। माननीय श्रम मंत्री जी जब अपना बयान देंगे तो कह देंगे कि ये-ये कानून सरकार ने बनाए हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इसी सदन में 18 अप्रैल, 2005 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3644 के जवाब में बताया गया कि देश में हो रहे बच्चों के शोषण के बारे में सरकार सतर्क है और बाल श्रमिकों को काम से हटाकर नियोजकों पर जुर्माना और दंड के

हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। इस विषय में नियोजकों पर शिकायतें दर्ज हुई हैं और नियोजकों पर मुकदमे भी चलाए गये हैं। इसके बारे में जो आंकड़े दिये गये हैं वे इस प्रकार हैं, सन् 2002-2003 में 8930 मुकदमे पंजीकृत हुए। सन् 2003-2004 में 2650 मुकदमे दर्ज हुए। सन् 2004-2005 में 8246 मुकदमे पंजीकृत हुए। दस करोड़ बाल श्रमिक जहां हों वहां यह संख्या नहीं के बराबर है। जितने मुकदमे दर्ज हए, उनके ऊपर क्या जुर्माना हुआ, कितने लोग दंडित हुए, इसके आंकड़े आपके पास नहीं हैं।

सभापति महोदय, वर्ष 1971 से 1981 की जनगणना के बाद स्थिति स्पष्ट हुई है कि बाल श्रमिकों की संख्या में 25 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और समस्या घटने के बजाए बढ़ रही है। जिन बच्चों को विद्यालयों में होना चाहिए, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में पत्तल, प्लेट्स और कुल्हड़ हैं। बाल श्रमिकों की समस्या पर जब हम चर्चा करते हैं तो इस समस्या को गरीबी से हटाकर नहीं देखा जा सकता है। इसके मूल में क्या है, वही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। बच्चों को किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जब तक हम इसके मूल में नहीं जाएंगे तब तक इस समस्या से निजात पाना मुश्किल है। मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग इस समस्या से बहुत चिंतित हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, क्योंकि केवल कानून के सहारे इस समस्या से नहीं निपटा जा सकता है। धनी देशों ने कहा है कि सन् 2015 तक गरीबी और भूख समाप्त हो जाएगी और इस तरह का एक विश्लेषण भी छपा है। अगर यह बात सही भी हो जाए तो भी करोड़ों बच्चों के लिए काफी देरी हो जाएगी।

सभापति महोदय, 87 फीसदी बच्चे 12वीं कक्षा तक जाते-जाते घर बैठ जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि उनके मां-बाप बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति गवारा नहीं करती कि वे अपने बच्चों को तालीम दे सकें। जब तक उनकी जीविका का समुचित इंतजाम नहीं होगा गरीब बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी, पुनर्वास और शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं फिरोजाबाद से, वहां चूड़ी का काम होता है। वहां लाखों की संख्या में मजदूर और बाल श्रमिक काम करते हैं। बाल श्रमिकों को पकड़ने के लिए छापे डाले जाते हैं। बच्चों को मौका मिलते ही, पीछे के दरवाजे से निकल करके मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हम से जरूर काम करवाओ। जिस परिवार में 60-65 साल का पिता हो, मां बीमार हो, 15-16 साल की लड़की हो तो 11 साल का बच्चा काम नहीं करेगा तो उस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आप छापे डालते हैं और वही बच्चा जाकर कारखाने के मालिक से प्रार्थना करता है कि मेरे घर में खाना नहीं बनेगा अगर मुझ से काम नहीं करवाया। आवश्यकता इस बात की है कि आप इस पर गम्भीरता से सोचें।

जैसा मैंने पहले कहा कि बाल श्रमिकों की समस्या गरीबी से जुड़ी है। इसे दूर करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण और बहुआयामी परियोजना चलाने की आवश्यकता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए आपने जो परिपत्र तैयार किया, मजेदार बात यह है कि उसमें बाल श्रमिकों का कोई जिक्र नहीं है। इतनी गम्भीर समस्या है लेकिन कानून के जरिए यह समस्या हल नहीं हो सकती। बेबसी, लाचारी, भूख, बेकारी गरीबी से जुड़ा सवाल है। जब तक हिन्दुस्तान में गरीबी रहेगी तब तक बाल श्रमिकों की समस्या रहेगी। मेरा सरकार से आग्रह है कि कानून बने हैं और संविधान में उसकी व्यवस्था है लेकिन इसके चलते सही अर्थों में इस समस्या से निकला नहीं जा सकता है। सरकार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को मुस्तैदी के साथ चलाए। बच्चों के लिए जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप उनसे काम छुड़वाते हैं लेकिन जब तक उनके स्कूल भेजने की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनकी माली हालत नहीं सुधारेंगे, उनको स्वावलम्बी नहीं बनाएंगे, उनके ऊपर काम की बाध्यता होगी तो वही परिस्थितियां बनी रहेंगी। मेरा श्रम मंत्री से आग्रह है कि मेहरबानी करके गरीबी के साथ जुड़ी जो समस्याएं हैं, उन पर सार्थक प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। सरकार इसे सार्थक दिशा में ले जाने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सशक्त बनाए, मजबूती के साथ चले, तभी इस समस्या से निजात मिल सकती है।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): सभापति महोदय, सरडगी साहब जो बिल सदन में लाए हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो इसकी भावना से सहमत न हो लेकिन इस समस्या में कोई बिल इस बात को बैन करता हो, वह अपने में सार्थक रहेगा या नहीं, वह दूसरी बात है। सबसे पहले मैं थोड़ा भिन्न मत रखना चाहता हूं। मैं चाहता था कि अगर सरकार की ओर से बाल श्रमिकों की बात आए तो उसका उत्तर श्रम मंत्री नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री दें। यह समस्या श्रम मंत्रालय की इतनी नहीं है, जितनी शिक्षा मंत्रालय की है और विकास से जुड़े मुद्दे की है।

मुझ से पहले मेरे वरिष्ठ भाई ने जो बात कही, उससे साफ बात निकल कर आती है। अगर हम पिछले 50-55 साल का इतिहास देखें और उन मुद्दों की तरफ अपना ध्यान डालें, तो मेरे

[श्री सन्दीप दीक्षित]

ख्याल से वह आज आपको, हम को शर्मसार करती है। 50-55 साल के बाद देश का बहुत विकास हुआ है, बहुत सी चीजों में गति आई है।

लेकिन अभी भी कुछ ऐसे भयानक क्षेत्र हैं जिनमें कहीं न कहीं हर व्यक्ति को अपनी आंखें शर्म से नीची करनी पड़ती हैं। आज भी देश में भुखमरी पाई जाती है, आज भी महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न होता है, उसके उदाहरण दिखते हैं। आज भी दलित के प्रति और आदिवासियों के प्रति जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, वह अपने में शर्मनाक है, उसी में बाल श्रमिक को भी जोड़कर देख सकते हैं। बाल श्रमिक का संबंध, मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि कहीं न कहीं गरीबी से जुड़ा है, लेकिन मैं कहता हूं कि सीधे रूप में उसका संबंध केवल गरीबी से है और केवल गरीबी से ही है। बाल श्रमिक के बारे में बात करने से पहले उसके वर्णन के बारे में बात कह ली जाए। बहुत से आंकड़े हैं जो बाल श्रम के बारे में बताते हैं, कोई कहता है कि हमारे यहां तीन करोड़ के करीब हैं, कोई कहता है कि दस करोड़ के करीब है, लेकिन वे कहीं न कहीं अपने ही वर्णन में फंसकर रह जाते हैं। कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने बड़े साफ-सुथरे वर्णन दिए हैं, वे कहते हैं कि जो भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है उसे बाल श्रमिक माना जाए। मेरे खयाल से हमें यह वर्णन और परिभाषा बाल श्रमिक की स्वीकार करनी चाहिए। उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए जिन आंकड़ों के हिसाब से हर राज्य, हर जिले में सौ प्रतिशत बच्चे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से स्कूल जा रहे हैं। मैं स्कूल में दिन प्रतिदिन की हाजरी के बारे में कह रहा हूं। मेरा विनम्र निवेदन सरकार से है कि हर वह बच्चा जो दिन प्रतिदिन रोजाना स्कूल नहीं जाता हो, उसे बाल श्रमिक के रूप में आंका जाए, तब हमें सही रूप में पता चलेगा कि बाल श्रमिक की समस्या है और यह उससे जुड़ी हुई उस इलाके में गरीबी की समस्या सही मायने में कितनी भयानक है।

महोदय, फिरोजाबाद की बात कही गई, चूड़ियों के उद्योग की बात कही गई, कहीं ताले के उद्योग की बात कही गई, कहीं माचिस उद्योग की बात कही गई, कहीं पटाखों के उद्योग की बात कही गई है, इन उद्योगों से जुड़े हुए बाल श्रमिकों को हम बड़ी भयानक स्थिति में मानते हैं और दूसरे उद्योगों के बारे में कम कहते हैं। ये चीजें इसलिए उजागर होती हैं क्योंकि यहां कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें हमारे बच्चे-बच्चियां जा पाते हैं, वहां उनको मौका मिलता है इसलिए फिरोजाबाद, तिरुपति या सिवाकासी में समस्या ज्यादा भयानक रूप दिखती। इसका कदापि यह मतलब नहीं है कि और जगह पर, जहां ऐसे उद्योग नहीं है जहां बच्चे अच्छे तरीके से, साफ तरीके से जा सकें, उनको काम मिल सके, वहां यह समस्या किसी रूप में कम है। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां गरीब का बच्चा काम ढूंढ रहा है लेकिन काम नहीं मिलता इसलिए आंकड़ों में नहीं आ पाता। मेरी और आपकी दृष्टि में नहीं आ पाता, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के सामने नहीं आ पाता। समाजसेवी संस्थाओं के सामने नहीं आ पाता जहां उनके लिए कारगर कदम उठाकर उनको वहां से निकाल सकें। दुर्भाग्यवश मीडिया के सामने भी नहीं आ पाता है। लेकिन हर जिले में हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जो अपने बचपन को त्याग कर, बचपन में जिस तरह की चीजों के लिए हमारे समाज ने उन्हें समय नहीं दिया और हम जिसकी कल्पना करते हैं उनको छोड़कर कहीं न कहीं काम करता है। मेरा निवेदन यह है कि वह हर बच्चा जो कहीं न कहीं स्कूल नहीं जाता हो, उसको बाल श्रमिक की स्थिति में माना जाए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात स्कूल की है। अभी बच्चों के स्कूल में जाने की बात कही गई थी, मैं इस बात को मानता हूं कि शायद ही कोई स्कूल, खासकर सरकारी संस्थाओं में ऐसा है जो बच्चों को पढ़ाने लायक हो। हमारे यहां बहुत स्कूल हैं तब भी बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार पर आस्था रखकर, सरकार के स्कूल पर आस्था रखकर क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। मां-बाप अपने बच्चों को कहीं न कहीं स्कूलों में भेजते हैं लेकिन इस देश में बहुत कम सार्वजनिक स्कूल हैं जो बच्चों को लेने की स्थिति में हैं, जो इस लायक है कि हमारे लाडले, हमारे बच्चे-बच्चियां इस देश के स्कूलों में जा सकें। न तो उन स्कूलों में उन्हें छत मिलती है जहां बरसात के समय उन पर पानी न टपकता हो और गर्मियों में उन पर धूप न पड़ती हो। ऐसे स्कूल बहुत ही कम हैं जिनमें ब्लैकबोर्ड ऐसा हो जिस पर अगर टीचर चॉक से लिखता है तो बच्चे उस बात को पढ़ पाएं। बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से जिस तरह से प्रगति कर सकें, उस प्रगति के अनुकूल उस तरीके का उनको टीचर मिल सके। चार-चार या छः-छः क्लासिस को पढ़ाने के लिए एक टीचर होता है जिसका एकमात्र प्रशिक्षण होता है, कोई डाइट से कोर्स करके आता है या फिर जिसे हम बीएड मानते हैं। हर राज्य में माना गया है कि ये ऐसे तरीके हैं जो आज की स्थिति में बहुत पुराने हो चुके हैं, जर्जर हालत में हैं क्योंकि इस तरह का प्रशिक्षण हमारे अध्यापकों को मिलता है। बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहां पुस्तकें समय पर बच्चों को मिलती हैं, जहां बच्चे ऐसे वातावरण में पढ़ पाते हैं, जहां बैठने में उनका कहीं न कहीं मन लगता हो। हमारे और आपके बच्चे स्कूल से इसलिए भागते

हैं क्योंकि स्कूल में उनको आकर्षण मिलता है और बाहर भी बहुत चीजों का आकर्षण मिलता है।

गांवों के बच्चे स्कूल से इसलिये नहीं भागते क्योंकि बाहर कोई आकर्षण नहीं मिलता, टीचर भी सक्षम नहीं होता भारत सरकार और हमारी राज्य सरकार ने शिक्षा की जो प्रणाली बनाई है, वह अपने आप में इतनी सक्षम नहीं है कि बच्चों को स्कूल में रख सके। अगर कोई बच्चा 10-12 साल के अंदर आ गया तो वह अपनी जिन्दगी किसी भी रूप में सम्भालने में सक्षम नहीं हो पाता है।

सभापति जी, आपने देखा होगा और मैंने भी पिछले 3-4 सालों में देखा है कि स्कूल के करिकुलम पर राजनैतिक विवाद हुये हैं। ज्यादातर विवाद इस बात पर होता है कि क्या अकबर या उसके पहले हिन्दुस्तान का जोर्णिम युग था या राम राज्य राज्य के बारे में या गांधी जी के बारे में ज्यादा लिखा जाये। इन सारी निरर्थक बातों पर हम सांसद और आप-हमारे जैसे लोग विचार करते रह जाते हैं जिनके कंधे पर थोड़ा बहुत भार हिन्दुस्तान के भविष्य को बनाने के लिये है, इन मुद्दों में बंधकर रह जाते हैं। बच्चे के बेसिक विकास के लिये तीन चीजों की आवश्यकता होती है जिन पर न संसद में किसी रूप में चर्चा होती है और न बाहर होती है जिससे जोश पैदा कर हम उसे सही शिक्षा के स्तर पर ले जा सकें। बच्चे का जिस चीज से सही विकास हो सकता है, वह नदारद पाई जाती है। जब हम सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो सही स्कूल किस तरह से बना पायेंगे जो हमारे बच्चों को सही शिक्षा दे सके।

अभी शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की गई है। जिस तरह टीचर्स में राजमनीति सम्मिलित रहती है, उससे लगता है कि आज के शिक्षा मंत्री का 95 प्रतिशत काम केवल ट्रांसफर करना रह गया है। हमारे जितने सांसद भाई हैं, वे इस बात को भली-भांति समझते हैं। क्या शिक्षा प्रणाली या प्रशासन का काम केवल टीचर्स का ट्रांसफर ही करना है। आप जिस किसी जिले में चले जायें, हर स्कूल में 40 बच्चे के ऊपर एक टीचर मिलेगा लेकिन गांव में हर स्कूल में 70-80 और यहां तक कि 100 बच्चों पर एक टीचर मिलेगा। बच्चे घूम रहे हैं और टीचर भी घूम रहा है क्योंकि आप और हमारे द्वारा जो टीचर्स उन गांवों के दूर-दराज स्कूल में होने चाहिये, ऐसे स्कूल में डाल दिये जाते हैं जहां 40 बच्चों पर 3-4 टीचर्स मिलते हैं। ऊपर के आंकड़े तो बराबर हो जाते हैं, लेकिन सही मायने में बच्चों के लिये सार्वजनिक या पब्लिक स्कूल के अलावा और कोई विकल्प नहीं मिलता है। जहां उसके लिये हम और आप दोषी हैं, वहीं शिक्षा प्रणाली भी दोषी है। मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार फंक्शनल स्कूलों पर ज्यादा ध्यान दे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या स्कूल से बच्चों को कुछ मिलता है? आपका और हमारा बच्चा, खासकर उस वर्ग का जिस से हम लोग आते हैं, हमें अपने बच्चे स्कूल भेजने में कभी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हम समझते हैं कि उन स्कूलों से निकले हुये बच्चे कम क्षमता वाले होंगे। उनके भविष्य को हम लोग तैयार कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिये। ऐसे गुण हमारे स्कूल बच्चों को देते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में अपनी बात रखिए। समय बहुत कम है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। इसलिए, समय बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, आज प्रधानमंत्री जी ने हाल की अपनी अमेरिका यात्रा के सम्बंध में स्वतः एक वक्तव्य दिया। तत्पश्चात्, माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि वह सोमवार दिनांक 1 अगस्त, 2005 को प्रधानमंत्री महोदय के वक्तव्य पर चर्चा की अनुमति देंगे।

बाद में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री 1 और 2 अगस्त, 2005 को सोसल्ज के महामहिम राष्ट्रपति के सरकारी दौरे के कारण व्यस्त रहेंगे इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि चर्चा को 3 अगस्त, 2005 के लिए स्थगित किया जाए।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, ने पहले घोषित सोमवार के बदले 3 अगस्त, 2005 का दिन चर्चा के लिए तय किया है।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित: सभापति महोदय, आप जब कहेंगे, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने के लिए तैयार हूं। मैंने अंत में केवल यह बात कही कि कहीं न कहीं उस व्यक्ति के जीवन में स्कूल की शिक्षा जुड़ती है या नहीं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें मैं आपके सामने एक बात जरूर रखना चाहूंगा कि अक्सर यह कहा जाता है कि बच्चों को वोकेशनल शिक्षा दी जाए। यह बात अपने में किसी हद तक सही है। लेकिन हमें यह भी मानना चाहिए कि अपने सबसे प्रथम वर्षों, विशेषकर तीन से आठ वर्षों में, जिस तरह की शिक्षा बच्चों के लिए आवश्यक है, जितना समय टीचर को उसे देना चाहिए, उसका मानसिक विकास जिस तरीके

[श्री सन्दीप दीक्षित]

से होता है, उनका मोटर डवलपमैन्ट जिस तरीके से होता है, उस समय जो शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, वह गूढ़ शिक्षाविद की समझ से देनी चाहिए। लेकिन उसमें हमारा स्कूल प्रबंधन अक्षम है। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, चूंकि मैंने कई स्कूल देखे हैं। जब तक वहां हम लोग पैसा नहीं डालेंगे, अपना पूरा ध्यान नहीं देंगे, वे बच्चे विकसित होकर वहां से नहीं निकल सकते। आज समाज में नये-नये विकल्प समाज की आर्थिक प्रगति के रूप में बनते चले जा रहे हैं, उनकी तरफ वह बच्चा किसी तरह जा पाये, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए।

समापति महोदय, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि हम लोग बाल श्रम के वर्णन को कहीं न कहीं बदलें। उसमें हमें एकाध चीज और भी देखनी पड़ेगी। जब हम बाल श्रम की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने ज्यादातर उन उद्योगों के बाल श्रमिक सामने आते हैं, जो किसी न किसी तरह से बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ऐसे इलाके हैं, जहां सबसे पहले हमें कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन एक और तरह का बाल श्रम हमारे समाज में है, जिसकी हम बहुत कम बात करते हैं। वह बाल श्रम ऐसा है जो भले ही बच्चों से उनका स्कूल न छीनता हो, लेकिन कहीं न कहीं उनसे उनका बचपन जरूर छीनता है। आपने देखा होगा कि अच्छे पैसे वाले घरों से, अच्छी शहरी जगहों से बहुत से बच्चे कहीं टी.वी. पर काम करते हैं, कहीं पिक्चरों में काम करते हैं और अन्य बहुत से कार्यक्रमों में काम करते हैं। यह भी एक तरह का कारखाना है। मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि क्या यह भी बाल श्रमिकों की श्रेणी में आता है या नहीं। क्या बाल श्रमिक केवल वही बेचारा गरीब है जिसका बच्चा कहीं न कहीं जुड़ता है। इन बच्चों का बचपन कहीं न कहीं उनसे छिनता जा या नहीं। बचपन में जहां प्राकृतिक रूप से उसका विकास चाहिए था।...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सर, मैं एक प्वाइंट ऑफ इंफोर्मेशन पर हूं। हमारा यह कहना है कि चेयर से स्पीकर साहब ने यह रूलिंग सदन को दी थी कि साढ़े चार बजे माननीय रेल मंत्री जी का स्टेटमैन्ट होगा। अभी साढ़े चार बज रहे हैं।

[अनुवाद]

समापति महोदय: मैं उस बिंदु पर आ रहा हूं। माननीय रेल मंत्री, जो यहां उपस्थित हैं, रेल दुर्घटनाओं से निपटते रहे हैं लेकिन अब उन्हें बम विस्फोटों से भी निपटना पड़ेगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब, वह एक वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 4.29 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

हरपालगंज-कोइरीपुर रेलवे स्टेशनों के बीच 2391 पटना - नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस में हुआ बम विस्फोट

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): 28-07-2005 को लगभग 5.27 बजे शाम उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के जौनपुर-सुल्तानपुर सैक्शन में हरपालगंज और कोइरीपुर रेलवे स्टेशनों के बीच 2391 राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रैस में हुए विस्फोट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में, मैं अत्यंत दु:ख के साथ सदन को जानकारी दे रहा हूं।

जब यह गाड़ी उक्त दो स्टेशनों के बीच चल रही थी उस समय इस गाडी के जनरल डिब्बे में यह विस्फोट हुआ, जिसमें 9 यात्रियों की जानें गईं, 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए और 45 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। एक यात्री ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, दूसरे यात्री की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई और 7 यात्रियों की बदलापुर अस्पताल में मृत्यु हो गई। घायल यात्रियों को वाराणसी एवं जौनपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

घटना की सूचना मिलते ही वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ से रेलवे डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की टीमों के साथ दुर्घटना राहत चिकित्सायान घटना स्थल के लिए रवाना कर दिए गए। लखनऊ और वाराणसी मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक भी अपने डॉक्टरों और आवश्यक कर्मचारियों एवं अधिकारियों के दल के साथ तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना हो गए।

घटना स्थल पर राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं भी अविलंब घटना स्थल पर पहुंच गया। नई दिल्ली से रेल राज्य मंत्री श्री नारणभाई जे. राठवा, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, रेल सुरक्षा बल के महानिदेशक और रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक भी घटनास्थल पर पहुंचे। हम घायलों का हालचाल पूछने के लिए विभिन्न अस्पतालों में गए। मैं स्वयं भी अस्पतालों में गया।

रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर परिमंडल इस घटना की वैधानिक जांच करेंगे। राज्य पुलिस के फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटना स्थल का दौरा किया और क्षतिग्रस्त सवारी डिब्बे की जांच की।

मैंने निम्नानुसार अनुग्रह राशि की घोषणा की है:-

मृतकों के मामले में	-	1,00,000/-रुपए प्रत्येक और आश्रितों को नौकरी
गंभीर रूप से घायलों को	-	15,000/- रुपए प्रत्येक
मामूली रूप से घायलों को	-	5,000/- रुपए प्रत्येक

उक्त तत्काल राहत के अलावा रेल दावा प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित मृतकों के आश्रितों को 4 लाख रुपए एवं घायलों को भी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों का मुफ्त इलाज रेलवे की तरफ से कराया जाएगा एवं इलाज के पश्चात् उन्हें अपने परिजनों के पास रेल के खर्चे पर पहुंचाया जाएगा। घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के आश्रित एवं अपंग हुए प्रत्येक व्यक्ति को रेलवे में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। घायलों को उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी और गंभीर रूप से जले हुए व्यक्तियों का विशेष उपचार करवाया जाएगा।

महोदय, इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि मैंने वाराणसी के अस्पताल में घायल लोगों को देखा और जो लोग ज्यादा जले हुए थे उन्हें स्थानीय डाक्टरों की मदद से स्पेशल वैन, और स्पेशल कोच से जल्द से जल्द दिल्ली लाया गया, क्योंकि दिल्ली में इलाज की अच्छी सुविधाएं हैं। इन घाटलों में 99 प्रतिशत लोग नालंदा जिले के मजदूर और गरीब लोग हैं।

मुझे ज्ञात हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने भी मृतकों के परिजनों को एक लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को पचास हजार रुपए एवं घायलों को पच्चीस हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

पुलिस क्लीयरेंस के बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस को गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया गया।

रेल यात्रियों की सुरक्षा हेतु रेलगाड़ियों एवं रेल परिसरों में सतर्कता को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु राज्य सरकारों को भी सुरक्षा अभियान में मजबूती लाने के लिए कहा जा रहा है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष जी ने वायदा किया था कि हम लोगों को एक-एक मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपको बोलने की अनुमति दी है, लेकिन नियमों में इसकी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: हम भी अपनी चिंता माननीय रेल मंत्री जी के साथ व्यक्त करना चाहते हैं और इससे अपने को संबद्ध करते हैं। रेल में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। यह तथ्य देश के सामने आना चाहिए कि यह दुर्घटना कैसे हुई। कहीं यह उग्रवाद या नक्सलवाद से संबंधित घटना तो नहीं है। यह घटना कैसे भी घटित हुई हो, यह राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है और इसे गंभीर विषय माना जाना चाहिए। इसके अलावा आर.पी.एफ., जी.आर.पी. रेल की सुरक्षा कर लेगी, यह गलत धारणा है क्योंकि विस्फोट हुआ है। इसका आंतरिक कारण बताया जाना चाहिए। इस दुर्घटना की पूरी जांच होनी चाहिए कि कहीं नक्सलवादी या उग्रवादी इस घटना से संबंधित तो नहीं हैं। रेल की सुरक्षा के बारे में कुछ बृहद योजना और आगे बढ़ कर सोचने की जरूरत है। मैं सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया आपस में चर्चा न करें। अब मैं किसी को भी बीच में बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब और चर्चा मत कीजिए। मुझे खेद है कि मैं किसी को भी बीच में चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने मोहन सिंह को कुछ टिप्पणी करने की अनुमति दी है। सिर्फ वही बोल सकते हैं, और श्री संदीप दीक्षित अपनी बात जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, माननीय रेल मंत्री जी ने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने धन देने की घोषणा की है। मैं बताना चाहता हूं कि घोषणा ही नहीं की, बल्कि आज सुबह जाकर धन बांट भी दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसके सिवाए कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री लालू प्रसाद यादव: सभापति जी, अपराध, चलती ट्रेन के रख-रखाव और ला-एंड-ऑर्डर के मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं, हालांकि हम अपनी जिम्मेदारी से भी इंकार नहीं करते हैं, हम प्रोब करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा: यदि आप उनको अनुमति दे सकते हैं तो आप हमें भी कुछ बोलने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय: नहीं, यह उनके भाषण का एक अंग समझा जाएगा।

श्री लालू प्रसाद यादव: प्रोब के बाद ही पता चल सकेगा महोदय कि किन तत्वों का हाथ है। यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार, रेलवे कमिश्नर (सेफ्टी) और इंटैलीजेंस विंग को लेकर इस मामले की हम गम्भीरता से जांच कराएंगे और जो फलाफल आएगा, वह राष्ट्र के सामने रखा जाएगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सभापति जी, मंत्री महोदय ने टी.वी. पर कह दिया कि इसमें आतंकवादियों का हाथ नहीं है।...*(व्यवधान)* यह बहुत गंमीर विषय है। उन्हें ऐसे ब्यान नहीं देना चाहिए। अभी आपने इन्क्वायरी बैठाई नहीं है। इन्क्वायरी बैठाने से पहले घोषणा कर दी कि इसमें किसी भी आतंकवादी का हाथ नहीं है। यह बहुत अनफेयर है। यह कहना कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, यह भी ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: मैंने टी.वी. पर नहीं कहा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने स्वयं अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लालू प्रसाद: मैंने टी.वी. पर नहीं कहा। मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे बातों को जरा ध्यान से सुना करें। शायद आपने किसी एंकर से ऐसा सुना होगा। जांच के बाद ही कोई निष्कर्ष निकल सकता है।...*(व्यवधान)*

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2367/05]

सभापति महोदय: मंत्री जी के भाषण के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और यह उनके भाषण का अंग समझा जाएगा। यद्यपि वे बार-बार ऐसा कर रहे हैं लेकिन यह उनके भाषण का भाग ही समझा जाएगा। यद्यपि मंत्री महोदय दो या तीन बार बोले हैं लेकिन यह उनके वक्तव्य का हिस्सा ही समझा जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 4.39 बजे

बालक श्रम उत्सादन विधेयक, 2005 - *जारी*

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित: सभापति महोदय, पुनः धन्यवाद, जो आपने मुझे फिर प्रारम्भ करने का मौका दिया।

आदरणीय रेल मंत्री के वक्तव्य से पहले मैं कह रहा था कि हमें एक और बाल श्रम के बारे में थोड़ा-बहुत सोचना चाहिए। वह बाल श्रम है - जो बच्चों को कहीं न कहीं बचपन में उनका मन किसी एक विशेष विधा की ओर खींच लेता है। मैं इस बात से भलीभांति अवगत हूं कि कहीं न कहीं अपने लोग सवाल को उठाएंगे और दूसरे पक्ष की बात भी रखेंगे, लेकिन इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते कि जो बच्चे टी.वी. या फिल्मों में आते हैं और बहुत छोटी उम्र में आते हैं, बचपन में ही आ जाते हैं, 5, 6, 7, 8 या 9 वर्ष की ही उम्र में आते हैं, तो उनके मानसिक विकास के चलते...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप समाप्त कीजिए। आपने दो मिनट में समाप्त करने को कहा था।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित: सभापति जी, आप मुझे दो मिनट दे दें, मैं कन्क्लूड कर दूंगा। मैं तो केवल इतनी दर्ख्वास्त कर रहा था कि इस तरह के वर्गों को भी आप बाल श्रम में मानें।

सभापति जी, मैंने जो बातें बाल श्रम को समाप्त करने के बारे में पहले कहीं, उनके मूल में हम गौर करें, तो पाएंगे कि हमें सबसे पहले शिक्षा प्रणाली को सुदृढ ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पूर्णतः बदलना पड़ेगा। इस पर पूरे सदन से मैं विनम्र निवेदन करूंगा क्योंकि यहां हर वर्ग के नेता हैं कि हम पहले एक साथ बैठकर इस पर चर्चा करें और जहां से भी, जब भी, जितने भी धन और सामग्री की आवश्यकता हो, अगर विकास के क्षेत्र में हम वह धन और सामग्री जुटा सकें, जिसकी आवश्यकता हो, तो सही मायने में हम इस देश के विकास के लिए काम कर सकेंगे और देश को न केवल ऊपर उठा पाएंगे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण कर पाएंगे, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है।

सभापति जी, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि जिस भावना से यह बिल प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरीदेव (कालाहांडी): सभापति महोदय, देश से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए जिस विधेयक पर चर्चा हो रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जिसे श्री इकबाल अहमद सरडगी ने पुरःस्थापित किया है।

महोदय,. हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं क्योंकि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं। यही समय होता है जब उनके मस्तिष्क का विकास होता है, उनका शारीरिक विकास होता है, और उन्हें अपने जीवन के किशोरावस्था, बालावस्था में सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बहुत सी सिफारिशें की गई हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 39(च) में कहा गया है:

"बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।"

अनुच्छेद 42 में भी कहा गया है:

"राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।"

इसलिए, संविधान में ऐसे प्रावधान है। क्या हम उन प्रावधानों का अनुसरण कर रहे हैं? यह अभी देखना है। महोदय, यदि आप उड़ीसा या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में जाएं तो आप हजारों बाल श्रमिकों को तेंदू के पत्ते तोड़ने के काम में लगे पायेंगे जिनसे बीड़ी के पत्ते बनाए जाते हैं, जिनसे बीड़ी बनाई जाती है। पूरे बीड़ी उद्योग में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। महोदय यदि आप उत्तर प्रदेश के बदायूं जाएं तो आप पायेंगे कि कॉरपोरेट उद्योगों में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। अतः जब उनके मानसिक और शारीरिक विकास का समय होता है वे काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि हम उनसे उनके बचपन का अधिकार छीन रहे हैं। उन्हें कार्य करने पर मजबूर किया जाता है। आप देखेंगे कि अधिकांश बाल श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से आते हैं जो प्रवासी हैं, भूखमरी के शिकार हैं और गरीबी के दलदल में फंसे हैं और प्राकृतिक आपदा के समय अमानवीय परिस्थितियों में जी रहे हैं। वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवार वाले बच्चे अपनी दयनीय हालत के कारण यह काम कर रहे हैं। इसलिए, हम इसे कैसे समाप्त करेंगे? यह किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उनके विकास के लिए उचित शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा जैसी आवश्यक सुविधाएं तथा उचित मनोरंज सुविधा उपलब्ध कराए।

बाल शिक्षा के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं आपको अपने जिले का उदाहरण देना चाहूंगा। कालाहांडी जहां सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए बालिका समृद्धि योजना चलायी है जहां प्राथमिक स्तर पर आदिवासी हरिजन बच्चे को वजीफा दिया जाता है। जब बच्चा मिडिल स्कूल में चला जाता है तो उसकी वजीफा राशि बढ़ा दी जाती है। जब बच्चा 10वीं के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है तो उसे 1000 रुपये प्रतिमाह का वजीफा दिया जाता है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि केन्द्र से मेरे जिले के लिए आबंटन दो वर्षों से नहीं पहुंचा है। इस विषय में मैंने मंत्रालय को पत्र भी लिखा है और सम्बंधित अधिकारियों को भी पत्र लिखा है। इस योजना के अंतर्गत मेरे जिले में लगभग 18,000 बच्चों की पहचान की गई है लेकिन एक भी बच्चे को राशि नहीं मिली है। यह विभाग बच्चों की समस्या पर, निष्ठुरता से अमल कर रहा है क्योंकि ये बच्चे अपनी आवाज नहीं उठा सकते।

18 वर्ष के बाद ही उनको मतदान का अधिकार होगा। लेकिन इससे पूर्व ही उनको सरकार, अधिकारियों और कार्यपालक अधिकारियों से पूछने की आवश्यकता पड़ रही है। वे कहां जाएं और जाकर अपनी आवाज सुनाएं। इसलिए, यह विधेयक बहुत अच्छा है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

आज की तारीख में भी पहाड़ी क्षेत्रों में जहां समन्वित बाल विकास योजना नामक कार्यक्रम चल रहा है आप देखेंगे कि

[श्री विक्रम केशरीदेव]

जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश आंगनवाड़ी खाली पड़े हैं। यदि आप अनुसूचित जनजाति आयोग तथा स्थायी समिति के प्रतिवेदनों पर एक नजर डालें तो आप यही पायेंगे। जब सदस्य वहां का दौरा करते हैं तो वे पाते हैं कि अधिकांश आई.टी.डी.ए. प्रखंडों में समन्वित बाल विकास योजना के कार्यालय नहीं चल रहे हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति नहीं हुई है। समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत काम करने वाले लोग अपनी मानद वेतन पर सेवाएं दे रहे हैं उन्हें बहुत ही कम भुगतान किया जा रहा है। पिछली सरकार के समय में आंगनवाड़ी सेविकाओं और समन्वित बाल विकास योजना के कार्यकर्ताओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। उससे पूर्व उनका मानदेय मात्र 300 रुपये था। इसलिए मैं वित्त मंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन कार्यकर्त्ताओं को और अधिक राशि का भुगतान किया जाना चाहिए जो देश के दूर-दराज इलाकों में अवैतनिक सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

अब, मैं उड़ीसा सरकार को और मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे गांवों में, जहां 150 बच्चे हैं आंगनवाड़ी बनाने की नई योजना आरम्भ की है। पहले जिन गांवों में 500 अथवा 300 बच्चे हुआ करते थे, उनमें एक आंगनवाड़ी केन्द्र हुआ करता था लेकिन अब जनजाति आच्छादित क्षेत्र बच्चों की इस संख्या को घटा दिया गया है। अब 150 बच्चों की संख्या वाले गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र होगा ताकि उनपर अधिक ध्यान दिया जा सके। जनजातीय और अनुसूचित जातियों के बीच गरीबी के कारण स्कूल छोड़ने वालों की संख्या काफी अधिक है। श्री चन्द्रशेखर राव जी इससे भलीभांति परिचित हैं। वह तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक जनजाति बहुल और पर्वतीय क्षेत्र हैं और उसकी भी भौगोलिक स्थिति उड़ीसा की तरह ही है क्योंकि हमारा राज्य उसका पड़ोसी राज्य है।

इसलिए मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी अपने में जबाब इस बारे नें स्पष्ट बतायेंगे कि क्या भविष्य में वे कोई ऐसा बाल श्रम निवारण विधेयक लायेंगे जिससे फौरन बालक श्रम पूरी तरह से समाप्त हो जाये। हम तत्काल इसका उन्मूलन नहीं कर सकते, ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए क्योंकि देश भर में फैले दरी उद्योग जैसे अतिलघु ग्रामोद्योगों, मिर्जापुर के कालीन उद्योग एवं अन्य हस्तशिल्प उद्योग इन नन्हें नाजुक हाथों पर निर्भर हैं। इसको हल करना होगा। इसके लिए समय सारणी होनी चाहिए। उनकी पढ़ाई की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

आज मेरे जिले में लगभग 45 बालक श्रम स्कूल हैं। माननीय मंत्री ने शिक्षा पैकेज में वृद्धि की है और शिक्षा के लिए वजह राशि को बढ़ाना है। शिक्षा उपकर लगाया गया है। लेकिन मुझे खेद सहित कहना पड़ रहा है कि मेरे जिले के सभी बाल श्रम स्कूलों में छात्रों के सिर पर छत नहीं है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि उन बाल श्रम स्कूलों को बुनियादी सुविधायें प्रदान करें। उनमें कम से कम तीन कमरे बनाये जाने चाहिए।

इस अन्तर सत्र अवधि में मैंने एक पदयात्रा करके लगभग 150 गांवों का दौरा किया था और मैं इन बालक श्रम स्कूलों में भी गया था। यदि आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी कितनी दयनीय स्थिति है। बालक श्रम स्कूलों को बुनियादी सुविधायें स्कूल भवन-प्रदान करने के लिए आपको एक वृहद योजना बनानी चाहिए। आपके सिर्फ कागजों में लिखने से ही स्कूल नहीं खुल जायेगा। मैं यहां एक स्कूल खोलता हूं और कुछ बच्चे उसमें पढ़ने आ जाते हैं। उन्हें मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। लेकिन उड़ीसा में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने से वर्ष के छः महीनों तक वर्षा होती रहती है। तो उस समय बच्चे कहां जाएंगे और कैसे पढ़ेंगे? आज के बच्चे देश के भावी नागरिक हैं। आज हम संसद में हैं कल यही बच्चे बड़े होकर संसद के सदस्य बनेंगे। वे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनेंगे। अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी परिस्थियां और वातावरण तैयार करना चाहिए कि वे इस देश के स्वस्थ नागरिक बन सकें।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): माननीय सभापति, सुनने में बालक श्रम उत्सादन विधेयक का नाम बहुत अच्छा है। लेकिन कानून बनाकर अथवा उपचारात्मक कदम उठाकर बालक श्रम को समाप्त करना बहुत कठिन कार्य है। दिन-प्रतिदिन ये हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है। यह पूरे देश भर में जारी है। इन बच्चों के साथ इनके मालिकों का रवैया बहुत खराब व अत्यन्त क्रूर होता है। उन्हें लातों से मारा जाता है और हमें कई और तरह की बातें भी सुनने आये हैं। इन बच्चों को नियोजित करके हम इस देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं।

बालक श्रम उत्सादन विधि के बावजूद हम इसे अभी तक समाप्त नहीं कर सके हैं। यह अभी भी जारी है। कभी-कभी कुछ कार्यवाही की जाती है, पुलिस आती है कुछ गिरफ्तारियां की जाती हैं। लेकिन वास्तव में इसमें वृद्धि हो रही है। हमें इस समस्या के वास्तविक कारण का पता लगाना होगा। सबसे पहले तो एक कारण गरीबी है। गरीबी हमारे देश के लिए अभिशाप हैं। उन्हें कुछ आजीविका प्रदान किए बिना हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। यद्यपि उनके माता-पिता काम कर रहे हैं फिर भी

उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है इसीलिए उनके बच्चों को काम करना पड़ता है। इस प्रकार गरीबी ही इस समस्या का मुख्य कारण हैं।

एक अन्य कारण बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या को हमारे देश में हल भी किया जा सकता है इस सामाजिक पहलू पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। तभी इस देश से इस बालक श्रम की समस्या को जड़ से समाप्त किया जाएगा। केवल कानून बनाकर अथवा कानूनी उपबन्ध कार्यान्वित करके हम इस समस्या को किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकते हैं। अतः मेरा इस सम्माननीय सभा से विनम्र अनुरोध है कि हमें एकजुट होकर कार्य करना होगा और गरीबी को समाप्त करने का और बेरोजगारी की समस्या को हल करने का तरीका निकालना होगा।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बाल श्रम, जो एक राष्ट्रीय समस्या है, पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बाल श्रम राष्ट्रीय समस्या ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी है। यह भारत की एक गंभीर समस्या है। इसकी तह में जाने के लिए हमें इस सदन में गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। यह जो समस्या पैदा हुई है, आजादी के इन 57 वर्षों में, जिस मंशा से इस देश को आजाद कराने वालों ने आजाद कराया था, संविधान में जो व्यवस्था है, जो मौलिक अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएं मिलें, उनको अगर पूरा किया होता, उनके प्रति हमारी सरकारें गंभीर होती, तो निश्चित तौर पर बाल श्रम की समस्या आज हमारे सामने जो सुरसा की तरह मुंह बाये खड़ी है, उस पर इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि बाल श्रम गरीबी से जुड़ी समस्या है। आज 57 साल के बाद भी गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है।

मैं सदन में एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन और समग्र विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं, यहां पर फाइनेंस मिनस्टर, श्रम मंत्री और अन्य माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। अगर जो हमारी योजनाएं हैं, जिन पर भारत सरकार पैसा आबंटित करती है, अगर इस बारे में गंभीरता से चिंतन किया गया होता तो वे राज्य सरकारें उस पैसे का कितना प्रतिशत जमीन पर पहुंचाने का काम कर रही हैं, अगर इस समस्या पर गंभीरता से चिंतन किया गया होता तो शायद आज यह बाल श्रम की समस्या हमारे सामने नहीं होती और यह देश दूसरे देशों के मुकाबले आज काफी आगे बढ़ गया होता। लेकिन इस पर कोई चिंतन नहीं किया जाता। इस पर कोई बहस नहीं की जाती। बार-बार हमारे माननीय सदस्य इस सदन के सामने गुहार करते रहते हैं। अगर भारत सरकार द्वारा पैसा राज्यों को दिया जा रहा है और गरीबी उन्मूलन के लिए पैसा दिया जा रहा है या फिर 'काम के बदले अनाज' योजना में पैसा दिया जा रहा है, समग्र विकास की जो योजनाएं चल रही हैं, इनमें इस सदन के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जानी चाहिए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो विभिन्न योजनाएं पूरे देश में जारी हैं जिनमें भारत सरकार का पैसा दिया जा रहा है, उनमें से अगर कोई कारगर योजना है तो वह सांसद निधि योजना है जो सांसद की देखरेख में बड़े पैमाने पर हमें कारगर नजर आती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राजा राम पाल, कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए आवंटित किया गया समय समाप्त हो गया है। यदि सभा सहमत हो तो इस विधेयक पर चर्चा के लिए समय को एक घंटा बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: मैं समझता हूं कि सदन समय बढ़ाने के लिए सहमत है और इसलिए इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: सभापति महोदय, मैं आपके सामने एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर यह सदन वास्तव में बाल श्रमिकों के प्रति, इस देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रति वास्तव में संवेदनशील है तो उसे एक ठोस कार्य योजना बनानी पड़ेगी। आज हमें उन कारणों में जाना पड़ेगा तथा गरीबी मिटाने के लिए हमें सार्थक प्रयास करने होंगे जिसके कारण ये बाल श्रमिक पैदा होते हैं। जो बाल श्रमिक अगर हम देखें तो पाते हैं कि सबसे ज्यादा बाल श्रमिक हमारे दलित समाज, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, पिछड़े-वर्ग और उससे भी बड़ी संख्या में आज पूरे देश में हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा नजर आती है।

भारत सरकार द्वारा बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए जो एन.जो.ओज हैं, मैं माननीय श्रम मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे एन.जी.ओज केवल कागजों में चलते हैं। बाल श्रमिकों के हित के लिए उनका पांच प्रतिशत भी धन खर्च नहीं किया जाता।

[श्री राजाराम पाल]

जो सर्व शिक्षा अभियान है, अगर उसे वास्तव में ठीक रूप से लागू किया जाता तो हमारे देश का बहुत अधिक कल्याण हो सकता था। हमारे देश का 60-65 वर्ष का बुजुर्ग अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजता कि सरकारी स्कूलों में मास्टर बच्चों को शिक्षा देने का काम नहीं कर रहे हैं। आज उन विद्यालयों से हाईस्कूल पास बच्चे कहीं रोजगार पाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए 60-65 साल का बुजुर्ग समझता है कि स्कूल भेजने से अच्छा है क्योंकि जब इसे मजदूरी ही करनी है तो इसे कारखानों में, छोटी-मोटी दुकानों में और घरों में काम में लगाया जाए ताकि पेट की भूख शांत हो सके। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमारी इच्छा-शक्ति काफी मजबूत होनी चाहिए और गरीबों के प्रति अगर वास्तव में सदन और सरकार चिंतित है तो इसके लिए ठोस कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।

अपराह्न 5.00 बजे

अगर ऐसा ठोस कार्यक्रम आप बनाएंगे तो निश्चित तौर पर यह बाल श्रमिक समस्या ही खत्म नहीं होगी, निश्चित तौर पर भारत आने वाले समय में दूसरे देशों के मुकाबले में काफी आगे निकल जाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाल श्रम और गरीबी की समस्या के बारे में तथा शिक्षा के गिरते स्तर पर विशेष ध्यान देने का काम करेंगे ताकि वे बच्चे जो आने वाले भारत का भविष्य हैं, जिनके कन्धों पर आने वाले भारत का भविष्य निर्भर करेगा, इस देश की मुख्यधारा में आगे आ सकें।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): सभापति महोदय, आज इस संवेदनशील मुद्दे पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बालक श्रम उत्सादन विधेयक 2005 निसन्देह प्रशंसनीय विधेयक है। लेकिन कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जिसने इस देश का भ्रमण किया है उसके लिए इस विधेयक को समर्थन देना असम्भ है। यह एक ऐसा विधेयक है जिसका भारत की इस वर्ष 2005 की वास्तविक स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इस सम्माननीय सभा की तरह कई राज्य विधान मण्डलों ने सत्र में आप किसी का नाम भी ले सकते हैं कई अनगिनत विधेयक, संशोधन अधिनियम और विधियां पारित की हैं। वे बस यही कर सकते हैं। लेकिन हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि जो संशोधन हम यहां देखना भूल जाते हैं अथवा हम इन छोटे शब्दों "और/अथवा" में अन्तर तक नहीं समझ सकते कि मूल स्तर पर जब इन्हें कार्यान्वित किया जाता है तो ये शब्द क्या अन्तर लाते हैं। हममें से अधिकतर लोगों का इस पर ध्यान भी नहीं गया होता है। अतः इस सम्माननीय सभा में बैठकर कानून पारित करना बहुत आसान है और जब ये निम्न स्तर पर लागू होने जाते हैं तो यह तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किए जाते हैं और उसी विकृत रूप में ही लागू कर दिए जाते हैं।

हम सभी यहां बैठे लोगों के दिल निर्मल हैं और यह स्पष्ट है कि हम सभी जो समझते हैं अथवा इस देश के सभी कानून बनाने वाले व्यक्ति चाहते हैं कि इस देश का भविष्य हमारे बच्चे खुश, बिल्कुल स्वस्थ और शिक्षित बच्चों के रूप में पनपें। हम चाहते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी पृथ्वी की सबसे बेहतर पीढ़ी के समान हो। लेकिन हमारे देश की आर्थिक स्थिति उन्हें काम करने के लिए मजबूर करती है।

यह कानून, जैसाकि सामान्यतः समझा जाता है 6 से 14 वर्ष के आयु समूह पर लागू होना चाहिए लेकिन बच्चे को काम करना पड़ेगा। उनके माता-पिता उन्हें काम करने के लिए मजबूर करेंगे क्योंकि वे कम पढ़े-लिखे हैं और गरीब हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह समय उपयुक्त है जब हम सभी यहां बैठे सदस्य बालक श्रम जैसी समस्याओं पर विश्वव्यापी (सर्वव्यापी) दृष्टिकोण अपनाएं। आप इसे अलग नहीं कर सकते, कि बालक श्रम समस्या को अलग से हल किया जाए। यह संभव नहीं है। आपको अन्य समस्याओं की तरह इस समस्या का हल सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपना कर निकालना होगा।

यदि परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो यह मेरा निश्चित मत है कि कोई अभिभावक यह नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा खेतों में या किसी गंदी सी फैक्ट्री में या किसी ढाबे में या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाकर काम करे। लेकिन बड़े पैमाने पर व्याप्त निर्धनता और पेट में भूख की आग ने बच्चों को काम करने के लिए मजबूर कर दिया है।

स्थिति ऐसी हो गई है कि या तो वे काम करें या फिर भूखों मरे। लेकिन आज की स्थिति में उनके पास तीसरा विकल्प भी मौजूद है। हमें उस विकल्प को भी ध्यान में रखना होगा। हमें यहां बैठकर संवेदन शून्य नहीं हो जाना चाहिए और उनकी समस्याओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तीसरा विकल्प है बाल वेश्यावृत्ति का और विश्वभर में बड़ी संख्या में लोग बाल व्यभिचार में रत हैं। इंटरनेट के माध्यम से तथा संचार के आधुनिक साधनों की सहज

उपलब्धता के कारण बाल व्यभिचार एक ऐसी हकीकत बन गया है जिस पर बाल श्रम के उत्सादन जैसी समस्याओं पर विचार करते समय ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

विश्व व्यापार संगठन ने बाल श्रम को प्रतिबंधित किये जाने के लिए सुझाव भी दिया है और उसे लागू भी किया है। संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत तथा कई दूसरे देशों से वहां के उत्पादों के आयात पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उनका मानना है कि उन उत्पादों में बाल श्रम का उपयोग हुआ है। लेकिन उन्होंने यह सब इसलिए किया है क्योंकि वे हमारी समस्याओं से भलीभांति अवगत नहीं हैं। यदि इस सभा में विराजमान होकर हम भी भारत की समस्याओं को नहीं समझ पाते तो मेरा निश्चित रूप से यह मानना है कि हम इस देश को एक गलत दिशा में ले जायेंगे।

मान लीजिए, हम यह कानून पारित कर देते हैं और निचले स्तर पर थाने में जाकर पुलिस अधिकारी या प्रवर्तन एजेंसी इस बारे में ध्यान नहीं देते कि बाल श्रमिकों के साथ क्या गुजरती है, अपितु वे महीने की ऊपरी कमाई के बारे में ही ध्यान केन्द्रित रखते हैं क्योंकि उन्हें यह कमाई एस.पी., डी.आई.जी., आई.जी., डी.जी. तथा और आगे तक पहुंचानी होती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कि बाल श्रम पर रोक लगाने अथवा बच्चों को कम करने से रोकने के बजाय प्रवर्तन एजेंसी, मुख्यतया पुलिस आपके छोटे-छोटे ढाबे वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, कलीन-गलीचा बनाने वालों को परेशान करने लगेगी, क्योंकि इन जगहों पर बच्चों को काम करने, अपनी रोजी-रोटी कमाने, अपने परिवार का भरण-पोषण करने के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

ऐसे बहुत सारे गैर-सरकारी संगठन हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने कई बच्चों को बाल श्रम से बचाया है और वे इसके आंकड़े भी पेश करते हैं, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि उन्होंने बचाये गये उन बच्चों के जीवन-यापन के क्या प्रबन्ध किये हैं। इसलिए हमारा मानना है कि यह एक आर्थिक समस्या है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाये बिना मैं कहना चाहता हूं कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तर भारत के दूसरे बीमार राज्यों जिनका दूसरा नाम गौ-पट्टी राज्य है...*(व्यवधान)* क्या आपको ठेस पहुंची है? मैं इसके लिए खेद है।

श्री सन्दीप दीक्षित: उड़ीसा भी इसमें शामिल है...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: निश्चय ही, उड़ीसा इन सभी बातों में शामिल है। शिशु मृत्यु दर में तो उड़ीसा प्रमुख राज्यों में से एक है। मुझे यह स्वीकार करने में कोई लज्जा नहीं है कि इन राज्यों के समूह में उड़ीसा भी शामिल है और ये राज्य मिलकर इस देश का एक बहुत बड़ा भूभाग बनते हैं। जहां दक्षिण भारत शिक्षा के कारण काफी विभुसित हो गया है जबकि उत्तर भारत के प्रमुखतः हिन्दी भाषी क्षेत्र शिक्षा की कमी तथा जागरुकता के अभाव में काफी पिछड़ गये हैं।

इसलिए, इस समस्या से निपटने के लिए मेरी समझ से तीन बातें बहुत जरूरी हैं। पहले तो हमें इस बारे में व्यापक रूप से विचार करना होगा और उसके बाद जनसंख्या को बढ़ने से रोकना होगा। इसके लिए जन जागरुकता जरूरी है और मेरी समझ से यही इस समस्या का निदान है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार तथा प्रवर्तन एजेंसियां कुछ सकारात्कम कदम उठायें और वे अपनी मासिक कमाई 'बतीस' या आप इसे चाहें जो भी कहें - में न लगी रहें। वे इस बारे में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि जहां कहीं भी कोई बच्चा काम कर रहा हो वहां उसे वयस्कों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाये। अतः, यदि आप इसे प्रवर्तन एजेंसियों, पुलिस, श्रम संगठनों और श्रम विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करते हैं कि हम बच्चों को काम करने से नहीं रोकेंगे, हम नियोजनकर्त्ताओं को दंडित नहीं करेंगे क्योंकि वे उस बच्चे को रोजगार दे रहे हैं, अपितु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बच्चों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी दी जाये तो शायद हमारा दृष्टिकोण ज्यादा संतुलित रहेगा और तब हम शायद इस बारे कुछ न्याय कर पायेंगे। जब तक हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता तब तक शायद ऐसा करना ही हितकर होगा। सभा में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर बहुत ही बुद्धिमान लोग बैठे हैं मैं समझता हूं वे इस बात को समझेंगे। मैं आशा करता हूं कि सर्व-शक्तिमान ईश्वर इस देश पर अपनी विशेष कृपा रखेगा।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं श्री इकबाल अहमद सरडगी द्वारा 13 मई, 2005 को पेश किये गये बालक श्रम उत्सादन विधेयक, 2005 पर विचार करने हेतु चर्चा में भाग लेने तथा इस मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वर्ष 2001 की जनगणना से इस बात का पता चलता है कि हमारे देश में बाल श्रम कितने बड़े पैमाने पर व्याप्त है। संभवतः हमारे यहां विश्व में सबसे अधिक बाल श्रमिक हैं। आधिकारिक रिपोर्ट में शायद बाल श्रमिकों की संख्या कम दी गई है, लेकिन मेरी समझ से बाल श्रमिकों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है।

[डा. टोकचोम मैन्या]

हमारे कई विद्वान साथियों ने इस बात की ओर इंगित किया है कि बाल श्रम के क्या-क्या कारण हो सकते हैं लेकिन इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे यहां सस्ती मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे उपलब्ध हैं। देश में इस समस्या का एक मूलभूत कारण यही है और इस सबकी जड़ में है - गरीबी। इसलिए मैं अपने मित्रों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से पूरी तरह सहमत हूं।

इस बारे में मैं अपने अनुभवों का उल्लेख करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि मैं मणिपुर का रहने वाला हूं जो कि चारों ओर पहाड़ियों से घिरा राज्य है। इन पहाड़ियों पर बहुत ही विरल आबादी है। राज्य का 90 प्रतिशत भूभाग पहाड़ियों से आच्छादित है और 10 प्रतिशत भूभाग घाटी में है, लेकिन आबादी के मामले में स्थिति एकदम उलट है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 90 प्रतिशत आबादी घाटी में निवास करती है जबकि 10 प्रतिशत लोग पहाड़ियों पर रहते हैं।

अपने बचपन में मैंने बाल श्रम की समस्या कभी नहीं देखी। हम सदैव अपने माता-पिता के साथ खेतों को जोतने, उनमें बुवाई करने या फसल काटने के लिए जाया करते थे। लेकिन इसे उस बाल श्रम की संज्ञा नहीं दी जा सकती जिस पर हम आज यहां चर्चा कर रहे हैं।

हमने फिल्मों में देखा है और हमने कई महानगरों में व्यक्तिगत रूप से भी यह देखा है कि बड़े-बड़े माफिया बच्चों को काम पर रखते हैं। हमने यह तक देखा है कि किस तरह बच्चों की आंखें फोड़ दी जाती हैं या उनकी टांगें काट दी जाती हैं और उनसे भीख मंगवाई जाती है। ये माफिया इनसे धन कमाते हैं और इन बच्चों के सभी मूल अधिकारों की घोर अवमानना करते हैं। हम इस प्रकार जान पाये हैं कि शायद देश में वास्तव में बाल श्रम की समस्या विद्यमान है।

अपराह्न 5.14 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

कई बच्चे बतौर घरेलू नौकर काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इस माननीय सभा के समक्ष विनम्रतापूर्ण कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अधिकतर संभ्रांत कहे जाने वाले लोग अपने घरों में घरेलू कामों के लिए 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को काम पर रखते हैं। मुझे यहां इस बात को कहते हुए बहुत दु:ख हो रहा है। यदि हम अपने देश में बाल श्रम के इस संकट का समाधान चाहते हैं तो हमें अपनी सोच स्पष्ट रखनी होगी।

मूलरूप से हम दो मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। पहले इस बात का उल्लेख किया गया कि बच्चों और उनके अभिभावकों को उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके साथ यह भी कहा गया कि हमें उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का ख्याल रखना है। यदि हम इन दोनों मामलों अर्थात् बच्चों को शिक्षित करने और उनके स्वास्थ्य की देखरेख करने की ओर ध्यान देते हैं तो हम इस बाल श्रम के संकट से मुक्ति पा सकते हैं।

लेकिन फिर, इस अधिनियम की क्या आवश्यकता है। यह इसलिए, क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से हमारे मित्र ने देश में व्याप्त इस वास्तविक समस्या को उजागर करने के नेक इरादे के कारण इस विधेयक को पेश किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। तथापि, इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समय हम ऐसी स्थिति में हैं जहां इस तरह की समस्या का समाधान अधिनियम बनाकर करना, जल्दबाजी कही जायेगी। यदि हम इसे स्पष्ट ढंग से कहें तो हमें इस समस्या का व्यावहारिक समाधान ढूंढने के लिए साथ मिल कर प्रयास करने होंगे। इस बार जब मैं संसद में चुनकर आया तो यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मानव संसाधन विकास सम्बंधी समिति का सदस्य चुना गया। उस समिति में एक विभाग है जिसका नाम है महिला और बाल कल्याण विभाग। हमने महिलाओं और बच्चे के लिए बजट बनाने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की। विभिन्न समस्याओं के निपटान के लिए भारत सरकार के पास एक राष्ट्रिय बाल आयोग बनाने की योजना है। यहां पर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखना चाहूंगा। प्रस्तुत किए गए विभिन्न विचारों में से एक जैसा कि आप जानते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में हाल के संशोधन में सभी बच्चों के लिए छ: साल की आयु पूरी करने तक बालावस्था और उनकी शिक्षा की देखभाल का उपबंध किया गया है। इसे आई.सी.डी.सी. में सम्मिलित किया गया है जिसमें छ: साल की उम्र प्राप्त करने के बाद, जब बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और शिक्षा क्या है इसके सम्बंध में प्रारंभिक विचारों को ग्रहण कर सकता हो। उन्हें प्रस्तावित सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। 6 से 14 साल के बच्चों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इस प्रकार बच्चों को शायद उनको जीवन सम्बंधी बातों में इस प्रकार व्यस्त किया जा सकेगा कि उनके पास अन्य चीजों की ओर जाने का समय ही नहीं रह जायेगा। उनके माता-पिता भी इस बात से बहुत खुश होंगे कि उन्हें भोजन मिलेगा और उन्हें आश्रय, वस्त्र, नि:शुल्क पुस्तकें और सब कुछ दिया जाएगा। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत हम बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने जा रहे हैं। एक बार यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं।

तथापि, मेरे राज्य जैसे राज्य में - आप लोगों के समक्ष यद्यपि ऐसा करने में मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं - इस तथ्य के बावजूद भी कि यह कुछ वर्ष पूर्व शुरू की गई थी। सर्वशिक्षा अभियान शुरू नहीं हुई है लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है क्योंकि इस बार हम सभी से शिक्षा उपकर वसूल कर रहे हैं और इन प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास काफी पैसा होगा। इसलिए, हमें उम्मीद है कि अब हम लोग इसे शुरू करेंगे। शायद हम देश के अन्य हिस्सों की हम बराबरी कर पायेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तारीख में मणिपुर में साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम नहीं है। इसलिए, यह हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। हमारे मामले में, मैं यह बताने का प्रयास कर रहा था। एक बार माता-पिता और बच्चे की उचित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के प्रति माता-पिता की अज्ञानता को दूर कर दिया गया तो इसे बाल श्रम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। यह उन बातों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिसे हमें करना चाहिए।

इसके लिए हमें एक समग्र प्रयास, व्यापक, रणनीतिक और क्षेत्र विशेष के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा देश एक विशाल देश है, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग-अलग समस्याएं हैं। इसलिए, यह क्षेत्र विशेष से जुड़ा होना चाहिए। प्रयास व्यापक होना चाहिए, समेकित और समग्र रूप में होना चाहिए। संभवतः तभी हम इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे।

इस सभा में विधेयक लाने के लिए हम अपने मित्र को धन्यवाद देते हैं जो यह दर्शाता है कि हम सभी इस समस्या के प्रति सजग हैं और यह सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा अवसर दे सकें ताकि वे अपनों के बीच तथा शेष विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में टिक सके।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुख्य प्रश्न वर्तमान अधिनियम - बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, में संशोधन का है। इस देश में पहले से ही एक कानून मौजूद है जो बाल श्रम को विनियमित करता है। वर्तमान अधिनियम में, एक अंतर्निहित; एक कमी और अभाव विद्यमान है। मैं उस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। और सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। प्रश्न यह है कि बच्चों को काम करने पर निषेध नहीं है लेकिन खतरनाक काम करने पर निषेध है। केवल कठिन श्रम के मामले में ही यह निषेध है, अन्य क्षेत्रों में ऐसा निषेध नहीं है, अन्य क्षेत्रों में बच्चों को काम करने की अनुमति है और वे कर भी रहे हैं।

जब उनकी उम्र के बच्चे विद्यालय जाते हैं तब ये गरीब बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं; होटलों में रेस्तरां आदि में कठिन श्रम कर रहे होते हैं। वे एक आपत्तिजनक स्थिति में काम कर रहे हैं। यह स्थिति है देश के संविधान में 86वें संशोधन में 'शिक्षा' को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया जा चुका है। सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार है। शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। यहां एक ऐसा उदाहरण है जिसमें बच्चों को गरीबी के और खराब आर्थिक हालत के कारण विद्यालय नहीं भेजा जाता है। उन्हें किसी रेस्तरां या सैलून या ब्यूटी पार्लर में काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है जिन्हें होटल की श्रेणी में नहीं रखा जाता।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह एक त्रासदी है और यह स्पष्ट रूप से भेदभाव का मामला है जब कि कानून है कि संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार शिक्षा मौलिक अधिकार है इन बच्चों को उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्हें इस अधिकार का उपभोग नहीं करने दिया जा रहा है। देश में यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं माननीय मंत्री से वर्तमान कानून में संशोधन करने का अनुरोध करता हूं। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 केवल आंशिक रूप में ही है और यह पूरी तरह निषेध लागू नहीं करता। यह कानून इस मायने में दोषपूर्ण है कि इसमें निषेध तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन यह निषेध मात्र तथाकथित कठिन श्रम के लिए ही है। यह निषेध केवल आंशिक है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि इसे पूर्ण रूप में बनाना चाहिए। पूर्ण इस अर्थ में 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को अवश्य विद्यालय भेजा जाए। उन्हें विद्यालय जाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। संविधान के 86वें संशोधन के तहत है यह मौलिक अधिकार है। यह स्पष्ट है कि ये वही बच्चे हैं जो काम करने जा रहे हैं जिन्हें खतरनाक काम करने की अनुमति नहीं है। वर्तमान बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत उन्हें उस अवसर से वंचित किया जाता है।

इसलिए इस मामले में मेरा नम्र निवेदन है कि इस बात के लिए सरकार एक बहुत ही निश्चित फैसला ले कि 1986 के अधिनियम का संशोधन किया जाए जिसमें, सभी प्रकार के बाल श्रम का निषेध हो, चाहे वह ब्यूटी पार्लर में हो या रेस्तरां या कोई होटल या कोई अन्य स्थान हो। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होटल, रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर आदि में काम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। कानून अवश्य बदला जाना चाहिए। अन्यथा, कानून के समक्ष बराबरी की बात नहीं की जा सकती। हम वास्तव में गरीब बच्चों को नागरिक अधिकार देने

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

से इनकार कर रहे हैं। कानून बिल्कुल स्पष्ट है और यह मामले में भेदभावपूर्ण है कि इसमें केवल कुछ मामलों में ही निषेध किया गया।

अब 21वीं शताब्दी में आंशिक रूप में निषेध पर्याप्त नहीं है। कठिन श्रम का निषेध है, खतरनाक कामों का निषेध है। लेकिन, अन्य प्रकार के कार्यों का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें सारी मानवीय गतिविधियां सम्मिलित हैं। इसलिए, ऐसे बच्चे खतरनाक कामों में लगे हुए हैं। जब हम सड़क से गुजरते हैं, हम कुछ बच्चों को काम करते हुए देख सकते हैं। कागज इकट्ठे करते, कोई काम करते कुछ पैसे कमाते दिख जायेंगे। उनके माता-पिता उन्हें गरीबी के कारण ऐसे कामों के लिए भेज देते हैं।

हमारा देश एक विशाल देश है। मेरा दावा है और हम दंभ भी भरते हैं कि हमारे देश ने शतप्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली है। हम साक्षरता कैसे प्राप्त कर सकते हैं जबकि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या भयावह रूप से बढ़ रही है? इसलिए, मजबूरी के कारण बच्चे पहली या दूसरी कक्षा तक ही पढ़ पाते हैं। तत्पश्चात्, वे विद्यालय छोड़ देते हैं और श्रम करने निकल पड़ते हैं। अधिकांश बच्चे दसवीं तक नहीं पहुंच पाते या पांचवीं तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। देश में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं। जहां तक आंशिक निषेध की बात है इसे पूर्ण निषेध में बदला जाना चाहिए। हमारे देश में हमें राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी पर गर्व करते हैं। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश के सभी बच्चे विद्यालय जाएं। हमारे यहां रोजगार गारंटी योजना लागू है। हम इस बात के लिए कदम उठा रहे हैं कि प्रत्येक को रोजगार मिले, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो। यही हमारा लक्ष्य है। हमारा कोई लक्ष्य होना चाहिए कि सभी बच्चे बिना भेदभाव के विद्यालय जाएं चाहे वे गरीबी रेखा से ऊपर हो या अन्यथा हो। चाहे जो भी आर्थिक स्थिति हो राज्य को इसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सभी बच्चे विद्यालय जाएं।

बाल श्रम अधिनियम, 1986 में संशोधन किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री जी एक अच्छे समझ वाले व्यक्ति हैं, बच्चों के बारे में चिन्ता करते हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि उन्हें 1986 के अधिनियम में संशोधन के लिए कदम उठाना चाहिए ताकि हमारे देश में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को विद्यालय जाने का मौका मिले। हमारे देश में बाल श्रम पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। यही समय की मांग है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे और बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में अवश्य संशोधन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन भी चल रहा है। मैं बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन का समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : सभापति महोदय, मैं बालक श्रम उत्सादन विधेयक का समर्थन करता हूं।

> "कि देश में बालक श्रम का उत्सादन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

बच्चे भगवान का रूप हैं। बच्चे ईश्वर के बगीचे में खिलने वाले फूलों के समान हैं। फूल की सभी पंखुड़ियां बराबर होती हैं। हर पंखुड़ी की कीमत समान होती है। यह कहा जाता है:

पुनर्‌अपि जननम्, पुनर्‌अपि मरणम्

पुनरपि जननी, जठरे शयंनम्।

हम बच्चे के रूप में पैदा होते हैं और बच्चे के रूप में ही मरते हैं। बच्चे और वृद्ध एक हैं।

वृद्ध भी बच्चे के समान होते हैं। हिंदू स्तुति के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा पुन: मां की कोख में चली जाती है। इसलिए सभी बच्चे ईश्वर का ही रूप हैं। लेकिन अब हम लोग उन्हें दंडित कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम ईश्वर को दंडित कर रहे हैं। बच्चे परिश्रम कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि ईश्वर परिश्रम कर रहा है। हम कसाई है हम ईश्वर की हत्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भीतर अनन्त संश्लेष घटित होता है। हम उस शाश्वत शक्ति को पहचानने की विद्या को भी नहीं जानते हैं जो बच्चों के अन्दर गुप्त रूप से छुपी हुई कदाचित क्षमता को प्रकट करती है। इसलिए बाल श्रम अपराध है।

सभापति महोदय, कालाहांडी से निर्वाचित माननीय सदस्य श्री बी.के. देव और ढेंकानाल से निर्वाचित माननीय सदस्य श्री तथागत सत्पथी ने वाद-विवाद में भाग लेते हुए कालाहांडी में घटित हो रही उस सच्चाई को उद्धृत किया था। वह सत्य साधारण, प्राकृतिक और सहज है। कालाहांडी में क्या हो रहा है? हमने देखा कि एक मां मात्र 5 रु. के लिए अपने बच्चे को बेच रही है जबकि वहां प्याज की कीमत 30 रु. प्रति किलो है। आप विशेषकर कालाहांडी में बच्चों का महत्त्व देखिए।

महोदय, हमारा राज्य पहले प्रचंड चक्रवात से प्रभावित हुआ था तब बहुत अधिक बाढ़ आई थी और अब हम सूखे की स्थिति से पीड़ित है। इन सभी ने हमें विकट गरीबी की ओर धकेल दिया है। प्रचण्ड चक्रवात में, अनेक माता-पिता मर गए पूरी तरह नष्ट

हो गए समुद्र उन्हें निघल गया उन अनाथ हुए बच्चों का क्या होगा?

मैं अपने मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक का आभारी हूं जिन्होंने सभी प्रभावित लोगों को सिर छुपाने के लिए घर बनाने के लिए अधिकतम सहायता प्रदान की। यहां मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार वह बुजुर्गों के लिए रैन-बसैरा, वृद्ध आश्रम और होलिडे होम्स विकसित कर रही है उसी प्रकार से गरीब बच्चों के लिए भी प्रबन्ध करने चाहिए। जहां कहीं अनाथ आश्रम है कुछ धर्मार्थ संस्थाएं उनका प्रबन्ध कर रही है। लेकिन उनका संचालन ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है। सरकार को देखना चाहिए कि इन अनाथ आश्रमों को ठीक से चलाया जाए। उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

महोदय, गरीब बच्चों की शिक्षा का क्या होता है? धनवान लोगों के पास भारी सम्पत्ति का संचयन होता है वे अपने बच्चों को विदेशों में दून स्कूलों में और अन्य अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में शिक्षा के लिए भेज रहे हैं। वहां पर अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों का भरपूर विकास हुआ है। लेकिन गरीब बच्चों अनाथ बच्चों और अन्य ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों की देखभाल कौन करता है? वह तो ग्रामीण महाविपत्ति है। हम सभी जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े, आदिवासी और गरीब बच्चों की दशा क्या है। बच्चे भूखमरी के शिकार हैं विशेष रूप से मेरे राज्य में।

सभापति महोदय, यह मानवता का प्रश्न है। आप इसे अधिक बेहतर जानते हैं। आप देख सकते हैं मेरे क्षेत्र के 12 से 20 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे **"ऐलिफेंट लेग"** (फीलपांव) बीमारी, जो कि फाइलेरिया नाम से जाना जाता है, से पीड़ित है। इस बीमारी के कारण उनकी शादी नहीं हो सकती है। पूरे विश्व में कहीं पर भी आपको इस प्रकार से बच्चों को पीड़ित नहीं दिखाई देंगे। फिलेरिया और बुखार से कपकपाते 50 लाख से अधिक लोग रात में सो भी नहीं सकते हैं।

इसके पश्चात् उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चिल्का नामक स्थान है जहां बच्चों को दूध तक नहीं मिलता है। उन्हें नाश्ता तक नहीं मिलता है। यह मेरे राज्य में हो रहा है पर अनियन्त्रित है।

महोदय, आज आप कहीं भी जाते हैं तो आप गरीब बच्चों को भीख मांगते हुए पाते हैं। यदि आप एयरपोर्ट की तरफ मोटरगाड़ी से जाते हैं तो लालबत्ती के चौराहों पर आप गरीब बच्चों को भीख मांगते हुए देख सकते हैं जो पैसे मांग रहे हैं। गरीब बच्चे सड़कों पर, लालबत्ती पर, रेलवे स्टेशन पर और चलती हुई गाड़ियों में भी भीख मांग रहे होते हैं। गरीब बच्चों की यह दुःखद स्थिति है।

मैं जानता हूं कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून है। लेकिन ऐसा लगता है कि हम इन कानूनों को प्रख्यापित करने के तरीके नहीं जानते हैं हमें नहीं पता कि उनकी रक्षा किस प्रकार की जाए। उनकी रक्षा करना आवश्यक मांग है। इस कानून को सही मायने में कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ताकि सभी ऐसे बच्चों को भरपेट भोजन, उचित देखभाल, पूर्ण संरक्षण और समुचित शिक्षा मिल सके। सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि बाल श्रम को हर हालत में समाप्त किया जा सके। हमें अपने देश भारत जोकि आधुनिक प्रजातंत्र का मन्दिर है के इस सम्माननीय सदन में अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक इन सभी चीजों पर चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम (जामनगर): माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरी सीट पिल्लर के पीछे है, इसलिए मैं आपसे यहां से बोलने की अनुमति चाहता हूं। हमारे साथी श्री इकबाल अहमद जी जो बिल लाए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं और उसी के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बाल मजदूर और बाल श्रमिकों के बारे में बताया है, लेकिन मैं हटकर बोलना चाहता हूं। शायद मेरे विचार से कोई सहमत न हो या कोई सहमत हो भी सकता है। यह जो समस्या है सिर्फ गरीबी से संबंधित नहीं है। गरीबी तो इसका एक कारण है ही, लेकिन साथ में फैमिली प्लानिंग से भी यह समस्या जुड़ी है। हम लोग मानते हैं कि जो गरीब लोग हैं, वही बाल मजदूरी करते हैं। पैसे वालों के बच्चे तो सिर्फ पढ़ते हैं और उन्हें मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। इस समस्या को खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के साथ दूसरे विभागों की भी जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग और फैमिली प्लानिंग विभाग जब समाज में जागृति लाने का काम करेंगे, तभी इस समस्या का हल हो सकता है। मेरे दोस्त श्री संदीप दीक्षित जी ने सही बताया कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वे सभी बाल मजदूर हैं। क्योंकि जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनके पास पैसे की कमी है। जिनके पास पैसे की सहूलियत होती है, वे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आंकड़े भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। बाल मजदूर दो प्रकार के हैं। एक तरह के वे मजदूर हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो सुबह काम पर जाते हैं और शाम को लौट आते हैं। दूसरे जो बंधुआ मजदूरी करते हैं, जिन्हें एक साल तक किसी कारखाने वाले के पास, किसान के पास गिरवी रख देते हैं और एक साल तक बच्चा घर नहीं जा पाता है। मां-बाप पहले ही पैसा ले लेते हैं और बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। मैं कहना चाहता हूं कि बाल मजदूरी कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए और जो लोग बच्चों को काम पर रखते हैं, ऐसे लोगों को और बच्चों के मां-बाप को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

[श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम]

कुछ लोग गरीब परिवार से नहीं हैं और उनके पास सुख-सुविधाएं भी हैं लेकिन अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं और बच्चा जब पैसा कमा कर लाता है, तब उस पैसे से शराब और मौज-मस्ती करते हैं। यह समस्या अलग-अलग विभागों से जुड़ी हुई है और उससे समाज की जागरूकता भी जुड़ी है। मेरे साथी श्री रामजीलाल सुमन ने बताया कि हम कुछ लोगों को दया करके काम देने से देश के भविष्य को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। किसी भी कानून को अगर सख्ती से अमल में लाया जाता है तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वह कुछ समय के लिए होती है। हमें वह तकलीफ देश के हित के लिए झेलनी चाहिए। जो बच्चे कैमिकल की फैक्ट्री में, बीड़ी बनाने के कारखानों में या अन्य ऐसी जगहों पर काम करने जाते हैं, इससे उनको बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। जब हमारे देश के बच्चे छोटी सी उम्र में बीमार होंगे तो उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता है। अगर उनका बचपन ऐसा होगा तो जवानी कैसी होगी? यदि जवानी बीमारी के साथ निकलेगी तो देश का भविष्य कैसे उज्ज्वल हो सकता है। जो कानून बना है, अगर वह पर्याप्त नहीं है तो उससे भी बड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। ताकि हम उस पर अमल करके अपने देश के भविष्य को सुरक्षित रख सकें। अभी हमारे गुजरात के सूरत और मुम्बई में बहुत से बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है। आप उन्हें मुक्त करा सकते हैं लेकिन उसके बाद उनकी कोई पूछताछ नहीं होती है कि उनके साथ क्या हुआ। उनके परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति होता है उसे काम पर लगा सकते हैं या नहीं। जब तक इन समस्याओं का हल नहीं होता है तब तक यह बुराई दूर नहीं हो सकती है।

मेरे दोस्त श्री संदीप जी ने बताया कि 40 बच्चों पर एक टीचर होता है लेकिन मेरे यहां 40 नहीं 100 बच्चों पर एक टीचर होता है। वह भी कभी-कभी आता है। कभी तो ऐसा भी होता है कि तीन-चार सौ बच्चों के ऊपर दो टीचर होते हैं। दो टीचर में से एक टीचर आता है और सब बच्चों को संभालता है।

महोदय, सबको पकड़ कर कोई न कोई होम वर्क दे देता है और वह क्लास में राउंड लगाता रहता है और सब बच्चे बैठे रहते हैं। पढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि बच्चों को सिर्फ तीन-चार घंटे ठहराने की बात होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि दो या तीन बच्चों से ज्यादा बच्चे हों, तो उन्हें सरकार से जो सहायता मिलती है उसमें कटौती की जाए, उन्हें राशन नहीं दिया जाए, दवा नहीं दी जाए। इस प्रकार से कुछ कठोर कदम उठाएंगे, तभी इस समस्या का हल होगा अन्यथा नहीं। गरीब के कितने बच्चे हों, इसकी सीमा अवश्य बांधी जाए। जिसके दो बच्चे हैं, वह भी गरीब है। जिसके तीन बच्चे हैं, वह भी गरीब है और जिसके चार, पांच बच्चे हैं, वह भी गरीब है। ऐसा नहीं चलना चाहिए। समाज के प्रत्येक वर्ग की देश के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेदारी है। इस देश को कैसे तन्दुरुस्त बनाया जाए, इस बारे में हर किसी को सोचना होगा। यदि हम ऐसा करेंगे तभी इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं।

सभापति जी, गुजरात के अंदर ठेकेदार अक्सर मध्य प्रदेश से मजदूर लेकर आते हैं। मजदूरों के 15-20 बच्चों की टीम बनाकर एक गांव में रख दी जाती हैं। उस टीम से एक साल काम कराते हैं। एक साल में उन बच्चों का क्या हुआ, इसका न ठेकेदार और न काम कराने वाला, कोई ध्यान नहीं रखता। कोई बच्चा एक्सीडेंट में मर जाता है और कोई बीमारी में मर जाता है। उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। हमारा गुजरात स्टेट तो बिमारू (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में नहीं आता। वह तो समृद्ध प्रदेश है, लेकिन वहां बाहर, विशेषकर मध्य प्रदेश से मजदूर लाए जाते हैं और बस्ती की बस्तियां बसा दी जाती हैं। इसलिए इस समस्या पर ध्यान दिया जाए।

महोदय, अन्त में, मैं कहूंगा कि हमारे दोस्त जो बिल यहां लाए हैं, यह बहुत अच्छा है, इस पर हम सबको गौर करना पड़ेगा। कोई भी कानून हो, उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि देश को आगे ले जाना है, तो कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे यहां जामनगर में बहुत इंडस्ट्रीज हैं, वहां भी बच्चे काम करते हैं। हमारी कठिनाई यह है कि हम बोलते हैं, तो भी तकलीफ होती है और नहीं बोलते हैं, तो भी तकलीफ होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस समस्या का समाधान हम सबको मिलकर करना होगा और राजनीति से ऊपर उठकर, एक साथ बैठकर करना होगा, तभी देश का भविष्य अच्छा होगा।

महोदय, बाल श्रम का यौन शोषण भी होता है। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं। सब कुछ होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है और किसी नए कानून की जरूरत है, तो उसे लाना चाहिए या वर्तमान कानून को कड़ा बनाने के लिए यदि उसमें संशोधन करने की जरूरत हो, तो वह किया जाना चाहिए। बाल श्रम को कराने वाले, बच्चों के माता-पिता जो बच्चों को बाल श्रम के लिए भेजते हैं और ठेकेदार जो बच्चों को बाल श्रम के लिए ले जाते हैं, उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी यह रुक सकता है।

मैं सभापति जी को धन्यवाद देते हुए, माननीय सदस्य जो इतना अच्छा बिल लाए हैं, उन्हें भी शुक्रिया अदा करते, हुए बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बगाल): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री इकबाल अहमत सरडगी द्वारा लाए गए विधेयक को सुस्पष्ट समर्थन देता हूं क्योंकि अगर हमने बालक श्रम के उन्मूलन और रोक के लिए स्वयं को तैयार नहीं किया तो पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

भारतीय होते हुए हमें गर्व है कि हमने कठोर परिश्रम करके अपने देश को राष्ट्रों के समूहों में स्थान दिलाया है। हमने अपने देश को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बदल दिया है। हमने सूचना प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों में बहुत प्रगति की है।

लेकिन फिर भी हमारे भाग्य में कई ऐसे कलंक हैं जिसे हम पीछे विरासत में छोड़ आए हैं। महोदय सारी प्रगति के बावजूद हम बदनामी और मानहानि से मुक्त नहीं है क्योंकि विश्व जनसंख्या का 16 प्रतिशत भारत की है और हमारे यहां बाल श्रम की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। इसके अलावा हमारे देश में बाल श्रम में लड़कियों की संख्या अधिक है। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि जो कुछ विकास की ओर जाता है उसको संकट का सामना करना पड़ता है। विश्व का बच्चा दुर्बल है, किसी भी प्रकार की आपदा के प्रति संवेदनक्षम है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी रक्षा करें, उन्हें पनपने दें और उन्हें सुयोग्य बनाएं। हमारा विगत है हमारा वर्तमान भी है और हमारा भविष्य भी है। विगत रद्द किए गए चैक के समान है। भारत का भविष्य वचन पत्र है। वर्तमान हाथ में मिले हुए धन के समान है जिसे हमें विवेकपूर्वक खर्च करना है। महोदय, मैं यूनीसेफ के वार्षिक प्रकाशन 1997 से कुछ शक्तियां उद्धृत किए बिना नहीं रह सकता। मैं उद्धृत करता हूं:

> "एक दिन ऐसा आएगा जब राष्ट्रों को न तो उनकी सैन्य अथवा आर्थिक क्षमता से, न उनकी राजधानियों और सार्वजनिक भवनों से आंका जाएगा बल्कि उनके लोगों की समृद्धि उनके स्वास्थ्य के स्तर, आहार और शिक्षा, उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने की क्षमता द्वारा उनके नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं हेतु दर्शाए गए सम्मान, दुर्बल और अपकारी लोगों के लिए बनाए गए प्रावधानों द्वारा और बच्चों के पनपते दिमाग और शरीर को दिए जाने वाले संरक्षण द्वारा आंका जाएगा"

महोदय, हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने भारत की राष्ट्रवादी भावना के दौरान हमारे भविष्य के लिए एक संकल्पना तैयार की थी। उसमें 1931 की कांग्रेस जो कि कराची कांग्रेस के नाम से मशहूर थी ने दृढ़तापूर्वक भारत के बच्चों के कल्याण और समृद्धि के लिए संकल्प लिया था। आजकल बाल श्रम प्रायः देखने को मिलता है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व बाजार से जुड़ी हुई है। महोदय आपको भलीभांति मालूम है कि मराकाग में हुई **उरुगै** चर्चा में हमने समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इतना ही नहीं वरन् हमने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से भी सहमति जताई थी।

हम बाल अधिकार कन्वेंशन में भागी रहे हैं। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय मंच की उपस्थिति में दिल्ली में और संयुक्त राष्ट्र तंत्र के अधीन हमने बाल अधिकारों के संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया है। लेकिन ये भी सत्य है छोटी या बड़ी बाल श्रम समस्याओं को किसी गंतव्य को पारित करके हल नहीं की जा सकती है इसे विकास प्रक्रिया के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। इसलिए भारत सरकार ने देश में प्रचालित बालक श्रम को धीरे-धीरे समाप्त करने के बारे में पहल की है।

सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जोकि आंध्र प्रदेश से हैं - जो भारत में पहले ही बाल श्रमिक जनसंख्या का दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने का स्थान ले चुका है। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में वास्तव में बाल श्रमिकों की संख्या क्या है। हमारे देश में किसे बाल श्रम कहा जा सकता है इसकी परिभाषा क्या है किसी भी नीति को बनाने से पहले अथवा कानून को तैयार करने से पहले हमारे विचार सम्बन्धी स्पष्टता होनी चाहिए कि श्रम अथवा कार्य के बीच अन्तर क्या हैं और क्या ये सवेतनिक अथवा अवेतनिक श्रम अथवा कार्य है। हमारे संविधान में भी कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि खतरनाक और गैर खतरनाक के बीच अन्तर क्या है? इसको परिभाषित किया जाए। उदाहरण के लिए इस सभा के अधिकतर सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं। जैसाकि आपको मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्र में आजकल उर्वरक, कीटनाशी और पेस्टीसाइड बड़ी मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या इन खेतों में काम करने वाले बच्चे इस प्रकार के कीटनाशकों और पेस्टीसाइड से प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन अमरीका में, कोस्टा रीका नामक एक देश है इस देश में 15,000 बच्चे पेस्टीसाइड और कीटनाशकों के प्रभाव के कारण नपुंसक हो गए।

यह अत्यन्त प्रचलित अवधारणा है कि कार्य किसी वर्ग विशेष से संबंधित है और श्रम परिभाषा में सीमित है तो सर्वप्रथम हमें श्रम और कार्य, खतरनाक और गैर खतरनाक को स्पष्ट करना होगा। मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह सच है कि जब कभी भी कोई बच्चा गैर खतरनाक स्थिति में चर्चा करता है तो वह हमारे समाज की सभी सुविधाओं और लाभों को प्राप्त करने में समर्थ होगा। वह नहीं होता है।

[श्री अधीर चौधरी]

इसलिए हमें अपने देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समग्र परिपेक्ष्य से बाल श्रम के पूरे मामले पर विचार करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस विधेयक के लिए आवंटित किया गया समय समाप्त हो गया है। यदि सभा सहमत है तो इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दिए गए समय को आधा घंटा बढ़ाया जाता है...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: महोदय, हमें अपनी सारी नीतियों को अत्यन्त व्यापक तरीके से बनाना होगा क्योंकि हमें बाल श्रम की परिभाषा में अपने आप को उलझने नहीं देना चाहिए। बाल श्रम की समस्या सार्वभौमिक स्वरूप की है। लेकिन भारत के सन्दर्भ में यह निर्णायक है क्योंकि अब बालक एक समग्री बन गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते किसी देश में बाल श्रम की स्थिति पर प्रासंगिक होते जा रहे हैं। पूरे विश्व में प्रबल प्रतिस्पर्धा के इस युग में बाल श्रम सामान्य चर्चा का मामला बन गया है। कोयटो विज्ञप्ति में भी, भारत में बाल श्रम के मामले का वर्णन करते हुए तीसरी दुनिया के देशों का ध्यान आकृष्ट किया गया था। निसन्देह, इस प्रतिस्पर्द्धा ने युग में, जब सब कुछ अर्थव्यवस्थाओं के सिद्धान्तों पर निर्भर करता है, बच्चे सन्तुलन को किसी भी ओर झुकाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए बाल श्रम का मामला अब विश्व स्तर पर जाना जाता है।

हमारे देश में तो बाल श्रम का प्रश्न कोई नया नहीं है। हमारे देश में बाल श्रम कई सदियों से चला आ रहा है क्योंकि हम अपने बचपन से ही अपने आपको उसमें ढाल लेते हैं और अपने वातावरण के साथ अपने आपको अभ्यस्त कर लेते हैं। इसलिए चूंकि किसी समय हम कुछ कार्य करते हैं और पूरे विश्व में चल रही पुरानी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई के दौरान कुछ कमा लेते हैं।

समस्या यह है कि बच्चों का गरीबी और भूखमरी के कारण शोषण किया जाता है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की ग्लानि सहनी पड़ती है। बच्चों को कई प्रकार की कामुकता का शिकार होना पड़ता है। बड़े पैमाने पर बच्चों का व्यापार (खरीद-फरोख्त) किया जाता है। सबसे खराब बात कि बालिकाओं को तो देह व्यापार में झोंक दिया जाता है।

उग्रवाद के मामलों में भी, बच्चों से काम लिया जाता है।

सभापति महोदय: श्री अधीर चौधरी, आप आगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अब सभा, सोमवार, 1 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 1 अगस्त, 2005/10 श्रावण 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख श्री डी.वी. सदानन्द गौडा	81
2.	श्री प्रभुनाथ सिंह श्री के.सी. सिंह "बाबा"	82
3.	श्री सुशील कुमार मोदी श्री हन्नान मोल्लाह	83
4.	मोहम्मद शाहिद श्री सुबोध मोहिते	84
5.	श्री बाडिगा रामकृष्णा श्री पी. मोहन	85
6.	श्री सुरवरम सुधारकर रेड्डी श्री चन्द्र भूषण सिंह	86
7.	श्री हितेन बर्मन श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	87
8.	श्री बसुदेव आचार्य श्री दरोगा प्रसाद सरोज	88
9.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री रामजीलाल सुमन	89
10.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्रीमती निवेदिता माने	90
11.	श्री जोवाकिम बखला श्री पी. करुणाकरन	91
12.	श्री अनन्त नायक डा. एम. जगन्नाथ	92
13.	श्री बालासाहिब विखे पाटिल श्री सर्वानन्द सोनोवाल	93
14.	श्री कैलाश मेघवाल श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	94
15.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी श्री लक्ष्मण सिंह	95
16.	श्रीमती पी. सतीदेवी श्री स्वदेश चक्रवर्ती	96
17.	श्री वी.के. तुम्मर श्री गिरिधारी यादव	97
18,	श्री रनेन बर्मन श्री ए. साई प्रताप	98
19.	श्री एस.के. खारवेनथन	99
20.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया श्री पंकज चौधरी	100

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	894
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	889, 894, 911, 978, 1003
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	869, 945
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	894, 907
5.	अंगड़ि, श्री सुरेश	920, 982, 1022
6.	आठवले, श्री रामदास	912
7.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	956
8.	बंसल, श्री पवन कुमार	902
9.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	871, 881, 966, 992
10.	बर्मन, श्री हितेन	947
11.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	938

1	2	3
12.	बोस, श्री सुब्रत	884
13.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	896
14.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	967
15.	चक्रवर्ती, श्री अजय	904, 961
16.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	959
17.	चौरे, श्री बापू हरी	894, 954, 999
18.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	896, 932, 969
19.	चिन्ता मोहन, डा.	960
20.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	921, 983
21.	चौधरी, श्री अधीर	882, 905
22.	धनराजू, डा. के.	867, 966, 977
23.	धोत्रे, श्री संजय	875, 894, 999
24.	डोम, डा. रामचन्द्र	967
25.	गढ़वी, श्री पी.एस.	913
26.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	922, 944
27.	गमांग, श्री गिरिधर	907
28.	गंगवार, श्री संतोष	919
29.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	953
30.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	885
31.	हसन, श्री मुनव्वर	972
32.	झा, श्री रघुनाथ	886, 988, 1002
33.	जिन्दल, श्री नवीन	868
34.	जोगी, श्री अजीत	928
35.	जोशी, श्री प्रहलाद	894, 927
36.	करुणाकरन, श्री पी.	997
37.	कस्वां, श्री राम सिंह	895

1	2	3
38.	खण्डेलवाल, श्री विजय कुमार	892
39.	खन्ना, श्री अविनाश राय	895
40.	खारवेनथन, श्री एस.के.	880, 958, 1004
41.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	879
42.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	900
43.	कुरूप, श्री सुरेश	891
44.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	923, 957, 1000, 1014, 1022
45.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	960, 973
46.	महाजन, श्री वाई.जी.	896
47.	महतो, श्री बीर सिंह	871
48.	महतो, श्री सुनिल कुमार	869, 945
49.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	969
50.	माझी, श्री परसुराम	892, 894, 907
51.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	919, 966
52.	मंडल, श्री सनत कुमार	872, 894
53.	माने, श्रीमती निवेदिता	944, 984
54.	मनोज कुमार, श्री	887
55.	मेघवाल, श्री कैलाश	879
56.	मेहता, श्री आलोक कुमार	903, 907
57.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	904, 996
58.	मिश्रा, डा. राजेश	897, 963
59.	मोदी, श्री सुशील कुमार	955
60.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	892
61.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	926
62.	मोहन, श्री पी.	952

1	2	3
63.	मुकीम, मो.	903, 1009
64.	मो. ताहिर, श्री	957, 1000, 1022
65.	मोहिते, श्री सुबोध	940, 951
66.	मूर्ति, श्री ए.के.	870
67.	मुन्शी राम, श्री	923, 957, 1000, 1014, 1022
68.	मुर्मू, श्री हेमलाल	983
69.	नायक, श्री अनन्त	948, 959, 1022
70.	निखिल कुमार, श्री	905
71.	नायक, श्रीमती अर्चना	894, 915
72.	ओराम, श्री जुएल	935, 991
73.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	906, 976
74.	पाल, श्री रूपचंद	943
75.	पलनिसामी, श्री के.सी.	888, 949, 998, 1013, 1021
76.	पाण्डा, श्री प्रबोध	930, 987
77.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1001
78.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	874
79.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	894, 899, 968
80.	पाठक, श्री ब्रजेश	940, 995, 1009, 1011, 1020
81.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	892, 965, 1002, 1016
82.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	1015
83.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	940, 966
84.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	894, 914, 958, 980, 1006

1	2	3
85.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	894, 993
86.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	893
87.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	901, 905, 975, 1001
88.	राजेन्द्र कुमार, श्री	924, 985
89.	राजेन्द्रन, श्री पी.	987
90.	रामदास, प्रो. एम.	926, 1006
91.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	894, 958, 1001, 1015
92.	राणा, श्री काशीराम	869, 909
93.	राव, श्री के.एस.	917
94.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	890, 989, 1001, 1008, 1018
95.	राव, श्री डी. विट्ठल	908, 978
96.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	932
97.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	882, 916, 981
98.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	958, 970
99.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	877, 966
100.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	910
101.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	959
102.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	934, 990
103.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	972
104.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	946
105.	सत्पथी, श्री तथागत	901
106.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	958, 974, 1005
107.	सेन, श्रीमती मिनाती	907, 937, 994
108.	सेठ, श्री लक्ष्मण	967

1	2	3
109.	शाहिद, मोहम्मद	957, 1000, 1014, 1022
110.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	889, 894, 973, 1003
111.	शिवन्ना, श्री एम.	942
112.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	923, 957, 1000, 1014, 1022
113.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	910, 918
114.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	869, 945
115.	सिंह, श्री रामसेवक	940
116.	सिंह, श्री लक्ष्मण	950
117.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	969, 1001
118.	सिंह, श्री दुष्यंत	900, 958, 971, 1012, 1022
119.	सिंह, श्री गणेश	884, 960, 978
120.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	944
121.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	931, 959, 1006, 1015
122.	सिंह, श्री मोहन	894, 929
123.	सिंह, श्री राकेश	898
124.	सिंह, डा. रामलखन	892
125.	सिंह, श्री रेवती रमन	973
126.	सिंह, श्री सीताराम	878, 986, 1007, 1017
127.	सिंह, श्री सुग्रीव	894, 899, 968
128.	सिंह, श्री उदय	889, 939
129.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	926
130.	सुमन, श्री रामजीलाल	960, 973
131.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	883
132.	तुम्मर, श्री वी.के.	869, 873
133.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	966, 1001
134.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	936, 993, 1010, 1019
135.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	964
136.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	893
137.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	889, 911, 978, 1003
138.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	984
139.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	873, 962
140.	यादव, श्री गिरिधारी	869, 871, 909
141.	यादव, श्री पारसनाथ	941
142.	यादव, श्री राम कृपाल	972
143.	यादव, श्री सीता राम	925
144.	यास्खी, श्री मधु गौड	922, 984
145.	जाहेदी, श्री महबूब	876

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	
वित्त	85, 86, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 100
विधि और न्याय	
खान	
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	94
महासागर विकास	
विद्युत	81, 82, 88, 90
ग्रामीण विकास	83, 87, 89, 96, 98
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
वस्त्र	84

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	886, 925, 935, 954, 1001, 1009
वित्त	867, 868, 874, 876, 878, 887, 888, 889, 891, 896, 899, 901, 902, 904, 906, 908, 913, 916, 917, 918, 919, 922, 927, 929, 937, 942, 943, 944, 946, 949, 952, 953, 956, 960, 961, 968, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 978, 982, 983, 984, 988, 994, 995, 996, 999, 1002, 1004, 1016, 1019, 1022
विधि और न्याय	870, 895, 905, 926, 928, 1011, 1020
खान	872, 907
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	885, 964, 1014
महासागर विकास	965, 980, 987
विद्युत	894, 900, 910, 932, 939, 957, 958, 966, 970, 989, 992, 997, 1008, 1010, 1012, 1018
ग्रामीण विकास	869, 871, 873, 880, 882, 884, 893, 897, 898, 911, 920, 923, 936, 940, 941, 945, 947, 950, 951, 955, 959, 963, 967, 979, 985, 986, 990, 993, 998, 1000, 1005, 1006, 1007, 1013, 1015, 1021
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	879, 890, 892, 903, 914, 915, 931, 933, 969, 977, 1017
वस्त्र	875, 877, 881, 883, 909, 912, 921, 924, 930, 934, 938, 948, 962, 981, 991, 1003

इन्टरनेट

लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/11/5./2005 (एन.)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।